अष्टम माला, खंड 21, अंक 7

बुधवार, 12 नवम्बर, 1986
21 कार्तिक, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सातवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

57
31/8/87

(खंड 21 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य चार : रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 21, सातवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 7, बुधवार, 12 नवम्बर, 1986/ 21 कार्तिक, 1908 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—24
* तारांकित प्रश्न संख्या : 121 से 125 और 128 ...	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	24—166
तारांकित प्रश्न संख्या : 126, 127 और 129 से 140	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1258 से 1321 और 1323 से 1397	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	174—181, 172
राज्य सभा से सन्देश	181
घोषी कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विधेयक ...	181
राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में—सभा पटल पर रखा गया	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति ...	182
पच्चीसवां प्रतिवेदन	
समिति के लिए निर्वाचन	182
राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति	
कार्य मन्त्रणा समिति	182—183
उनतीसवां प्रतिवेदन	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण ...	183—192
बम्बई हवाई अड्डे के सहार टर्मिनल में आग का समाचार	
श्री शरद दीघे	183
श्री जगदीश टाईटलर	183

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय			पृष्ठ
श्री हरीश रावत	...	...	168
डा० गौरी शंकर राजहंस	...	...	187
श्री जगदीश अवस्थी	...	...	188
श्री बनवारी लाल पुरोहित	...	...	189
नियम 377 के अधीन मामले	...	...	192—196
(एक) कोटा अथवा रतलाम से दिल्ली तक नई रेल-गाड़ी चलाने और देहरादून एक्सप्रेस को पुनः चलाने की आवश्यकता			
श्री शांति धारीवाल	...	...	192
(दो) लद्दाख क्षेत्र के लोगों को अनुसूचित जनजाति घोषित करने की आवश्यकता			
श्री पी० नामग्याल	...	...	193
(तीन) लक्षद्वीप को समुद्र के कटाव से बचाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता			
श्री पी० एम० सईद	...	...	193
(चार) मध्य प्रदेश में दमोह और पन्ना जिलों में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता			
श्री डाल चन्द्र जैन	...	...	194
(पांच) परादीप पत्तन के विकास के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता			
श्री बृज मोहन महन्ती	...	...	194
(छः) उपभोक्ताओं को हानिकर व्यापारिक गतिविधियों से बचाने के लिए स्वैच्छिक उपभोक्ता प्रयासों को संगठित करने की आवश्यकता			
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह	...	...	195
(सात) पश्चिम बंगाल स्थित विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शीघ्र अनुदान दिए जाने की आवश्यकता			
डा० सुधीर राय	...	...	195

विषय पृष्ठ

(आठ) ताप विद्युत का उत्पादन बढ़ाने के लिए तमिलनाडु राज्य को सहायता देने की आवश्यकता

श्री पी० कुलनदईवेलु 195

दिल्ली अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा विधेयक—जारी ... 196—239

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री सोमनाथ रथ 196

श्री राजकुमार राय 198

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर 201

श्री शांति धारीवाल 204

श्री अताउर्रहमान 205

श्री मूलचन्द डागा 207

श्री इन्द्रजीत गुप्त 212

श्री विजय एन० पाटिल 216

श्री मतिलाल हंसदा 218

श्री धर्मपाल सिंह मलिक 219

श्री मोहम्मद महफूज अली खां 222

श्री के० एस० राव 223

श्री पीयूष तिरकी 225

श्री शांताराम नायक 226

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर 229

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही 231

खण्ड 2 से 16 और 1 ... ... 235—236

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही 239

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 1986-87 ... 239—257

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति 240

श्री उमाकान्त मिश्र 245

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन 248

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर 251

श्री जुझार सिंह 253

श्री एम० महालिंगम 255

लोक सभा

बुधवार, 12 नवम्बर, 1986/21 कार्तिक, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

प्रदूषण नियन्त्रण सुविधाओं के विस्तार के लिए जर्मन संघीय गणराज्य के साथ समझौता

*121. **डा० गौरी शंकर राजहंस**†
श्रीमती प्रभावती गुप्त } : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्यमान जल और वायु प्रदूषण नियन्त्रण सुविधाओं का विस्तार करने के लिए जर्मन संघीय गणराज्य के साथ कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जल और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या तरीके अपनाये जायेंगे ?

[हिन्दी]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) जी, हां।

(ख) समझौते में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की क्षमता को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों के आयात और कार्मिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

(ग) तरीकों में प्रबोधन, समझाना, प्रोत्साहन और कानूनी कार्यवाही शामिल है।

डा० गौरी शंकर राजहंस : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अधूरा है। समझौते का पूरा विवरण क्या है, यह हम जानना चाहते हैं साथ ही हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या अन्य देशों के साथ भी ऐसे समझौते हुए हैं ? यदि हुए हैं तो विस्तार से हमें उसका विवरण दिया जाए।

श्री भजन लाल : जर्मन संघीय गणराज्य के साथ मार्च 1985 में समझौता आ है। उस समझौते से हमारे देश को 162 लाख रुपये के इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने दिए। उसके साथ-साथ ट्रेनिंग के लिए 8-8 लोग 6-6 महीने के लिए वहां जाते हैं, चार उसमें वैज्ञानिक हैं और चार दूसरे लोग हैं ताकि वहां से ट्रेनिंग लेकर आएं और ट्रेनिंग का सारा खर्चा उनका है। 20 आफिसर भी जाते हैं 15 दिन के लिए और उनका एक अधिकारी जो बड़ा एक्सपर्ट है वह भी

तीन साल के लिए हमारे देश में आएगा। वह पहुंच गए हैं। वह पूरी जानकारी देते हैं, बताते हैं कि कैसे-कैसे इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा पांच साल के लिए यानी साठ महीनों के लिए थोड़ी थोड़ी अवधि के लिए थोड़े थोड़े लोग जाएंगे ताकि वहां से पूरा ज्ञान हासिल कर सकें।

इसके अलावा माननीय सदस्य ने पूछा कि और किन किन देशों के साथ ऐसा एग्रीमेंट हुआ। तो पश्चिमी यूरप, ई० ई० सी० यान यूरोपियन एकोनामिक कम्यूनिटी के देशों के साथ एक समझौता 1983 में हुआ था। इसी तरह से ब्रिटेन के साथ भी एक फैसला 1983 में हुआ था ताकि वायु के प्रदूषण को रोकने में वे हमारी सहायता कर सकें। उसके साथ ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी हमको दे सकें। अमेरिका और नार्वे ने भी इसमें रुचि दिखाई है क्योंकि यह समस्या एक वर्ल्ड समस्या है। किसी एक देश की समस्या का सवाल नहीं है। तो ये जो मैंने बताए हैं इन मुल्कों के साथ हमारे समझौते हुए हैं।

डा० गौरी शंकर राजहंस : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने पढ़ा होगा कि राइन नदी में भयानक प्रदूषण हुआ जिससे हजारों मछलियां मर गईं। उसे वे नियंत्रित नहीं कर सके। इस तरह का प्रदूषण बिहार में पटना से भागलपुर तक रोज होता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिमी यूरप के अन्य देशों के साथ भी हमारा समझौता हुआ है जिससे यह प्रदूषण रोका जा सके ?

श्री भजन लाल : यह ठीक बात है कि हमारे देश में 14 ऐसी नदियां हैं जिनमें प्रदूषण है और उसका असर आम लोगों पर पड़ता है। अभी हमने गंगा से शुरू किया है और सारी नदियों का बाकायदा सर्वे करके एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि ज्यों-ज्यों धन की उपलब्धि होगी, उस पर कार्यवाही करेंगे। सारी नदियों को साफ करने के लिए कम से कम तीन हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : अब तो सन्तुष्ट हुए न ?

श्रीमती प्रभावती गुप्त : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि जो उत्तर उन्होंने दिया है वह बहुत विस्तार से दिया है, एक लम्बी योजना उन्होंने बताई है लेकिन क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के साथ-साथ जो अत्यधिक रूप में पेस्टिसाइट्स का प्रयोग किया जा रहा है उसके चलते खाद्यान्नों का भी प्रदूषण हो रहा है जिससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है ? वायु प्रदूषण तो इतनी चरम सीमा पर पहुंच गया है कि पूरी राजधानी दिल्ली से लेकर गांवों, कस्बों और शहरों तक मच्छरों का साम्राज्य हो गया है और वायरस की बीमारियां फैल रही हैं, घर घर में लोग बीमार हैं तो इस प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार क्या करने जा रही है ? सरकार के पास दीर्घकालीन योजना के अलावा कोई अल्पकालिक योजनाएं भी हैं या नहीं ? गंगा नियन्त्रण बोर्ड ने जो सफाई के कार्य किए हैं उनके बारे में भी मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगी।

श्री भजन लाल : माननीय सदस्य की बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है

कि प्रदूषण की वजह से बीमारियां फैलती हैं और उसको रोकना सबसे पहला कर्तव्य सरकार का है। इसीलिए स्वर्गीय प्रधान मन्त्री जी ने इस पर बड़ा जोर दिया था और आदरणीय राजीव गांधी जी ने इसमें खास रुचि लेकर यह प्रोग्राम बनाए हैं ताकि मुल्क से प्रदूषण को हटाया जाए लेकिन आप जानते हैं इसमें काफी समय लगेगा, एक सेकेन्ड में होने वाली यह बात नहीं है। यह ठीक है कि हवा से प्रदूषण होता है। जिस तरह से वाहन चलते हैं, धुवां निकलता है, तकरीबन 40-50 प्रतिशत प्रदूषण वाहनों से होता है। सड़कों पर जो बसें, ट्रक्स और दूसरी गाड़ियां चलती हैं उनसे भारी मात्रा में धुवां निकलता है। अगर दस फीट ऊंची गाड़ी होती है उस पर अगर 8-10 फीट ऊंचा साइलेंसर लगा दिया जाए तो कम से कम वह धुवां ऊपर को ही जाएगा। बैटरी से चलाने की कोई योजना हो—इस तरह की बात हम सोचते हैं जिससे कि कम से कम प्रदूषण हो।

श्री बी० तुलसीराम : मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत आपने भारत सरकार की ओर से कौन-कौन से राज्य रखे हैं, उसमें आंध्र प्रदेश भी रखा है क्या ? अगर रखा है तो वहां के लिए आपने क्या राशि रखी है ?

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं यह जो देश में फारेस्ट कटवा दिए हैं, पेड़ों के कटने से भी गन्दगी फैलती है तो इसके लिए इस सातवीं पंचवर्षीय योजना में सारे देश में पेड़ लगवाने के लिए आपने कितनी राशि रखी है और उसमें आन्ध्र प्रदेश के लिए कितनी राशि रखी गई है यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री भजन लाल : यह सवाल दूसरा है लेकिन जहां तक पेड़ लगाने का ताल्लुक है, भारत सरकार की नीति स्पष्ट है कि जब तक मुल्क में पेड़ नहीं लगेंगे वायुमण्डल ठीक नहीं हो सकता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1900 करोड़ के करीब धनराशि रखी गई है जिसमें रूरल डेवलपमेंट भी है, वाइल्ड लाइफ भी है और पेड़ लगाने की बात भी है।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी का वियना में सम्मेलन

*122. **श्री आनन्द सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और रिएक्टरों आदि में दुर्घटनाओं के फलस्वरूप परमाणु विकिरण के सम्भाव्य खतरों पर चर्चा करने के लिए इस वर्ष अक्तूबर के पहले/दूसरे सप्ताह में वियना में अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो चेरनोबिल दुर्घटना के तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सम्मेलन में क्या-क्या मुख्य टिप्पणियां की गई और क्या क्या सुझाव दिए गए; और

(ग) परमाणु परियोजनाओं की स्थापना, उनके रख-रखाव और कार्यकरण के सम्बन्ध में उन सुझावों आदि को ध्यान में रखते हुए क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन्) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन में दो अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय स्वीकृत किए गए इनमें से पहले अभिसमय के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि न्यूक्लियर दुर्घटनाओं के बारे में तथा सीमाओं से बाहर पड़ने वाले उनके संभावित प्रभावों के बारे में जानकारी शीघ्र दी जाए। दूसरे अभिसमय के अन्तर्गत न्यूक्लियर दुर्घटना की स्थिति में सहायता देने की व्यवस्था की गई है।

(ग) भारत के परमाणु बिजलीघरों के डिजायन चेरनोबिल बिजलीघर के डिजायन से भिन्न हैं। तथापि, चेरनोबिल में हुई दुर्घटना के बारे में मिली सारी जानकारी का विश्लेषण किया जा रहा है ताकि उससे उपयुक्त सबक लिए जा सकें और हमारे परमाणु बिजलीघर सुरक्षित रूप से चलाए जा सकें। इस दौरान, रिएक्टरों को चालू करने और उनके निम्न विद्युत स्तरों पर काम करने से सम्बन्धित प्रचालन प्रक्रियाओं को और भी कठोर बना दिया गया है।

श्री आनन्द सिंह : हमारे पास चार परमाणु रिएक्टर हैं दो को हम पहले ही चालू कर चुके हैं तथा अन्य दो को हम भविष्य में शुरू करने की सोच रहे हैं। जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा है भारत में परमाणु शक्ति संयंत्रों से चेरनोबिल संयंत्र की संरचना भिन्न है। ऐसा हो सकता है, परन्तु इस तकनीक में वे पुराने हो गए हैं। केवल यह ही ऐसी दुर्घटना नहीं है, पूरे विश्व में ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, नरोरा परमाणु संयंत्र में हम कौन से नए सुरक्षा उपाय शुरू करने जा रहे हैं, जो उसी तकनीक पर गंगा नदी के तट पर भूकम्पीय पथ पर बनाया जा रहा है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन रिएक्टरों में नए सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं जिन्हें अभी शुरू किया जाना है। यदि हां, तो वे कौन से उपाय हैं।

श्री के० आर० नारायणन : मैं यह नहीं कहूंगा कि हमारे संयंत्रों की संरचना सोवियत संयंत्रों से बेहतर है, परन्तु यह बात निश्चित है कि चेरनोबिल संयंत्र, जहां यह दुर्घटना हुई है, हमारे संयंत्रों से इसकी संरचना भिन्न है। हमारे संयंत्रों की बनावट की संरचना के समय से हमने वे सभी सुरक्षा उपाय अपनाए हैं जो हम जानते हैं, वास्तव में नवीनतम उपाय भी जो पूरी दुनिया जानती है। इसलिए, यह कहना सही नहीं है कि हमने चालू संयन्त्रों में सभी सम्भावित सुरक्षा उपाय समाविष्ट नहीं किए हैं।

जहां तक भावी संयन्त्रों का सम्बन्ध है, यहां तक कि हम और अधिक सुरक्षा सावधानियां बरत रहे हैं जैसे कि बाहरी दीवार में दोहरी परत है। यहां तक कि आन्तरिक रूप से भी हम ईंधन का क्लोजिंग करते हैं जिसे एक दाब नली में रखा जाता है तथा इसका प्रयोग दाबानुकूलित पानी के साथ भी किया जाता है तथा इसे एक छलनी वाली परत में रखा जाता है।

ये सब सावधानियां हमने संयंत्रों को बनाते समय ही बरती हैं।

श्री आनन्द सिंह : नरोरा संयन्त्र को बनाने का विचार पांच वर्ष पूर्व आया था तथा यह

शीघ्र चालू होने वाला है। इस अवधि में, इस प्रणाली में क्या कोई नए सुरक्षा उपाय किए गए हैं अथवा क्या हम पुरानी संरचना पर ही चल रहे हैं ? यह अच्छी बनावट है, परन्तु क्या हमने इसमें कोई परिवर्तन किए हैं ? मैं यही बात जानना चाहता हूं।

यहां तक कि एक भी रिएक्टर सन्तोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है चाहे वह तारापुर रिएक्टर हो या मद्रास वाला रिएक्टर हो। सभी में कुछ न कुछ समस्याएं हैं। क्या ये दोष मुख्य रूप से परिचालन सम्बन्धी कमियों के कारण हैं अथवा इनकी संरचना में ही कोई कमियां हैं ? चेरनोबिल संयन्त्र दुर्घटना की रिपोर्ट में उनका कहना है कि इसकी बनावट ठीक थी, यह दुर्घटना केवल परिचालक की गलती के कारण हुई थी। हमारे सामने भी कुछ समस्याएं हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये कठिनाइयां अधिकतर परिचालन सम्बन्धी हैं अथवा वे बनावट सम्बन्धी दोषों के कारण हैं। आप इसे दोषरहित बनाने के लिए क्या कर रहे हैं।

श्री के० आर० नारायणन् : जहां तक रिएक्टरों की सुरक्षा का सम्बन्ध है अभी तक किसी भी भारतीय रिएक्टर में कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, हमने इन रिएक्टरों की बनावट में तथा संरचना में कई सुरक्षा उपाय शामिल किए हैं जो हम जानते थे।

नरौरा संयन्त्र के सम्बन्ध में हमने दोहरी परत का प्रावधान किया है। यह एक नई विशेषता है जो नरौरा संयन्त्र तथा सभी भावी संयन्त्रों में शामिल की जा रही है। इसके अलावा पहली बार भूकम्प विरोधी उपायों का प्रयोग किया जा रहा है। ये संरचना सम्बन्धी परिवर्तन हमारे अनुभवों के परिणामस्वरूप किए जा रहे हैं। कुछ लोगों को यह शक है कि हम जो भूकम्प सम्बन्धी उपाय कर रहे हैं वे प्रभावी भी होंगे। जापान इसका एक उदाहरण है क्योंकि पूरा देश भूकम्पों के प्रति संवेदनशील है तथा वहां उन्होंने ऐसे उपाय किए हैं और वे बहुत प्रभावी रहे हैं।

इस संयन्त्र की क्रियाशीलता के सम्बन्ध में, यह बात शायद इस प्रश्न के क्षेत्र से कुछ हटकर है जो सुरक्षा के बारे में है। मेरे विचार में कुल मिलाकर आर० ए० पी० पी०-I के सिवाय अन्य सभी संयंत्र ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

श्री मुरली देवरा : माननीय मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है कि सरकार ने हमारे परमाणु संयन्त्रों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित कर लिया है। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि एक परमाणु संयन्त्र का औसत जीवन क्या है और क्या सरकार ने परमाणु संयन्त्रों को सुरक्षित रूप से बन्द करने तथा उनके सुरक्षित समापन के लिए कोई उपाय कर लिए हैं।

श्री के० आर० नारायणन् : मैं एकदम यह नहीं बता सकता कि एक परमाणु रिएक्टर की जीवन अवधि कितनी होती है।

परन्तु मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि जब संयन्त्र अनुपयोगी हो जाता है तो हम इसे बन्द करने की प्रौद्योगिकी जानते हैं और हम इसे बन्द कर देंगे।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : कर्नाटक में एक परमाणु संयन्त्र लगाया जा रहा है। राज्य सरकार की भरपूर कोशिश के बावजूद जिन सुरक्षा उपायों का आप उत्तरदायित्व लेते हैं स्थानीय लोगों को उन पर अब भी विश्वास नहीं है। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आप क्या क्या कदम उठाने जा रहे हैं ? क्या परमाणु बिजली घरों के लिए किए गए सुरक्षा उपायों के सम्बन्ध में जैसा कि कर्नाटक के मुख्य मन्त्री ने सुझाव दिया था भारत सरकार एक राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में सोच रही है ?

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : परमाणु बिजली घरों के स्थान के बारे में हमने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

परन्तु माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है हमने उसे नोट कर लिया है और निश्चित रूप से कर्नाटक में संयन्त्र लगाने से पहले हम उस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि यदि भूकम्प आया, तो क्या परिस्थिति निर्माण होगी और हमारे जो री-एक्टर्स हैं, उनको जो उससे नुकसान होगा, उसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : जापान का हवाला दिया है इन्होंने इस प्रश्न में।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : भूकम्प कभी भी आ सकता है और कहीं भी आ सकता है तो उस परिस्थिति का सामना करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : जापान का हवाला देकर बताया है और आपके प्रश्न का उत्तर आया हुआ है।

[अनुवाद]

श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : महोदय, जैसा आप जानते हैं इस शताब्दी के अन्त तक भारत में 10,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा के उत्पादन का कार्यक्रम हैं। चेरनोबल दुर्घटना के बाद केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे संसार के लोगों के मन में डर पैदा हो गया है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा कि क्या विशेष रूप से भारतीय लोगों के मन में इस आशंका से 21वीं शताब्दी तक 10,000 मेगावाट के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई रुकावट होगी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इसका भी उत्तर दिया जा चुका है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : अभी-अभी कर्नाटक के माननीय सदस्य ने कहा है कि कर्नाटक के लोग इस परमाणु संयन्त्र को स्थापित किए जाने के विरुद्ध है। जहां तक आंध्र प्रदेश का सम्बन्ध है वे लोग इसके विरुद्ध नहीं हैं। वे इसकी मांग कर रहे हैं। क्या प्रधान मन्त्री नागार्जुन सागर में

एक परमाणु संयन्त्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री राजीव गांधी : महोदय, मामले के गुण-दोषों को देखते हुए निश्चित रूप से हम इन संयन्त्रों की स्थापना के बारे में विचार करेंगे। परन्तु यहां पर जिस प्रश्न को उठाया गया है वह सुरक्षा का प्रश्न है और मैं समझता हूं कि देश में परमाणु ऊर्जा संयन्त्रों की सुरक्षा पर चर्चा की आवश्यकता है। मैं इस बात में दो पहलुओं को शामिल करना चाहूंगा। पहला यह है कि जब भी नई प्रौद्योगिकी आती है तो जब तक उस प्रौद्योगिकी का हमारा अनुभव इतना हो जाता है कि वह प्रतिदिन काम आने वाली वस्तु बन जाती है तब तक उस प्रौद्योगिकी से विशेष डर सदा बना रहता है। और आने वाली प्रत्येक प्रौद्योगिकी के साथ यह बात घटित होती है। परमाणु ऊर्जा इसका अपवाद नहीं है। फिर भी हमारे परमाणु ऊर्जा संयन्त्रों में सुरक्षा का सबसे अच्छा प्रबन्ध है। जैसा कि माननीय मन्त्री ने अभी कहा है कि हमारे परमाणु संयन्त्रों में कोई दुर्घटना नहीं हुई है। परन्तु एक क्षेत्र में हमारी कमजोरी है और मैं चाहूंगा कि इस विषय पर भी यह सदन वाद-विवाद करे और वह यह है कि यदि कोई दुर्घटना होती है तो स्थिति का सामना करने की क्षमता के बारे में हमारी क्या स्थिति है। इसका अभिप्राय है : क्या हमारी प्रणाली पर्याप्त सुरक्षित है ? मान लीजिए कोई दुर्घटना घटित हो जाती है—यह बहुत असम्भव है क्योंकि हमारा रिकार्ड बहुत अच्छा है, हमारी सतर्कता अच्छी है, हमारा दोहरा कंटेनमेंट है और यह असम्भव है कि कोई दुर्घटना हो—तो इसका सामना करने की हमारी क्षमता क्या है ? यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो हमारी क्षमता कितनी है, उसका सामना करने में हम कितने सक्षम हैं ? मैंने अपने विभागों को पहले ही इसकी जांच करने एवं उस क्षमता का विकास करने के लिए कह दिया है। वह क्षमता वहां होनी चाहिए। उदाहरणतया जब भोपाल में दुर्घटना घटित हुई तो उस विपत्ति का सामना करने की हमारी क्षमता वहां कितनी थी ? इस लिए मैंने उनसे पूछा है कि यदि ऐसा कुछ घटित होता है तो हमारी क्षमता कितनी होगी।

पृथक आदिवासी राज्य की मांग

*123. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अक्तूबर, 1986 में जमशेदपुर में आयोजित आदिवासी नेताओं की एक विचार-गोष्ठी के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है जिसमें एक पृथक आदिवासी राज्य की मांग की गई है जैसा कि दिनांक 20 अक्तूबर, 1986 के स्टेटसमैन में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस मांग के सम्बन्ध में सरकार के क्या विचार हैं;

(ग) क्या इस विचार-गोष्ठी में दिए गए भाषण अलगाववाद को प्रोत्साहित करने वाले थे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (घ) सरकार ने सम्बन्धित समाचार देखा है। बताया जाता है कि 19 से 21 अक्तूबर, 1986 तक जमशेदपुर में हुए सम्मेलन में, एक संकल्प पारित किया गया है जिसमें भारत संघ के अन्तर्गत एक झारखण्ड राज्य के सृजन की मांग की गई है।

इस प्रकार की मांगें आर्थिक असन्तुलन के कारण उत्पन्न होती है। सरकार का विचार है कि किसी विशेष राज्य या क्षेत्र में इस प्रकार के असन्तुलन को योजना प्रक्रिया के माध्यम से दूर किया जाना चाहिए और अलग राज्य का सृजन समस्या का समाधान नहीं है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : महोदय, झारखंड राज्य की मांग तीन दशकों से भी अधिक समय से की जा रही है। सरकार ने कहा है कि यह सब आर्थिक असन्तुलन के कारण हुआ है। सरकार योजना तंत्र पर पर निर्भर रहती है।

महोदय, हम जानते है कि हमारी एक विशेष आदिवासी विकास योजना है। हमारी आदिवासी उपयोजनाएं हैं। उन्हें कार्यान्वित किया गया है परन्तु इसके बावजूद भी असन्तुलन बना हुआ है। लगभग सभी झारखंड समर्थक एक मंच पर एकत्रित हो चुके हैं जिनमें रांची विश्वविद्यालय के उप-कुलपति भी शामिल हैं और वे झारखंड राज्य चाहते हैं अन्यथा वे आंदोलन करेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का कोई प्रभावशाली कदम उठाने का प्रस्ताव है। यदि हां तो पिछले तीस वर्षों के योजनाबद्ध विकास के बावजूद विद्यमान असन्तुलनों को दूर करने के लिए सरकार क्या प्रभावशाली कदम उठाना चाहती है ?

सरदार बूटा सिंह : महोदय, उस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की गम्भीरता पर हमने ध्यान दिया है। मेरा विचार राज्य सरकार के साथ एक अलग सभा आयोजित करने का है और उन्हें क्षेत्र का पिछड़ापन एवं आर्थिक असन्तुलन दूर करने के लिए उचित कदम उठाने की सलाह दी जाएगी। लोगों में यह भावना उत्पन्न की जाएगी कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा रही है। इस सम्मेलन के लिए निर्णयों से पहले ही सरकार को सूचित कर दिया गया है और राज्य सरकार भी हमसे सम्पर्क बनाए हुए हैं। हम उचित कदम उठाएंगे। परन्तु उपयोजना को लागू करने के सम्बन्ध में जहां तक इस सम्मेलन के निर्णयों से प्रभावित राज्यों का सम्बन्ध है, उड़ीसा को छोड़कर जहां लागू करने में कुछ कमी रह गई थी, कुल मिलाकर स्थिति सन्तोषजनक रही है। अन्य राज्यों ने आदिवासी उप-योजना को सन्तोषजनक रूप से कार्यान्वित किया है। कुछ राज्य लक्ष्य से आगे निकल गए हैं जैसे मध्य प्रदेश जहां उपलब्धि 136.6 प्रतिशत रही है एवं पश्चिम बंगाल जहां उपलब्धि 256.9 प्रतिशत रही है।

उड़ीसा में उपलब्धि कुछ कम रही है। वहां उपलब्धि 95.4 प्रतिशत रही है। इसलिए इसका उत्तरदायित्व सीधे ही उड़ीसा सरकार पर है और हम इस बारे में उनसे बातचीत करेंगे।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि आदिवासी योजनाओं को प्रभावशाली रूप से लागू किया गया है। फिर भी असन्तुलन बना हुआ है। क्या सरकार ने इस

असन्तुलन एवं आदिवासियों में व्याप्त घोर असंतोष के कारणों की जांच करने के बारे में सोचा है, जो पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार के 21 जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य की मांग कर रहे है ? क्या कारण है कि वे अपने को वंचित, शोषित व उपेक्षित महसूस कर रहे हैं ? उनके मन में सभी प्रकार की आशंकाएं हैं। केवल योजनाओं पर निर्भर रहना ही शायद उनकी मांगों का उत्तर नहीं हैं। इसलिए मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार आन्दोलन के हिंसक बनने से पहले, राज्य सरकारों को लिखने के स्थान पर कुछ प्रभावशाली कदम उठाने जा रही है ?

सरदार बूटा सिंह : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं। मोटे तौर पर जिन नेताओं ने उस सम्मेलन में भाग लिया था उनके सामने ये कारण थे : बड़े पैमाने पर आदिवासियों की भूमि से बेदखली, साहूकारों द्वारा आदिवासियों का शोषण, आम तौर पर बेरोजगारी, क्षेत्र का अपर्याप्त विकास, शिक्षा का बहुत कम विस्तार और पादरियों द्वारा उनका शोषण। वे गरीब आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। मोटे तौर पर ये कारण है जो 3 या 4 राज्यों में फैले आदिवासियों की इस प्रकार की मांग में सहयोग दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त सम्मेलन में जिन आधारभूत मुद्दों को नेताओं द्वारा मुख्य रूप से उठाया गया, वे ये थे : वे झारखंड के आदिवासियों के लिए अन्य राज्यों में नौकरियों में आरक्षण चाहते हैं, वे चाहते हैं कि सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम झारखंडी भाषा हो और रेडियो एवं टी० वी० पर झारखंडी कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाए।

ये कुछ आधारभूत मुद्दे हैं जिनके आधार पर नेता लोग आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वभाविक रूप से इन मसलों को राज्य सरकार को निपटाना चाहिए और इन कार्यक्रमों को लागू करने के केन्द्र सरकार से जो मदद चाहिए जैसे भूमि से बेदखली, साहूकारों द्वारा बड़े पैमाने पर शोषण का सम्बन्ध है, राज्यों एवं केन्द्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से कदम उठाए जा सकते हैं। हम इस बात के इच्छुक है कि आन्दोलन उग्र होने से पहले ही इन मुख्य मुद्दों को हल किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शिवप्रसाद साहू : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आए दिन छोटा नागपुर, संथाल परगना, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के आदिवासी इलाके, इनमें आज से नहीं बल्कि 40 वर्षों से असंतोष उठ रहा है। क्या सरकारी नौकरियां जो इनको मिलनी चाहिए, वे ठीक ढंग से इनको मिल पा रही है। आज विस्थापितों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, उनको छला जाता है। सरकार की ओर से करोड़ों रुपया बिहार भेजा जाता है, क्या वह पैसा सही ढंग से खर्च हो रहा है या बिचौलिए उसको खा जाते हैं। वहां रेलों की मांग पूरी नहीं हो रही है, इन सब कारणों से वहां पर असंतोष भड़क रहा है। यही नहीं 17 तारीख से झारखंड मुक्ति मोर्चे की तरफ से आंदोलन शुरू हो रहा है और उसमें कई दल शामिल हैं। कल के पेपर में था कि वो लोग हथियार उठाने के लिए भी तैयार हैं, स्थिति भयंकर होने जा रही है। मैं सरकार से और खास तौर से प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारा जो

छोटा नागपुर का आदिवासी इलाका है, यहां पर जो गड़बड़ी हो रही है, उसमें कहीं विदेशी हाथ तो नहीं है, कहीं नया पंजाब बनने तो नहीं जा रहा है। इसको रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है।

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, मैंने सत्येन्द्र बाबू जी से भी सहमति व्यक्त की है कि हम इसकी गम्भीरता को अच्छी तरह से अनुभव करते है और राज्य सरकार से सम्पर्क बनाकर हम कोशिश करेंगे कि यह जो तहरीक है, जो लहर है, यह हिंसात्मक न हो, पहले ही हम इन समस्याओं का समाधान कर पाएं। नेताओं के साथ बातचीत करके जो उनकी गम्भीर समस्याएं हैं, उनकी और राज्य सरकार ध्यान देगी, इसके लिए प्रयास जारी हैं।

मैं माननीय सदस्य की इस बात से भी सहमत हूं कि छोटा नागपुर एरिया में डेवलपमेंट का काम जो हमें रिपोर्ट मिली है, उसके आधार पर जिस ढंग से होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। उसमें जो मानेटरिंग है वह सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से शुरू हुई है, उससे तथ्यों का पता चल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि मानेटरिंग और स्ट्रिक्ट की जाए।

श्री सी० पी० ठाकुर : हाल ही में 'बिहार में ग्रामीण नवयुवकों में असंतोष' पर एक गोष्ठी हुई थी। कुछ नवयुवकों जिन्होंने उग्रवाद का सहारा लिया था वे सभी अब इस बात पर एकमत थे कि जो कुछ भी अनुदान, परियोजनाएं या सरकारी सहायता इन क्षेत्रों के लिए दी जाती है चाहे वे बिहार के आदिवासी क्षेत्रों या किसी और क्षेत्र के लिए दी जाती है सारी की सारी रकम बिचौलिए हड़प कर जाते हैं तथा यह धनराशि आम व्यक्ति तक नहीं पहुंचती। तथा इस बारे में प्रतिवेदन भी वही तंत्र देता है जिसको इसके कार्य निष्पादन की देख-रेख करने के लिए अनुदान दिया जाता है। अतः आदिवासी क्षेत्रों में जब तक सरकार यह देखने की कोशिश नहीं करती है कि अनुदान की राशि निर्धन आदिवासी, व्यक्ति विशेष तक पहुंच रही है तब तक यह समस्या हल नही होने वाली है। अतः सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने जा रही है ? सिर्फ इतना कहने से कि यह राज्य का विषय है हम राज्य सरकार से बात करेंगे, काम नहीं चलेगा अब स्थिति बहुत ही गम्भीर हो गई है।

सरदार बूटा सिंह : जैसा कि मैंने श्री सत्येन्द्र नारायण सिंहा के प्रश्न का जवाब विस्तार में दिया है कि नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार, जिस पर हमने क्रियान्वयन करना शुरू कर दिया है, विशेष प्रावधान किए गए है तथा मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। सूत्र-11 के शीर्षक—अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रति न्याय—सरकार को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए बने कानूनों एवं संवैधानिक प्रावधानो के अनुसार कार्य करना होगा। तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को भूमि आवंटित करना, भूमि आवंटन कार्यक्रम को पुनः सुचारू बनाना, शिक्षा स्तर में सुधार करने के लिए विशेष शिक्षण कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करना, उनके द्वारा सफाई आदि का कार्य कराने को समाप्त करना तथा सफाई कर्मचारियों के पुनर्निवास के लिए विशेष कार्यक्रम चालू करना, विशेष संघटक कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धनराशि तथा सही दिशा प्रदान करना अनुसूचित

जाति तथा अनुसूचित जनजाति को समाज के अन्य लोगों की भांति पूर्ण समर्थन दिए जाने के लिए कार्यक्रमों को बढ़ावा देना तथा विस्थापित आदिवासियों को उनके निवास स्थानों पर पहुंचाना। ये कुछ बातें हैं जो हम नए 20 सूत्री कार्यक्रम में लागू करना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने अभी-अभी कहा कि इसकी देख-रेख का कार्य हम राज्यों पर ही नहीं छोड़ेंगे केन्द्र सरकार भी इस पर निगरानी रखेगी। जहां कहीं भी कमी या खामियां नजर आएंगी, हम देखेंगे कि इन कार्यक्रमों को पूरी गम्भीरतापूर्ण सही कदम उठाकर क्रियान्वित किया जाए।

वायु प्रदूषण

*124. **डा० के० जो० अदियोडी** : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम स्थित भूमि विज्ञान अध्ययन केन्द्र द्वारा वायु प्रदूषण का अनुमान लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ख) त्रिवेन्द्रम सहित हमारे देश में वायु प्रदूषण का अनुमान लगाने के लिए उपलब्ध आधारभूत व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ग) वायुमण्डलीय विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान के बारे में देश के विभिन्न भागों में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत के प्रमुख नगरों में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा देश के विभिन्न भागों में 67 परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्रों की स्थापना की गई है। इसके अलावा वायु की गुणवत्ता और वायु मंडलीय विज्ञान से सम्बन्धित विशिष्टीकृत अध्ययनों के लिए भू-विज्ञान केन्द्र, त्रिवेन्द्रम सहित विभिन्न संगठनों में सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) भारतीय मध्य वायु मंडलीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वायु मंडलीय विज्ञानों के संबंध में अनुसंधान के लिए प्रयोग किए गए हैं जिनमें राकेट और बैलून उडाने शामिल हैं।

(घ) वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

—वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं,

—विभिन्न किस्म के क्षेत्रों के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं,

—मुख्य प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक ईजाद किए गए हैं,

—उद्योगों को मानकों का अनुपालन करने के लिए निदेश दिए गए हैं,

—मोटर गाड़ियों के बहिस्रावों के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं और राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे मोटरगाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत मानकों को लागू करें। और

—भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से प्रदूषक उद्योगों को स्थानान्तरित करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

डा० के० जो० अडियोडी : मैं जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में त्रिवेन्द्रम में वायु की गुणवत्ता को जानने के उद्देश्य से राकेट तथा बैलूनों द्वारा कितनी उड़ाने भरी गयीं ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : वास्तव में भारतीय मध्य वायु मंडलीय कार्यक्रम मूल रूप से वायु प्रदूषण अध्ययन के लिए नहीं बनाया गया है। यह कार्यक्रम मध्य वायु मंडलीय स्थिति को जानने के लिए बनाया गया है तथा इस उद्देश्य के लिए त्रिवेन्द्रम के निकट 'थुम्बा इम्वेटोरियल रोकेट लांच स्टेशन' से सोवियत में बने एम-100 राकेट से नियमित रूप में साप्ताहिक उड़ाने भरी जाने का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। बालासोर से भारतीय राकेट आर० एच०-200 से साप्ताहिक उड़ाने भरी जा रही है। उपर्युक्त उड़ान लम्बी अवधि के जलवायु सम्बन्धी अध्ययनों का उच्च वायुमंडलीय वायु के अध्ययन हेतु भरी जाती है साथ ही साथ अन्य मौसम सम्बन्धी मानदण्डों के साथ सम्बन्ध बनाए रखना भी है। उदाहरण के लिए 1983 में थुम्बा से हवा में ओजोन गैस का अध्ययन करने के लिए एम-100 राकेटों को उड़ाया गया था। यह ओजोन का अध्ययन करने के लिए ही किया गया था, इसका प्रभाव जानने इसके द्वारा प्रदूषण होने की प्रतिशतता जानने के लिए किया गया था।

श्री हरिकोटा से 44 रोहिणी-200 राकेटों की उड़ाने भरी गयी थीं तथा ग्यारह रोहिणी साउंडिंग राकेट श्री हरिकोटा तथा बालासोर से छोड़े गए थे। दो आर० एफ०-300 साउंडिंग राकेट एरोसोल अध्ययन के लिए अक्तूबर 1986 में छोड़े गए थे तथा आर० एच०-300 साउंडिंग राकेट मध्य वायुमंडल में आयनाइजेशन के अध्ययन के लिए छोड़े गए थे। सम्पूर्ण आंकड़े यही हैं। मध्य वायुमंडलीय स्थितियों के अध्ययन के लिए बहुत से राकेट एवं बैलूनों द्वारा उड़ान भरायी गई हैं।

डा० के० जो० अडियोडी : इस प्रश्न के जवाब में राकेटों की उड़ान भरने का जवाब अप्रासंगिक है ? क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूं ?

त्रिवेन्द्रम तथा क्विलोन जिलों में टिटेनियम डाइआक्साइड से कन्द फसलें नष्ट होती जा रही हैं। और यदि आम जनता इसे खाती है तो हृदय की पेशियों में तन्तुशोथ पनपने लगता है। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है ? क्या इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है ? यदि हां तो इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है क्योंकि यह कार्यक्रम अंतरीक्ष मंत्रालय के पास है वे लोग ही इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। इसलिए इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री सुरेश कुरुप : प्रश्न क्या है और जवाब क्या है ? (व्यवधान)

आप वायु प्रदूषण से बिल्कुल भी चिन्तित नहीं हैं !

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक उद्योग से प्रदूषण का सवाल है उसके बारे में सरकार ने कई मेसर्ज लिए हैं। सरकार ने इस सम्बन्ध में पिछले अधिवेशन में एक कानून पास किया है और 19 नवम्बर से हम इसे लागू करने जा रहे हैं। हमने इसमें पूरी व्यवस्था की है कि कोई भी उद्योग हो अगर वह एक साल के अन्दर-अन्दर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाएगा तो उसको पांच साल की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना, अगर वह फिर भी नहीं लगाएगा तो सात साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। जहां तक धुएं का सवाल है उसके बारे में भी हम उपकरण लगाने जा रहे हैं कि किस तरह से इसका सही ढंग से इन्तजाम हो सके ताकि वह आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाए।

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पाटिल : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का भाग (ख) त्रिवेन्द्रम तथा अन्य जगहों पर वायु प्रदूषण को मापने के लिए बुनियादी ढांचा बनाए जाने के बारे में है। कलकत्ता, दिल्ली तथा बम्बई जैसे शहरों में वायुप्रदूषण बहुत ही ज्यादा है जहां पर यातायात बहुत अधिक है एवं वाहनों से धुआं एवं कालिख निकलती है। दिल्ली तथा अन्य शहरों में भी पैट्रोल की गाड़ियों के धुएं में कालिख होती है। दिल्ली में ताजीम संयंत्रों में स्थिर विद्युतिकी अवक्षेपण नहीं लगा है इससे बहुत मात्रा में काला धुंआ निकलता है तथा हमारे संसद सदस्यों के मकानों में भी पंखों पर काला लगा होता है, मुझे नहीं मालूम इस समय स्थिर विद्युतिकी अवक्षेपण दिल्ली में लगाए जा चुके हैं या नहीं। यह ज्ञात नहीं है कि हवा में कितनी कालिख (काला धुंआ) मिली हुई है और यह हमारे कानों, नाक तथा आंख में जाती है। शहरों में रहने वाले लोगों को वायु प्रदूषण का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। प्रश्न में पूछे गए इस विषय के बारे में आप क्या अध्ययन करवाने जा रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, देश में 18 ऐसे महानगर हैं, जहां ज्यादा मात्रा में

प्रदूषण है। इसमें फैक्टरियां भी शामिल हैं, घरेलू गन्दा पानी भी शामिल है, घरेलू धुआं भी शामिल है और व्हीकल यातायात, अर्थात् जितने ट्रक चलते हैं, बसें चलती हैं, कारें चलती हैं, सभी शामिल हैं। इनमें से हमने 9 शहरों को अभी चुना है और हम कोशिश करेंगे कि इस बीमारी को किसी तरह से कम किया जाए। आप जानते हैं कि यह समस्या एक मिनट में हल होने वाली नहीं है, इसमें कुछ समय लगेगा परन्तु सरकार भरसक कोशिश कर रही है कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी हल किया जाए।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : यदि आप मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर को देखें तो इसमें कहा गया है कि वायु की गुणवत्ता और वायु मंडलीय विज्ञान से सम्बन्धित विशिष्टीकृत अध्ययनों के लिए भू-विज्ञान केन्द्र, त्रिवेन्द्रम सहित विभिन्न संगठनों में सुविधाएं उपलब्ध हैं। त्रिवेन्द्रम में ट्रेवेनकोर टिटेनियम उत्पाद का एकमात्र उद्योग है। फिर भी इससे शहर में काफी खतरा पैदा हो गया है इससे वायु एवं समुद्र प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। सारा वातावरण कोहरे सल्फ्यूरिक एसिड से प्रदूषित हो रहा है तथा सल्फ्यूरिक एसिड अपशिष्ट समुद्र के पानी में मिल रहा है जिससे कई किलोमीटर तक इसका पानी प्रदूषित हो चुका है। पारम्परिक नाविकों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि मछलियां इस पानी में जीवित नहीं रह सकती तथा उनकी समाप्ति हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या टी० टी० पी० परियोजना से हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : अंतिम प्रश्न का जवाब है, जी हां। जहां तक इस केन्द्र का सम्बन्ध है, यह भारतीय मध्य वायु मंडलीय कार्यक्रम के तहत बनाया गया है। यह आस-पास (परिमेशी) के स्तरों को मापने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। परन्तु हाइड्रोजल सान्द्रता के परिमेशी स्तरों को मापने से प्रकृति प्रदूषण के प्रभाव एवं मानव-निर्मित प्रदूषण प्रभाव के बारे में जानकारी मिलेगी। यह केन्द्र अंतरिक्ष मंत्रालय के तहत है। तथा जो अध्ययन ये कर रहे हैं इससे निश्चित रूप में ही वातावरण में परिमेशी स्तरों को जानने में मदद मिलेगी। हमें इसका सचमुच में उपयोग करना चाहिए।

श्री ए० चार्ल्स : मैं जानना चाहता हूं क्या प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई कदम उठाए जायेंगे ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैंने विशेष रूप से यह कहा है कि सभी प्रकार के प्रदूषण से निपटने के लिए निश्चित रूप से ही कदम उठाए जायेंगे। यही कारण है कि हमने गत सत्र में हर प्रकार के प्रदूषण, चाहे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण अथवा पर्यावरण प्रदूषण हो, से निपटने के लिए पर्यावरण संरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया था।

[हिन्दी]

राजस्थान में अभयारण्यों और राष्ट्रीय पार्क उद्यान का विकास

*125. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि राजस्थान राज्य में सरिस्का और रणथम्भौर अभयारण्यों तथा जैसलमेर राष्ट्रीय मरू उद्यान के अग्रतर विकास सम्बन्धी योजनाओं की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री भजन लाल) : एक वितरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सरिस्का एवं रणथम्भौर क्रमशः वर्ष 1978-79 एवं 1973-74 में व्याप्त आरक्षी (टाइगर रिजर्व) क्षेत्र बनाए गये। यह दोनों क्षेत्र केन्द्र पोषित योजना "प्रोजेक्ट टाइगर" के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहे हैं। सरिस्का एवं रणथम्भोर को छठी पंचवर्षीय योजना में क्रमशः 23.86 लाख रुपये एवं 19.06 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी गयी। इन दोनों क्षेत्रों के प्रबंध एवं विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्रमशः 44.89 एवं 47.67 लाख रुपयों का प्राविधान किया गया है। "प्रोजेक्ट टाइगर" योजना के अन्तर्गत आने वाले वन क्षेत्रों में किए जाने वाले विकास कार्यों में वन्यजीवों एवं वनस्पत्ति का संरक्षण : सड़कों एवं बेतार (वायरलेस) की संचार व्यवस्था; जल संरक्षण; प्राकृतवास (हैबीटैट) का विकास; आग, चरान एवं अवैध शिकार से सुरक्षा; वैज्ञानिक ढंग से प्रबन्ध के लिए आवश्यक तथ्यों एवं आंकड़ों का संकलन करने जैसे कार्य उल्लेखनीय हैं।

मरूस्थल क्षेत्र की विशिष्ट एवं दुर्लभ वनस्पति एवं वन्यजीवों की प्रजातियों एवं उनके प्राकृततवास के संरक्षण के लिए, अगस्त 1980 में, जैसलमेर एवं बाडमेर (राजस्थान) जिलों के 3162 वर्ग कि० मी० क्षेत्र को वन्य जीव विहार के रूप में आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। इस क्षेत्र को मरूस्थल राष्ट्रीय उद्यान बनाने के प्रस्ताव की घोषणा मई 1981 में प्रकाशित की जा चुकी है। इस आरक्षत क्षेत्र में पालतू पशुओं के चराने की रोकथाम, उपयुक्त प्रजातियों का वृक्षारोपण, वन्य जीवों के लिए पेयजल की सुविधा का विकास, अवैध शिकार की रोकथाम जैसे विकास कार्य किए जा रहे हैं। मरूस्थल राष्ट्रीय उद्यान के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वित्तीय सहायता की अभी तक कोई मांग नहीं की है।

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर और बाड़मेर राष्ट्रीय मरु उद्यान वर्ष 1981 में आरक्षित घोषित किए गए थे, तब हमें आशा बंधी थी कि वहां पाए जाने वाले वन्य-जीवों जैसे हिरन, पोंडा, गोडावण, फ्लोरा फौना, आदि का प्रिजर्वेशन होगा परन्तु मैं उस क्षेत्र में देख कर आया हूं, वहां प्रगति बहुत ही धीमी है। पालतू पशुओं को चराने के लिए फैन्सिंग के जरिए रोकथाम के जो प्रबंध किए गए हैं, वे प्रभावशाली नहीं हैं तथा हिरन तथा गोडावन के झुण्ड वहां एकत्रित नहीं किए गए हैं। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि इस उद्यान को विकसित करने के लिए अब तक क्या-क्या कदम गए हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या-क्या कार्यक्रम है और केन्द्र सरकार इस कार्य में किस प्रकार से कितनी-कितनी मदद करने जा रही है, यह जानकारी दें ?

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, 1970 तक बाघ यानी टाइगर के शिकार पर कोई रोक नहीं थी। 1970 के बाद में रोक लगी, 1972 में कानून बना और उसको लागू किया गया। इस योजना के तहत पूरे देश में हमने 15 क्षेत्र निर्धारित किए हैं जिनमें 3 राजस्थान के हैं।

जहां तक सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस पर पैसे खर्च करने का सवाल है—हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना में 10 करोड़ 60 लाख रुपया इसके उत्थान के लिए रखा है ताकि आधुनिक तरीके से शानदार अभ्यारण्य बन सके। इस प्रकार से हमने प्रोग्राम बनाया है।

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या जैसलमेर के लिए 10 करोड़ रुपये दे रहे हैं ?

श्री भजन लाल : नहीं, यह रकम जो मैंने बताई है, यह पूरे देश के लिए है। आप जैसलमेर के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं उसके बारे में बताए देता हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर में 1982-83 में 6 लाख 50 हजार, 1983-84 में 6 लाख 84 हजार, 1984-85 में 6 लाख 50 हजार और 1985-86 में 8 लाख 87 हजार देने जा रहे हैं।

इसके रख-रखाव के लिए, जहां परमानेंट बिल्डिंग बनेगी या कोई ऐसी योजना जिसके अन्तर्गत स्टेट गवर्नमेंट पक्का स्ट्रक्चर बनाएगी, उसके लिए सौ फीसदी खर्चा भारत सरकार वहन करेगी।

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो मंत्री महोदय के लिखित उत्तर को पढ़ने से भी स्पष्ट हो रही है कि इस कार्य के लिए विगत वर्षों में जो रुपया रखा गया वह अपर्याप्त है और एरिया 3162 किलो मीटर ले लिया गया है। इस प्रकार से कैसे इन क्षेत्रों का विकास हो सकता है ? तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार क्या योजना बना रही है और किस प्रकार की सेंस-परसेंट मदद दे रही है, वह बताएं और रणथम्भोर के अभ्यारण्य में अभी सवाईमाधोपुर के कलेक्टर के आदेश से पशु-पालक घुस गए और पेड़, पौधे और खास नष्ट कर दिए गए, तो इसके बारे में केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि राजस्थान में पिछले तीन-चार साल से कहत पड़ रहा है जिसके कारण कहीं भी हरियाली नजर नहीं आती है। इसलिए वहां पर कुछ लोगों ने कलेक्टर से दरख्वास्त की कि गांव वालों को पशु चराने की इजाजत दी जाए क्योंकि घास न होने के कारण उनके पशु भूख से मर रहे हैं। कलेक्टर ने कुछ रिजर्व क्षेत्र में, जहां कोई भी दाखिल नहीं हो सकता है, उसको छोड़कर, एक क्षेत्र बाहर और होता है जिसमें पशु चराने की अनुमति दी जा सकती है, उसमें पशु चराने की अनुमति कलेक्टर ने दे दी, लेकिन उन्हें इस हालत में अनुमति नहीं देनी चाहिए थी क्योंकि वहां पर बहुत से पशु-पालक अपने पशुओं को लेकर घुस गए और वहां पर लगभग 100 पेड़ काट दिए गए और बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसके बाद हमारे अधिकारियों ने कलेक्टर से दरख्वास्त की कि इससे बहुत नुकसान हो गया है, इसलिए पशुओं को चराने की अनुमति न दी जाए, लेकिन जब वहां

के कलेक्टर इस बात पर राजी नहीं हुए, तो यहां से हमने चीफ मिनिस्टर राजस्थान को और राजस्थान गवर्नमेंट को लिखा, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने कलेक्टर को आदेश दिए कि आप अपने आदेश वापस ले लीजिए। कलेक्टर ने अपने आदेश वापस ले लिए जिसके कारण वहां कुछ झगड़ा भी हुआ और मार-पिटाई भी हुई। वहां के कलेक्टर को पशु चराने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने दी, इसलिए उनका वहां से तबादला कर दिया है। भारत सरकार ने उनको लिखा है कि इसकी इन्क्वायरी करके पूरी रिपोर्ट हमें भेजें कि इसमें कितना नुकसान हुआ है और किसका फाल्ट था।

श्री रामसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट मेरे लोक सभा क्षेत्र में है और इस टाइगर क्षेत्र को सातवें प्लान में सैंट्रल एसिस्टेंस ने केवल 44 लाख 89 हजार रुपया दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि एक वर्ष में केवल 9 लाख रुपये इस बहुत बड़े टाइगर क्षेत्र को मिलेंगे। दो वर्ष से वर्षा न होने के कारण वहां पर पानी नहीं है और न घास ही पैदा हुई है। इसलिए मंत्री महोदय ने जवाब में जो यह कहा है कि वाटर कंजरवेशन और हैबिटेट इम्प्रूवमेंट के लिए रुपया दे रहे हैं तो इसके लिए यह राशि बहुत अपर्याप्त है।

क्या मंत्री महोदय वहां की विशेष परिस्थिति को देखते हुए और राष्ट्र के सबसे बड़े क्षेत्र में बने टाइगर प्रोजेक्ट को देखते हुए इसके लिए और अतिरिक्त राशि देने की कृपा करेंगे जिससे वहां की वाइल्ड लाइफ को पीने का पानी मिल सके और उनके लिए घास आदि की व्यवस्था भी हो सके ?

श्री भजन लाल : माननीय सदस्य ने सवाल बड़ा अच्छा किया है लेकिन मुश्किल एक आती है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी तक भारत सरकार से एक पैसा भी नहीं मांगा है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं मांगा है ?

श्री भजन लाल : नहीं मांगा है। अगर मांगेंगे तो हम देने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : रामसिंह जी, आप राजस्थान सरकार को कहिए कि लिखकर मांगे। मांगने में कसर रखते हैं तो काम नहीं चलेगा।

जुझारसिंह जी आप बोलिए कि आप सरकार को जगायेंगे कि नहीं ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सरिस्का और रणथम्भोर की तरह ही दरा गेम सैंक्चुरी भी बहुत इम्पार्टेन्ट है। क्या यह सही है कि वहां कोटा डिस्ट्रिक्ट के बाहर के मवेशी चराने वाले लोग आकर बस गए हैं और उनको सैंक्चुरी के बाहर निकालने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या सोच रही है ?

अध्यक्ष महोदय : भजन लाल जी, एक राय आई है, सारे हाउस की राय है कि मैं कह दूं कि आप पैसा दे दो। तो आप दे दो।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आपका हुक्म होगा तो दे देंगे, लेकिन राजस्थान सरकार को कहिए कि वह लिखकर भेजे।

अध्यक्ष महोदय : मेरे कहने से दे दो।

श्री भजन लाल : वह अपना प्रोजेक्ट बतायें तो सही कि किसके लिए चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : अपने लिए थोड़े ही ले रहे हैं।

श्री भजन लाल : वह लिखकर तो भेजें।

[अनुवाद]

श्री जुझारसिंह : क्या यह सच है कि कोटा (राजस्थान) की दरा गेम सैंक्चुरी उतनी ही पुरानी और उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि सारिस्का और राजथम्भोर गेम सैंक्चुरी हैं और इस क्षेत्र को सैंक्चुरी क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद क्या कोटा से बाहर रहने वाले चरवाहों को यहां आकर इस सैंक्चुरी में बसने की अनुमति दे दी गई है ? इस क्षेत्र को खाली कराने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने हमेशा भरसक प्रयास किए हैं। जहां तक रणथम्भोर का ताल्लुक है पैसे देने का, मैं आपके द्वारा इस सदन को बताना चाहता हूं कि 1981-82 में 4 लाख रुपये दिए हैं, 1982-83 में 5 लाख 50 हजार, 1983-84 में 1 लाख 56 हजार, 1984-85 में 4 लाख और 1985-86 में 7 लाख 70 हजार रुपये दिए हैं।

श्री जुझारसिंह : मेरा प्रश्न दूसरा है।

श्री भजन लाल : आपने रणथम्भोर के बारे में पूछा है, उसका मैंने जवाब दिया है। जहां तक पशु दूसरी जगह से आ जाते हैं, इजाजत देने का सवाल है, तो जो कायदे-कानून से इजाजत दी जाती है, वह देते हैं। यह नहीं कि उस इलाके के साथ कोई भेदभाव हो और दूसरे इलाके के साथ कोई ज्यादती हो, ऐसी बात नहीं है।

[अनुवाद]

परती भूमि का विकास

*128. **श्री पी० एम० सईद** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में परती भूमि के विकास के लिए कोई नया तरीका अपनाने का विचार है;

(ख) क्या शुष्क भूमि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम तैयार किये गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

[हिन्दी]

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री भजन लाल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) से सम्बन्धित विवरण 1 तथा 2 सभा पटल पर रखे जाते हैं।]

विवरण-1

कार्यकारी योजना

राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा तैयार की गई तथा राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वयन के लिए स्वीकार की गई कार्यकारी योजना के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं :

(1) **परती भूमि का अभिनिर्धारण** :

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से अपने क्षेत्र में परती भूमि के अभिनिर्धारण का अनुरोध किया गया है और चाहे वन क्षेत्र, राजस्व/सामान्य भूमि या अवनत कृषि भूमि हो।

(2) **जनता की भागीदारी** :

इसको निम्नलिखित उपायों से सुनिश्चित किया जायगा :

(क) **विकेन्द्रित नर्सरियां** : जनता की नर्सरियां अर्थात् किसानों, स्कूलों महिलाओं, युवा दलों, स्वैच्छिक एजेंसियों इत्यादि को पौधों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ख) **फार्म वानिकी** : किसानों को उनकी सीमांत भूमि और खेती की मेड़ पर वृक्षों की फार्मिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पौधों के वितरण हेतु एक विवेकशील नीति तैयार की जानी चाहिए।

(ग) **वृक्ष उगाने वालों की सहकारी समिति** : पौधों को लगाने और वितरण में तथा वृक्ष लगाने के लिए वृक्ष उगाने वालों की सहकारी समितियों को संगठित किया जाना चाहिए।

(घ) **स्वैच्छिक संगठन** : व्यापक आधार वाले संगठनों, महिला मण्डलों, युवा दलों को

नर्सरी उगाने और पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ङ) **पेड़ों के पट्टे** : सड़कों, रेल, नहरों इत्यादि की भूमि पट्टियों और अन्य निम्नीकृत भूमि को ग्रामीण निर्धनों को इस जमीन पर उनके द्वारा लगाए गए वृक्षों पर भोगाधिकार सहित, दे दिया जाना चाहिए।

(3) **नोडल एजेंसी** :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से विभिन्न अभिकरणों, अधिकारियों तथा अन्यों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों को अमल में लाने के लिए एक समेकित नीति को सुनिश्चित करने हेतु एक एकल नोडल एजेंसी के अभिनिर्धारण के लिए अनुरोध किया गया है।

(4) **बीज** :

राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों से किसानों को व्यापारिक आधार पर चारा, घास और फलीदार बीजों के उत्पादन एवं आपूर्ति हेतु विद्यमान राज्य बीज निगमों के क्रियाकलाप की भूमिका में विस्तार करने का अनुरोध किया गया है।

(5) **भूमि को पट्टे पर देना** :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को ग्रामीण निर्धनों को वनरोपण हेतु वन तथा गैर-वन परती भूमि पट्टे पर देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

(6) **वन आधारित उद्योगों को** :

उनके द्वारा अपेक्षित कच्चे माल के उत्पादन हेतु परती भूमि पर वनरोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ग्रामीण निर्धनों को रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें लाभप्रद आधार पर वृक्ष उगाने योग्य बनाने की दृष्टि से परती भूमि पर वृक्ष आवरण उगाने के लिए उद्योगों को उत्साहित भी किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों से, इस विषय में उद्योगों को परती भूमि को पट्टे पर दिए जाने के लिए, मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

(7) **शहरी ईंधन की लकड़ी और हरित पट्टियां** :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि शहरी ईंधन की लकड़ी और चारे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईंधन की लकड़ी और चारे के पौधों की हरित पट्टियों कस्बों और शहरों में लगाई जाए।

(8) **निम्नीकृत वन क्षेत्र** :

राज्यों से निम्नीकृत वन-भूमि का पता लगाने और ईंधन की लकड़ी और चारे की

प्रजातियों से पुनः वनरोपण करने का अनुरोध किया गया है।

(9) **वन विकास निगम :**

वन विकास निगमों को ईंधन की लकड़ी और चारे के पौधे लगाने के लिए सरकारों से परती भूमि पट्टे पर लेनी चाहिए।

(10) **सरकारी विभाग :**

सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य निकाय/संस्थानों जिनके पास पर्याप्त अप्रयुक्त भूमि है, ऐसी भूमि को वृक्षारोपण के अन्तर्गत लाना चाहिए।

(11) **माध्यम एवं संचार :**

जनता में जागरूकता लाने के लिए लोक कला और संस्कृति के परम्परागत माध्यम, रेडियो, टेलिविजन और श्रव्य-दृश्य माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाना चाहिए।

(12) **प्रबोधन एवं मूल्यांकन :**

राज्य/संघ राज्य सरकारों को कार्यक्रम के गुणात्मक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रबोधन और मूल्यांकन तन्त्र विकसित करना चाहिए।

विवरण-2

शुष्कभूमि कृषि के विकास के लिए 1986-87 से 1989-90 तक एक नयी केन्द्रीय प्रवर्तक स्कीम "वर्षा आधारित कृषि के लिए राष्ट्रीय जल सम्भर विकास कार्यक्रम" को स्वीकृति दी गई है। इससे उद्देश्य एवं प्रयास निम्नलिखित होंगे :—

(1) फसलों की पैदावार के लिए जल सम्भर आधारों पर मृदा और आर्द्रता का संरक्षण

(2) वर्षा आधारित कृषि से प्राप्त सफल को स्थिर रखना और बढ़ाना तथा लैंटरनेट भूमि उपयोग पद्धतियों के समुचित उपयोग द्वारा फल, चारा और ईंधन के स्रोतों को बढ़ाना;

(3) इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न स्थितियों में उचित मृदा और आर्द्रता संरक्षण तरीकों के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रचार-प्रसार

कार्यक्रम का कार्यान्वयन देश में असंचित कृष्य भूमि में होगा जो अधिकांश 500 मि० मि० से 1125 मि० मि० की वर्षा का क्षेत्र होगा और 1125 मि० मि० से अधिक भी जहां कृषि पैदावार महत्वपूर्ण रूप से बढ़ायी जा सकती है तथा वैज्ञानिक वर्षा आधारित कृषि के लिए विकसित प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार द्वारा स्थिर की जा सकती है। कार्यक्रम 16 राज्यों में

प्रारम्भ किया जाएगा जिसमें असम तथा 15 अन्य राज्य सम्मिलित है जहां जल संरक्षण-कटाई प्रौद्योगिकी तथा प्रायोगिक परियोजनाएं प्रचालन में है। सातवीं योजना के दौरान कार्यक्रम में अन्तिम रूप से 16 राज्यों के 99 जिलों में लगभग 9.28 लाख हैक्टेयर भूमि शामिल है। कार्यक्रम के अंग इस प्रकार हैं—

(1) फसल पद्धतियों के आरम्भ, शुष्क भूमि उद्यान विज्ञान, चारे की पैदावार तथा वानिकी के लिए भूमि और आर्द्रता प्रबन्ध।

(2) आकस्मिक बीज भण्डार और पौध की आपूर्ति तथा घास बीज/सर्पण।

(3) प्रशिक्षण :

(i) राज्य में कर्मचारियों और किसानों के लिए सीमित अवधि के प्रशिक्षण कोर्स, गोष्ठियों, क्षेत्रीय दौरों का आयोजन

(ii) क्षेत्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कोर्सों, गोष्ठियों, अध्ययन दौरों इत्यादि का आयोजन।

(4) अनुकूली अनुसंधान कार्यकलाप :

छोटे और सीमावर्ती किसानों के क्षेत्रों में अनुकूली परीक्षणों का आयोजन।

(5) सुधरे हुए औजार और उपस्कर :

(i) सर्वेक्षण उपस्करों को खरीदना।

(ii) क्षेत्र में परीक्षण हेतु नए डिजाइन किए गए हस्तचालित और जुताई-बोने आदर्श औजारों का समुचित मात्रा में निर्माण।

(6) प्रशिक्षण के लिए वैज्ञानिक क्षेत्रीय पुस्तिकाओं, प्रचार-सामग्री, दृश्य-श्रव्य, साधनों जिसमें वीडियो कैसेट भी सम्मिलित है, का निर्माण।

7वीं योजना के शेष चार वर्षों में कार्यक्रम पर 239.00 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा जिसमें केन्द्र का अंशदान 120.00 करोड़ रुपए तथा राज्य सरकारों का 119.00 करोड़ रुपए है। 3 जुलाई, 1986 को इस स्कीम की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकारों को संप्रेषित कर दी गई थी।

वास्तविक कार्यक्रम (9.28 लाख हैक्टेयर) जल सम्भर परियोजनाओं के अनुसार 7वीं योजना के दौरान प्रारम्भ किए जाएंगे।

श्री पी० एस० सईद : अध्यक्ष जी, जैसा कि फरक्का बैरिज के साथ लगी हुई वेस्ट-बैंड

और सितब दियारा जो कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार सीमा पर है, वहां गंगा के कटाव से बने हुए दियारों की जमीन पर बड़े लैंड लार्ड्स के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। सरकार का उस पर कोई काबू नहीं है। ऐसी हालत में सरकार वेस्ट-लैंड को लैंड-लैस फार्मर्स और अन्य आर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चरल लेबर्स में बांटने के लिए क्या कोई कदम उठा रही है और ऐसी जमीनों को प्रोडक्टिव बनाने के लिए क्या कोई कानून बना रही है ?

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक लैंड-लैस लेबर को जमीन देने का सवाल है, वेस्ट-लैंड उनको एलाट करने का सवाल नहीं उठाता है। अगर कोई उस जमीन पर पेड़ लगाना चाहता है तो वह जमीन पट्टे के हिसाब से दे देते हैं ताकि गरीब आदमी पेड़ लगा ले और पेड़ का भी मालिक वह गरीब आदमी ही बन जाये। इसके द्वारा सरकार के पट्टे के पैसे सरकार को ही मिल जाते हैं। दूसरा जो इन्होंने कहा कि बहुत से बड़े जमींदार उस जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेते हैं, ऐसी कोई बात इन्होंने पहले सरकार के नोटिस में नहीं लायी है। आज हमसे इन्होंने यह बात कही है तो हम इसकी तह में जायेंगे। चाहे वह कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, किसी को भी उस जमीन पर नाजायज कब्जा नहीं करने देंगे।

श्री पी० एम० सईद : क्या इस प्रकार की वेस्ट-लैंड पर सरकार द्वारा कोई उद्योग लगाने की योजना है। जैसा कि वेस्ट-लैंड पर बिहार में छोटा नागपुर और बंगाल में हल्दिया में उद्योग लगाये जा रहे हैं।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक वेस्ट-लैंड में उद्योग लगाने का सवाल है, किसी भी सरकारी संस्था को वहां उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं मिली है। अगर किसी केस में बहुत जरूरी हो और सरकार की वह जगह हो तो हम दे देते हैं। लेकिन इस वेस्ट-लैंड में दो बातें यह होती हैं कि वह सरकार की भी जमीन होती है और प्राइवेट लोगों की भी जमीन होती है। प्राइवेट लोगों की जमीन हम किसी को दे नहीं सकते। अगर मजबूरी में कोई जमीन नहीं मिले और उद्योग लगाने का प्रोग्राम हो तो सम्बन्धित स्टेट गवर्नमेंट वह जमीन एक्वायर करके दे देती है। हमारा यह भी प्रयास है कि वेस्ट-लैंड को ठीक किया जाए, इसमें पेड़ लगाए जाएं ताकि वायुमंडल का प्रदूषण ठीक हो सके।

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सम्पूर्ण देश में कितना वेस्ट-लैंड है ? क्या इसका कोई सर्वे कराया गया है ? दूसरा, वेस्ट-लैंड को प्राडक्टिव बनाने के लिए सरकार के पास तमाम योजनायें हैं, लेकिन तमाम डेवलपमेंट स्कीमें इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं क्योंकि हमें जमीन नहीं मिल पाती है। क्या सरकार प्राथमिकता के तौर पर वेस्ट-लैंड में डेवलपमेंटल एक्टीवीटिज शुरू करेगी ? क्या भविष्य में ऐसा कोई कदम उठाने जा रही है ? यदि हां तो कब तक ?

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, सारे मुल्क का रकबा तकरीबन 33 करोड़ हैक्टर है। आंकड़ों में यह दर्शाया गया है कि तकरीबन साढ़े 17 करोड़ हैक्टर रकबा वेस्ट-लैंड के नीचे

आता है। हमने इसके लिए प्रोग्राम भी बनाये और सर्वे भी किया कि कौन सी जगह में पेड़ लगाये जा सकते है, कौन सी जगह फलदार पौधे और जलाने की लकड़ी लगायी जा सकती है ? जहां कहीं भी और किसी भी किस्म के इलाके में हवा पानी का जो हिसाब होगा, उसके मुताबिक जो कुछ भी किया जा सकेगा, करने की कोशिश करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

प्रदूषण के खतरे सम्बन्धी विशेषज्ञ दल

*126. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण के खतरे तथा साथ ही खतरनाक वस्तुओं का इस्तेमाल करने वाले औद्योगिक यूनिटों में विद्यमान सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए किसी विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री भजन लाल) : (क) और (ख) चुनिन्दा रसायन और पेट्रो-रसायन इकाइयों में सुरक्षा उपायों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश और सिफारिशें देने के लिए विशेषज्ञ पैनलों के माध्यम से सर्वेक्षण आयोजित किए गए हैं। खतरनाक पदार्थों का व्यवसाय करने वाली औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा के लिए उपायों की सिफारिश करने के लिए अनेक राज्यों में विशेषज्ञ दल भी गठित किए गए हैं।

भारत और अमरीका द्वारा संयुक्त अनुसंधान

*127. **श्री जी० एस० वसवराजू**
श्री एच० एन० नन्जे गौडा } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषयों में भारत और अमरीका द्वारा संयुक्त अनुसंधान के नये क्षेत्रों का चयन कर लिया है;

(ख) भारत अमरीका संयुक्त अनुसंधान के लिए चुने गये नये क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन कब आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत-अमरीकी उपायोग की वाशिंगटन डी० सी० में 22-24 सितम्बर, 1986 को हुई आठवीं बैठक में जिसमें विभिन्न विषयों में जो प्रगति हुई और पर जो बल दिया गया उसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय किया गया :

(1) भौतिक और सामग्री विज्ञान,

(2) भूमि, वायुमंडलीय और समुद्र विज्ञान,

(3) ऊर्जा,

(4) पर्यावरण और परिस्थिति विज्ञान,

(5) सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी,

(6) स्वास्थ्य चिकित्सा और जीवन विज्ञान।

इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गयी कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए अधिक सहायता दी जानी चाहिए। दो दिवसीय बैठक के अन्त में, अब तक जो दृष्टिकोण अपनाया गया तथा जो भविष्य में अपनाया जाना है उसके प्रति पूर्ण सहमति व्यक्त की गई।

चौथे उपग्रह "आई० आर० एस०-1 ए०" का छोड़ा जाना

*129. **श्री चिन्तामणि जेना**
श्री अमरसिंह राठवा } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ में किसी स्थान से भारत के चौथे उपग्रह "आई० आर० एस०-1 ए" को छोड़ने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये गए समझौते की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है और उपग्रह अनुमानतः किसी तारीख तक छोड़ा जाएगा तथा यह कितनी अवधि तक कार्य करेगा; और

(घ) अन्तरिक्ष में मौजूद भारत के वर्तमान उपग्रह की स्थिति क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मंत्री और महासागर विकास, परमाणु

ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) भारतीय सूदूर संवेदन उपग्रह (आई० आर० एस०-1 ए०) को सोवियत संघ में किसी स्थान से सोवियत प्रमोचक राकेट द्वारा कक्षा में छोड़ा जाएगा।

(ख) व्यावसायिक करार में विस्तृत रूप में उपग्रह-राकेट सम्बन्धी यांत्रिकीय और विद्युतीय अन्तरापृष्ठों, प्रमोचन के दौरान उपग्रह द्वारा वहन की जाने वाली काम्पनिक और ध्वनिकी पर्यावरण परिस्थितियां, प्रमोचन से पूर्व कॉस्मोड्रोम पर प्रचालनकार्य तथा प्रक्रियाएं, यह निर्धारित करने की प्रक्रिया कि क्या उपग्रह उपयुक्त कक्षा में स्थापित हो गया है और उपग्रह के प्रमोचन के बाद प्रारम्भिक चरण के प्रचालनों से सम्बन्धित बातें शामिल हैं।

(ग) अन्तरिक्षयान के उड़ान मॉडल का संविरचन और जांच की जा रही है। इसे 1987 के उत्तरार्ध में छोड़ा जाएगा। उपग्रह की कालावधि लगभग तीन वर्ष होगी।

(घ) इस समय भारत का कोई भी सुदूर संवेदन उपग्रह कक्षा में नहीं है।

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र का स्थानान्तरण

*130. **श्री टी० वसीर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र को त्रिवेन्द्रम से स्थानांतरित करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) क्या विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के एक भाग को त्रिवेन्द्रम से अन्यत्र स्थानांतरित किया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो इसका स्थानांतरण किये जाने के कारण क्या हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इलैक्ट्रॉनिक एककों को लाइसेंसों की मंजूरी

*131. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलैक्ट्रानिक सामान का उत्पादन करने के लिए कितने इलेक्ट्रानिक एककों को गत तीन वर्षों के दौरान लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) उनमें से कितने एककों ने वाणिज्यिक रूप से उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित किए गए अनेक इलेक्ट्रानिक एकक इस वर्ष सितम्बर तक अपना उत्पादन शुरू करने में असफल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे एककों के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन एककों द्वारा अब तक उत्पादन शुरू करने के कारण क्या हैं ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) वर्ष 1983, 1984 तथा 1985 के दौरान जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या क्रमश: 88, 103 तथा 116 है।

(ख) वर्ष 1983, 1984 तथा 1985 के दौरान जिन इकाइयों को लाइसेंस जारी किए गए हैं, आज की स्थिति के अनुसार, उनमें से क्रमश: 63, 58 तथा 52 इकाइयों ने वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है।

(ग) जी, हां, अधिकांश इलेक्ट्रानिकी इकाइयों ने इस वर्ष के सितम्बर के महीने तक उत्पादन करना शुरू नहीं किया है।

(घ) वर्ष 1983 के दौरान जारी किए गए आशय-पत्रों में से 25 इकाइयों ने, 1984 में जारी किए गए आशय-पत्रों में से 45 इकाइयों तथा 1985 में जारी किए गए आशय-पत्रों में से 64 इकाइयों ने आज की स्थिति के अनुसार उत्पादन करना शुरू नहीं किया है।

(ङ) सामान्य रूप से मूल संरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था न करने, वित्तीय अड़चनों तथा बाजार भावों में उतार-चढ़ाव आदि के कारण ही अधिकांश मामलों के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ है।

पाकिस्तान और बंगलादेश से आये घुसपैठिए

*132. **श्री जगन्नाथ पटनायक**
श्री त्रिलोचन सिंह तुर } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशय के समाचार देखे हैं कि पिछले एक दशक के दौरान एक करोड़ से भी अधिक मुसलमान घुसपैठिए पाकिस्तान और बंगलादेश की सीमा पार करके भारत में आ गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि लगभग 50 लाख आप्रवासी जिनका 1981 की जनगणना में उल्लेख नहीं था; पश्चिम बंगाल की सीमा के साथ 96 नई कालोनियों में बस गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, पंजाब तथा

गुजरात में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बड़े पैमाने पर घुसपैठ को सख्ती से रोकने के लिए कौन से उपाय किये गए हैं अथवा किए जाएंगे ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) (क) : ऐसे कोई समाचार सरकार के ध्यान में नहीं आए हैं, परन्तु सरकार को भारत में आ रहे घुसपैठियों की जानकारी है।

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) भारत-पाकिस्तान तथा भारत-बंगलादेश सीमाओं पर सुरक्षा बल लगातार सतर्कता बरत रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल को 5 वर्षीय कार्यक्रम में सुदृढ़ करने के उपाय भी किए गये हैं।

विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के साथ भारत में और विदेशों में हिन्दी में वार्तालाप करने के निदेश

*133. **श्री सी० गंगा रेड्डी**
डा० ए० के० पटेल } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारत की उचित छवि प्रस्तुत करने के लिए राजनयिकों, मंत्रियों और मंत्रीस्तर के शिष्टमण्डलों को विदेशों में विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के साथ हिन्दी में वार्तालाप करने के निदेश दिए गए हैं;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारतीय प्रतिनिधियों को भी संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्हीं कारणों से हिन्दी का प्रयोग करने के निदेश दिए गए हैं; और

(ग) क्या विदेशी व्यक्तियों के साथ भारत में वार्तालाप किए जाने के सम्बन्ध में भी निदेश लागू होते हैं ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमन्। एक परिपत्र सभी मिशनों को भेजा गया था जिसमें अनुरोध किया गया कि वे विदेशों में यात्रा करने वाले भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों को अपने समकक्ष विदेशी प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श के दौरान जहां तक व्यवहारिक और उचित हो, हिन्दी में बातचीत करने की सलाह दे/आग्रह करे। विदेश मन्त्रालय द्वारा दुभाषिया सुविधाएं उपलब्ध कारवाई की जाएगी। ये अनुदेश, विशिष्ट व्यक्तियों की भारत यात्रा के समय भी जहां तक व्यवहारिक और उचित होगा, लागू होंगी। ये दिशा निर्देश केवल सलाह के रूप में दिए गए हैं।

प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों को कठोर बनाने का प्रस्ताव

*134. **श्री पी० वेंचालैया** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश ने केन्द्रीय सरकार से प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में संशोधन

करने और इस कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए इसे और अधिक कठोर बनाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री भजन लाल) : (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जल (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में संशोधनों के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं। आन्ध्र प्रदेश के सुझावों सहित सभी सुझावों के आधार पर पिछले कुछ महीनों में इन अधिनियमों में संशोधन के लिए पर्याप्त कार्य शुरू किया गया है। अब इन प्रस्तावों को सभी राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया है।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास योजनायें

*135. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया**
श्री तेजासिंह वर्दी } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमन्, 24-6-1986 को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए हुई मंत्रियों की समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में मन्त्रियों की उक्त समिति की सेवा और सहायता के लिए कार्यालय स्तरीय समिति ने उत्तर-पूर्व में कुछ मुख्य केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक समय-सारिणी तैयार की थी। योजनाओं की स्थूल रूप रेखाएं सभापटल पर रखे गए विवरण में दी गई है।

विवरण

मुख्य केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं की स्थूल रूपरेखाएं जिनके लिए उत्तरपूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए मन्त्रियों की समिति की सेवा और सहायता के लिए कार्यालय स्तर की समिति द्वारा एक समय-सारिणी तैयार की गई है।

क्र० सं०	योजना का नाम	लक्ष्य
1	2	3
1.	बालीपाड़ा भालुकपोंग मीटरगेज रेलवे लाईन (35.46 किलोमीटर का निर्माण	दिसम्बर, 1989 तक

1	2	3
2.	धर्मनगर कुमारघाट मीटरगेज रेलवे लाईन (33 किलोमीटर) का निर्माण	23 किलोमीटर (धर्मनगर से पेछरताल तक (मार्च 1986 में पूरी हो गई है। पेछरताल से कुमारघाट तक दिसम्बर, 1988 तक पूरी की जानी है।
3.	सिलचर जीरीबाम (मीटर गेज रेलवे लाईन) (49.16 किलोमीटर) का निर्माण	दिसम्बर 1990 तक पूरी की जानी है।
4.	लालबाजार मैरबी मीटर गेज रेलवे लाईन 48.15 किलोमीटर	1990 तक पूरी की जानी है।
5.	तेजपुर के निकट ब्रह्मपुत्र नदी पर सड़क पुल का निर्माण	मार्च, 1987 तक पूरा किया जाना है।
6.	राष्ट्रीय महामार्ग-53 (इम्फाल-सिलचर) का निर्माण	1990 तक पूरा किया जाना है।
7.	राष्ट्रीय महामार्ग-44 (असम अगरतला) का निर्माण	1991 तक पूरा किया जाना है।
8.	जीरीबाम से कुमारघाट तक बरास्ता एजवल की ट्रांसमीशन लाइन को पूरा करना।	अप्रैल, 1987 तक पूरा किया जाना है।
9.	सिमेंट तथा स्टील के स्टाक के लिए रागियां में रेलवे साइडिंग्स का निर्माण।	1987-88 के दौरान पूरा किया जाना है।

[अनुवाद]

सिमिलिपाल बाघ परियोजना

*136. श्री हरिहर सोरन
श्री अनादि चरण दास } : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सिमिलिपाल बाघ परियोजना के क्रियाकलाप क्या हैं;

(ख) क्या परियोजना अधिकारियों ने सिमिलिपाल वन के बाघों के बारे में कोई

अनुसंधान कार्य किए हैं;

(ग) सिमिलिपाल बाघ परियोजना के अन्तर्गत अन्य क्या कार्य किए जा रहे हैं; और

(घ) सिमिलिपाल राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के विकास और संरक्षण हेतु कितनी धनराशि मन्जूर की गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री भजन लाल) : (क) और (ग) सिमिलिपाल बाघ अभ्यारण्य के विभिन्न कार्यों में पशु-पक्षियों, वनस्पति एवं उनके प्राकृतवास का संरक्षण, आवागमन एवं संचार साधनों जैसे सड़कों एवं बेतार संचार प्रणाली का विकास, जल संरक्षण आग, चरार एवं अवैध शिकार की रोकथाम, वैज्ञानिक ढंग से प्रबन्ध के लिए आवश्यक तथ्यों एवं आंकड़ों का संकलन जैसे कार्य आते हैं।

(ख) जी, हां।

(घ) सिमिलिपाल बाघ अभ्यारण्य के विकास कार्यों के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 41.83 लाख रुपये का केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध कराया गया। 1985-86 और 1986-87 के दौरान केन्द्रीय सहायता के रूप में 9.93 और 11.40 लाख रुपए विमुक्त किए गए।

दिल्ली में मारे गए छापों के दौरान विदेशी राष्ट्रिकों की गिरफ्तारी

*137. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह**
श्री इन्द्रजीत गुप्त } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 अगस्त, 1986 को न्यू फ्रेंडस कालोनी और दयानन्द कालोनी में मारे गए छापों के पश्चात दक्षिण जिला पुलिस के विशेष स्टाफ द्वारा एक विशेष राष्ट्रिक से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य के अनुसार 9·6 करोड़ रुपये की सफेद हीरोइन और 60 लाख रुपये मूल्य की 17.6 किलो ग्राम चरस पकड़ी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई जांच पड़ताल का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान एक राष्ट्र विशेष के अनेक राष्ट्रिक नशीली दवाओं का व्यापार, विदेशी मुद्रा घोटाला आदि के एक ही तरह के आरोपों में गिरफ्तार किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1980 से अब तक गिरफ्तार किए गए विदेशी राष्ट्रिकों के नाम क्या है, उनके विरुद्ध किस तरह के मामले दर्ज किए गए हैं और इन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान। न्यू फ्रैंडस कालोनी,

नई दिल्ली के निवासी एक अफगान राष्ट्रिक से 10 अगस्त, 1986 को 91 किलोग्राम हिरोइन तथा 176 किलोग्राम चरस बरामद की गयी। पूछताछ करने पर दयानन्द कालोनी के निवासी एक अन्य अफगान राष्ट्रिक के कब्जे से 5 किलोग्राम हिरोइन और बरामद की गई। इन दो मामलों में बरामद की गई हिरोइन तथा चरस का अनुमानित मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में क्रमश: लगभग 9.6 करोड़ रुपए तथा 60 लाख रुपए है।

(ग) दिल्ली पुलिस नशीली दवाओं के व्यापार के आरोपों पर तथा उत्पाद अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अनेक अफगान राष्ट्रिकों को गिरफ्तार किया है। तथापि, दिल्ली पुलिस द्वारा उनमें से किसी को विदेशी मुद्रा के घोटाले के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(घ) अपेक्षित सूचना सदन के पटल पर रखे गए विवरण में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गयो। देखिए संख्या एल० टी० 3204**]

उड़ीसा सरकार द्वारा लोधा जाति के लोगों का पुनर्वास

*138. **श्री लक्ष्मण मलिक**
श्री आनन्द प्रसाद सेठी } : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को लोधा जाति के लोगों के पुनर्वास के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या लोधा जाति के लोगों के पुनर्वास के लिए उठाए गए कदम निष्फल रहे हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने लोधा जाति के लोगों के पुनर्वास के सम्बन्ध में कोई मार्ग निर्देश जारी किए हैं और इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान किया है ?

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) राज्य सरकार ने उड़ीसा में प्राचीन जनजाति के रूप में अभिज्ञात लोधा जाति के लोगों के विकास और पुनर्वास के लिए 1985-86 में एक माइक्रोप्रोजैक्ट की स्थापना की सूचना दी है।

(ख) परियोजना पर अमल किया जा रहा है।

(ग) राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि वह लोधा जाति के लोगों सहित प्राचीन जनजाति समुदायों की सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षिक स्थिति में सुधार करने के लिए विशेष उपाय करें। उड़ीसा में 12 प्राचीन जनजाति समुदायों के विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का एक भाग निर्धारित किया गया है।

ध्रुव रिएक्टर को चालू करना

*139. श्री मुरली देवरा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ध्रुव रिएक्टर के तब तक चालू किए जाने की सम्भावना है; और

(ख) क्या इसमें बिलम्ब होने से चिकित्सा सम्बन्धी जरूरतों के लिए आइसोटोप की उपलब्धता पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) "ध्रुव" को अगस्त, 1985 में चालू किया गया था। इसकी सभी प्रणालियां काम कर रही हैं। इस रिएक्टर को 30-10-1986 को फिर से चालू किया गया था और इसमें अतिरिक्त ईंधन-छड़ें भरने के बाद इसके विद्युत-स्तर को क्रमशः बढ़ाते हुए अधिकतम सीमा तक ले जाया जाएगा।

(ख) भारत में काम में लाए जाने वाले रेडियो आइसोटोप 'साइरस' रिएक्टर में तैयार किए जाते हैं। यह रिएक्टर पूरी तरह से काम करता रहा है। अतः चिकित्सा के क्षेत्र में रेडियोआइसोटोपों की उलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

तालचेर भारी जल संयंत्रों में दुर्घटनाएं

*140. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तालचेर भारी जल संयंत्र में वर्ष 1972 से अब तक कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं तथा प्रत्येक दुर्घटना में कितनी हानि हुई;

(ख) इनके फलस्वरूप संयंत्र को चालू करने में कितना बिलम्ब हुआ और मूल अनुमानित लागत की तुलना में इसकी लागत में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है;

(ग) क्या तालचेर भारी जल संयंत्र में 29 अप्रैल, 1986 को हुई दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए नए सिरे से जांच की गई थीं; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम रहे तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) तथा (ख) 29 अप्रैल, 1986 को एक विस्फोट हुआ जिसके बाद आग लग गई तथा 1 सितम्बर, 1985 को हाइड्रोजन के आग पकड़ने की एक छोटी सी घटना हुई। इन घटनाओं के परिणाम-स्वरूप लगभग 40 लाख रुपए की हानि हुई है। चूंकि ये दोनो ही घटनाएं संयंत्र के चालू होने

के बाद हुई हैं, इसलिए संयंत्र के चालू होने में इन घटनाओं के कारण कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(ग) तथा (घ) मई, 1986 में गठित की गई एक जांच समिति ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाया है और 29 अप्रैल, 1986 को हुई घटना जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उपाय भी सुझाए हैं। संयन्त्र का समुचित नवीकरण किया जा चुका है और वह चालू किए जाने की स्थिति में है। सुरक्षा की दृष्टि से स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है तथा उर्वरक संयन्त्र से निवेश-सामग्री भी अभी प्राप्त होनी है।

[अनुवाद]

पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों का पुनर्वास

1258. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए 750 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मांग स्वीकार कर ली गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

समर मुखर्जी समिति का प्रतिवेदन—विभिन्न सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा स्थापित की गई समर मुखर्जी समिति द्वारा पश्चिमी बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए करोड़ 750 रुपये की सहायता की सिफारिश की गई थी और यही राज्य सरकार द्वारा मांगी गई थी। सिफारिश की गई सहायता से मदवार ब्यौरे तथा वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :

क्रम सं०	सिफारिश	राशि (रुपए करोड़ों में)	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	विस्थापित व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास के लिए योजनाएं	450.00	विस्थापित व्यक्तियों को आर्थिक लाभ सामान्य योजना के क्रिया-कलापों से मिलना चाहिए।
2.	विस्थापित व्यक्ति कालोनियों का विकास और अधिकतम कीमत की सीमा में बढ़ोत्तरी	119.47	यह मामला शहरी विकास मन्त्रालय से सम्बन्धित है जिनको प्रतिवेदन के सम्बन्धित उद्धरण पहले ही भेजे जा चुके हैं।
3.	लगभग 632 और आबादकार कालोनियों का नियमन जो 30-12-1950 के बाद बनी थी।	93.97	25-3-1971 तक स्थापित कालोनियों को नियमित करने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमति दे दी गई है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने ऐसी 613 कालोनियों की सूची दी है इस सम्बन्ध में अगली कार्रवाई राज्य सरकार के परामर्श से की जा रही है।

1	2	3	4
4.	बगैर शिविर के परिवारों को सहायता	66.39	नीति के अनुसार, बगैर शिविर विस्थापित व्यक्ति परिवार किसी पुनर्वास सहायता के लिए पात्र नहीं है और इस स्थिति में उनके मामले पुनः नहीं चलाए जा सकते क्योंकि इसके विस्तृत प्रभाव होंगे।
5.	सालनपुर में खाली अधिकृत भूमि पर विस्थापित व्यक्ति परिवारों का पुनर्वास	8.83	राज्य सरकार के पास लगभग 800 एकड़ भूमि उपलब्ध है और राज्य सरकार ने सूचित किया है कि भूमि का उपयोग किया जा रहा है लेकिन उन्होने योजनाओं के नामों की सूचना नहीं दी। किसी भी स्थिति में हमारे पास ऐसे कोई परिवार नहीं है जो पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
6.	पुनर्वास योग्य पी० एल० परिवारों का पुनर्स्थापन	3.74	यह मामला कल्याण मन्त्रालय से सम्बन्धित है जिन्होंने सूचना दी है कि ये मद छठे वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार को स्थानांन्तरित कर दिया गया है।
7.	शिविर बाह्य स्थल परिवारों को मकान निर्माण ऋण की सीमा में बढ़ोत्तरी।	1.84	सीमा को बढ़ाकर शहरी क्षेत्रों में प्रति परिवार 6,500 रु० और ग्रामीण क्षेत्रों में 4,200 रु० कर दिया गया है। योजना कार्यान्वित की जा रही है।
8.	विस्थापित मुसलमानों का पुनर्वास	1.00	यह समस्या राज्य सरकार द्वारा न तो 1967 में स्थापित की गई समीक्षा समिति के सामने और न ही 1975 में स्थापित किए गए कार्यदल के सामने पेश की गई थी। इसके अतिरिक्त समर मुखर्जी

		समिति ने समस्या का उचित मूल्यांकन नहीं किया। हमने राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट कर दी है।
9. विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन के लिए हरोभंगा योजना-†† को पुनः चालू करना।	2.89	समर मुखर्जी समिति ने इस योजना में 900 कृषक परिवारों के पुनर्स्थापन की सिफारिश की थी। यह योजना दण्डकारण्य परियोजना के शुरू होने के बाद समाप्त कर दी गई थी। चूंकि हमारे पास पुनर्स्थापन के लिए कोई परिवार नहीं है इसलिए योजना के पुनः चालू करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

थाल में भारी जल संयंत्र

1259. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स द्वारा परमाणु ऊर्जा आयोग की ओर से थाल में स्थापित भारी जल संयन्त्र ने उत्पादन शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब से और उस संयन्त्र से भारी जल का कितना वार्षिक उत्पादन होने की आशा है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) संयन्त्र को चालू करने की प्रक्रिया के अन्तर्गत, संयन्त्र की दो धाराओं में से एक धारा से भारी पानी का परीक्षण के तौर पर उत्पादन समृद्ध ड्यूटीरियम को जलाकर 28 अक्तूबर, 1986 को शुरू किया गया था। उत्पादन विभिन्न चरणों में बढ़ेगा जिससे लगभग दो वर्ष में 110 मीटरिक टन भारी पानी के उत्पादन की निर्धारित वार्षिक क्षमता प्राप्त कर ली जाएगी।

बन्दरों की संख्या

1260. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण विभाग ने बन्दरों के निर्यात और उनकी हत्या पर प्रतिबन्ध लगाने के अतिरिक्त उनकी बढ़ती हुई संख्या को नियन्त्रित करने के उपायों के सम्बन्ध में कोई निर्देश/मार्ग निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार की ऐसे निर्देश/मार्ग निर्देश जारी करने की कोई योजना है; और

(घ) देश में बन्दरों की राज्य-वार कितनी अनुमानित संख्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) बन्दरों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या को निर्धारित करने के लिए देशव्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है। यद्यपि, 1980 में निम्नलिखित राज्यों के कुछ चुने हुए जिलों में रेसस बन्दर और हनुमान लंगुर की संख्या का अनुमान लगाया गया था, और सूचित की गयी संख्या निम्नलिखित है—

राज्य	जिलों की संख्या	गिने गए रेसस की संख्या	गिने गए लंगुरों की संख्या
1. राजस्थान	5	692	3176
2. महाराष्ट्र	3	—	1313
3. जम्मू और कश्मीर	2	493	उपलब्ध नहीं
4. पंजाब	3	519	उपलब्ध नहीं
5. आन्ध्र प्रदेश	3	2295	463
6. हिमाचल प्रदेश	3	695	533
7. गुजरात	2	उपलब्ध नहीं	1075
8. मध्य प्रदेश	7	2640	8367
9. बिहार	4	1000	2076
10. मणिपुर	1	240	—
11. त्रिपुरा	1	977	—
12. पश्चिम बंगाल	3	254	1157
13. उत्तर प्रदेश	11	5690	3733
14. उड़ीसा	2	1096	1220
15. हरियाणा	2	323	62
16. दिल्ली	1	403	—

भारतीय नौसेना के लिए तीसरा विमान वाहक जहाज

1261. **श्री बल्लभ पाणिग्रही** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपनी नौसेना की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए तीसरे विमान वाहक जहाज का डिजायन बनाने और इसका निर्माण करने की स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो क्या नौसेना के वास्तुविदों ने भारतीय नौसेना की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तीसरे विमान वाहक जहाज का खाका तैयार किया है;

(ग) क्या सरकार को कुछ पुर्जों के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भर करना पड़ता है अथवा वह इस सम्बन्ध मे पूरी तरह सुसज्जित हैं;

(घ) क्या हमारे कुछ कार्मिक इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेश गये थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग) दसवीं दशक के मध्य तक भा० नौ० पो० विक्रांत को बदल कर उसकी जगह उपयुक्त स्वदेशी विमान वाहक के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना ने डिजाइन सम्बंधी कुछ प्रारम्भिक अध्ययन किए हैं। डिजाइन और निर्माण के मामले में विदेशी सहयोग किस प्रकार का होगा और कितना लिया जाएगा इस बात का निर्धारण वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर यथा समय किया जाएगा।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सोवियत संघ में निर्मित एम० आई०-26 हेलिकोप्टर की खरीद

1262. **श्री आर० एम० भोये** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने सोवियत संघ से सोवियत संघ में निर्मित एम० आई-26 हेलिकाप्टर की खरीद हेतु सम्पर्क किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके उपयोग और लागत के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

यूकलिप्टस के बागान

1263. **डा० बी० एल० शैलेश : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम से संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा पड़ोसी हरियाणा और राजस्थान राज्यों में विवादास्पद यूकलिप्टस बागान पर कार्य करने वाली गैर-सरकारी कम्पनियों की बाढ़ आ गई है;

(ख) क्या पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, इन फर्मों के कार्यचालन से सारा कार्यक्रम अस्त-व्यस्त हो जाएगा तथा सम्पूर्ण कार्यक्रम इसके आधारभूत उद्देश्यों के प्रतिकूल हो जाएगा;

(ग) क्या इन कम्पनियों के क्रियाकलापों से न केवल गरीबों को किसी प्रकार की सहायता मिल पायेगी, बल्कि इससे भविष्य में भूमि अधिक बंजर हो जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं। तथापि, परती भूमि विकास बोर्ड को पता है कि कुछ निजी कम्पनियां, इस प्रकार के पौधरोपण से होने वाले आर्थिक लाभों पर दावे के साथ गंध सफेदा के पौधरोपण को बढ़ावा दे रही है।

(ख) बहुत से पर्यावरण-वैज्ञानिक गन्ध सफेदा के पौधरोपण के बुरे प्रभावों पर प्रकाश डालते रहे हैं।

(ग) वैज्ञानिक आंकड़ों की वर्तमान अवस्था में अलग-अलग वर्षा की स्थितियों में विभिन्न प्रकार की भूमियों पर गंध सफेदा की पौधारोपण के बुरे प्रभावों के सामन्यीकरण के प्रयास नहीं किए जा सके।

(घ) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे विशेषकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों तथा आदिवासी क्षेत्रों में गंध सफेदा जैसी प्रजातियों की एक-धान्य उपज को निरूत्साहित करें। स्थानीय समुदाय की जरूरतों को ध्यान में रखकर और उनके परामर्श से मिश्रित पौध-रोपण करने की सलाह दी गई ताकि समुदाय लघु और बृहद वन उत्पादों को पर्याप्त मात्रा में हासिल कर सकें।

हैदराबाद में एक खेलकूद स्टेडियम का निर्माण

1264. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में एक खेलकूद स्टेडियम का निर्माण करने के लिए

रक्षा मन्त्रालय की भूमि की मंजूरी प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उस पर कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में शीघ्र कोई निर्णय किए जाने की सम्भावना नहीं है, तो इसके विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग) छावनी बोर्ड, सिकन्दराबाद ने आंध्र प्रदेश स्पोर्ट्स काउंसिल (ए० पी०ए० सी०) को, 25-7-1972 से 30 वर्षों के लिए 500/- रु० वार्षिक किराए पर 18.04 एकड़ रक्षा भूमि पट्टे पर दी थी। बाद में यह पता चला कि 5.932 एकड़ अतिरिक्त भूमि पर आन्ध्र प्रदेश स्पोर्ट्स काउंसिल ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है जिससे उनके पास कुल भूमि 23.972 एकड़ थी। 1981 में आंध्र प्रदेश सरकार ने एक क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को पट्टा देने के मामले की सिफारिश की। मार्च 1983 में राज्य सरकार और आंध्र प्रदेश स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ विचार विमर्श करके हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन और आंध्र प्रदेश स्पोर्ट्स काउंसिल को 23.972 एकड़ भूमि पट्टे पर देने का निर्णय किया गया जिसका विवरण इस प्रकार है :

(क) हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन	...	19.40 एकड़
(ख) आंध्र प्रदेश स्पोर्ट्स काउंसिल	...	4.572 एकड़

बाद में आंध्र प्रदेश फुटबाल एसोसिएशन और आंध्र प्रदेश एथिलीटिक एसोसिएशन से मन्त्रालय को प्रत्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें यह कहा गया कि भूमि के एक बड़े भाग में क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण से राज्य में खेल-कूद के समस्त हितों को हानि पहुंचेगी। इन प्रत्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए 31 5.1985 को क्रिकेट स्टेडियम के प्रस्तावित निर्माण पर राज्य सरकार और आंध्र प्रदेश स्पोर्ट्स काउंसिल के विचार मांगे गए। इसी बीच क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य रोक दिया गया। अगस्त 1985 में आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने लिखा कि यदि भूमि का बड़ा भाग हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को दिया जाता है तो खेल-कूद के लिए उपलब्ध बाकी भूमि पूर्णतः अपर्याप्त होगी। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश स्पोर्ट्स काउंसिल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के साथ फुटबाल, हाकी आदि जैसे अन्य खेलों के लिए भी सुविधाएं प्रदान करेगी। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि कथित भूमि अर्थात् 23.972 एकड़ भूमि का पट्टा आंध्र प्रदेश स्पोर्ट्स काउंसिल के पक्ष में किया जाए।

चूंकि 19.40 एकड़ भूमि राज्य सरकार एवं आंध्र प्रदेश स्पोर्ट्स काउंसिल की सहमति से हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को दी गई थी और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने पट्टा निष्पादित कर दिया है, यह राज्य सरकार के लिए है कि वह दोनों खेलकूद निकायों के मध्य उपयुक्त समायोजन करके इस झगड़े को निपटाए।

1986 में भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध जांच

1265. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 के दौरान देश में कुल कितने राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच आरम्भ की गई;

(ख) कितने मामलों में जांच पूरी कर ली गई है और न्यायालयों में मुकदमें कर दिए गए हैं; और

(ग) कितने मामलों में दोषी पाए गये अधिकारियों को दण्ड दिया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) से (ग) वर्ष 1986 (1.1.1986 से 30.9.1986 तक) से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार है :

(1) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आरम्भ की गई जांच के मामलों में अन्तर्ग्रस्त राजपत्रित अधिकारियों की संख्या—729

(2) जांच पूरी होने पर विचारण के लिए भेजे गये मामलों की संख्या—394

(3) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें दोषी पाये गये अधिकारियों को न्यायालयों द्वारा दण्ड दिया गया, —147

1986-87 के लिए वार्षिक योजना

1266. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1986-87 के लिए वार्षिक योजना प्रकाशित की जा चुकी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक प्रकाशित होने की सम्भावना है; और

(ग) 1987-88 के लिए वार्षिक योजना को 31 मार्च, 1987 तक प्रकाशित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां। इसे दिनांक 7.11.86 को सभा पटल पर रखा गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) योजना आयोग इस समय राज्यों तथा केन्द्रीय मन्त्रालयों के साथ वार्षिक योजना

1987-88 के विचार-विमर्श में व्यस्त है और योजना परिव्ययों को अन्तिम रूप दे दिये जाने पर, 1987-88 के केन्द्रीय बजट में प्रकाशित कर दिये जायेंगे।

संसद तथा राज्य विधान सभाओं द्वारा विस्तृत अनुदान मांग अनुमोदित होने के बाद ही वार्षिक योजना 1987-88 दस्तावेज तैयार करने से सम्बन्धित कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है।

अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त कार्यक्रम

1267. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और स्वीडन के बीच अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई संयुक्त कार्यक्रम आरम्भ करने के बारे में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन्) : (क) और (ख) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और अंतरिक्ष क्रियाकलापों के स्वीडिश बोर्ड (एम० बी० एस० ए०) के बीच अन्तरिक्ष गतिविधियों के क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एम० ओ० यू० पर हाल ही में हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें निम्न क्षेत्र शामिल हैं :

(क) रेंज, आंकड़ा अभिग्रहण और दूरमिति, अनुवर्तन और आदेश (टी० टी० सी०) सुविधाओं का परस्पर उपयोग;

(ख) निम्न अन्य बातों के साथ-साथ सुदूर संवेदन

(1) विश्व शांति/मानीटरन के लिए उपग्रहों के उपयोग का अध्ययन

(2) सूक्ष्मतरंग सुदूर संवेदन

(3) वानिकी, कृषि और पर्यावरण के मानीटरन के क्षेत्रों में सुदूर संवेदन का उपयोग, तथा

(ग) अन्य चयनित प्रौद्योगिकी/विज्ञान सम्बन्धी अवयव, जिन्हें समय-समय पर इसरो और एम० बी० एस० ए० द्वारा निर्धारित किया जाये।

लम्बित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना

1268. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर**
श्री भद्दम वीराम मूर्ति } : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा शुरू की गई 264 प्रमुख परियोजनाओं (प्रत्येक 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत की) में से 134 परियोजनाओं का कार्य अधिक हो जाने के कारण पिछड़ गया है और 31 मार्च, 1986 की स्थिति के अनुसार उनमें 3 से 204 महीने तक की अवधि का विलम्ब हुआ जिसके फलस्वरूप उन्हें निर्माण लागत के अन्दर पूरा किए जाने में भारी विलम्ब हुआ है;

(ख) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और अन्य सम्बन्धित ब्यौरा जैसे उनकी स्वीकृति की तारीख, आधारशिला रखे जाने की तारीख, निर्माण शुरू होने की तारीख, कार्य शुरू होने के समय पूरा होने की आरम्भिक निर्धारित तारीख क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता देकर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) नाम, अनुमोदन की तारीख और शुरू करते समय पूरा होने की प्रारम्भिक निर्धारित तारीख संलग्न-विवरण में दी गई है।

(ग) परियोजनाओं के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

(1) वास्तविक परियोजना कार्यान्वयन योजना तैयार करना।

(2) मासिक फ्लैश रिपोर्ट और त्रैमासिक स्थिति रिपोर्ट प्रबोधन प्रणाली के माध्यम से प्रभावी प्रबोधन करना।

(3) जल्दी पूरा करने के लिए परियोजना अधिकारियों पर सतत दबाव डालना।

(4) अन्तर्मंत्रालयी समन्वय और पारस्परिक कार्यवाही, और

(5) राज्य सरकारों, उपस्कर वितरकों परामर्श दाताओं और अन्य सम्बन्धित एजेंसियों के साथ सम्बन्धित मन्त्रालयों और परियोजना अधिकारियों द्वारा विलम्ब कम करने के लिए सन्निकट अनुवर्ती कार्यवाही करना।

विवरण

31 मार्च, 1986 के अनुसार समय-अनुसूची से पिछड़ी हुई परियोजनायें

क्षेत्र	परियोजना का नाम	अनुमोदन की तारीख	चालू करने की तारीख
1	2	3	4
परमाणु ऊर्जा	1. नरोरा परमाणु ऊर्जा परियोजना (एन० ए० पी० पी०)	1/74	12/84
	2. भारतीय विरल थल (ओसकोम)	3/75	6/80
नागर विमानन	1. नौसेना प्रतिस्थापन/वृद्धि (एयर इंडिया)	12/84	01/87
	2. जूहू बीच, बम्बई में पांच तारा होटल का निर्माण (397 कमरे)	1/79	3/83
रसायन और पेट्रो-रसायन	1. बाई-कम्पोनेंट ऐरोमिक फाईबर विकास (आई० पी० सी० एल०)	3/84	5/87
	2. पोलीपरोपोलीन-कोपोलाईमर विकास (आई० पी० सी० एल०)		10/86
	3. फिनौल/ऐसीटोन (एच०ओ०सी०)	8/80	6/85
	4. पोलीटैट्राफ्लोरो ऐथीलीन (एच० ओ० सी०)	12/82	6/85
ऊर्जा मन्त्रालय कोयला विभाग	1. ब्लाक 2 ए० ओ० सी० पी० झरिया (बी० सी० सी० एल०)	6/82	3/87
	2. मोनीडीह यू० जी० (बी० सी० सी० एल०) (आर० सी० ई०)	11/65	3/72
	3. पूटकी बलिहारी यू० जी० (बी० सी० सी० एल०)	12/83	3/94

1	2	3	4
	4. राजमहल ओ० सी० (ई० सी० एल०) (आर० सी० ई०)	8/80	3/87
	5. अमलोहरी ओ० सी० (एन० सी० एल०)	6/82	3/90
	6. बीना (आई० पी० आर०) (एन० सी० एल०)	8/73	3/86
	7. जयंत विकास ओ० सी० (एन० सी० एल०)	6/83	3/89
	8. ककरी ओ० सी० (एन० सी० एल०)	10/80	3/87
	9. कुसुमुंडा ओ० सी० आर० सी० ई० (एस० ई० सी० एल०)	12/74	3/85
	0. एल० टी० सी० कोयला गैस कामप्लैक्स दनकुनी (सी० आई० एल०)	10/77	9/84
	11. दूसरी टी० पी० एस० स्टेज-1 (एन० एल० सी)	2/78	4/83
	12. —यथोपरि—	2/83	4/89
	13. बलगोरा (बी० सी० सी० एल०) (यू/जी०)	10/80	3/85
	14. दमोदर ओ० सी० (बी० सी० सी० एल०)	3/84	3/89
	15. कटरस यू० जी० (बी० सी० सी० एल०)	10/79	3/89
	16. उत्तरी आमलाहाड यू० जी० (बी० सी० सी० एच०)	10/80	3/85
	17. सुदामडीह (बी० सी० सी० एल०) (आर० सी० ई०)	12/62	3/71

1	2	3	4
	18. करकटा ओ० सी० (सी० सी० एल०)	6/82	3/85
	19. राजरप्पा ओ० सी० रामगढ़ आर० पी० आर० (सी० सी० एल०)	8/77	3/85
	20. केडला वाशरी (सी० सी० एल०)	4/80	3/84
	21. राजरप्पा वाशरी (सी० सी० एल०)	8/77	3/82
	22. अमृतनगर आर० पी० आर० (ई० सी० एल०)	5/76	3/85
	23. सतग्राम (ई० सी० एल०)	5/79	3/89
	24. भिगुरडा ओ० सी० (एन० सी० एल०)	1/77	3/82
	25. वर्कशाप सिंगरोली	2/82	9/86
	26. अमलाई ओ० सी० (एस० ई० सी० एल०)	3/84	3/89
	27. बिसरामपुर ओ० सी० (एस० ई० सी० एल०)	3/75	3/85
	28. धानपुरी (एस० ई० सी० एल०)	9/79	3/85
	29. रामनगर आर० ई० सी० यू० जी० (एस० ई० सी० एल०	10/78	3/86
	30. दुर्गापुर ओ० सी० (डब्लू० सी० एल०)	10/78	3/85
	31. स्योनर यू० जी० (डब्लू० सी० एल०)	8/83	3/92
	32. सस्ती ओ० सी० (डब्लू० सी० एल०)		

1	2	3	4
	33. गोदावरी खानी 11ए (एस० सी० सी० एल०)	9/83	3/89
	34. रामगुनदम ओ० सी० पी० (एस० सी० सी० एल०)	7/80	3/85
	35. 400 के० वी० लाईन एस० टी० । (एन० सी० एल०)	2/83	3/86
दुरसंचार	क्रासबार स्विचिंग-उपस्कर परियोजना, रायबरेली	11/80	2/88
उर्वरक	1. हल्दिया (एच० एफ० एल०)	7/81	
	2. नामरूप 3 (एच० एफ० सी०)	5/79	11/83
	3. कैप्टिव पावर प्लांट बरौनी (एच० एफ० सी०)	11/81	12/85
	4. पारादीप उर्वरक परियोजना (पी० पी० एल०) चरण-2	1/83	11/87
खान	1. गंधामरदन बोक्साईट परियोजना (बी० ए० एल० सी० ओ०)	7/82	4/85
	2. कैप्टिव पावर प्लांट (बाल्को)	12/82	8/87
	3. उड़ीसा एल्यूमीनियम काम्पलैक्स (नालको)	11/80	9/87
इस्पात	1. बोकारो 4 मि० ट० वि० (सेल)	3/72	3/77
	2. बोकारो सी० पी० पी० (सेल)	9/78	9/83
	3. भिलाई 4 मि० ट० वि० (सेल)	2/78	12/81
	4. राउरकेला सिलीकन स्टील (सेल)	11/77	11/81

1	2	3	4
	5. राउरकेला सी० पी० पी० (सेल)	1/81	6/85
	6. दुर्गापुर सी० पी० पी० (सेल)	9/78	6/83
	7. ए० एस० पी० विस्तार ट्रीट 2 दुर्गापुर (सेल)	7/81	1/85
	8. दुर्गापुर (आधुनिकीकरण) (सेल)	10/84 (पी० एच० 1)	एन० ए०
	9. इस्को रीबिल्डिंग 8 बैटरी क० (सेल)	6/83	9/86
	10. इस्को चशनाला वाशरी बैलेंसिंग (सेल)	6/83	6/87
	11. विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना (आर० आई० एन० एल०)	6/79	7/91
	12. बेलाडीला-2 सी (एन० एम० डी० सी०)	11/80	6/84
	13. बेलाडीला-5 (फाइन और हेडलींग)	9/82	3/84
रेलवे			
	1. कोरापुट-रायगढ़-लाईन	81-82	3/83
	2. भूज-नालिया	81-82	3/86
	3. धरमनगर-कुमारघाट	78-79	12/84
	4. एरनाकुलम-एलेप्पी	79-80	3/84
	5. लालाबाजार-बैराबी	78-79	3/84
	6. सिलचर-जीरीबाम	78-79	3/84
	7. दिल्ली-मथुरा-झांसी	79-80	3/84
	8. झांसी-बीना-इटारसी	81-82	3/85
	9. गंगापुरशहर-रतलाम	81-82	3/85

1	2	3	4
	10. विजयवाड़ा-काजीपट-बलहारशाह	81-82	3/86
	11. भुसावल-नागपुर	81-82	3/87
	12. बड़ोदरा-रतलाम	79-80	3/84
	13. इटारसी-नागपुर	82-83	3/91
	14. नागपुर-दुर्ग	84-85	3/88
	15. मथुरा-गंगापुरशहर	81-82	3/85
	16. वरधा-बुलहारशाह	82-83	3/87
माप परिवर्तन	17. सूरतगढ़-बीकानेर	82-83	3/86
अन्य	18. कलकत्ता-भूमिगत	84-85	12/78
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस			
	1. अतिरिक्त उत्पादन टैंकेज चरण-1 (आई० ओ० सी०)	3/83	3/85
	2. ओ० आई० एल० के लिए विपणन सुविधा (एल० पी० जी०) (आई० ओ० सी०)	12/81	3/83
	3. कैप्टिव पावर प्लांट (बी० पी० सी० एल०)	11/85	5/88
	4. अतिरिक्त उत्पाद टैंकेज चरण-1 (बी० पी० सी० एल०)	3/83	3/85
	5. पोलिएस्टर स्टैप्ल फाइबर (बी० आर० पी० एल०)	8/72	12/81
	6. ऐरोमैटिक परियोजना (सी० आर० एल०)	8/84	8/87
	7. त्वरित उत्पादन कार्यक्रम बम्बई सुदूर तटीय परियोजना	7/82	3/85

1	2	3	4
	8. दक्षिण बेसिन विकास चरण-1 (ओ० एन० जी० सी०)	4/81	5/85
	9. गैस स्वीटनिंग प्लांट चरण-1 हजीरा	4/84	2/87
	10. के० डी० एम० आर० पी०) ई० के० लिए अधिक क्षमता कम्प्यूटर	5/85	
	11. एल० पी० जी० रिकवरी प्लांट हजीरा	5/84	2/87
	12. क्षेत्रीय कम्प्यूटर-5 (ओ० एन० जी० सी०)	4/85	2/86
	13. सुन्दर तटीय पूर्ती जलयान-33	5/83	12/85
	14. बहुदेशीय समर्थन जलयान-2 (एम० डी० एल०) (ओ० एन० जी० सी०)	5/83	5/85
	15. एच० एस० एल० से स्वदेशी ड्रीलशिप (ओ० एन० जी० सी०)	5/83	3/86
	16. डब्लू ओ० जेक अप रिग्स 2 (ओ० एन० जी० सी०)	5/83	
	17. केप्टीव पावर प्लांट असम (ओ० एन० जी० सी०)		
	18. ओरोजान विकास परियोजना (ओ० आई० एल०)	3/81	9/85
	19. हजीरा-बरेली जगदीशपुर उच्च दबाव गैस लाइन परियोजना (गेल)	4/84	10/86

1	2	3	4
विद्युत	1. रिहांद (एन० टी० पी० सी०)	6/82	6/87
	2. फरक्का एस० टी० पी० पी० 1 (एन० टी० पी० सी०)	3/79	3/86
	3. बोकारो "बी"। (डी० वी० सी०)	10/77	4/84
	4. कोरबा स्टेज। (एन० टी० पी० सी०)	4/78	9/84
	5. कोरबा स्टेज 2 (एन० टी० पी० सी०)	9/81	3/89
	6. सिंगरौली स्टेज। (एन० टी० पी० सी०)	7/79	3/86
	7. फरक्का स्टेज 2 (एन० टी० पी० सी०)	9/84	7/91
	8. रामागुंडम एसम टी० पी० पी० स्टेज। (एन० टी० पी० सी०)	4/78	12/84
	9. रामागुंडक एस० टी० पी० सी० स्टेज 2 (एन० टी० पी० सी०)	9/81	3/90
	10. बोकारो बी०-2 (डी० वी० सी०)	6/81	10/85
	11. कोपिली-1 और 2 (निपको)	3/75	12/82
	12. सलाल 1, 2 और 3 (एन० एच० पी० सी०) एच० ई०	3/70	6/79
	13. धमेरा एच० ई० पी० (एन० एच० पी० सी०)	4/84	3/90

1	2	3	4
	14. सिंगरोली संचरण लाईन स्टेज-2 (एन० टी० पी० सी०)	7/79	12/84
	15. रामगुंडम संचरण लाईन स्टेज-1 (एन० टी० पी० सी०)	1/81	10/87
	16. फरक्का संचरण लाइन स्टेज-2 (एन० टी० पी० सी०)	9/84	3/91
	17. कहलगांव संचरण लाईन स्टेज-1 (एन० टी० पी० सी०)	9/84	3/90
	18. कोरबा संचरण लाईन स्टेज-1 (एन० टी० पी० सी०)	4/78	1/85
	19. चुखा संचरण लाईन (एन० एच० पी० सी०)	11/81	3/85
	20. जयपुर-तलचर संचरण लाईन (400 किलोवाट)	12/83	3/87
सरकारी उद्यम			
	1. कचार पेपर परियोजना एच० पी० सी०	3/77	4/86
	2. नवगांग पेपर परियोजना एच० पी० सी०	3/77	12/80
	3. यात्री वाहन का निर्माण (एम० यू० एल०)	9/82	3/87
	4. नीमच सीमेंट परियोजना (सि)	4/81	4/86
	5. येरागुन्तला सीमेंट परियोजना (सि)	4/81	9/86

1	2	3	4
	6. तंदुर सीमेंट परियोजना (सी० सी० एल०)	8/80	12/85
भूतल परिवहन			
	1. नवसेना पत्तन परियोजना	6/82	12/87
	2. 4500 डी० डब्लू० टी० (एस० सी० एल०) के 12 भारी वाहक लेना	12/83	1/87
	3. कोचीन एकीकृत विकास परियोजना उर्वरक बर्थ उर्वरक हेंडलींग उपस्कर	7/80	9/83
	4. विजाग-आयलबर्थ	10/82	4/84
	5. भारती-डाक का मद्रास डिपर्निंग	3/84	11/85
	6. मद्रास सेकेंड आयल जेटी	3/84	11/85
	7. हल्दिया परियोजना आयल जेटी	2/85	2/89

नौसैनिक विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

1269. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य प्रशिक्षण के दौरान एक नौसैनिक विमान गोवा के समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इसके चालक दल का कोई पता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा की गई उक्त दुर्घटना की जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) क्या लापता चालक दल का इस बीच पता लग गया है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (घ) एक एलीजी विमान, जो दाबोलिम हवाई अड्डे से प्रशिक्षण उड़ान के लिए उड़ा, 25 सितम्बर, 1986 को कालानगुटे समुद्र तट से दो मील दूर समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

कर्मीदल में तीन सदस्य थे और क्रमशः 30 सितम्बर, 1986 तथा 1 अक्तूबर, 1986 का विमान के मलबे से उनके शव प्राप्त किए गए। नौसेना मुख्यालय ने जांच अदालत के आदेश दे दिए हैं और जांच कार्य चल रहा है।

विशाखापत्तनम में ई० एन० यू० सामरिक बेसिन का निर्माण

1270. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में ई० एन० यू० सामरिक बेसिन के निर्माण की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है और उसके लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद्, में ढांचागत परिवर्तन

1271. **श्री प्रकाश वी० पाडिल** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद् के ढांचे में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) योजना आयोग तथा राज्यों के बीच विचार-विमर्श को प्रोत्साहन देने की प्रक्रिया के अंश के रूप में, आयोग के उपाध्यक्ष ने मार्च, 1986 में मुख्य मंत्रियों को सूक्ष्म स्तर आयोजना, परामर्श, राज्यों के साथ मिलकर कार्रवाई आदि के कुछ पहलुओं पर क्षेत्रीय आधार पर बैठकें करने के लिए लिखा था। बैठक में विचार विमर्श के लिए प्रस्तावित विषयों में से एक विषय आयोजना प्रक्रिया तथा पंचवर्षीय योजनाएं तथा वार्षिक योजनाएं तैयार करने की क्रियाविधि से सम्बन्धित था।

इस विषय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कुछ मुख्य मन्त्रियों ने भी योजना आयोग के गठन तथा कार्यों तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् की भूमिका तथा कार्यों के सम्बन्ध में सुझाव दिए थे।

(ग) मुख्य मंत्रियों द्वारा दिए गये सुझावों की जांच की जा रही है।

अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों की समय से पूर्व सेवानिवृत्ति

1272. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं के ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें जनवरी, 1985 के समय से पूर्व निवृत्त होने की अनुमति दी गई तथा प्रत्येक अधिकारी उस समय किस-किस पद पर था;

(ख) जिन अधिकारियों के समय से पूर्व सेवा-निवृत्त होने के अनुरोध को नामंजूर कर दिया गया है अथवा जिनके अनुरोध विचाराधीन हैं, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इस प्रकार से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को बाद में किसी पद पर नियुक्त किया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) तथा (ख) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान) नियमावली, 1958 के अधीन, अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य को, जो कि सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करने का पात्र है, जिस राज्य सरकार के संवर्ग से वह सम्बद्ध है, उस राज्य सरकार को तीन महीने पहले लिखित रूप में नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस की अवधि समाप्त होने पर सेवा से निवृत्ति स्वत: हो जाती है। तथापि, यदि अधिकारी निलम्बनाधीन है या नोटिस के समाप्त होने की अवधि पर उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख उस तारीख से पहले पड़ती है जिस तारीख को अधिकारी ने 50 वर्ष की आयु या 30 वर्षों की अर्हक सेवा समाप्त कर ली होती है, तो अधिकारी की सेवानिवृत्ति के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त करनी आवश्यक है। अत: उन अधिकारियों के बारे में केन्द्रीय रूप से सूचना उपलब्ध नहीं है जिनके अनुरोध नामंजूर कर दिए गये अथवा लम्बित हैं। तथापि जनवरी, 1985 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करने वाले अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से सम्बन्धित जो सूचना इस मन्त्रालय के पास उपलब्ध है, वह संलग्न विवरण में दी गई है।

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 और 48क और मूल नियम 56 के अधीन केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों के मामले में, सरकार की शक्तियों का प्रयोग भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है। अत: सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों से सम्बन्धित सूचना केन्द्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है।

(ग) सेवानिवृत्त हुए सिविल कर्मचारियों के केन्द्र सरकार के अधीन पुनर्नियोजन का कार्य सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय विभाग द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार राज्य सरकार किसी भी पेंशनभोगी को अपने अधीन पुनर्नियोजित करने के लिए सक्षम है। अत: सेवानिवृत्त सिविल कर्मचारियों को सरकार के अधीन पुनर्नियोजित किए जाने से सम्बन्धित सूचना केन्द्रीय रूप से तत्काल उपलब्ध नहीं है।

विवरण

जनवरी, 1985 से सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुए अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के ब्यौरे

	अधिकारी का नाम	राज्य संवर्ग	सेवा जिससे सम्बन्धित है	सेवानिवृत्त के समय धारित पद का पदनाम
	1	3	4	5
1.	श्री आर० एस० मिश्र	महाराष्ट्र	भा० प्रशा० से०	सूचना उपलब्ध नहीं है ।
2.	श्री एस० एल० दादू	मध्यप्रदेश	भा० प्रशा० से०	निदेशक, हरिजन कल्याण, मध्य प्रदेश सरकार ।
3.	श्री बी० पी० आर० विट्ठल	आन्ध्र प्रदेश	भा० प्रशा० से०	उपाध्यक्ष, राज्य विकास बोर्ड, वित्त तथा योजना विभाग ।
4.	श्री ए० एफ० कोतो	बिहार	भा० प्रशा० से०	कामनवेल्थ सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर ।
5.	श्री एन० एन० टंडन	मध्य प्रदेश	भा० प्रशा० से०	यूनिडों में प्रतिनियुक्ति पर ।
6.	श्री बी० श्रीनिवासन	महाराष्ट्र	भा० प्रशा० से०	सूचना उपलब्ध नहीं है ।
7.	श्री ए० जे० एस० सोढ़ी	बिहार	भा० प्रशा० से०	विश्व बैंक में प्रतिनियुक्ति पर ।

8.	श्री सी० एम० पेन्न ऐंचनी	पश्चिम बंगाल	भा० प्रशा० से०	सूचना उपलब्ध नहीं है।
9.	श्री एस० के० सुधाकर	पंजाब	भा० प्रशा० से०	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय।
10.	श्री ए० के० चन्द्र	मध्य प्रदेश	भा० प्रशा० से०	प्रबन्ध निदेशक, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, लिमिटेड, भोपाल।
11.	श्री एम० सुब्रामणियम	महाराष्ट्र	भा० प्रशा० से०	सचिव कृषि मंत्रालय (छुट्टी पर)
12.	श्री बी० एन० गरुड़ाचार	कर्नाटक	भा० पु० से०	महानिदेशक तथा महानिरीक्षक, पुलिस।
13.	श्री आर० एन० कौल	संघ राज्य क्षेत्र	भा० व० से०	सूचना उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

दानापुर छावनी बोर्ड द्वारा सड़कों और नालियों का निर्माण

1273. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दानापुर छावनी बोर्ड ने सड़कों और नालियों (लाल कोठी लेन वार्ड सं०-5) का निर्माण करने के लिए वर्ष 1979 से कई बार संकल्प पारित किए हैं और बजट आबंटन किए हैं परन्तु इन सड़कों और नालियों की स्थिति, जो वर्ष 1975-76 की बाढ़ के दौरान टूट-फूट गई थी, पहले जैसी ही है;

(ख) इस क्षेत्र की उन सड़कों और नालियों का ब्यौरा क्या है जिनका निर्माण जनवरी से 31 अक्तूबर, 1986 तक की अवधि के दौरान किया गया है और उनमें से प्रत्येक पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या दानापुर अस्पताल के पीछे (लाल कोठी वार्ड सं० 5) मठ से आनन्द बाजार मस्जिद तक और हरिजन वार्ड संख्या-6 में हाथीखाना से मठ तक सड़क के भागों का निर्माण नहीं किया जा रहा है जबकि वर्ष 1975-76 की बाढ़ के दौरान सड़क अनेक स्थानों पर टूट-फूट गई थी और यदि हां, तो सड़क के इन भागों की मरम्मत कब तक कर दी जायेगी ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) 1979 में संकल्प पारित कर देने के पश्चात् बोर्ड ने, 1979-80 के दौरान बाढ़ से प्रभावित सड़कों की मरम्मत के लिए 17,21,200 रुपये के विशेष अनुदान सहायता के लिए अनुरोध किया। फरवरी 1980 में 7,31,000 रुपये की विशेष सहायता अनुदान मंजूर की गई। बस स्टैंड से अस्पताल तक लाल कोठी सड़क की मरम्मत की गई और उसे पूरा किया गया।

(ख) जनवरी, 1986 में सड़कों के निर्माण के लिये छावनी बोर्ड को 2,86,327 रुपये की विशेष सहायता अनुदान मंजूर की गई। बोर्ड ने इस राशि को मिलिटरी इंजीनियरी सर्विस (एम० ई० एस०) के पास कार्य जमा के रूप में जमा कर दिया है। यह कार्य मार्च, 1987 तक पूरा होने की सम्भावना है। लाल कोठी क्षेत्र में नालियों की मरम्मत पर भी 6,000 रु० खर्च किए गए।

(ग) बोर्ड ने सड़कों की और मरम्मत के लिए 2,93,367 रुपये की विशेष सहायता अनुदान का एक प्रस्ताव पेश किया है। शेष सड़कों की वर्ष 1987-88 के दौरान मरम्मत करने की योजना बनाई गई है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में भूतपूर्व-सैनिकों का पुनर्वास

1274. **श्री कटूरी नारायण स्वामी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में 1983 से अब तक कितने भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्वास प्रदान किया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का भूतपूर्व सैनिकों/युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को आवास/स्थल कृषि भूमि आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उस योजना/प्रस्ताव पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) 1983 से जून, 1986 की अवधि के दौरान 2133 भूतपूर्व सैनिकों का आन्ध्र प्रदेश में पुनर्वास किया जा चुका है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को आवास/स्थल कृषि भूमि आबंटित करने का मामला राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरण सम्बन्धी मंजूरी

1275. **श्रीमती उषा चौधरी** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय द्वारा गत एक वर्ष के दौरान पर्यावरण की दृष्टि से किन्-किन बड़ी सिंचाई परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई; और

(ख) प्रभावित क्षेत्रों में वनों की हानि की प्रतिपूर्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउररहमान अन्सारी) : (क) जनवरी, 1985 से पर्यावरण की दृष्टि से कानपुर सिंचाई परियोजना, उड़ीसा, तालम्बा परियोजना महाराष्ट्र; और वर्णा सिंचाई परियोजनायें, महाराष्ट्र नामक तीन प्रमुख परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई हैं।

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत इन परियोजनाओं में से किसी को भी अभी तक पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग के पास नहीं भेजा गया है। वन क्षेत्रों के दिक्परिवर्तन की अनुमति दिए जाने के पूर्व क्षतिपूरक वनरोपण पर जोर दिया जाता है। पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति के समय यह शर्त है कि परियोजना अधिकारियों द्वारा सिंचित पौध रोपण को बढ़ाने के लिए जलमग्न हो रहे भूमि के बराबर क्षेत्र प्राप्त करना चाहिए।

राष्ट्रीय संरक्षण नीति

1276. **श्री मुत्तापल्ली रामचन्द्रन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार एक राष्ट्रीय संरक्षण नीति लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री(श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) तथा (ख) यद्यपि औपचारिक रूप से प्रमाणित कोई राष्ट्रीय संरक्षण नीति नहीं हैं, ऐसी नीति के सभी तत्व इसमें हैं और कार्यवाही की जा रही है। हमारा उद्देश्य प्राकृतिक संसाधन-जल, हवा, मृदा, वनस्पति और प्राणिजीव का संरक्षण है। पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, जल और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, वन (संरक्षण) अधिनियम और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जैसे वैधानिक उपायों के माध्यम से इसे कार्यान्वित किया जाता है। केन्द्र और राज्य सरकारों की पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थागत विरचना में शामिल हैं। अपनाए गए प्रणाली विज्ञान में प्रदूषण नियंत्रण, मृदा संरक्षण, जीवमंडल रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारण्य और वनस्पतिजात एवं प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षण जैसे उपाय शामिल हैं।

केरल में वन्यजीव संरक्षण के लिए धनराशि का आवंटन

1277. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन**: : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में केरल में वन्यजीव संरक्षण के लिए कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है; और

(ख) उसके लिए अब तक कितनी धनराशि दी गयी है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) राज्य योजना बोर्ड, केरल की रिपोर्ट के अनुसार वन्यजीव सुरक्षा के लिए सातवीं योजना (1985-90) का परिव्यय 595.00 लाख रुपये है।

(ख) केरल में वन्यजीव सुरक्षा के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा सातवीं योजना में अब तक 19.15 लाख रुपये की राशि विमुक्त की गई है।

साम्प्रदायिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही

1278. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पंजाब से स्थानांतरित हुए लोगों और स्थानीय लोगों को उत्तेजित

करने वाले साम्प्रदायिक तत्वों के विरुद्ध कोई सख्त कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) 1—सामरिक महत्व के स्थानों पर पिकटस तैनात किए गए हैं ।

2—पैदल और चलती फिरती गश्त को गहन किया गया है ।

3—बीट गश्त को और अधिक कारगर बनाया गया है ।

4—सभी साम्प्रदायिक स्थितियों से दृढ़ता से निपटने के लिए कर्मचारियों को अनुदेश दिए गए हैं ।

5—पी० सी० आर० वाहनों की संख्या बढ़ाई गई है ।

6—शांति समितियां गठित की गई हैं ।

7—जब कभी किसी साम्प्रदायिक तनाव की आशंका होती है तो संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए जाते हैं ।

अनुसूचित जातियों के लोगों पर अत्याचार

1279. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों पर बढ़ते जा रहे अत्याचारों को देखते हुए राज्यों द्वारा केन्द्र के मार्ग-निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या समाज के इन वर्गों की देखभाल करने के लिए पृथक मंत्रालय बनाने का प्रस्ताव है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) समय-समय पर प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों

से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों का पुनरीक्षण करना एक निरन्तर प्रक्रिया है। पिछले व्यापक दिशा-निर्देश, अप्रैल, 1985 में जारी किए गए थे।

(ग) इस समय केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अलग से दूसरा मंत्रालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वृद्ध व्यक्तियों की समस्याओं पर कार्यशाला

1280. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1986 में नई दिल्ली में वृद्ध व्यक्तियों की समस्याओं पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसमें हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं। सरकार को ऐसी कार्यशाला के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भाड़ा समीकरण प्रणाली

1281. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में भाड़ा समीकरण प्रणाली को समाप्त करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसे कब से लागू किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम): (क) से (ग) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (पांडे समिति) की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने इस सिफारिश को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है कि सीमेंट और इस्पात जैसी वस्तुओं के सम्बन्ध में मौजूदा भाड़ा समीकरण स्कीम को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाए बशर्ते कि दूरस्थ, सुदूरवर्ती और अगम्य क्षेत्रों के लिए परिवहन राजसहायता दी जाए। सीमेंट के सम्बन्ध में निर्णय का कार्यान्वयन करना औद्योगिक विभाग से सम्बन्धित विषय है और लोहा और इस्पात के सम्बन्ध में निर्णय का कार्यान्वयन करना इस्पात विभाग से सम्बन्धित विषय है।

जहां तक इस्पात का सम्बन्ध है सरकार ने, विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रतिवेदनों

को ध्यान में रखकर, पहले किए गए निर्णय की समीक्षा की है और यह मामला राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रस्तुत करने का निर्णय किया है। सीमेंट के सम्बन्ध में, दिनांक 28.2.1982 से सीमेंट के आंशिक विनियंत्रण की स्कीम की शुरूआत होने से धीरे-धीरे भाड़ा समीकरण समाप्त करने की स्कीम शुरू हो गई है। भाड़ा समीकरण केवल लेवी सीमेंट की बिक्री आदि के सम्बन्ध में लागू है जो धीरे-धीरे कम होती जा रही है। भाड़ा समीकरण स्कीम को एकदम समाप्त करने से कुछ कठिन और अगम्य क्षेत्रों आदि को वस्तुओं की पूर्ति करने में कठिनाई उत्पन्न होगी। औद्योगिक विकास विभाग ने इच्छा व्यक्त की है कि इस समय भाड़ा समीकरण समाप्त करना वांछनीय नहीं होगा।

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन

1282. **श्री मद्दम श्रीराम मूर्ति** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के उद्देश्य से किसी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो परिषद् के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के नाम क्या हैं और उनके सम्बन्ध में पृष्ठाधार जानकारी क्या है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी) : (क) सरकार ने परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी बड़े मामलों का समाधान कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की मदद करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन सलाहकार परिषद का गठन किया है। परिषद एक सलाहकार निकाय है। परिषद, खासकर, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को :

(क) परियोजना कार्यान्वयन पद्धति में सुधार, और

(ख) संगठनात्मक विकास के बारे में सलाह देगी।

(ख) परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम नीचे दिए गए हैं :

1. श्री रतन एन० टाटा, अध्यक्ष टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई।	...	अध्यक्ष
2. श्री एस० पी० आचार्य, अध्यक्ष शा वैलेस एण्ड कं०, कलकत्ता।	...	सदस्य
3. श्री ए० के० खोसला, अध्यक्ष जी० ई० सी० कम्पनी समूह, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली।	...	सदस्य

4. श्री ध्रुव साहनी, अध्यक्ष ...सदस्य
त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्कर्स लिमिटेड,
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली ।

5. डा० परविन्द्र सिंह, प्रबंध निदेशक ...सदस्य
रैनबैक्सी लेबोरेट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली ।

6. डा० एम० बी० अत्रैय, ...सदस्य
प्रबंध सलाहकार
अत्रैय प्रबंध प्रणाली, नई दिल्ली ।

क्रम संख्या (1) से (5) तक के सदस्य औद्योगिक उद्यमों के सफल प्रबंध का बहुमूल्य अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति है । क्रम संख्या (6) पर दिए गए सदस्य एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद और प्रबंध के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मान्य विशेषज्ञ हैं ।

तटीय क्षेत्रों में आपदा पूर्व चेतावनी केन्द्रों की स्थापना

1283. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के तटीय क्षेत्रों में कितने आपदा पूर्व चेतावनी केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में 30 आपदा पूर्व चेतावनी केन्द्रों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक इस प्रकार के कितने केन्द्रों की स्थापना की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी तथा अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में प्रयोगात्मक आधार पर एक आपदा पूर्व-चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें 100 आपदा पूर्व-चेतावनी केन्द्र हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) गुजरात में अभी तक कोई आपदा पूर्व-चेतावनी केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है । आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में प्रायोगिक प्रणाली के सफल प्रयोग के पश्चात् ही गुजरात सरकार के अनुरोध पर निर्णय लिया जाएगा और उसी समय इससे संबंधित ब्यौरा तैयार किया जाएगा ।

विदेशियों के पता-ठिकानों पर निगरानी रखने के लिए कम्प्यूटरों का प्रयोग

1284. **श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में रह रहे विदेशियों के पता-ठिकानों पर निगरानी रखने के लिए कम्प्यूटरों का प्रयोग करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अन्य महानगरों में भी विदेशियों के पता-ठिकानों पर निगरानी रखने के लिए इसी प्रकार की व्यवस्था करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) तथा (ख) दिल्ली में विदेशियों के पंजीकरण रिकार्ड को संगणकीकृत कर लिया गया है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गुजरात में कच्छ और जामनगर क्षेत्रों से पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की घुसपैठ

1285. **श्री मुकुल वासनिक**
श्री जनवारीलाल पुरोहित
डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 अक्तूबर, 1986 के इंडियन एक्सप्रेस में "नीड टु कर्ब पाक इंफिल्ट्रेशन इन कच्छ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि गुजरात राज्य में कच्छ और जामनगर पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के लिए घुसपैठ करने का मुख्य रास्ता बन गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने गुजरात में कच्छ और जामनगर के सीमावर्ती क्षेत्रों से पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की घुसपैठ रोकने हेतु क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) तथा (ख) सरकार को गुजरात सीमा पर पाकिस्तान से कुछ घुसपैठ होने की जानकारी है। सुरक्षा बल सतर्क है तथा घुसपैठ रोकने के लिए उचित कदम उठा रहे हैं। सरकार को बड़े पैमाने पर घुसपैठ होने की कोई सूचना नहीं है।

(ग) सीमा पर सुरक्षा बल लगातार सतर्कता बरत रहे हैं। सीमा पर निगरानी को बढ़ाने के उपाय भी किए गए हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के लिए चयन करते समय राज्य सेवा अधिकारियों द्वारा सशस्त्र सेनाओं में की गई सेवा की गणना करना

1286. **श्री हरिकृष्ण शास्त्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिए चयन करते समय राज्य सेवा अधिकारियों द्वारा सशस्त्र सेनाओं में की गई सेवा को भी कुल सेवा के लिए हिसाब में लिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेनसिंह एंगती) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली के अधीन राज्य सिविल/पुलिस सेवा का ऐसा कोई सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति के प्रयोजन से विचार किए जाने के लिए तभी पात्र होता है जबकि वह राज्य सेवा में स्थायी पद को धारण किए हुए हैं तथा उसने उपसमाहर्ता/पुलिस उप-अधीक्षक अथवा उनके समकक्ष किसी पद पर लगातार कम से कम 8 वर्ष की सेवा (चाहे स्थापन्न तथा स्थायी) पूरी कर ली हो। इस विनियमावली को 1978 में यह व्यवस्था करने के लिए संशोधित किया गया था कि राज्य सिविल अथवा पुलिस सेवा में नियुक्त किसी कार्यमुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अथवा अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी के मामले में, 8 वर्षों की निरन्तर सेवा की गणना, सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा उसकी सैन्य सेवा को समुचित महत्व देने के बाद उस सेवा में उसकी नियुक्ति की यथानिर्धारित कल्पित तारीख से की जाएगी, किन्तु शर्त यह होगी कि उन्होंने जिस वर्ष में चयन समिति की बैठक होती है, उस वर्ष की पहली जनवरी को कम से कम चार वर्षों की निरन्तर सेवा वस्तुतः पूरी कर ली हो।

कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से निम्न श्रेणी लिपिकों की भर्ती में कदाचार

1287. **श्री भरत कुमार ओडेदरा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से निम्न श्रेणी लिपिकों की भर्ती में कदाचारों से सम्बन्धित मामले की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या यह सच है कि इस घोटाले में कुछ भारतीय प्रशानिक सेवा के अधिकारी भी अन्तर्ग्रस्त हैं; और

(ग) सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और गलत तरीके से भर्ती किए गए व्यक्तियों की क्या स्थिति होगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्मचारी चयन आयोग को प्राप्त हुई शिकायतों पर उनके द्वारा की गई जांच के परिणामस्वरूप यह पाया गया था कि अवर श्रेणी लिपिकों के पदों में नियुक्ति करने के प्रयोजन से लगभग चालीस मामलों में छलपूर्वक नामांकन किया गया था। संगत साक्ष्य सामग्री एकत्र करने के पश्चात् विस्तृत जांच करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) दर्ज कराई गई थी जिस पर जांच चल रही है। तीन अधिकारी, एक अनुभाग अधिकारी, एक सहायक और एक कीपंच आपरेटर को हिरासत में ले लिया गया है। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी शामिल नहीं है। गलत तरीके से भर्ती किए गए व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है।

लौह ढलाई कारखानों से उत्पन्न प्रदूषण का ताजमहल पर प्रभाव

1288. **श्री एम० रघमा रेड्डी**
श्री धर्मपालसिंह मलिक
श्री सुभाष यादव } : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शक्ति प्राप्त वर्धराजन समिति ने 250 लौह ढलाई कारखानों को, जिनमें प्रतिदिन 2000 से 3000 टन तक कोयला प्रयोग किया जाता है, ताजमहल के चारों ओर प्रदूषण का प्रमुख स्त्रोत बताया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार ताजमहल के चारों ओर स्थिति इन सभी कारखानों को वहां से स्थानांतरित करने हेतु कदम उठाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) समिति ने ताजमहल के आस-पास प्रदूषण के मुख्य स्रोतों के रूप में 250 लोहे के ढलाई-घरों का पता लगाया है जो प्रतिदिन 200 से 300 टन कोयला प्रयोग में लाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ढलाई-घरों को निदेश दिए गए हैं कि वे अपने उत्सर्जनों को नियंत्रित करें और जाड़ों के महीनों के कुछ अवधियों के दौरान संचालनों को विनियमित करें। गुम्बदी भट्टियों के डिजायनों में सुधार करने और उससे उत्सर्जनों को कम करने के लिए स्कीमें भी शुरू कर दी गई हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय विदेश सेवा की परीक्षाओं में कर्नाटक से अभ्यर्थी

1289. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने कीकृपा करेंगे कि :

(क) 1985 के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय विदेश सेवा की परीक्षाओं में कर्नाटक केन्द्र से कितने अभ्यर्थी परीक्षाओं में बैठे;

(ख) उनमें से कितने अभ्यर्थियों का चयन किया गया;

(ग) कितने अभ्यर्थियों को पहले ही नियुक्ति की जा चुकी है; और

(घ) कर्नाटक में कितने अभ्यर्थियों को तैनात किया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती): (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है जिसमें दो क्रमिक चरण अर्थात्, सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा और (प्रधान) परीक्षा होते हैं। सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा 1985 के लिए कर्नाटक में दो केन्द्र थे—एक बंगलौर में तथा दूसरा धारवाड़ में। बंगलौर और धारवाड़ केन्द्रों में क्रमश: 3039 और 906 उम्मीदवार बैठे थे। इनमें से बंगलौर से 204 उम्मीदवारों और धारवाड़ से 44 उम्मीदवारों ने प्रधान परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्हरता प्राप्त की। 234 उम्मीदवार प्रधान परीक्षा में बैठे थे जो कि केवल बंगलौर केन्द्र में ही आयोजित की गई थी।

भारतीय वन सेवा में भर्ती एक अलग परीक्षा अर्थात् भारतीय वन सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है। वर्ष 1985 में बंगलौर केन्द्र से 324 उम्मीदवार बैठे थे।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 1985 के परिणामों के आधार पर 17 उम्मीदवारों और भारतीय वन सेवा परीक्षा 1985 के आधार पर 6 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की है।

(ग) सिविल सेवा परीक्षा के 17 उम्मीदवारों में से 3 उम्मीदवारों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में आवंटित तथा नियुक्त किया गया है और 2 उम्मीदवारों को अस्थायी आधर पर भारतीय पुलिस सेवा में आवंटित किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा में अन्तिम आवंटन तथा नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है। जहां तक भारतीय वन सेवा परीक्षा का संबंध है सभी 6 उम्मीदवारों को भारतीय वन सेवा में नियुक्त कर लिया गया है।

(घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा में नियुक्त/आवंटित किए गए उम्मीदवार इस समय मसूरी तथा देहरादून स्थित अपने-अपने प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण पा रहे हैं।

इन्जीनियरी उद्योग की क्षमता

1290. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का इंजीनियरी उद्योग रक्षा सेनाओं की आवश्यकता को पूरा करने हेतु अंतरंग अनुसंधान और विकास क्षमता में पर्याप्त रूप में आधुनिक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार की क्षमता का मूल्यांकन करने का सरकार का क्या तरीका है; और

(ग) यह सुनिनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि ऐसे गैर-सरकारी एककों द्वारा वर्गीकृत जानकारी प्रकट न कर दी जाए ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इंजीनियरी उद्योग की बहुत सी यूनिटों के अपने परिसर में ही अत्याधुनिक रक्षा सामान का विकास करने की अनुसंधान तथा विकास सुविधाएं हैं। लेकिन सम्पूर्ण उद्योग के लिए ऐसी सुविधाओं के बारे में सही आंकड़े उपलब्धी नहीं हैं। रक्षा सम्बन्धी नई मदों के विकास के लिए संविदाएं करने से पहले चुने हुए स्रोतों की क्षमताओं का मूल्यांकन इस बारे में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रक्षा गुणवत्ता एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।

(ग) सुरक्षा सम्बन्धी जरूरतों का ध्यान रखने के लिए उपयुक्त व्यवस्था है।

पारिस्थितिकीय विकास के लाभ पर सम्मेलन

1291. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 और 8 अक्तूबर, 1986 को नई दिल्ली में परिस्थितिकीय विकास के लाभ के विषय पर दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन विशिष्ट मदों पर चर्चा हुई और चर्चा के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) संयोजक ने बताया है कि संगोष्ठी में अर्थव्यवस्था और परिस्थितिकी के बीच अंतरापृठ की समझदारी प्रदान करने के लिए जोर दिया गया। संगोष्ठी ने अपेक्षाकृत लम्बे समय तक अनुभव की सीमाओं और अधिक विविध सम्बन्धों को ध्यान में रखकर विस्तृत लाभ-लागत विश्लेषण शुरू करने की सिफारिश की है।

आयुध डिपुओं का कम्प्यूटीकरण करने का प्रस्ताव

1292. श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री सुभाष यादव } : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के आयुध डिपुओं का कम्प्यूटीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन डिपुओं का कम्प्यूटरीकरण किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग) आयुध डिपुओं का चरणबद्ध रूप से कम्प्यूटरीकरण करने का प्रस्ताव है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पहचान पत्र

1293. श्री उत्तम राठौड़
श्री आर० एम० भोये } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रविरोधी और आतंकवादी तत्वों के अवैध प्रवेश को प्रभावी ढंग से रोकने की दृष्टि से सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेषकर पंजाब के उत्तरी सीमाओं में रहने वाले लोगों के लिए पहचान-पत्र जारी करने के प्रस्ताव की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली को कब से लागू करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) तथा (ख) राजस्थान के चार सीमाई जिलों की चार चुनी गई तहसीलों में पहचान पत्र जारी करने की प्रायोगिक योजना को स्वीकृति दे दी गई है और राज्य सरकार द्वारा इसको कार्यान्वित किया जा रहा है।

पंजाब तथा गुजरात सरकारों को इसी प्रकार की प्रायोगिक योजनाओं को तैयार करने की सलाह दी गई है।

हाथी दांत की कलात्मक वस्तुओं के व्यापारियों को परेशानी

1294. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 1986 के कारण हाथी दांत की कलात्मक वस्तुओं के व्यापारियों को अनावश्यक परेशानी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या हाथी दांत की कलात्मक वस्तुओं को बेचने की अवधि को, उपर्युक्त अधिनियम के लागू होने की तारीख से एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

सैनिक कार्मिकों के बच्चों के लिए विद्यालय

1295. **श्री एस० एम० गुरड्डी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा देश के सैनिक कार्मिकों के बच्चों के लिए चलाए जा रहे विद्यालयों की संख्या क्या है;

(ख) इन विद्यालयों में बच्चों के चुनाव/प्रवेश के सम्बन्ध में क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं;

(ग) इन विद्यालयों में सैनिक कार्मिकों के बच्चों के अतिरिक्त गैर सैनिक कार्मिकों के बच्चों को भी प्रवेश दिया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि हाल ही में सैनिक विद्यालय अजमेर में, अनेक बच्चों को प्रवेश देने से इन्कार कर दिया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) से (ग) थलसेना के जूनियर कमीशन अफसरों एवं अन्य रैंकों तथा अन्य दो सेनाओं में उनके समकक्षों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए पांच मिलिटरी स्कूल हैं जिनमें से चैल, अजमेर, बेलगांव, बंगलौर और धोलपुर प्रत्येक में एक-एक स्कूल हैं। इन स्कूलों के छात्रावासों में कुल स्थानों का 67% जूनियर कमीशन अफसरों, अन्य रैंकों तथा उनके समकक्षों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। बाकी 33% स्थानों में से 20% सेना अफसरों के बच्चों और 13% सिविलियनों के बच्चों के लिए हैं। इन स्कूलों में योग्यता-क्रम सूची के आधार पर प्रवेश होता है जो लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की है।

(घ) सरकार की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें योग्यता-क्रम सूची में शामिल किसी पात्र बालक को अजमेर मिलिटरी स्कूल में प्रवेश देने से इन्कार किया गया हो।

उद्योगों में अनुसंधान और विकास पर व्यय में वृद्धि करने की आवश्यकता

1296. **प्रो० पी० जे० कुरियन**
श्री मूल चन्द डागा } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में औद्योगिक क्षेत्र द्वारा अनुसंधान और विकास पर किए जाने

वाले व्यय की प्रतिशतता अन्य विकासशील और विकसित देशों की तुलना में नगण्य है;

(ख) क्या सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को कम लागत पर बेहतर माल का उत्पादन करने के लिए अनुसंधान और विकास कार्य पर और अधिक राशि व्यय करने के निर्देश दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मन्त्री. (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं। इस समय 900 से भी अधिक इन-हाऊस अनुसंधान और विकास इकाइयां हैं जिन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग) की मान्यता स्कीम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। वर्ष 1985 के दौरान इन इकाइयों ने औद्योगिक अनुसंधान पर 500 करोड़ रुपये व्यय किया।

वर्ष 1982-83 के दौरान अनुसंधान और विकास पर औद्योगिक क्षेत्र द्वारा किए गए निवेश की राशि अनुसंधान और विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुल निवेश का लगभग 23 प्रतिशत थी। औद्योगिक अनुसंधान पर व्यय की यह राशि एक विकासशील देश के लिए महत्वपूर्ण है।

(ख) और (ग) सरकार ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और संसाधनों के उपयुक्त आयातित प्रौद्योगिकी के दक्षतापूर्वक समावेश और अनुकूलन तथा अधिक उत्पादन और कम लागत के रूप में अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए वर्तमान प्रौद्योगिकियों के मूल्यांकन की आवश्यकता पर बल दिया है। देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए समय-समय पर अनेक वित्तीय प्रोत्साहन भी दिये गये हैं। इन प्रोत्साहनों में अन्य चीजों के साथ-साथ, देशी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यीकरण के लिए पूंजीनिवेश पर अधिक निवेश भत्ता देना, अनुसंधान और विकास पर किये गये व्यय पर कर में शतप्रतिशत छूट देना, देशी प्रौद्योगिकी को लाइसेंस मुक्त करना, मान्यता-प्राप्त इन-हाऊस अनुसंधान और विकास इकाइयों द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कच्चे माल, उपकरणों, आदि का आयात करना शामिल है।

केन्द्रीय पुलिस बलों को लाने ले जाने के लिए पृथक विमान बेड़ा

1297. **श्री मुरलीधर माने**
श्री गुरुदास कामत : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पुलिस बलों को लाने ले जाने के लिए गृह मन्त्रालय के अधीन एक पृथक विमान बेड़ा बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उस पर व्यय होने वाली धनराशि सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो अचानक और तत्काल केन्द्रीय पुलिस बल को भेजने की आवश्यकता पड़ने की स्थिति से किस प्रकार निपटने का सरकार का विचार है ?

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) सीमा सुरक्षा बल के एयर विंग का बेड़ा केन्द्रीय पुलिस बलों के लिए एक समान एयर पूल के रूप में कार्य करता है। कोई विमान बेड़ा बनाने का प्रस्ताव नहीं है। अतिरिक्त उड़ान कार्रवाई की व्यवस्था जब भी आवश्यक हो, भारतीय वायु सेना अथवा भारतीय एयरलाइन्स द्वारा की जाती है।

करवाड़, कर्नाटक में नौसैनिक अड्डा

1298. **श्री एच० एम० पटेल**
श्री जी० देवराय नायक
श्री शान्ता रामनायक
श्री ई० अप्पपू रेड्डी } : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तरी कर्नाटक में करवाड़ में एक बड़ा नौसैनिक अड्डा बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया जा चुका है;

(ग) विस्थापित होने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गये हैं; और

(घ) वर्ष 1986-87 और 1987-88 में पुनर्वास तथा अन्य प्रयोजनों के लिए धन के आवंटन सहित योजना का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस जगह का प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जा चुका है। राज्य सरकार की भूमि तथा निजी भूमि अधिग्रहण करने के लिए प्रारम्भिक विस्तृत सर्वेक्षण जल्दी ही आरम्भ किया जायेगा जिसके लिए कर्नाटक सरकार ने "भूमि अर्जन अधिनियम" के अन्तर्गत अधिसूचना जारी कर दी है।

(ग) कर्नाटक सरकार विस्थापित होने वाले लोगों के लिए पुनर्वास योजनाएं बना रही है।

(घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कर्नाटक सरकार को पुनर्वास के लिए एकमुश्त अनुदान के रूप में 7.356 करोड़ रुपये की राशि दिये जाने का प्रस्ताव है।

हैदराबाद में विमान इन्जिन परीक्षण केन्द्र

1299. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बंगलौर स्थित विमान इंजिन परीक्षण केन्द्र के कार्यभार को कम करने के लिये इसी पैटर्न पर एक नया केन्द्र हैदराबाद में स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या योजना को अन्तिम रूप से स्वीकृति दे दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र के कब तक स्थापित किये जाने की आशा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) इस समय हैदराबाद में एक नया विमान इंजन परीक्षण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का कार्यकरण

1300. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लगभग सभी मौजूदा परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगातार कठिनाई का सामना कर रहे हैं और निर्माणाधीन संयंत्रों के निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चलने के कारण 2000 ईस्वी के लिए निर्धारित परमाणु ऊर्जा लक्ष्य में भारी कमी होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के असन्तोषजनक कार्यनिष्पादन के लिए किन मुख्य पहलुओं का पता लगाया गया है और अपनी क्षमता के अनुपात में उनके उत्पादन का वर्तमान प्रतिशत कितना है;

(ग) निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के पूरा होने में क्या कठिनाइयां हैं तथा प्रत्येक संयंत्र के पूरा होने में कितना विलम्ब हुआ है और इसके परिणामस्वरूप अनुमानित लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) 2000 ईस्वी तक निर्धारित परमाणु ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन्) : (क) तथा (ख) तारापुर परमाणु बिजलीघर के दो यूनिट और राजस्थान परमाणु बिजलीघर का दूसरा यूनिट संतोषजनक रूप से काम कर रहे हैं। राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट दक्षिणी एंड-शील्ड में दरारें पड़ जाने के कारण काम नहीं कर रहा है। मद्रास परमाणु बिजलीघर के दोनों यूनिटों ने आरम्भ में सन्तोषजनक रूप से काम किया, लेकिन उसके बाद बिजलीघर में टर्बो-जेनेरेटर के कम्पनों और ट्रांसफार्मर के खराब हो जाने जैसी परम्परागत किस्म के उपस्करों से सम्बन्धित समस्यायें सामने आईं। तथापि, उन समस्याओं को अब हल किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, मद्रास परमाणु बिजलीघर के दूसरे यूनिट में ईंधन अन्तरण प्रणाली से सम्बन्धित समस्या सामने आई थी, जिस पर ध्यान दिया गया है। अब दोनों यूनिट काम कर रहे हैं। यदि पर्याप्त वित्त निवेश किया जाये तो सन् 2000 तक 10,000 मेगावाट बिजली के उत्पादन की क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। 1986 (जनवरी से अक्तूबर तक) में विभिन्न यूनिटों के क्षमता गुणक (क्षमता की तुलना में उत्पादन की प्रतिशतता) निम्नलिखित रहे हैं :

यूनिट		क्षमता गुणक (%)
तारापुर	पहला यूनिट	86
	दूसरा यूनिट	52
राजस्थान	दूसरा यूनिट	68
मद्रास	पहला यूनिट	40
	दूसरा यूनिट	42

(ग) वाष्प जनित्रों के देर से मिलने की वजह से नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना का काम उसे पूरा करने के लिए निर्धारित तारीख से लगभग 15 महीने पिछड़ गया है। वर्तमान अनुमान के अनुसार परियोजना पर 537.84 करोड़ रुपये की लागत आयेगी जबकि सबसे बाद की संस्वीकृत लागत 399.64 करोड़ थी। लागत में 138.20 करोड़ रुपये की जो वृद्धि हुई है उसमें से 40.55 करोड़ रुपये की वृद्धि मूल्य-वृद्धि के कारण, 13.18 करोड़ रुपये की वृद्धि करों और शुल्कों के कारण और शेष वृद्धि सुरक्षा सम्बन्धी वर्तमान मानकों को मूर्त रूप देने और बेहतर कार्य-निष्पादन के लिये डिजायनों में किये गये विभिन्न परिवर्तनों और सुधारों के कारण हुई है। ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना का काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है।

(घ) 235 मेगावाट क्षमता वाले यूनिटों के डिजायनों का मानकीकरण करने, प्रमुख उपस्करों की खेपों के आर्डर देने और 500 मेगावाट क्षमता के मानकीकृत यूनिट का डिजायन

बनाने में हुई प्रगति के अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव है कि न्यूक्लियर विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन एक सरकारी क्षेत्र के संस्थान के रूप में किया जाये ताकि वह परमाणु बिजली सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए जनता से धन इकट्ठा कर सके।

मझगांव डाक लिमिटेड

1301. **श्री गुरुदास कामत** : क्या रक्षा मन्त्री मझगांव, डाक बम्बई में अनियमितताओं के बारे में 15 मार्च, 1986 के अतारिकत प्रश्न संख्या 2475 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मझगांव डाक लिमिटेड में हाल ही में बर्खास्त किये गये अधिकारियों के विरुद्ध जांच के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या नए चेयरमैन की नियुक्ति से स्थिति में सुधार हुआ है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) अनीक चेम्बर के गोदाम से अपतटीय सामान की चोरी की सूचना तत्काल आवश्यक जांच के लिए चेम्बर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को दी गई। पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई है। इसी बीच पुलिस ने चुराए गए माल में से कुछ को प्राप्त कर लिया है। मझगांव डाक लिमिटेड ने भी इस चोरी का पता लगाने के लिए एक जांच बोर्ड का गठन किया है। यद्यपि किसी अधिकारी को निलम्बित नहीं किया गया है लेकिन जांच बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसरण में किसी अधिकारी को निलम्बित नहीं किया है परन्तु उपमहाप्रबन्धक (सामग्री) की अपने कर्त्तव्यों को निभाने में असावधानी बरतने के लिए भर्त्सना की गई और मुख्य सुरक्षा अधिकारी को सुरक्षा सम्बन्धी प्रबन्धों के बारे में भविष्य में और अधिक सावधान होने के लिए चेतावनी दी गई है।

(ख) नई मैनेजमेंट ने कई सुधारात्मक उपाय किए हैं और कम्पनी के समस्त कार्य में सुधार के लिए अन्य विभिन्न कदम उठाए हैं। कम्पनी की उत्पादकता एवं लाभ में सुधार करने की दृष्टि से विशिष्ट क्षेत्रों में उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए मझगांव डाक लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबन्धक निदेशक की अध्यक्षता में एक "कार्य दल" इस समय कम्पनी के कार्यों के अनेक पहलुओं पर कार्य कर रहा है।

छावनी बोर्डों के सदस्यों को और अधिक अधिकार

1302. **श्री शांति धारीवाल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में अनेक छावनी बोर्डों के सदस्यों से कोई ज्ञापन मिला है जिसमें उन्होंने जनहित में उनको और अधिक अधिकार देने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बच्चों का अपहरण करने वाला गिरोह

1303. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी**
श्री काली प्रसाद पाण्डेय } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों का अपहरण करने वाला एक गिरोह दिल्ली में अत्यधिक सक्रिय है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान कितने बच्चों का अपहरण किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अब तक इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) ऐसा कोई गिरोह दिल्ली पुलिस के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) वर्ष 1985 के दौरान दिल्ली पुलिस को अपहरण के 684 मामले सूचित किए गए थे। चालू वर्ष (31.10.1986) में ऐसे 441 मामले सूचित किए गए। परन्तु इन अपहरणों के पीछे कोई गिरोह नहीं था।

(ग) तथा (घ) सन्देहास्पद चरित्र के लोगों पर नजर रखी जाती है तथा इस सम्बन्ध में आसूचना एकत्र की जाती है।

भूख और गरीबी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी अभियानों का आरम्भ किया जाना

1304. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भूख और गरीबी से निपटने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान नये प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता का प्रयोग करके कौन-कौन से प्रौद्योगिकी अभियान आरम्भ किए गए; और

(ख) देश के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी स्तर उपयुक्त है और क्या भारत के इस क्षेत्र में विश्व के अन्य विकसित देशों के बराबर आने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा,

इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) अभी तक निम्नलिखित प्रौद्योगिकी मिशनों को आरम्भ किया गया है :

(1) प्रत्येक गांव के लिए पेयजल और जल का प्रबन्ध।

(2) निरक्षरता उन्मूलन।

(3) जनसंख्या के संवेदनशील वर्गों, विशेषकर बच्चों को टीके लगाना और रोगों से उनका प्रतिरक्षण।

(4) खाद्य तेलहन—गहन खेती और तेल का उत्पादन।

(5) बेहतर संचार।

(ख) भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्तर का विस्तारपूर्वक उल्लेख सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रलेख में किया गया है। छठी योजना के दौरान वैज्ञानिक अवसंरचना का उल्लेखनीय विस्तार और समेकन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप सातवीं योजना में राष्ट्रीय विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रमुख रूप से उपयोग करने के लिए ठोस आधार बना है। विकासशील देश होने पर भी आण्विक ऊर्जा, अन्तरिक्ष और कृषि जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों की तुलना कुछ विकसित देशों से की जा सकती है।

सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कर्मचारियों की औसतन संख्या

1305. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों को उनके 58 वर्ष की आयु हो जाने तक असैनिक रोजगार में स्वतः खपाने की योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) औसतन कुल कितने रक्षा कर्मचारी प्रति वर्ष सेवानिवृत्त हो रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जब योजना को अन्तिम रूप दिया जाएगा तो इस सम्बन्ध में ब्यौरे तैयार किए जाएंगे।

(ग) प्रतिवर्ष औसतन 50,000 से 55,000 (अन्य रैंक) एवं लगभग 1200 अफसर (300 शार्ट कमीशन अफसरों सहित) सेवानिवृत्त होते हैं या सेवामुक्त कर दिए जाते हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र में रक्षा उपकरणों का निर्माण

1306. **श्री संकुहीन चौधरी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा उपकरणों के निर्माण में गैर-सरकारी क्षेत्र का हिस्सा बढ़ाने के उद्देश्य से विभागीय और सरकारी क्षेत्र के एककों में नई क्षमता के निर्माण और परिष्करण दोनों पर रोक लगाई जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकारी क्षेत्र के एककों को ऐसी वस्तुएं, जो कि अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं, का आबंटन करने के क्या कारण हैं; और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र को आबंटित रक्षा उपकरणों के निर्माण की 300 मदों का ब्यौरा क्या है तथा उनको उपलब्ध की जाने वाली वित्तीय व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अब तक आयुध निर्माणियों की ऐसी 466 मदों का पता लगाया जा चुका है जिनके निर्माण का काम क्रमिक रूप से सिविल उद्योगों को दिया जा रहा है। इन मदों में वस्त्र, सामान पैक करने के डिब्बे, शस्त्रों में इस्तेमाल हार्डवेयर और वाहनों के पुर्जे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आयुध निर्माणी में सेना के नए युद्धक वाहन के निर्माण के लिए अपेक्षित 50% उपकरणों को भी सिविल क्षेत्र के उद्योगों के लिए निर्धारित किया गया है।

रक्षा के लिए राष्ट्रीय साधनों एवं क्षमताओं का अधिकतम उपयोग हो, इसके लिए निर्माताओं को प्रत्येक मामले के औचित्य के आधार पर आवश्यक तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में वृद्ध व्यक्तियों के लिए आश्रम की स्थापना

1307. **श्री हरीश रावत** : क्या **कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए आश्रमों की स्थापना करने के लिए विभिन्न संगठनों तथा राज्य सरकारों की सहायता प्रदान की है; और

(ख) उत्तर प्रदेश में वृद्धों के लिए इस समय कितने आश्रम हैं और भविष्य में ऐसे कितने आश्रमों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यरत कुछ स्वयंसेवी संगठनों को केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में ऐसे किसी आश्रम की सहायता प्रदान नहीं की है। उत्तर प्रदेश में ऐसे आश्रमों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

विलम्बित परियोजनाओं को कार्यान्वित करना

1308. **श्री मूल चन्द डागा**
श्री नित्यानन्द मिश्र } : क्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपके मन्त्रालय ने अपनी स्थापना के बाद मंत्रालय-वार कितने मामलों के कार्यान्वयन पर निगरानी के लिए अपने हाथ में लिया है;

(ख) इन मामलों के कार्यान्वयन में विलम्ब के लिए किस प्रकार की बाधाओं का पता चला है; और

(ग) मंत्रालय की मध्यस्थता से अब तक कितने मामलों को निपटाया गया है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय अलग-अलग मामलों का प्रबोधन नहीं करता, लेकिन (i) 20-सूत्री कार्यक्रम के विभिन्न सूत्रों/मदों के अन्तर्गत राज्य सरकारों के समग्र निष्पादन, (ii) बड़े आधारी संरचना क्षेत्रों में उत्पादन निष्पादन, और (iii) 20 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली केन्द्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन का प्रबोधन करता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हिमाचल प्रदेश में छावनी क्षेत्रों में असैनिक लोगों को दुकानों का आबंटन

1309. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के छावनी क्षेत्रों में असैनिक लोगों को दुकानों के आबंटन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या दुकानों का आबंटन वार्षिक आधार पर किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो छावनी बोर्डों को इन दुकानों से कितनी वार्षिक आय होती है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन दुकानों को 90 वर्ष की अवधि के पट्टे के आधार पर आबंटित करने का है; और

(ङ) सरकार द्वारा 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत छावनी क्षेत्रों में कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) छावनी बोर्डों की दुकानों का आबंटन यथासंशोधित छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 200 में विहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। इनका आबंटन, आम नीलामी और कुछ मामलों में कमान के जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ की पहले मंजूरी लेकर निजी समझौते द्वारा किया जाता है।

(ख) जी, हां। छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 200 की व्यवस्था के अनुसार 3 वर्ष के आधार पर भी आबंटन किया जाता है।

(ग) 1,96,594 रुपये।

(घ) जी नहीं।

(ङ) पेय जल, शौचालयों/मूत्रालयों/सेप्टिक टैंकों, सड़कों, नालियों, विद्युतीकरण, प्रारम्भिक शैक्षणिक सुविधाओं, स्वास्थ्य देख-रेख एवं परिवार कल्याण, कम्युनिटी हाल और पेड़ लगाने जैसी जन-सुविधाओं में सुधार करने/बढ़ोत्तरी करने सम्बन्धी योजनाओं को बराबर कार्यान्वित किया जा रहा है।

देश में वीडियो कैसेट प्लेयरों/वीडियो कैसेट रिकार्डरों का निर्माण

1310. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वीडियो कैसेट प्लेयरों/वीडियो कैसेट रिकार्डों के निर्माण की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) सरकार ने वीडियो कैसेट रिकार्डरों (वी सी आर)/वीडियो कैसेट प्लेयरों (वी सी पी) के

विनिर्माण के इच्छुक उद्यमकर्ताओं से आवेदन पत्र आमन्त्रित किए थे। सरकार का केवल ऐसी इकाइयों को औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का इरादा है, जो एक गतिशील चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के साथ एक ही स्थान पर वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए भारी मात्रा में पूंजी-निवेश करने के लिए तैयार हो तथा जिनके पास अपेक्षित मात्रा में स्वयं विनिर्माण करने की क्षमता हो और जो बदलती हुई प्रोद्योगिकी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। सरकार ने अभी तक इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

कानपुर में रक्षा उत्पादन कारखानों में आग

1311. **श्री जगदीश अवस्थी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर स्थित रक्षा उत्पादन कारखानों में सामान्यत: लगी आग से अभी तक कितना नुकसान हुआ है;

(ख) आग के कारणों का पता लगाने के लिए अब तक किए गए जांच कार्य के क्या निष्कर्ष रहे हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी भीषण आग की घटनाओं को न होने देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पिछले 10 वर्षों के दौरान, कानपुर में आयुध निर्माणियों में आग लगने की दुर्घटनाओं से 13,93,398 रुपये का नुकसान हुआ।

(ख) इस सम्बन्ध में की गई जांचों से पता चला है कि आग लगने की दुर्घटनाएं मैगनीशियम की कतरनों के स्व: दहनशीलता होने, विद्युत चिंगारी, फर्नीचर में बिजली का हीटर और सूखी झाड़ियों/घास में आग लगने के कारण हुई थीं।

(ग) ऐसे कारणों से आग लगने की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए निरोधात्मक कदम उठाए गए हैं। आग से सुरक्षा के लिए निर्माणियों में चैक सीटों और आवर्ती रिपोर्टों तथा निरोधात्मक उपाय निर्धारित किए गए हैं।

[अनुवाद]

नर्मदा नदी को साफ करना

1312. **श्री अजय मुश्तरान :** क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने हेतु साफ करने की कोई योजना है;

(ख) क्या सरकार का इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार की विशेष सहायता देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी धनराशि दी जाएगी और इस योजना को पूरा करने के लिए निर्धारित कार्यक्रम क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गोवा, दमन और दीव में स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए पेंशन योजना

1313. **श्री शांता राम नायक** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए कितनी योजनाएं हैं;

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत पेंशन पाने के लिए क्या अर्हताएं है;

(ग) इस योजना या योजनाओं के अन्तर्गत इस समय कितने व्यक्तियों को पेंशन मिल रही है;

(घ) कितने मामले रद्द किए गए हैं; और

(ङ) कितने मामले लम्बित पड़े हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) केन्द्रीय सरकार की स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 और गोवा, दमन और दीव स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण नियमों के अधीन पेंशन (स्थानीय पेंशन) नामक दो पेंशन योजनाएं हैं।

(ख) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार की योजना के अधीन पेंशन	गोवा, दमन और दीव स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण नियमों के अन्तर्गत पेंशन
1	2
1. इसके अन्तर्गत उन व्यक्तियों को पेंशन देने की व्यवस्था है जिन्होंने स्वतन्त्रता	इनके अन्तर्गत उन व्यक्तियों को पेंशन देने की व्यवस्था है जिन की कम से कम 3 सप्ताह

1	2
संघर्ष में भाग लेने के कारण 6 महीने की कैद/फरार होने/भूमिगत होने और निष्कासन (महिलाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामले में 3 महीने की सजा भुगती हो।	की अवधि के लिए नजर बन्दी/कैद हुई हो अथवा कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए भूमिगत होने की यातना सही हो अथवा कार्रवाई में मारा गया हो अथवा मृत्युदण्ड दिया गया हो अथवा जेल से छूटने के बाद नजरबंदी के दौरान लगी चोट के कारण मृत्यु हो गई हो अथवा उनका रोजगार समाप्त हो गया हो।
2. पेंशन प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की संख्या—688	719
3. अस्वीकृत मामलों की संख्या—2504	यह योजना 1.12.85 से लागू है। आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख 31.10.86 थी। प्राप्त हुए आवेदनों की कुल संख्या 1717 है जिनमें से 719 व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत कर दी गई है और शेष आवेदनों की छंटनी की जा रही है।
4. लम्बित मामलों की संख्या—65 (31.10.86 को)	

परमाणु बिजली संयंत्रों द्वारा ऊर्जा का उत्पादन

1314. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 से अब तक देश में प्रत्येक परमाणु संयंत्र में कुल कितनी ऊर्जा का उत्पादन हुआ है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : सूचना नीचे दी जा रही है।

बिजलीघर	जनवरी, 1986 से अक्तूबर, 1986 तक उत्पादन (मिलियन यूनिट)
तारापुर परमाणु बिजलीघर	1613
राजस्थान परमाणु बिजलीघर	1107
मद्रास परमाणु बिजलीघर	1465

कमजोर वर्गों के लोगों को प्रशिक्षण

1315. **श्री राधाकांत त्रिपाल** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमजोर वर्गों के लोगों को उनके क्षेत्रों से कार्यान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है; और

(ख) क्या इन लोगों को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से शिक्षित करने के लिए यह प्रशिक्षण देने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है ताकि इच्छित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। केन्द्र तथा राज्य सरकारें ब्लाक स्तर तंत्र, पंचायत और इन स्कीमों को कार्यान्वित करने वाले विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों तथा संचार से जनमाध्यम के जरिए इन कार्यक्रमों के बारे में जागरुकता उत्पन्न करती है।

(ख) केन्द्रीय मन्त्रालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा पहले ही जागरुकता उत्पन्न की जा रही है।

उड़ीसा में बण्डा जनजातियों को शिक्षित करना

1316. **श्री राधाकान्त त्रिपाल** : क्या **कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बण्डा जनजातियों की शिक्षा के लिए कोई केन्द्रीय सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो किस योजना के अन्तर्गत और अब तक कितनी धनराशि की केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ग) बण्डा जनजातियों में शिक्षा के प्रसार के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) उड़ीसा में 12 प्राचीन जनजाति समुदायों के लिए जिनमें बण्डा जनजाति भी शामिल है, विशेष कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार को पर्याप्त सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा जनजाति-वार कोई सूचना एकत्र नहीं की जाती है।

लक्षद्वीप प्रशासन में कर्मचारियों को स्थाई बनाना

1317. **श्री० पी० एम० सईद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्षद्वीप प्रशासन में ऐसे अधिकारियों की विभागवार संख्या क्या है जिन्हें उनके

पदों पर स्थाई नहीं किया गया है;

(ख) लगभग कितने समय में अस्थाई कर्मचारियों को सेवा में स्थायी बनाया जायेगा; और

(ग) क्या ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है जिसके पश्चात् कर्मचारी को अपने पद पर स्थायी किया जाता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संशोधित नये 20-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

1318. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर**: क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संशोधित नये 20-सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वयन आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब से और पहले 20-सूत्री कार्यक्रम और वर्तमान कार्यक्रम में क्या अन्तर है; और

(ग) नये 20-सूत्री कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के सम्बन्ध में क्या विशिष्ट कदम उठाए जाने का विचार है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) 20-सूत्री कार्यक्रम-1986 को वार्षिक योजना 1987-88 के अंश के रूप में 1.4.1987 से लागू करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम का पुनर्गठन उपलब्धियों और अनुभव और सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया है और यह गरीबी को समाप्त करने, उत्पादकता बढ़ाने, आय में असमानता को कम करने और सामाजिक तथा आर्थिक विषमता को दूर करने तथा जीवन स्तर में सुधार लाने के वचन को दोहराता है। कुछ मुद्दों को छोड़ दिया गया है जबकि अन्य मुद्दों का विस्तार कर दिया गया है अथवा और तेज कर दिया गया है। कुछ अतिरिक्त मदें इसमें शामिल कर दी गई हैं।

(ग) कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए जाने वाले उपायों का विस्तृत ब्यौरा विचाराधीन है।

परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य

1319. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान परमाणु ऊर्जा उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ख) क्या यह सच है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के विभिन्न क्रियाकलापों के संचालन हेतु इस विभाग के लिए नियत की गई राशि नितांत अपर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो क्या परमाणु ऊर्जा विभाग की योजनाओं और कार्यक्रम के संचालन के लिए इस विभाग को अतिरिक्त राशि नियत करने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) यह लक्ष्य रखा गया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक परमाणु बिजलीघरों की स्थापित क्षमता 1700 मेगावाट कर दी जाए।

(ख) तथा (ग) परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यकलाप सम्बन्धी कार्यक्रमों को वित्तीय साधनों की कमी के कारण फिर से निर्धारित करना आवश्यक हो जाएगा। तथापि, सन् 2000 तक 10,000 मेगावाट बिजली के उत्पादन की क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित परमाणु बिजली सम्बन्धी कार्यक्रम के अनुरूप काम करने के लिए ऐसा प्रस्ताव है कि न्यूक्लियर विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन एक सरकारी क्षेत्र के संस्थान के रूप में करके अतिरिक्त धन जनता से इकट्ठा किया जाए।

हिमाचल प्रदेश में वायुसेना के लिए भर्ती कार्यालय

1320. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में वायुसेना के लिए एक पृथक भर्ती कार्यालय के लिए कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस मांग पर क्या निर्णय किया गया है और भर्ती कार्यालय किस सम्भावित तारीख तक खोल दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय किस सम्भावित तारीख तक लिया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जनगणना अधिकारियों द्वारा भाषाओं और बोलियों को हिन्दी के अन्तर्गत शामिल करना

1321. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्यों में वर्ष 1981 की जनगणना रिपोर्ट में लोगों द्वारा अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराई गई भाषाओं और बोलियों की संख्या और उनके क्या नाम हैं और प्रत्येक मातृभाषा को बोलने वालों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त क्षेत्र में बोली जाने वाली/दर्ज कराई गई विभिन्न बोलियों का कोई वर्गीकरण किया गया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि प्रचलित भाषाई मानदण्डों की अवहेलना करते हुए कई भाषाओं/बोलियों को हिन्दी के अन्तर्गत शामिल कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं विशेषतया जबकि उक्त मातृभाषाओं के बोलने वालों ने अपनी मातृभाषाओं को 1971 की जनगणना में स्वतन्त्र बोली/भाषा के रूप में दर्ज कराया है और क्या वर्ष 1981 के वर्गीकरण में इस त्रुटि को दूर किया जाएगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) भाषा/मातृभाषा से सम्बन्धित 1981 के जनगणना आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इनको तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में नन्दकानन अभ्यारण्य का विकास

1323. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में नन्दकानन अभ्यारण्य का विकास करने के लिए वर्ष 1986-87 के दौरान कोई धनराशि मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण ईंधन लकड़ी वृक्षारोपण कार्यक्रम

1324. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या है जिनमें केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण वृक्षारोपण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) इन राज्यों के कितने जिलों में यह योजना कार्यान्वित की गई है;

(ग) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों के और अधिक जिलों में इस योजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो सातवीं योजना के दौरान उड़ीसा और अन्य राज्यों के किन-किन जिलों को उपर्युक्त कार्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण जलाने की लकड़ी के वृक्षारोपण की स्कीम जिन राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है उनके नाम और इन राज्यों में जिलों की संख्या का विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना ग्रामीण जलाने की लकड़ी के वृक्षारोपण सहित सामाजिक वानिकी के कार्यान्वयन के लिए चुने गए 157 जिलों की सूची।

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम	चुने गये जिलों के नाम
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	1. रंगारेड्डी
	2. गुन्टूर
	3. मेडक
	4. नालगोंडा

1	2
	5. कृष्णा
	6. नेल्लोर
	7. प्रकाशम
	8. निजामाबाद
2. असम	1. कामरूप
	2. गोलपाड़ा
	3. शिवसागर
	4. कछार
3. बिहार	1. संथाल परगना
	2. भागलपुर
	3. गिरिडीह
	4. धनबाद
	5. हजारीबाग
	6. गया
	7. औरंगाबाद
	8. नालन्दा
	9. मुंगेर
	10. रोहतास
	11. नवादा
4. गुजरात	1. वडोदरा
	2. पंचमहल
	3. कच्छ
	4. सुरेन्द्र नगर
	5. साबरकण्ठ
	6. जामनगर
	7. भावनगर
5. हरियाणा	1. करनाल
	2. महेन्द्रगढ़

1	2
	3. गुड़गांव
	4. कुरुक्षेत्र
	5. सोनीपत
6. हिमाचल प्रदेश	1. कांगड़ा
	2. मंडी
	3. सिरमौर
	4. शिमला
	5. हमीरपुर
7. जम्मू	1. अनंतनाग
	2. राजौरी
	3. करंगिल
	4. काठुवा
8. कर्नाटक	1. बंगलोर
	2. गुलबर्ग
	3. कोलार
	4. बेलारी
	5. मंड्या
	6. धारवाड़
	7. मैसूर
	8. चिकमंगलूर
9. केरल	1. कन्नौर
	2. त्रिवेन्द्रम
	3. कोझीकोडे
	4. कोट्टायाम
10. मध्य प्रदेश	1. रीवा
	2. रतलाम
	3. इन्दौर
	4. भोपाल
	5. ग्वालियर

1	2
	6. झाबुआ
	7. सियोनी
	8. जबलपुर
	9. बिलासपुर
	10. रायपुर
	11. सतना
	12. सागर
	13. दुर्ग
	14. खण्डवा
	15. पन्ना
11. महाराष्ट्र	1. अहमदनगर
	2. रत्नागिरि
	3. शोलापुर
	4. ओसमानबाद
	5. कोल्हापुर
	6. पारभनी
	7. नासिक
	8. पुणे
	9. थाणे
	10. जलगांव
12. मणिपुर	1. मणिपुर केन्द्र
	2. मणिपुर उत्तरी
13. मेघालय	1. पश्चिमी खासी पहाड़ी
	2. पश्चिमी गारो पहाड़ी
14. नागालैण्ड	1. कोहिमा
	2. फेक
	3. ट्वेनसैंग

1	2
15. उड़ीसा	1. बेलसार
	2. कटक
	3. बोलंगिर
	4. पुरी
	5. गंजाम
16. पंजाब	1. अमृतसर
	2. पटियाला
	3. फिरोजपुर
	4. गुरुदासपुर
	5. फरीदकोट
17. राजस्थान	1. जयपुर
	2. उदयपुर
	3. भरतपुर
	4. अलवर
	5. भिलवाड़ा
	6. अजमेर
	7. बंसवाड़ा
	8. झुन्झुनू
	9. कोटा
	10. सवाई माधोपुर
18. सिक्किम	1. पूर्वी गंगटोक
	2. दक्षिणी गंगटोक
19. तमिलनाडु	1. मदुरै
	2. त्रिचनापल्ली
	3. चेंगलपट्टु
	4. धर्मपुरी
	5. उत्तरी अर्काट
	6. दक्षिणी अर्काट

1	2
20. त्रिपुरा	1. पश्चिमी जिला
	2. उत्तरी जिला
21. उत्तर प्रदेश	1. हमीरपुर
	2. जालौन
	3. पीलीभीत
	4. खेरी
	5. झांसी
	6. ललितपुर
	7. टेहरी
	8. अल्मोड़ा
	9. गढ़वाल
	10. मिरजापुर
	11. मेरठ
	12. इलाहाबाद
	13. देवरिया
	14. गोरखपुर
	15. जौनपुर
	16. आजमगढ़
	17. मुरादाबाद
	18. आगरा
	19. अलीगढ़
22. पश्चिमी बंगाल	1. बर्दवान
	2. मिदनापुर
	3. बांकुरा
	4. 24-परगना
	5. बीरभूत
	6. नदिया
	143

1	2
1. अरुणाचल प्रदेश	1. पश्चिमी कमांग
	2. निचला सुबनसिरी
	3. दिबांग घाटी
	4. तिरप
	5. लोहित
	6. पूर्वी कमांग
	7. ऊपरी सुबनसिरी
	8. पूर्वी सियांग
	9. पश्चिमी सियांग
2. दिल्ली	1. दिल्ली
3. मिजोरम	1. ऐंजल
	2. लंगलोई
	3. चिन्तुपुरी
4. गोवा दमन और दिव	1. गोवा
	14
	कुल 157 जिले

रत्नागिरी और ओसमानबाद 4 जिलों में बंट गए हैं। दो नए जिलों के नाम सिन्धुदुर्ग और लातुर।

वीडियो कैसेट निर्माण के लिए लाइसेंस

1325. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें भारत में वीडियो कैसेट के निर्माण के लिए लाइसेंस दिए गए हैं;

(ख) प्रत्येक फर्म द्वारा प्रतिवर्ष कितने वीडियो सेटों का निर्माण किया जाता है;

(ग) देश में वीडियो कैसेटों की वार्षिक मांग कितनी है;

(घ) क्या वीडियो कैसेटों का आयात किया जा रहा है; यदि हां, तो कितनी कम्पनियों को आयात लाइसेंस दिए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वीडियो कैसेटों का गैर-कानूनी ढंग से आयात किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो वीडियो कैसेटों का गैर-कानूनी आयात रोकने हेतु देश में इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) वीडियो कैसेटों के विनिर्माण के लिए जिन पार्टियों को औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र/औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय के पंजीकरण जारी किए गए हैं, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी है। लघु उद्योग क्षेत्र की अनेक कम्पनियों को भी वीडियो कैसेटों के विनिर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(ख) संगठित क्षेत्र में केवल दो कम्पनियां ही अर्थात् ऋषि इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सुपर कैसेट्स (जिन्हें व्यवसाय चलाने का (सी० ओ० बी०) लाइसेंस जारी किया गया है) उत्पादन कर रही है। वर्ष 1985 में वीडियो कैसेटों का उत्पादन लगभग 3 लाख नग हुआ, जो मुख्यतः लघु उद्योग क्षेत्र में हुआ।

(ग) सातवीं योजना के दस्तावेज के अनुसार वीडियो कैसेटों की मांग 40 लाख नग है (वर्ष 1990 तक 1000 एम० आर० एम० के बराबर, $\frac{1}{2}$ इंची चौड़ाई वाले वीडियो टेप)।

(घ) जी, हां। किन्तु ऐसे आयात लाइसेंसों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि भारतीय व्यापार वर्गीकरण-समीक्षा-2 के अन्तर्गत 'वीडियो कैसेटों' का अलग से वर्गीकरण नहीं किया गया है, जिसके आधार पर विदेशी व्यापार के आंकड़े रखे जाते हैं।

(ङ) चूंकि ऐसा कोई विशिष्ट मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है, अतः ऐसे आयात की मात्रा का आंकलन करना कठिन है।

(च) देश में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने तथा सातवीं योजना के दस्तावेज में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने का सुनिश्चय करने के लिए सरकार ने हाल ही में अनेक कदम उठाए हैं। संगठित क्षेत्र की कुछ कम्पनियां पहले ही अपनी-अपनी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के अन्तिम चरण में हैं। यह आशा की जाती है कि सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष तक के लिए वीडियो कैसेटों की जो मांग रखी गई हैं, उसकी पूर्ति स्वदेशी स्रोतों से ही हो जाएगी।

विवरण

क्र० सं०	पार्टी का नाम	उत्पादन क्षमता
1	2	3
आशय-पत्र धारी पार्टियों की सूची :		
1.	मेसर्स ए० के० सिंह केसलीवाल, इन्दौर ।	18 लाख नग
2.	मेसर्स आमन्द एशिया (लिबेरिया) इनकारपोरेटेड, दुबई ।	10 लाख नग
3.	मेसर्स डॉ० बेक एण्ड कम्पनी (इ) लि०, पुणे ।	10 लाख नग
4.	मेसर्स एल्को वीडियो लिमिटेड, भुवनेश्वर ।	10 लाख नग
5.	मेसर्स ऐक्सिमको इलेक्ट्रॉनिक्स (इ) लि०, अहमदाबाद ।	10 लाख नग
6.	मेसर्स गीता गंगलानी, नई दिल्ली ।	10 लाख नग
7.	मेसर्स गुलशन के० अरोरा, संयुक्त राज्य अमेरिका ।	55 लाख नग
8.	मेसर्स जम्मू तथा कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०, श्रीनगर ।	20 लाख नग
9.	मेसर्स ज्योति इनवेस्टमेंट लि०, कलकत्ता ।	3 लाख नग
10.	मेसर्स मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०, भोपाल ।	18 लाख नग
11.	मेसर्स नरेन्द्र त्रिवेदी, अहमदाबाद ।	27 लाख नग
12.	मेसर्स उड़ीसा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि० भुवनेश्वर ।	15 लाख नग
13.	मेसर्स संजय भास्कर, नई दिल्ली ।	20 लाख नग
14.	श्री राम दास डार्के, मार्फत मन्सुखलाल एण्ड कं० बम्बई-400002 ।	6 लाख प्रतिवर्ष
15.	मेसर्स ऐक्सिमको इलेक्ट्रॉनिक्स (इ) प्रा० लि०, पलादी, अहमदाबाद ।	10 लाख प्रतिवर्ष
16.	मेसर्स चौधरी इन्टरनेशनल, वॉर्ली, बम्बई-400010	2 लाख प्रतिवर्ष

1	2	3
औद्योगिक लाइसेंसधारी पार्टियों की सूची :		
1.	मेसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्म लि०, ऊटकमण्ड (तमिलनाडु)	15000 लाख रनिंग मीटर (इसमें वीडियो तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग और कैसेट के चुम्बकीय टेप शामिल है)
2.	मेसर्स गारवे प्लास्टिक एण्ड पॉलिएस्टर लि०, बम्बई।	10 लाख नग
3.	मेसर्स ऋषि इलेक्ट्रॉनिक्स, नई दिल्ली (सी० ओ० बी० लाइसेंस)	6,000 नग
वीडियो कैसेटों के लिए औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय में पंजीकृत पार्टियों की सूची :		
1.	श्री अली मोहम्मद बासु, काश्मीर।	40 लाख नग
2.	मेसर्स ग्लोरिया लीजिंग लिमिटेड, बम्बई।	25 लाख नग
3.	मेसर्स मुरुगप्पा इलेक्ट्रॉनिक्स लि०, मद्रास।	10 लाख नग
4.	मेसर्स पनतापे मेगनेटिक लि०, बंगलौर।	30 लाख नग
5.	मेसर्स पिथु गंगलानी, बंगलौर।	20,000 नग
6.	श्री प्रेम खेतानी, नई दिल्ली।	20,000 नग
7.	श्री संजय कोशिष, नई दिल्ली।	10 लाख नग
8.	मेसर्स सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज (पर्याप्त रूप से विस्तार) प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।	2 लाख नग
9.	मेसर्स लेसवागेस वीडियो फिल्म, नई दिल्ली।	20 लाख नग
10.	श्री सुरेश कुमार, चंडीगढ़।	20 लाख नग
11.	श्री एस० के० अग्रवाल, नई दिल्ली।	5 लाख नग
12.	मेसर्स वीतराग इलेक्ट्रॉनिक्स कं० बम्बई।	50 लाख नग
13.	श्री आनन्द कुमार।	20 लाख नग
14.	मेसर्स कनोजिया अल्कालीज एण्ड प्लास्टिक्स लि०, कलकत्ता।	60 लाख नग

1	2	3
15.	मेसर्स बाबूलाल ओचालिया, कलकत्ता।	25 लाख नग
16.	श्री जयराम मामदीपुडी, (आन्ध्र प्रदेश)	30 लाख प्रत्येक
17.	मेसर्स ऊषा अग्रवाल, नई दिल्ली।	20 लाख नग
18.	मेसर्स पोलीप्लेक्स कारपोरेशन लि०, नई दिल्ली।	30 लाख नग
19.	मेसर्स जम्मू तथा कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम, श्रीनगर।	20 लाख नग
20.	श्री एस० एस० भारतीय, मध्य प्रदेश।	10 लाख नग
21.	श्री एम० एम० अग्रवाल एण्ड एस० पी० सिंह, मध्य प्रदेश।	20 लाख नग
22.	मेसर्स नियागरा इलेक्ट्रॉनिक्स (प्रा०) लि०, हरियाणा।	20 लाख नग
23.	श्री सतीन्दर कपूर, नई दिल्ली।	20 लाख नग
24.	मेसर्स कृष्णा इन्टरनेशनल, नई दिल्ली।	1 लाख नग
25.	मेसर्स अग्रवाल वीडियो टेप्स, नई दिल्ली।	3 लाख नग
26.	मेसर्स गुप्ता नीडल इन्डस्ट्रीज (प्रा) लि०, नई दिल्ली।	20 लाख नग
27.	मेसर्स तिरुपति इलेक्ट्रॉनिक्स, नई दिल्ली।	20 लाख नग

ब्रिटेन से हेलीकाप्टरों की खरीद

1326. **श्री लक्ष्मण मलिक**
श्री जगन्नाथ पटनायक } : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय नौसेना को मजबूत बनाए रखने के लिए ब्रिटेन से नवीनतम किस्म के हेलीकाप्टरों की खरीद करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके अब तक की क्षमता के उपयोग तथा लागत के बारे में ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) हेलीकाप्टर का उपयोग विमानवाहित कार्य के लिए किया जाएगा।

परिणामों में हेराफेरी करने के लिए दोषी पाए गए संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को निलम्बित करना

1327. श्री टी० बशीर
श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वरराव
श्री सी० माधव रेड्डी
: क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यचालन की जांच के आदेश दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परिणामों में हेराफेरी करने के दोषी पाए गए संघ लोक सेवा आयोग के किन्हीं अधिकारियों को निलम्बित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार के कदाचारों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री, (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां। संघ लोक सेवा आयोग के सात कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है।

(घ) ये सात कर्मचारी हैं :

1. श्री आर० पी० सरोज, अवर सचिव।

2. श्री जुगलाल, अनुभाग अधिकारी।

3. श्री प्रमोद बिहारी, अनुभाग अधिकारी।

4. श्री देशराज बुध, सहायक।

5. श्री राधेश्याम, रिकार्ड कीपर।

6. श्री भरत सिंह नेगी, सहायक।

7. श्री इन्द्र नाथ उप्पल, सहायक।

(ङ) आयोग ने अपने सचिवालय में विभिन्न परीक्षाओं के गोपनीय कागजातों का देखभाल करने वाले अनुभागों को अलग-अलग करके गोपनीय शाखा में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़

बनाने के लिए उपाय किए हैं। इस क्षेत्र की घेराबन्दी (कोर्डन आफ) कर दी गई है तथा केवल एक ही आम प्रवेश/निकासी की व्यवस्था की गई है। गोपनीय शाखा में जाने वाले अथवा वहां से आने वाले कर्मचारियों की प्रवेश द्वार पर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है।

उत्तर पुस्तिकाओं/उत्तर शीटों आदि की गोपनीयता को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रक्रिया सम्बन्धी विस्तृत परिवर्तन भी किए गए हैं।

बद्रीनाथ मंदिर को हिम-स्खलन से बचाने के उपाय

1328. **हरिहर सोरन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बद्रीनाथ मंदिर पर हिमस्खलन से खतरे की संभावना के बारे में हिम एवं हिम-स्खलन अध्ययन संगठन (एस० ए० एस० ई०) द्वारा कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संगठन यह अध्ययन कब से कर रहा है;

(ग) क्या अध्ययन दल द्वारा सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और बद्रीनाथ मंदिर को हिम-स्खलन के खतरे से बचाने के लिए कोई सुरक्षात्मक उपाय सुझाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) हिम एवं हिम-स्खलन अध्ययन संगठन (एस० ए० एस० ई०) 1980-81 की सर्दियों से इस सम्बन्ध में अध्ययन कर रहा है।

(ग) जी, हां। उपयुक्त सुरक्षात्मक उपाय सुझाते हुए, एक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की जांच एवं योजना डिवीजन को प्रस्तुत कर दी गई है।

(घ) सुझाए गए सुरक्षात्मक उपायों में ये शामिल हैं : वर्तमान पर्वत स्कंध पर लगभग 70 मीटर लम्बी "गाइड वाल" बनाना, भारी हिम-स्खलन के वेग को कम करने और ऊर्जा को बिखेरने के लिए पूर्वी टीलों की एक पंक्ति बनाना, आवश्यक उपाय के रूप में सारे क्षेत्र के लिए हिम-स्खलन प्रवाह की दिशा बदलने एवं वनरोपण के लिए 130 मीटर लम्बा एक विविध डाम बनाना। उपर्युक्त सिफारिशों को उत्तर प्रदेश सरकार ने मान लिया है। विविध डाम एवं पूर्वी टीलों के निर्माण का काम पूरा है और "गाइड वाल" के कार्य में प्रगति चल रही है।

भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति

1329. **डा० गौरी शंकर राजहंस**
श्री एम० रघुमा रेड्डी } : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों, जिन्हें पहले ही स्वीकार किया जा चुका है, तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, मुख्यमंत्रियों/राज्यपालों तथा केन्द्रीय मंत्रियों के स्तर पर सम्बन्धित राज्य सरकारों केन्द्रीय मंत्रालयों को लिखा गया है। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों/केन्द्रीय मंत्रालयों को सरकारी स्तर पर भी अनुरोध किया गया है। उनसे समय-समय पर मामले की प्रगति की जानकारी ली जाती है। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिफों के कार्यान्वयन की निगरानी का दायित्व पुनर्वास महानिदेशक को सौंपा गया है। उच्च स्तरीय समिति की विशिष्ट सिफारिशों के कार्यावयन पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की बैठक में चर्चा की जाएगी, जो दिसम्बर 1986 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित होगी और इसमें मुख्यमंत्री/उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को तेजी से कार्यान्वयन करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास से सम्बन्धित मंत्री भाग लेंगे।

परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की स्थापना

1330. **श्री आनन्द सिंह :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थल पर दो और परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी लागत तथा क्षमता सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्णय को कार्यान्वित करने हेतु कौन से कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन्) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 711 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दो यूनिट लगाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक यूनिट की क्षमता 235 मेगावाट होगी।

(ग) संयंत्र-स्थल के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। स्थल सम्बन्धी अन्वेषण किए जा रहे हैं तथा प्रमुख उपस्कर प्राप्त करने की कार्रवाई जारी है।

डिस्ट्रीब्यूटिड डिजिटल कंट्रोल के सम्बन्ध में विचार-गोष्ठी

1331. **श्री आनन्द सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रॉनिकी विभाग ने नई दिल्ली में 10 सितम्बर, 1986 को डिस्ट्रीब्यूटिड डिजिटल कंट्रोल के सम्बन्ध में एक अन्तर्राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो विचार-गोष्ठी में किन विषयों पर चर्चा की गई;

(ग) क्या विचार-गोष्ठी में प्रौद्योगिकी के आयात के प्रश्न पर चर्चा की गई थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) विचार-गोष्ठी में व्यक्त विचारों के अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सेमीनार का उद्देश्य वितरित अंकीय नियंत्रण जैसी नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग की दिशा में तथा इससे हासिल किए जाने वाले लाभों के बारे में भारतीय उद्योग की जागरूकता पैदा करना था। सेमिनार में उद्योग, सरकारी विभागों, अनुसंधान तथा विकास संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों से 200 से भी अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। भारत तथा विदेशों के विशेषज्ञों से आमंत्रित 19 तकनीकी लेख प्रस्तुत किए गए जिनमें प्रौद्योगिकीय प्रवृत्ति, मामलों के अध्ययन के माध्यम से व्यावहारिक अनुप्रयोग पर प्रकाश डाला गया। वितरित अंकीय नियंत्रण तथा उससे सम्बद्ध उपस्करों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें भारत तथा विदेशों के 10 विनिर्माताओं ने अपने-अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया।

प्रौद्योगिकी के आयात के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। विपरित आंकड़ा नियंत्रण को शुरू करने और उसे क्रियान्वित करने से सम्बन्धित कुछ पहलुओं पर चर्चा की गई। सेमीनार की सिफारिशों के आधार पर भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए वितरित आंकड़ा नियंत्रण का डिजाइन तैयार करने का काम शुरू किया गया है।

सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को वन (संरक्षण) अधिनियम से छूट देना

1332. **श्री आनन्द सिंह**
श्री नित्यानन्द मिश्र } : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1980 से पहले शुरू की गई कतिपय सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के संगत उपबंधों से छूट देने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं की संख्या और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप कितने वन-क्षेत्र के समाप्त हो जाने की संभावना है और इस सम्बन्ध में सरकार का अन्तिम निर्णय क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जिन परियोजनाओं में राज्य सरकारों द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने से पहले वन भूमि के अनारक्षण अथवा दिक्परिवर्तन के लिए आदेश जारी किए गए थे उनमें उक्त अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की अनुमति वांछित नहीं थी। तथापि, जिन मामलों में वन भूमि के अनारक्षण अथवा दिक्परिवर्तन के आदेश जारी किए बिना अधिनियम के लागू होने से पूर्व परियोजना को केवल प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी, उनमें केन्द्र सरकार की पूर्ण अनुमति वांछित होगी और इस प्रकार के मामलों में छूट देने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली हवाई अड्डे पर लन्दन निवासी महिला आतंकवादी की गिरफ्तारी

1333. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 अक्तूबर, 1986 को पालम वहाई अड्डे पर थाई एअरवेज के विमान पर सवार होने की कोशिश करते हुए लन्दन निवासी एक महिला आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया था;

(ख) क्या उसके पास से आतंकवादी साहित्य पाया गया;

(ग) क्या उक्त आतंकवादी महिला के साथ किसी विदेशी दूतावास का कोई अधिकारी था; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) लन्दन निवासी एक महिला को 18 अक्तूबर, 1986 को पालम हवाई अड्डे पर नजरबंद किया गया था।

(ख) उससे कोई आतंकवादी साहित्य बरामद नहीं हुआ। तथापि, उसके पास से ब्रिटेन में प्रकाशित एक पत्रिका के एक पृष्ठ की फोटो प्रति बरामद हुई। पृष्ठ में एक विज्ञापन था जिसमें जरनैल सिंह भिण्डरांवाले और अन्य आतंकवादियों के फोटो थे और जनता से संत बाबा करतार सिंह जी खालसा भिण्डरांवाले की पुण्य तिथि मनाने के लिए 7 अगस्त, 1986 को एक गुरुद्वारे में एकत्र होने का अनुरोध किया गया था।

(ग) जी हां, श्रीमान्। उसे विदाई देने के लिए हवाई अड्डे तक एक अधिकारी उसके साथ गया था।

(घ) उसके विरुद्ध आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम की धारा 3/4 के अन्तर्गत 31 अक्तूबर, 1986 को एक मामला दर्ज किया गया है। उसे गिरफ्तार किया गया और 12-11-1986 तक पुलिस हिरासत में रिमांड लिया गया है।

पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम

1334. **डा० के० जी० अदियोडी** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में चालू वर्ष के दौरान कार्यान्वित किए जाने के लिए कितनी योजनाएं मंजूर की गई हैं और प्रत्येक राज्य के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में चालू वर्ष के दौरान कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत स्कीमों की संख्या और प्रत्येक राज्य के लिए मंजूर की गई धनराशि निम्न प्रकार है :—

क्रमांक	राज्य	स्वीकृत स्कीमों की संख्या	मंजूर की गई धनराशि (करोड़ रु०)
1.	केरल	40	5.09
2.	कर्नाटक	14	6.33
3.	तमिलनाडु	43	4.34

[हिन्दी]

प्रशासनिक सुधार आयोग

1335. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में अब तक गठित प्रशासनिक सुधार आयोगों सम्बन्धी विवरण क्या है;

(ख) अब तक इन आयोगों की सिफारिशों को किस सीमा तक लागू किया गया है और जो सिफारिशें अभी लागू की जानी हैं उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार एक और प्रशासनिक सुधार आयोग गठित करने का है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना जनवरी, 1966 में की गई थी तथा इसने जून, 1970 तक कार्य किया। आयोग ने 20 रिपोर्टें प्रस्तुत की जिनमें 578 सिफारिशें की गई थीं। जिनमें से 525 सिफारिशों का (जिनमें से 6 का आंशिक रूप से) सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से था जबकि शेष 59 सिफारिशों का (जिनमें से 6 का आंशिक रूप से) सम्बन्ध राज्यों से था।

उन सिफारिशों में से, जिनका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से था, 385 सिफारिशें (इसमें से 67 आंशिक रूप में) स्वीकार की गई थी। इनमें से 381 सिफारिशों को (जिनमें 67 आंशिक रूप वाली भी शामिल हैं) पहले से ही कार्यान्वित किया जा चुका है। वह महत्वपूर्ण निर्णय जिसे कार्यान्वित किया जाना बाकी है, लोकपाल संस्था की स्थापना से सम्बन्धित है। लोकपाल विधेयक लोक सभा में 26 अगस्त, 1985 को लाया गया था तथा इसे संसद् की संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजा गया है।

(ग) जी, नहीं।

[अनुवाद]

उद्योगों से खतरनाक उत्सर्जन

1336. श्री बी० एस० विजय राघवन : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात् देश के विभिन्न भागों में कारखानों से गैस रिसने अथवा खतरनाक उत्सर्जन की कितनी घटनाएं हुई जिनमें लोगों की मृत्यु हुई अथवा घायल हुए और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) तथा (ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

निम्नलिखित सूचना राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की रिपोर्टों पर आधारित है।

राज्य	गैस रिसाव/खतरनाक उत्सर्जन की संख्या	की गयी कार्यवाही
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	1	उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए कहा गया है।

1	2	3
2. चण्डीगढ़	1	1. दाब पात्रों का समय-समय पर जांच किया गया। 2. प्रगति के प्रबोधन के लिए निरीक्षक वर्ग द्वारा बहुधा कारखानों का निरीक्षण किया जाता है।
3. गुजरात	3	इकाईयों को बंद करने के लिए कहा गया था। प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर अमल करने के पश्चात् कुछ इकाईयां पुनः चालू हो गयी हैं।
4. हरियाणा	2	प्रबन्ध को सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने और सुरक्षा समिति स्थापित करने और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया गया है। कार्य के सुरक्षा उपायों के न अपनाने के कारण एक इकाई पर मुकदमा चलाया गया है।
5. केरल	3	ऐसी दुर्घटनाओं को दूर करने के लिए निदेश दिए गए हैं।
6. महाराष्ट्र	15	उपचारी उपाय सुझाने के लिए एक विशेष समिति नियुक्त की गयी थी। 5 मामलों में पुलिस ने संबंधित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।
7. मध्य प्रदेश	10	राज्य सरकार ने खतरनाक कारखानों का निरीक्षण करने और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए एक समिति गठित की है।
8. उड़ीसा	1	उद्योग को तत्काल एहतियाती उपाय करने का निदेश दिया गया था।
9. राजस्थान	3	इकाईयों का निरीक्षण किया गया था और उपयुक्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था।

1	2	3
10. तमिलनाडु	6	उपचारी उपाय सुझाए गए हैं।
11. पश्चिम बंगाल	3	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इकाईयों का निरीक्षण किया गया था और नियंत्रण उपायों के लिए आवश्यक निदेश दिए गए थे।

भारत नेपाल सीमा पर सीमा सुरक्षा बल को तैनात करना

1337. श्री जी० एस० बसवराजू
श्री एच० एन० नन्जे गौडा
श्री एस० एम० गुरड्डी
डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार भारत की नेपाल के साथ लगने वाली 800 किलोमीटर लम्बी सीमा पर नियमित रूप से चौकसी करने के लिए सीमा सुरक्षा बल को तैनात करने के पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव से सहमत हो गई है और सीमा सुरक्षा बल को कब तक तैनात किए जाने की सम्भावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) तथा (ख) भारत-नेपाल सीमा, जो लगभग 1700 कि० मी० लम्बी है, एक खुली सीमा है और भारत-नेपाल सीमा को खुला रख कर सीमा पर अर्द्ध सैनिक बलों को तैनात करके यदि आवश्यक समझा जाता है, चौकसी को सुदृढ़ करने के प्रश्न पर, विचार किया जा रहा है।

गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा की मांगें मानने के लिए संविधान में संशोधन

1338. श्री जी० एस० बसवराजू
श्री एच०एन० नन्जे गौडा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 में उपयुक्त संशोधन किया जाए ताकि गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे की मांगें उसमें शामिल की जा सकें;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से इस आशय का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पनडुब्बियों का निर्माण

1339. **श्री जी० एस० बसवराजू**
श्री एस० एम० गुरड्डी } : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वदेश में बनाई जा रही प्रथम पनडुब्बी के कब तक तैयार हो जाने की आशा है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : अगली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में इनकी सुपुर्दगी की सम्भावना है।

इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने की योजना

1340. **श्री चिन्तामणी जेना** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) भारत द्वारा किन-किन इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है और इनका किन-किन देशों को निर्यात किया जा रहा है; और

(घ) इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात के लिए और अधिक मण्डियों का पता लगाने के लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) तथा (ख) नीति विषयक अनेकों उपाय किए गए हैं, ताकि लगभग अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर हमारी इलैक्ट्रोनिकी वस्तुएं उपलब्ध हो सकें और उन्हें बढ़ावा मिले यह आशा की जाती है कि उत्पादन में कुल वृद्धि के साथ-साथ इलैक्ट्रोनिकी वस्तुओं के निर्यात में भी वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, निर्यात करने योग्य महत्वपूर्ण उत्पादों का पता लगाकर उनके निर्माण का उत्तरदायित्व ऐसी कम्पनियों को सौंपने का प्रस्ताव है, जिनमें निर्यात की प्रचुर सम्भावनाएं हैं। साथ ही इन कंपनियो के साथ सतत् रूप से सम्पर्क बनाए रखा जाएगा ताकि उनके समक्ष उपस्थित होने वाली आम तथा विशिष्ट प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सके। सम्बन्धित निर्यात संसाधन क्षेत्रों के

विकास आयुक्तों के साथ सम्पर्क करने का भी प्रस्ताव है। सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार एक नई नीति तैयार कर रही है।

(ग) जिन वस्तुओं का निर्यात भारत द्वारा किया जाता है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं : रेडियों रिसीवर, टेप रिकार्डर, एम्प्लीफायर, श्रव्य उपस्कर, दोलनदर्शी, विद्युत आपूर्ति, वैद्युत-चिकित्सा उपस्कर, कम्प्यूटर उपान्त उपस्कर माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित प्रणालियां, प्रसारण संचार प्रणाली, सेमीकण्डक्टर युक्तियां, संधारित्र, प्रतिरोधक, स्थायी चुम्बक, इलैक्ट्रो-मेकेनिकल संघटक-पुर्जे तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर। जिन देशों को निर्यात किया जाता है उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, योरपीय देश तथा सोवियत संघ शामिल हैं।

(घ) इस कार्य के लिए टी० डी० ए० तथा विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के बीच निकट सम्पर्क बनाने का प्रस्ताव है। अधिकाधिक बाजारों का पता लगाने के उद्देश्य से प्रदर्शनियों में चुनिंदा तौर पर भाग भी लिया जाता है।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग

1341. **श्री सी० जंगा रेड्डी**
डा० ए० के० पटेल } : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी की रेखा को पार करने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 7.5 करोड़ थी और सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में लगभग 6.2 करोड़ व्यक्तियों के गरीबी की रेखा पार कर जाने का अनुमान है; और

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या में गिरावट आने के क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) गरीबी कम करने का लक्ष्य सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए संवृद्धि लक्ष्य और गरीबी दूर करने संबंधी कार्यक्रमों में निवेश को ध्यान में रख कर निर्धारित किया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना में सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए संवृद्धि लक्ष्य 5.2 प्रतिशत प्रति वर्ष रखा गया था (जो प्राप्त कर लिया गया है) और प्रत्यक्ष गरीबी दूर करने सम्बन्धी कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1979-80 की कीमतों पर परिव्यय 3620 करोड़ रु० रखा गया था (वर्तमान कीमतों पर वास्तविक व्यय 3880 करोड़ रु० है।) सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के संवृद्धि का लक्ष्य पांच प्रतिशत प्रति वर्ष है और गरीबी दूर करने सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए परिव्यय 1984-85 की कीमतों पर 6590 करोड़ रु० है। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि छठी पंचवर्षीय योजना की शुरूआत आधार वर्ष 1979-80 से हुई थी। वर्ष 1979-80 में आर्थिक निष्पादन मुख्य रूप से कृषि उत्पादन में कमी के कारण वर्ष 1978-79 के मुकाबले लगभग 15 प्रतिशत कम रहा और इसलिए वर्ष सामान्य वर्ष नहीं था। इसी वर्ष

में अर्थात् वर्ष 1979-80 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संवृद्धि दर वर्ष 1978-79 के मुकाबले 4.7 रही और वर्ष 1977-78 के मुकाबले वर्ष '1979-80 में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या में 4.1 करोड़ तक की वृद्धि हुई। 1979-80 के निम्न आधार के कारण छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थ-व्यवस्था की उच्च संवृद्धि दर प्राप्त करना और गरीबी दूर करने का भी उच्च लक्ष्य प्राप्त करना था। इसके मुकाबले, सातवीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत सामान्य आधार वर्ष 1984-85 से हुई और गरीबी दूर करने के लक्ष्य सभी लक्ष्यों सहित यथासम्भव वास्तविक रखे गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, सातवीं योजना का उद्देश्य छठी योजना में 7.5 करोड़ की उपलब्धि के मुकाबले कृषि उत्पादन में 6.2 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है।

भारत की सीमाओं पर घुसपैठ, तस्करी और जासूसी की गतिविधियां

1342. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की सीमाओं पर घुसपैठ, तस्करी और जासूसी की गतिविधियों में बड़े पैमाने पर वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"डिफेंस इक्विपमेंट—प्राइवेट सैक्टर शेयर में गो अप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1343. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 सितम्बर, 1986 के फाइनेन्सियल एक्सप्रेस में "डिफेंस इक्विपमेंट—प्राइवेट सैक्टर शेयर में गो अप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार की नीति यह है कि सिविल क्षेत्र में उपलब्ध क्षमताओं का अधिकाधिक

उपयोग किया जाए और यदि सिविल क्षेत्र (सरकारी एवं गैर-सरकारी) में पहले ही क्षमताएं मौजूद हैं, रक्षा क्षेत्र में नई क्षमताएं स्थापित नहीं की जाएं।

इसके अतिरिक्त आयुध निर्माणियों से लघु प्रौद्योगिकी की 466 मदों के निर्माण का काम क्रमिक रूप से सिविल उद्योगों को दिया जा रहा है। इन मदों में वस्त्र, सामान पैक करने के डिब्बे, शस्त्रों में इस्तेमाल हार्डवेयर और वाहनों के पुर्जे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आयुध निर्माणियों में सेना के नए युद्धक वाहन के निर्माण के लिए अपेक्षित 50% पद्धतियों को भी सिविल क्षेत्र के उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है।

रक्षा के लिए राष्ट्रीय साधनों एवं क्षमताओं का अधिकतम उपयोग हो, इसके लिए निर्माताओं को प्रत्येक मामले के औचित्य के आधार पर आवश्यक तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारत-पाक और भारत-चीन सीमा का उल्लंघन

1344. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के पिछले छः महीनों के दौरान भारत-पाक और भारत-चीन सीमा का उल्लंघन अथवा अतिक्रमण किए जाने के कोई मामले हुए हैं; और

(ख) यदि हां, उनका स्वरूप तथा ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) अप्रैल से सितम्बर, 1986 की अवधि के दौरान भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों या पाकिस्तानी अर्द्ध सैनिक बलों की कोई घुसपैठ नहीं हुई। तथापि, कुछ ऐसी वारदाताएं हुई हैं जबकि कुछ घुसपैठियों, संदिग्ध तस्करों आदि को सीमा पर तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा पकड़ा गया जिन्होंने अवैध रूप से सीमा पार करने की कोशिश की। भारत-चीन की सीमा पर कुछ उल्लंघन ध्यान में आए।

(ख) पश्चिमी सैक्टर में चीन के गश्ती वाहनों द्वारा दिनांक 10 मई, 23 मई, 30 मई, 4 अगस्त, 17 अगस्त तथा 10 सितम्बर, 1986 को वास्तविक नियंत्रण लाइन का उल्लंघन किया गया। पूर्वी सैक्टर में अरुणाचल प्रदेश के वांगडुग क्षेत्र में 23 जून, 1986 को घुसपैठ हुई।

सुरक्षा की लगातार समीक्षा की जा रही है। हमारी सशस्त्र सेना देश की सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे का सामना करने के लिए सतर्क है। भारत सरकार के विदेश सचिव, द्वारा मामले को चीन के प्राधिकारियों के साथ पहले ही उठाया गया है।

दिल्ली में घातक दुर्घटनाओं में वृद्धि

1345. **श्री एम० रघुमा रेड्डी**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री सुभाष यादव } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में घातक दुर्घटनाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी घातक दुर्घटनाएं हुई हैं और इन घटनाओं को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) आंकड़े नीचे दिए गए हैं—

वर्ष		घातक दुर्घटनाओं की संख्या
1983	...	1313
1984	...	1400
1985	...	1423
1986 (31.10.86 तक)	...	1120

इस प्रकार की घटनाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. सड़क अनुशासन की भावना उत्पन्न करने के लिए ट्रैफिक पुलिस रेडियो/दूरदर्शन और समाचार पत्रों का प्रयोग कर रही है।

2. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सड़क सुरक्षा एकक स्कूल के बच्चों को सड़क सुरक्षा शिक्षा देता है।

3. यदि वाहन चालक तीन बार यातायात नियमों का उल्लंघन करता है या कोई घातक दुर्घटना करता है तो 180 दिनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलम्बित कर दिया जाता है।

4. यातायात नियमों के उल्लंघनों को नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं।

उच्च पदस्थ अधिकारियों के घरों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे

1346. श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री सुभाष यादव
श्री शान्ताराम नायक } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे अधिकारियों तथा बैंकों और सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों सहित ऐसे अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनके घरों तथा कार्यालयों पर 31 अक्तूबर, 1986 को समाप्त हुए एक वर्ष के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे मारे गए;

(ख) कितने अधिकारी दोषी पाए गए और उनसे पकड़े गए अपराध सिद्ध करने वाले दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला उपकरणों के आयात करने का प्रस्ताव

1347. श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री सुभाष यादव } : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जल और वायु प्रदूषण पर निगरानी रखने की सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से अत्याधुनिक प्रयोगशाला उपकरणों का आयात करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं तथा इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने की सम्भावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) देश में जल और वायु प्रदूषण प्रबोधन सुविधाओं के विस्तार के लिए अत्याधुनिक उपस्कर आयात करने के लिए जर्मन संघीय गणराज्य और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ द्विपक्षीय समझौते किए गए हैं। इसमें कोई विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होगी क्योंकि उपकरण समझौते के एक भाग के रूप में मुफ्त दिए जाते हैं।

बाल सुब्रह्मण्यम समिति की रिपोर्ट

1348. **श्री मुरली देवरा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्य के अधिकांश क्षेत्रों में कम्प्यूटरों की भूमिका को दिए जा रहे नए प्रोत्साहन के साथ-साथ सरकार कम्प्यूटर अपराधों का; जो विकसित देशों में बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं, पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त उपाय कर रही है; और

(ख) बाल सुब्रह्मण्यम समिति जिसे इस बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, के निष्कर्ष/सिफारिशें क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी तथा अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) आंकड़ों के सुरक्षा सम्बन्धी उपायों का अध्ययन करने और इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा संसाधन (ई० डी० पी०) उपस्कर कर का उपयोग करने से उससे तैयार होने वाले आंकड़ों/उपलब्ध होने वाली सूचना की सुरक्षा का सुनिश्चय करने की पद्धतियों का सुझाव देने के लिए मेजर जनरल ए० बाल सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में वर्ष 1976 में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों का सुझाव दिया है :—

(i) सुदूर क्षेत्रों के टर्मिनल टेली-टाइप, सी० आर० आई० टर्मिनलें, बुद्धि (इंटेलिजेंस) टर्मिनलें, मिनी कम्प्यूटर, आर० जे० ई० प्रणालियां, स्वचालित टेलर मशीनें, आदि हो सकती हैं। इन मशीनों का उपयोग आंकड़ा प्रविष्टि तथा आउटपुट तैयार करने के लिए किया जाता है। इसे ध्यान में में रखते हुए, टर्मिनल के स्तर पर और साथ ही, संचार लाइन में भी आवश्यक सुरक्षा की जरूरत है।

(ii) संचार लाइनें डायल-अप, लीज्ड सेटेलाइट या रेडियो माइक्रोवेव लिंक हो सकती हैं। उक्त सुविधाओं के प्रयोग करने में पूरी सुरक्षा हासिल करना कठिन है। सबसे अधिक प्रचलित वेधन तकनीकें इस प्रकार हैं : मैस्क्वरेडिंग, इम्स ड्रापिंग, पिगी बैंकिंग, बिटविन लाइन, तथा लाइन प्रोविंग।

(iii) इन वेधन तकनीकों से बचाव भौतिक सुविधाओं, एनक्रिप्शन, पहचान तथा अधिप्रमाणन, टर्मिनलों की अनूठी क्रम संख्या, स्वतः अलग्नता तथा टर्मिनलों की पहचान उपलब्ध कराने के माध्यम से किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक तकनीक कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करता है।

(iv) इसके अतिरिक्त, प्रणाली के कार्यनिष्पादन और साथ ही प्रणाली में अंतःस्यंदन अटकलपच्चू निगरानी रखने के लिए कुछ हार्डवेयर सम्बन्धी जांच भी शुरू की जा सकती है।

इसमें लागू की जाने वाली सुरक्षा प्रणाली का स्तर अनुप्रयोग तथा प्रयोगकर्ता के वातावरण पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।

स्वाधीनता सेनानियों के अनिर्णित पड़े आवेदन-पत्र

1349. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह मंत्रालय में स्वाधीनता सेनानियों के कुल कितने आवेदन-पत्र अनिर्णित पड़े हैं;

(ख) क्या इन पेंशनभोगियों को रेलवे पास की सुविधाओं का प्रावधान लागू नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) 31.10.86 को लंबित पड़े हुए आवेदनों की सं० 5727 है जिसमें से 1535 मामले सामान्य श्रेणी के हैं। 2927 उन व्यक्तियों के हैं जिन्होंने दावा किया है कि वे हैदराबाद के भूतपूर्व निजाम रियासत के संघर्ष में शामिल हुए थे जिनकी केन्द्रीय स्तर पर गठित गैर सरकारी जांच समिति द्वारा संवीक्षा की जानी है तथा 1265 आवेदन मई तथा जून, 1986 में आर्य समाज आन्दोलन के उन भागीदारों से प्राप्त हुए थे जिसे हाल ही में सम्मान पेंशन के प्रयोजन के लिए मान्यता दी गई है। आर्य समाज के मामलों पर एक पृथक गैर-सरकारी जांच समिति द्वारा भी निर्णय लिया जाएगा जिसका गठन केन्द्रीय स्तर पर किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) सरकार द्वारा यह पहले तय किया गया था कि केन्द्रीय राजस्व से पेंशन लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को प्रथम श्रेणी सम्मानार्थ चेक पास जारी किए जाएं। यह योजना 1 नवम्बर, 1985 से लागू हुई। सम्मानार्थ चेक पास 6 महीनों के लिए वैध था तथा स्वतंत्रता सेनानी को यह भी हक था कि वह अपनी पत्नी या अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में उसकी सेवा करने वाले किसी व्यक्ति को साथ ले जा सकता है। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने जो केन्द्रीय राजस्व से पेंशन ले रहे हैं, इस सुविधा का लाभ उठाया। इस बीच विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर सरकार ने इस मामले पर पुनः विचार किया और अब यह तय किया गया है कि जो स्वतंत्रता सेनानी केन्द्रीय राजस्व से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें सम्मानार्थ चेक पास के स्थान पर सम्मानार्थ कार्ड पास जारी किया जाएं। यह योजना 19 नवम्बर, 1986 से लागू होगी। ऐसे पास रेल मंत्रालय द्वारा 19 नवम्बर, 1986 से नवम्बर, 1987 तक जारी किए जाएंगे जो भारतीय रेल में यात्रा करने के लिए जारी करने की तारीख से 1 वर्ष तक के लिए वैध होंगे।

परमाणु संयंत्रों के विखण्डन के दबाव को रोका जाना

1350. **श्री वी० सोमनाद्रीश्वर राव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय परमाणु संयंत्रों में विखण्डन से उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा के विनियमन और नियंत्रण के लिए किए गए अतिरिक्त सुरक्षोपाय का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी तथा अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : भारतीय परमाणु संयंत्रों में रेडियोसक्रियता को बाहर जाने से रोकने के लिए संरोधकों की कई परतें होती हैं। इस संरोधकों के अन्तर्गत, प्राथमिक ईंधन को क्लैडिंग सामग्री के अन्दर रखा जाता है तथा उस सामग्री को भी कैलेन्ड्रिया नामक एक मजबूत संरोधक में बंद करके रखा जाता है। उसके बाद, कैलेन्ड्रिया को भी कंकरीट से बने एक कक्ष के भीतर रखा जाता है। कंकरीट के इस कक्ष को उसके बाहर कंकरीट की एक और संरचना तैयार करके मजबूत बना दिया जाता है।

कृषि, बिजली, उद्योग पर केन्द्र द्वारा राशि निवेश

1351. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से प्रत्येक राज्य में बिजली उद्योग और कृषि पर केन्द्र द्वारा वर्ष-वार कितना राशि निवेश किया गया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : केन्द्रीय निवेश के राज्यवार आंकड़े योजना आयोग में नहीं रखे जाते हैं क्योंकि केन्द्र द्वारा योजना निवेश के अन्तर्गत आधारभूत संरचनात्मक और समाज कल्याण सेवाएं, दोनों व्यापक रूप में आते हैं। परन्तु, योजना आयोग ने मंत्रालयों से परामर्श करके छठी योजना के दौरान इन क्षेत्रों में, राज्यवार निवेश के कुछ मोटे अनुमान तैयार किए हैं। इन आंकड़ों से सम्बन्धित एक विवरण संलग्न है।

केन्द्रीय योजना निवेश की आयोजना या लेखा राज्यवार नहीं रखा जाता है, यह संकलन कुछ निश्चित अभिकल्पनाओं पर आधारित होता है। इसके अलावा, असंख्य सूत्रों को देखते हुए, जिनसे आंकड़े एकत्र किए गए हैं, यह विवरण विभिन्न राज्यों में इन क्षेत्रों के अन्तर्गत केन्द्रीय छठी योजना निवेश के केवल आयामीय मूल्यांकन के बारे में ही सहायता कर सकता है।

विवरण /

केन्द्रीय क्षेत्रक 1980-85 में कृषि, उद्योग और विद्युत के अन्तर्गत छठी योजना व्यय का राज्यवार वितरण

(करोड़ रु०)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि*	विद्युत	उद्योग (ग्राम व लघु उद्योग सहित)
1	2	3	4
(क) राज्य			
1. आन्ध्र प्रदेश	100	634	2193
2. असम	26	नगण्य	754
3. बिहार	85	307	1177
4. गुजरात	94	138	889
5. हरियाणा	58	20	137
6. हिमाचल प्रदेश	33	146	27
7. जम्मू और कश्मीर	8	275	28
8. कर्नाटक	77	37	747
9. केरल	78	19	262
10. मध्य प्रदेश	132	765	1479
11. महाराष्ट्र	151	40	1244
12. मणिपुर	10	63	5
13. मेघालय	11	—	3
14. नागालैंड	2	नगण्य	34
15. उड़ीसा	65	30	1855
16. पंजाब	68	23	117
17. राजस्थान	80	53	261
18. सिक्किम	2	1	1
19. तमिलनाडु	69	516	366
20. त्रिपुरा	7	नगण्य	13

1	2	3	4
21. उत्तर प्रदेश	168	1130	327
22. पश्चिम बंगाल	66	509	720
जोड़ (क) राज्य	1390	4706	12639
(ख) संघ राज्य क्षेत्र			
1. अंडमान व निकोबार	3	—	1
2. अरुणाचल प्रदेश	4	—	2
3. चंडीगढ़	1	नगण्य	1
4. दादरा व नगर हवेली	नगण्य	—	1
5. दिल्ली	16	77	53
6. गोवा, दमन व द्वीप	2	20	1
7. लक्षद्वीप	नगण्य	—	2
8. मिजोरम	3	2	9
9. पांडिचेरी	1	3	70
जोड़ (ख) संघ राज्य क्षेत्र	30	102	70
(ग) अनावंटित	1933[1]	45[2]	1647[3]
जोड़ क+ख+ग	3353	4853	14356

1. इसमें बैंकिंग विभाग के लिए 1118 करोड़ रु०, कृषि और सहकारिता मंत्रालय के लिए 478 करोड़ रु०, खाद्य विभाग के लिए 225 करोड़ रु० तथा वाणिज्य विभाग के लिए 112 करोड़ रु० की अनावंटित राशि शामिल है।

2. आनुषंगी सुविधाओं के लिए 45 करोड़ रु० की अनावंटित राशि शामिल है।

3. इसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) के लिए 466 करोड़ रु०, ई० एक्स० आई० एम० बैंक के लिए 187 करोड़ रु०, आई० आर० बी० आई० के लिए 150 करोड़ रु०, बी० एच० ई० एल० के लिए आर० एंड जी० के प्रतिस्थापन तथा नवीकरण, शहीकरण आदि के लिए 106 करोड़ रु०, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के लिए 93 करोड़ रु०, लघु उद्योग विकास संगठन के लिए 123 करोड़ रु०, के० बी० आई० सी० के लिए 141 करोड़ रु० और जमा गारंटी स्कीम के लिए 58 करोड़ रु० शामिल है।

*इसमें पोषाहार के लिए 3 करोड़ रु० की राशि शामिल नहीं है।

एन० ई० जी०—नगण्य

उपर्युक्त आकड़ों में राज्य योजना के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता शामिल नहीं है।

विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति राशि निवेश

1352. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों से प्रति व्यक्ति कितना राशि निवेश किया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : सातवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय निवेश सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

सशस्त्र सेनाओं में "हाजिर नौकरी"

1353. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं में "हाजिर नौकरी" की अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर 17 वर्ष करने से सशस्त्र सेनाओं में असंतोष है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई में रक्षा विभाग की भूमि पर बसे झुग्गी झोंपड़ियों वालों को नागरिक सुविधायें प्रदान करना

1354. **श्री गुरुदास कामत** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई में रक्षा विभाग की भूमि पर बसे झुग्गी झोंपड़ियों वालों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र कब तक जारी किए जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस मामले पर विचार किया गया और महाराष्ट्र राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि विशिष्ट रक्षा परियोजनाओं के लिए तत्काल जरूरत के कुछ क्षेत्रों को

छोड़कर, महाराष्ट्र सरकार द्वारा बम्बई में रक्षा भूमि पर सभी झुग्गी-झोंपड़ी वालों के लिए नागरिक सुविधाएं प्रदान करने पर भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

जासूसी और तस्करी रोकने के लिए सुरक्षा पट्टी

1355. श्री शांती धारीवाल
श्री दिलीप सिंह भूरिया } : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी और जासूसी गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से सुरक्षा पट्टी बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत 13 अगस्त, 1986 को राज्य सभा में एक संकल्प पारित किया गया ताकि पंजाब और भारत की पश्चिमोत्तर सीमाओं के अन्य क्षेत्रों में स्थिति से निपटने के लिए उसमें वर्णित मामलों के बारे में कानून बनाये जा सकें। संकल्प के अनुसरण में विधायन विचाराधीन है।

ईन्धन, इमारती लकड़ी और चारे की मांग और पूर्ति में अन्तर

1356. **श्री शांति धारीवाल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निजी वनों और चाय बगानों को उद्योग घोषित करने के संबंध में टूरिज्म एण्ड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी आफ इंडिया से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) चूंकि इसमें महत्वपूर्ण नीति के मामले सम्मिलित हैं, इसलिए मामला सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में बंगलादेशियों की घुसपैठ

1357. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में बंगलादेशियों की घुसपैठ के बारे में उड़ीसा राज्य से रिपोर्ट मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कटक तथा बालेश्वर जिलों और समुद्र तटीय क्षेत्रों में इस समय कितने व्यक्ति रह रहे हैं और वे कब से रह रहे हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन्हें बंगलादेश वापस भेजने के बारे में पहल की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त उपलब्ध सूचना के अनुसार हाल के वर्षों में बंगलादेश से उड़ीसा में भारी संख्या में घुसपैठ नहीं हुई है। केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े संकलित नहीं करती हैं। अत: कटक, बालासोड़ जिलों और उड़ीसा के अन्य क्षेत्रों में प्रकार के व्यक्तियों की संख्या उपलब्ध नही है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार के पास इस बात के स्थायी निर्देश है कि जब कभी कोई अवैध बंगलादेश के राष्ट्रीक का पता लगे, उसे निष्कासित किया जा सके/वापस भेज दिया जाये।

तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए विशेष परीक्षा

1358. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की दिसम्बर 1986 में होने वाली विशेष परीक्षा में बैठने के सम्बन्ध में मार्ग निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या मानदण्ड निश्चित किए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) तदर्थ अवर श्रेणी लिपिकों, टेलीफोन आपरेटरों, ग्रेड "घ" आशुलिपिकों आदि को नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए अंतिम और आखिरी अवसर

प्रदान करने के उद्देश्य से 1987 के आरम्भ में एक विशेष अर्हक परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव है।

(ख) इसमें सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों की संख्या ज्ञात नहीं है।

(ग) उपर्युक्त परीक्षा के लिए पात्रता की शर्तें विवरण में दी गई हैं।

विवरण

पात्रता की शर्तें : ऐसे तदर्थ अवर श्रेणी लिपिक, टेलीफोन आपरेटर, ग्रेड "घ" आशु-लिपिक विशेष अर्हक परीक्षा 1987 में बैठने के पात्र होंगे जो निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करते हैं :—

(i) उसने मैट्रिकुलेशन परीक्षा अवश्य पास की हो;

(ii) उसे अनिवार्यतः रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किया गया हो;

(iii) (क).(i) वह 28.7.1985 को ली गई विशेष अर्हक परीक्षा में इस कारण न बैठा हो अथवा न बैठ सका हो/सकी हो क्योंकि वह उस परीक्षा की योजना में निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता था/करती थी और वह आरम्भ में दैनिक मजदूरी के रूप में लगातार नियुक्ति के समय, बाद में बिना किसी विच्छेद के तदर्थ कर्मचारी के रूप में नियुक्त, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली लिपिक ग्रेड की खुली प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए आयु सीमा के लिए हो; और

(ii) जिसने 1.1.1985 को एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो जिसमें (क) दैनिक मजदूरी वाले कर्मचारी के रूप में सेवा (तकनीकी विच्छेद की अवधि को छोड़कर (ख) तदर्थ कर्मचारी के रूप में सेवा भी शामिल है;

अथवा

(ख) उसने 1.1.1985 से 30.9.1986 तक की अवधि के दौरान एक वर्ष की तदर्थ सेवा (दैनिक मजदूरी वाले कर्मचारी के रूप में तथा बाद में तदर्थ नियुक्ति भी शामिल है) पूरी कर ली हो, इसमें ऐसे तदर्थ कर्मचारी भी शामिल हैं, जिनकी सेवाएं 1.1.1985 से 30.9.1986 तक की अवधि में कदाचार अथवा सामान्य अनुपयुक्तता के कारणों से इतर कारणों से समाप्त कर दी गई थी और जिन्होंने ऐसी सेवा समाप्ति से पूर्व कम से कम एक वर्ष की तदर्थ सेवा पूरी कर ली थी।

टिप्पणी : ऐसे उम्मीदवार जो वर्ष 1982, 1983 और 1985 में ली गई विशेष अर्हक

परीक्षा में पात्र उम्मीदवारों के रूप में शामिल हुए थे और जो अर्हता प्राप्त करने में असफल रहे वे विशेष अर्हक परीक्षा 1987 में बैठने के लिए पात्र नहीं होंगे।

सिमिलिपाल बांध परियोजना के अन्तर्गत बांध परियोजना हेतु भूमि की व्यवस्था

1359. **श्री अनादि चरण दास :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में मयूरभंज सिमिलिपाल बांध परियोजना के अन्तर्गत 'बांध-परियोजना" के लिए कितने गांवों को, उनकी वास-भूमि खाली करने के नोटिस भेजे गए हैं;

(ख) उनके पुनर्वास के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा भूमि, मकान, कृषि, फार्म आदि के लिए मुआवजा निर्धारित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउररहमान अन्सारी) : (क) भारत सरकार ने ऐसा नोटिस नहीं दिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जहां ग्रामीण लोग अपनी भूमि को बदलने और "बाघ रिजर्व" के बाहर बसने के लिए राजी हो जाते हैं, वहां ग्रामीणों को दिए जाने वाले मुआवजे की मात्रा और अन्य सुविधाओं के बारे में मापदण्डों का फैसला राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार द्वारा मांग किए जाने पर ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए "बाघ परियोजना" के अन्तर्गत शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता देती है।

[हिन्दी]

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत उत्तर-प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में निर्माण कार्य के लिए प्रस्ताव

1360. **श्री हरीश रावत :** क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के लिए गत तीन महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों से उनके मंत्रालय को निर्माण कार्य सम्बन्धी कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों पर निर्णय कब तक ले लिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) ऐसे प्रस्तावों में क्या कमियां पाई गई हैं जो उत्तर प्रदेश के उपर्युक्त दो जिलों से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए एक अनेक बार भेजे गए हैं; और

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1986 के दौरान अल्मोड़ा जिले से सम्बधित 12 प्रस्ताव और पिथौरागढ़ जिले से सम्बन्धित एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ख) प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं। सभी तेरह प्रस्तावों पर भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

अगस्त, सितम्बर एवं अक्तूबर, 1986 के दौरान प्राप्त हुए अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ जिलों में वन भूमि के दिकपरिवर्तन के प्रस्ताव

क्रम सं०	जिला	दिक्परिवर्तन का उद्देश्य	स्वीकृति जारि करने की तिथि
1.	अल्मोड़ा	खालीखान नहर	28.8.1986
2.	अल्मोड़ा	देवलधार-गिरिछिना मोटर मार्ग	8.9.1986
3.	अल्मोड़ा	संज भाटको तालाब परियोजना	28.8.1986
4.	अल्मोड़ा	निओनी पीने के पानी की परियोजना	9.9.1986
5.	अल्मोड़ा	भाकुड़ा तला लिफ्ट परियोजना सिंचाई	9.9.1986
6.	अल्मोड़ा	कालीखान नहर	22.9.1986
7.	अल्मोड़ा	जखाने पीने के पानी की योजना	9.9.1986
8.	अल्मोड़ा	भिकियासेन-बेरिकोट पट्टी विनायक तथा गनाई जैपांसी मोटर मार्ग	14.10.1986
9.	अल्मोड़ा	फरिका पीने के पानी की योजना	19.9.1986
10.	अल्मोड़ा	सिंगोली पीने के पानी की योजना	19.9.1986
11.	अल्मोड़ा	टिटाकोट पीने के पानी की योजना	17.10.1986
12.	अल्मोड़ा	दूरदर्शन प्रसारण स्टेशन	27.10.1986
13.	अल्मोड़ा	पुलिस रेडियो स्टेशन	5.11.1986

लेह को लद्दाख के साथ जोड़ने के लिए रोहतांग में सुरंग का निर्माण

1361. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेह को लद्दाख से जोड़ने के लिए रोहतांग में एक सुरंग का निर्माण करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि वहां बारहमासी सड़क का निर्माण किया जा सके ।

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है और निर्माण कार्य कब तक शुरू होने और कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) लेह मनाली सिल्क अधिक समय तक यातायात के लिए उपलब्ध करने के लिए रोहतांग में एक सुरंग का निर्माण करने का प्रस्ताव है ।

(ख) सुरंग निर्माण के सम्बन्ध में कुछ प्रारंभिक अध्ययन किये जा चुके हैं । लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में व्यापक संभाव्यता अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ग) यह बताना असामयिक होगा कि इस कार्य पर कितनी लागत आएगी और इस कार्य के कब शुरू होने की सम्भावना है ।

हिमाचल प्रदेश में कल्याण संगठन

1362. **श्री के० डी० सुलतानपुरी** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग के अनुदान प्राप्त कर रहे, हिमाचल प्रदेश स्वयंसेवी कल्याण संगठनों के नाम क्या है;

(ख) क्या सरकार को इन कल्याण संगठनों द्वारा धन के दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित स्वयंसेवी कल्याण संगठन, भारत सरकार, कल्याण मन्त्रालय से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं :—

1. समाज उत्थान कार्य समिति, जगजीत नगर, सोलन
2. दिव्य मानव ज्योति अनाथालय, दोहा मण्डी ।
3. हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद, लघु सचिवालय, शिमला (हि० प्र०) ।
4. हिन्द कुष्ट निर्वाण संघ, शिमला ।

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन मामले

1363. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, 1985-86 के दौरान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन दर्ज मामलों की राज्यवार संख्या क्या थी;

(ख) उक्त वर्ष के दौरान कितने मामले निपटाए गए, और

(ग) उक्त वर्ष के दौरान उक्त अधिनियम के अधीन कितने लोगों को दंडित किया गया ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत वर्ष 1985 के दौरान, न्यायालय में चालान किए गए मामलों की संख्या, न्यायालय द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या और दोषी सिद्ध करने के लिए विचाराधीन मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण (राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्राप्त सूचना के आधार पर)

क्र०सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	मामलों की संख्या		
		न्यायालय में चालान किए गए	न्यायालयों द्वारा निपटान किए गए	दोष सिद्ध करने के लिए विचाराधीन
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2.	असम	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
3.	बिहार	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—

1 2	3	4	5
4. गुजरात	153	143	15
5. हरियाणा	2	1	—
6. हिमाचल प्रदेश	3	3	—
7. जम्मू और काश्मीर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
8. कर्णाटक	506	164	4
9. केरल	24	31×	1
10. मध्य प्रदेश	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
11. महाराष्ट्र	281	365×	104
12. मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
13. मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
14. मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
15. नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
16. उड़ीसा	66	32	2
17. पंजाब	1	--	—
18. राजस्थान	108	55	38
19. सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
20. तमिलनाडु	944	1032×	50
21. त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
22. उत्तर प्रदेश	122	100	41
23. पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई प्रतियोगिता परीक्षाएं

1364. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985-86 के दौरान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई प्रतियोगी परीक्षाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने उम्मीदवार परीक्षा में बैठे, कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया और प्रत्येक मामले में कितने उम्मीदवारों को अन्तिम रूप से नियुक्त किया गया; और

(ग) परीक्षाओं में बैठे और अन्तिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है ?

शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) अपेक्षित सूचना विवरण-I में दी गई है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० 3205/86)

(ख) प्रत्येक मामले की परीक्षा में बैठे तथा चुने गए उम्मीदवारों की संख्या विवरण-II में दी गई है [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3205/86]। चूंकि कर्मचारी चयन आयोग प्रत्येक विभागों को नियुक्ति के लिए सफल उम्मीदवारों के नामों की केवल सिफारिश करता है तथा नियुक्ति का वास्तविक प्रस्ताव विभिन्न कार्यालयों के विभिन्न नियोक्ता प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है, इसलिए विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों द्वारा वास्तव में नियुक्त किए गए सफल उम्मीदवारों की संख्या के बारे में कोई केन्द्रीकृत सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) अपेक्षित सूचना विवरण-III से VIII तक के अनुबन्धों में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3205/86]

औषधों का नशे के लिए दुरुपयोग

1365. श्री मानिक रेड्डी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में औषधों के नशे के लिए दुरुपयोग में हो रही वृद्धि और इससे उत्पन्न कानून और व्यवस्था की समस्याओं से चिन्तित है; और

(ख) क्या सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा स्थिति की जांच की गई है और इसका विश्लेषण किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रकार के किसी भी सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी सरकार ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या के समाधान के लिए कानूनी, कल्याणकारी तथा प्रचार सम्बन्धी अनेक उपाय किए हैं।

गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के नेता द्वारा नेपाल के महाराजा को लिखा गया पत्र

1366. श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के नेता ने अपनी मांगों के सम्बन्ध में 23 दिसम्बर, 1983 को नेपाल के महाराजा को एक पत्र लिखा था, और क्या उस पत्र की प्रतियां संयुक्त राष्ट्र संघ सहित विभिन्न देशों के शासनाध्यक्षों को भेजी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो उस पत्र का मूल विषय क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे ने नेपाल के महाराजा को 23 दिसम्बर, 1983 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया । बाद में उन्होंने इसकी प्रतियां संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव तथा कुछ सरकारों के प्रधानों को भेजीं । उस ज्ञापन की एक प्रति इस विवरण में दी गयी है । गृह मंत्री को 15 सितम्बर, 1986 को लिखे गए अपने पत्र में श्री सुभाष गिशिंग ने इस ज्ञापन को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा कुछ सरकारों को भेजे जाने पर उत्पन्न हुए संशय तथा सन्देह के लिए खेद व्यक्त किया है ।

विवरण

ज्ञापन

सेवा में,

महामहीम बिरेन्द्र बीर विक्रम शादेव
नारायन हिति राजमहल, काठमांडू, नेपाल ।

माननीय महोदय,

भारत की स्वतन्त्रता के 36 वर्ष बाद भी भारत में बसे 60 लाख से अधिक गोरखा जाति के लोग भारत के सभी भागों तथा सुगौली संधि में सौंपी गयी अपनी भूमि के भागों में सम्मान-विहीन व्यक्ति की तरह रह रहे हैं, उन्होंने अपनी राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय पहचान, ऐतिहासिक स्वाभिमान तथा अपनी मातृभूमि और भाग्य को समर्पित कर दिया और विदेशी राष्ट्रिक निर्वासन, पुलिस की अनावश्यक यातनाएं गिरफ्तारियां, छापे, हत्याओं तथा भारतीय जातियों की व्यवस्थित प्रधानता को जबरदस्ती थोपने जैसे लगातार अवांछनीय अमानवतापूर्ण कृत्यों का शिकार बने और ऐसे जातीय अलगाव के वातावरण के क्रूर दबावों और न्याय की स्वतन्त्रता, समानता, भातृत्व तथा अवसर के अभाव के कारण गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा को गठित करना पड़ा ताकि भारत की स्वतन्त्रता के समय से राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के रंगभेद तथा जाति संहार जैसे अपराधों के अमानवीय खतरों से निपटा जा सके तथा गोरखाओं के उक्त अकथित दुखद वृतान्तों को अन्तर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया जा सके । इस संगठन को मजबूर होकर महामहीम की वास्तविक ऐतिहासिक अदालत में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार तथा नेपाल के बीच हुई प्राचीन संधियों और समझौतों के दर्दनाक परिणामों के संदर्भ में अपील करनी पड़ी, इन संधियों और समझौतों से आदिवासी गोरखा विषय स्थिति में फंस गये जब उनकी ऐतिहासिक भूमि तथा क्षेत्र को निर्दयतापूर्वक 2 दिसम्बर, 1815 की सुगौली संधि द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया और उसके बाद सुगौली संधि की गंभीर प्रतिक्रिया तथा नेपाल की आन्तरिक राजनीतिक अशान्ति से निराश गोरखा स्वयं अपने दीन देश को भारी मन तथा

मानसिक पीड़ा से ग्रस्त होकर छोड़ गये और उन्होंने ब्रिटिश फौज में सैनिकों के रूप में तथा कोयला खानों आयल फील्डों तथा चाय बगानों में श्रमिकों के रूप में नेपाल सरकार की सरकारी मंजूरी के बिना नौकरी कर ली और इस तरह का सामूहिक निर्गमन नेपाल के अलग देश से भारतीय भूमि के विभिन्न भागों तथा सुगौली में संधि में सौंपी गई भूमि के भागों तथा 11 नवम्बर, 1965 की राजाभतकूआ संधि के भागों में 1816 से 1884 तक होता रहा और उसके बाद 1885 से गोरखाओं को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार तथा नेपाल में लिखित समझौते के अनुसार ब्रिटिश फौजों में शामिल होने की सरकार द्वारा अनुमति दे दी गई तथा 10वीं गोरखा बटालियन का वास्तविक इतिहास 1890 से विदेशी भूमि पर शुरू हुआ तथा उसके बाद तीन श्रेणियों के उक्त गोरखाओं की 1891 में समुचित रूप से जनगणना की गई और उन्हें नेपाल नरेश के प्रत्यक्ष अधिराज्य के तहत तत्कालीन ब्रिटिश सरकार तथा नेपाल के बीच 21 दिसम्बर, 1923 की अन्तिम पारस्परिक संधि द्वारा नेपाल निवासी अथवा नागरिक बना दिया गया और द्वितीय विश्व युद्ध के तुरन्त बाद ब्रिटिश जो पहले की संधियों और समझौतों के मुख्य जिम्मेवार हस्ताक्षरकर्ता थे, अपने देश इंग्लैंड चले गये, उन्होंने भारत और पाकिस्तान नामक दो अलग स्वतंत्र देश बनाकर भारतीय मूल के हिन्दुओं और मुसलमानों के भाग्य का निर्णय किया और 15 अगस्त, 1947 से उक्त गोरखाओं तथा उनकी भूमि तथा क्षेत्र को तबाही के रास्ते पर छोड़ दिया क्योंकि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार तथा नेपाल की पहली संधियों तथा समझौतों को रद्द तथा निलम्बित नहीं किया अथवा उक्त गोरखा जाति के भविष्य तथा उनके द्वारा सौंपी गई भूमि को जनमत संग्रह की वैधानिक प्रक्रिया द्वारा नेपाल अथवा भारत सरकार को सौंपने का निर्णय नहीं किया गया और ब्रिटिश सरकार ने उक्त अन्तर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को रद्द न करके अपनी साधारण नैतिक जिम्मेवारी से पूरी तरह से मुंह फेर करके अन्यायपूर्ण कार्य किया है और इससे वर्तमान स्वतंत्र भारत में रह रही पूरी गोरखा जाति जो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और नेपाल के बीच हुई पुरानी संधियों और समझौतों के वास्तविक तथ्यों से पूरी तरह से अनभिज्ञ है, के मन में भयानक संदेह, संशय और विरोध की भावना फैलाई तथा उलझनों और गहरी भ्रान्तियों के कारण वे अनजाने में अपने आपको भारत के सच्चे नागरिक और स्वतंत्र भारत को अपनी मातृभूमि मान बैठे हैं और भारत की आजादी के केवल तीन वर्ष बाद 21 जुलाई, 1950 की भारत नेपाल संधि तथा 30 अक्तूबर, 1950 की ब्रिटिश नेपाल संधि ने भी गोरखाओं के बिगड़े भाग्य को संवारने में कुछ नहीं किया तथा इसके साथ-साथ उनके द्वारा सौंपी गयी भूमि और क्षेत्र के लिए भी कुछ नहीं किया और तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और नेपाल की पुरानी संधियों तथा समझौतों की विनाशकारी शर्तों को बनाये रखा और इन दो क्रूर संधियों के अमानवीय कार्य ने 8 जनवरी, 1919 को अन्तर्राष्ट्रीय शांति संधि के समय राष्ट्रपति वुडरयू विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम में उद्घोषित आत्म-निर्णय के अधिकार के सिद्धांत का उल्लंघन किया है और इसके साथ मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के सिद्धांत का उल्लंघन किया है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महा सभा द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को अपनाया गया था और इस प्रकार स्वतंत्र भारत में बसे सभी गोरखाओं के भाग्य को उपनिवेशवाद, सामन्तवाद, बर्बरता तथा धोखाधड़ीवाद के पुराने अमानवीय क्रूर ढंगों को अपनाकर स्थायी रूप से ठप्प कर दिया और गोरखा लोग

अपनी राष्ट्रीय पहचान, राजनीतिक सुरक्षा तथा अपनी ऐतिहासिक मातृभूमि तथा भाग्य को खोने के बाद दूसरे देशों के लिए लड़ाईयां लड़ने पर मजबूर हुए। मानवता के प्रति किए गए उल्लिखित अक्षम्य ऐतिहासिक अपराधों और भारत संघ में रह रहे गोरखाओं के भावी स्तर के राजनीतिक अस्तित्व के अनिर्णीत प्रश्न को गंभीरतापूर्वक ध्यान में रखते हुए तीन जिम्मेवार हस्ताक्षरकर्ता देश नेपाल, भारत तथा ब्रिटेन को 1950 की विद्यमान भारत-नेपाल तथा भारत ब्रिटिश सन्धियों को निरस्त करने का आग्रह किया है तथा ऐसी नई संधियां करने का आग्रह किया है जिससे शिकार हुए उक्त गोरखाओं का स्थायी राजनीतिक हल संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के उपबन्धों के अनुसार हो और इसके साथ-साथ उनके द्वारा सौंपी गयी भूमि और क्षेत्र के भविष्य को इनके अनुसार ही निश्चित किया जा सके तथा गोरखाओं के इसी गंभीर ज्वलंत जातीय मुद्दे को लेकर गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा महामहीम के प्रभावशाली नेतृत्व के सम्मुख यह ज्ञापन प्रस्तुत करता है ताकि ऐतिहासिक निर्णय के लिए साहसिक कदम उठाया जा सके तथा महामहीम का विवेकपूर्ण न्याय प्राप्त हो सकें :

अब निर्णय महामहिम के हाथ में हैं।

कृते गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा
सुभाष गिर्शिंग 23-12-83
अध्यक्ष गो० रा० मु० मो०
गोरखालैंड, भारत

प्रतिलिपि :

1. अमेरिका के राष्ट्रपति
2. रूस के राष्ट्रपति।
3. फ्रांस के राष्ट्रपति
4. भारत के राष्ट्रपति।
5. पाकिस्तान के राष्ट्रपति।
6. बंगलादेश के राष्ट्रपति।
7. श्री लंका के राष्ट्रपति।

प्रतिलिपि :

1. भारत के प्रधान मन्त्री।
2. चीन के प्रधान मन्त्री।
3. ग्रेट ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री।
4. नेपाल के प्रधान मन्त्री।

प्रतिलिपि :

1. नेपाल नरेश ।
2. भूटान नरेश ।
3. महारानी, ग्रेट ब्रिटेन ।
4. राजकुमार, नेपाल (ज्ञानेन्द्र) ।
5. महासचिव, सं० रा० सं० (न्यूयार्क, अमेरिका) ।

अन्य :

1. भूतपूर्व प्रधान मन्त्री सूर्य बहादुर थापा ।
2. भूतपूर्व प्रधान मन्त्री डा० तुल्सी गिरी ।
3. भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, कीर्ति निधि बिष्ट ।
4. उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता, संभु प्रसाद ग्वाली ।
5. उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता, कृष्ण प्रसाद पंत ।
6. उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता, कृष्ण प्रसाद भण्डारी ।
7. हरक बहादुर गुरूंग, भूतपूर्व मंत्री ।
8. बुद्धिजीवी, लेखक तथा प्रेस संवाददाता ।

इलेक्ट्रोनिकी के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम

1367. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-अमरीका वाणिज्य महासंघ की बैठक में यह विचार व्यक्त किए गए थे कि इलेक्ट्रोनिकी के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम के अधिक अवसर हैं और प्रमुख अमरीकी कम्पनियां पुर्जों का निर्माण करने वाले उद्योगों में बड़े पैमाने पर राशि निवेश करने को इच्छुक हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) तथा (ख) फरवरी, 1986 में भारत-अमरीका वाणिज्य महासंघ द्वारा आयोजित संगोष्ठी में यह विचार व्यक्त किया गया था कि इलेक्ट्रोनिक संघटक पुर्जों तथा कम्प्यूटरों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का अंतरण करने तथा पूंजी-निवेश करने के लिए भारत में अधिक अवसर है। किंतु भारत में संघटक-पुर्जो (काम्पोनेंट) विनिर्माण करने वाले उद्योगों में कौन सी अमरीकी कम्पनियां भारी मात्रा में पूंजी निवेश करने की इच्छुक थी, उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया।

कतिपय संगठनों द्वारा विदेशों से धनराशि प्राप्त किया जाना

1368. **श्री बाजूबन रियान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्नलिखित संस्थाओं ने वर्ष 1981 से 1984 के दौरान, विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत विदेशों से धनराशि प्राप्त की है;

(एक) विश्व युवक केंद्र, नई दिल्ली।

(दो) इंस्टीट्यूट आफ यूथ डेवलपमेंट, बंगलौर।

(तीन) सेन्टर फॉर यूथ एण्ड सोशियल डेवलपमेंट भुवनेश्वर।

(चार) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ यूथ वेलफेयर, नागपुर।

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं, जिन्होंने ये धनराशियां प्रदान की हैं और इन संगठनों के नाम क्या हैं, जिन्होंने इसमें अंशदान किया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी है।

विवरण

1981, 1982, 1983 और 1984 के दौरान कुछ स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्राप्त किए गए विदेशी धन की राशि जो उनके द्वारा प्राप्त की गई बताई गई है, और उनके नामों की सूची

क्र० सं०	संगठन का नाम	प्राप्त की गई राशि (रुपयों में)				दानदाता का नाम और उसके देश का नाम
		1981	1982	1983	1984	
1.	विश्व युवक केन्द्र नई दिल्ली।	हमारे रिकार्डों में नहीं है।				
2.	इंस्टीट्यूट फार यूथ डेवलपमेंट. बंगलौर।	2,07,981.75	6,46,647.00	6,54,652.18	7,62,761.95	इंस्टीट्यूट फार इंटरनेशनल एण्ड पार्टनरशिप कोनार्ड पश्चिमी जर्मनी। स्टिचिंग हिवास फाईनेंसिंग डिविजन हाग। मिसन्स जेड०एम०टी०ई० एस०, डी०एन० फेंगिस्कान पश्चिम जर्मनी।
3.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ यूथ वेलफेयर, हिल रोड नागपुर।	2,47,423.15	6,10,778.15	11,59,063.57	एसोशियेशन द्वारा सूचित नहीं किया गया।	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ पार्टनरशिप पश्चिम जर्मनी।
4.	सेंटर फार यूथ एण्ड सोसल डेवलपमेंट, भुवनेश्वर।	एसोसियेशन द्वारा सूचित नहीं किया गया।			950.00	आक्सफाम (इंडिया) ट्रस्ट, 274 बनबरी रोड, आक्सफोर्ड, ओ, एक्स, जेड, 7 डी० जैड०, यू०के०।

पूर्ववृत्तों की दोहरी जांच

1369. **श्री चम्पन चामस** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों में सेवा के लिए चुने हुए केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के लोगों के पूर्ववृत्तों की दोहरी जांच के आदेश रद्द कर दिए हैं; और

(ख) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) जी, हां।

(ख) उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 26 अगस्त, 1986 के निर्णय में यह माना था कि केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्यों के उम्मीदवारों के चरित्र तथा पूर्ववृत्तों के विशेष सत्यापन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाई जा रही पद्धति से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हुआ था और यह पद्धति भेदभावपूर्ण है। अतः भारत सरकार ने 4 सितम्बर, 1986 को जारी किए गए एक आदेश द्वारा इन राज्यों से आने वाले उम्मीदवारों के सम्बन्ध में विशेष सत्यापन की पद्धति को समाप्त कर दिया है।

मोटर वाहनों के कारण होने वाला प्रदूषण

1370. **श्री डा० जी० विजय रामा राव** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए देश भर में धूम्र-विश्लेषण लगाने की कोई योजनायें हैं;

(ख) क्या मोपेड, आटो-रिक्शा, मोटर-साइकिलों आदि की संख्या में, जिनमें पेट्रौल के साथ मोबिल आयल प्रयोग किया जाता है; तीव्र वृद्धि के कारण वायु-प्रदूषण में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो वायु प्रदूषण पर किस प्रकार नियंत्रण किया जायेगा; और

(घ) देश में आन्तरिक ज्वलन इंजिन वाले वाहनों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं। तथापि, कुछ महानगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में धुआं विश्लेषक (स्मोक एनालाइजर) स्थापित किए गए हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया। तथापि, यह सर्व-विदित है कि दो-चरण (टू-स्ट्रोक) वाले इंजनों से वायु प्रदूषण बढ़ता है।

(ग) पेट्रोल और डीजल से चलने वाली मोटर गाड़ियों के लिए उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं और राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत इन मानकों को लागू करें। दो चरण (टू-स्ट्रोक) वाली मोटर गाड़ियों की संख्या के प्रश्न को प्रत्येक शहर में शहरी कम्प्यूटर यातायात समस्याओं के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए।

(घ) 1982-83 की स्थिति के अनुसार सड़क पर मोटर गाड़ियों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है—

मोटर गाड़ी की किस्म	संख्या हजारों में
दुपहिए	3519
आटो-रिक्शे (टेम्पो सहित)	182
जाप	154
कार	1061
टैक्सियां	136
बसें	178
सामान ढोने वाली मोटर गाड़ियां	1696
मिश्रित	793
कुल मोटर गाड़ियां	6719

गैस दुर्घटना के पश्चात् भोपाल में संगठनों को विदेशी सहायता

1371. श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री इन्द्र जीत गुप्त } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस दुर्घटना के पश्चात् भोपाल में कई मैडिकल शैक्षणिक संस्थायें स्थापित की गई हैं जिन्हें, विदेशों से वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन संस्थाओं के कार्यकरण और गतिविधियों पर निगरानी रखे हुए हैं;

(घ) क्या यह सच है कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन की सहायता से स्थापित अस्पताल इस बीच बन्द कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक लोक-शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) गैस कांड के बाद, विदेशी अभिदान प्राप्त करने के लिए विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत तीन संगठनों नामत: भोपाल तकनीकी और व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (बी० टी० वी० टी० सी०), कार्बाइड कर्मचारी प्रायोजित राहत न्यास, भोपाल और गैस पीड़ित राहत समिति भोपाल, को पंजीकृत किया गया था जिनमें से भोपाल तकनीकी और व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र पर धन प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(घ) यूनियन कार्बाइड निगम की सहायता से किसी अस्पताल के स्थापित किए जाने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

असम समझौते का कार्यान्वयन

1372. **श्री दिनेश गोस्वामी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम समझौते के कौन-कौन से खण्ड अभी तक कार्यान्वित नहीं किए गए हैं; और

(ख) इन खण्डों को कार्यान्वित करने में क्या कठिनाइयां हैं तथा इन्हें कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है।

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) असम समझौते के कार्यान्वयन में हुई खण्ड-वार प्रगति का विवरण संलग्न है।

विवरण

असम समझौते के कार्यान्वयन की प्रगति

समझौते की क्र०सं०	विषय	प्रगति
1	2	3
5.2 1967 के चुनावों में प्रयोग की गई मतदाता सूचियों में जिनके नाम थे, उनके सहित 1.1.1966 से पहले असम में आये सभी व्यक्तियों को नियमित कर दिया जाएगा।		नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985 7.12.1985 से लागू हुआ। 1.1.1966 से 24.3.1971 के मध्य आये व्यक्तियों के विषय में इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिए नागरिकता (संशोधन) नियम, 1986

1	2	3
		और विदेशी नागरिक (न्यायाधिकरण) आदेश 1964 का संशोधन 15.1.1986 को अधिसूचित किया गया है।
5.3	विदेशी अधिनियम 1964 और विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश 1964 के उपबंधों के अनुसार 1.6.1966 (इस तिथि सहित) और 24 मार्च, 1971 के मध्य असम में आए विदेशियों का पता लगाया जाएगा।	राज्य सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश भेज दिए गए हैं, जिसने पता लगाने का कार्य शुरू कर दिया है।
5.4	पता लगाये गए विदेशियों के नाम वर्तमान मतदाता सूचियों से हटा दिए जाएंगे। विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 और विदेशियों का पंजीकरण नियम, 1939 के उपबन्धों के अनुसार प्रकार के व्यक्तियों को अपने आपको संबंधित जिले के पंजीकरण अधिकारियों के पास पंजीकरण कराना होगा।	इस कार्य को शुरू करने लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
5.5	इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार, सरकारी तंत्र को उचित रूप से मजबूत करेगी।	विशेष पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के लिए कुछ आवश्यक कर्मचारियों सहित पुलिस अधीक्षक के स्तर के 18 अतिरिक्त पदों के सृजन और वाहन खरीदने की स्वीकृति दी गई है और राज्य सकार को भेज दी गई है।
5 6	पता लगाने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर इस प्रकार के सभी व्यक्तियों के नाम जिनके नाम मतदाता सूचियों से हटा दिए गए हैं, बहाल कर दिए जाएंगे।	उचित समय में शुरू किया जाना है।

1	2	3
	5.7 उन सभी व्यक्तियों को, जिन्हें पहले निष्कासित कर दिया गया था लेकिन पुनः अवैध रूप से प्रविष्ठ हो गए हैं, निष्कासित कर दिया जाएगा।	यह एक सतत प्रक्रिया है। असम राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे प्रक्रिया को और तेज करने के लिए पुलिस महानिदेशक असम के प्रस्ताव की जांच कर रहे हैं।
	5.8 जो व्यक्ति 25 मार्च 1971 को या इसके बाद असम में आए थे, उनका पता लगाया जाना जारी रहेगा और कानून के अनुसार उनका नाम हटा दिया जाएगा और निष्कासित कर दिया जाएगा। इस प्रकार के विदेशियों को निष्कासित करने के लिए तुरन्त और व्यवहारिक उपाय किए जाएंगे।	यह भी सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकार से इसमें जल्दी करने के लिए कहा गया है।
	5.9 अवैध अप्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983 को कार्यान्वित करने के बारे में अखिल असम छात्र संघ/अखिल असम गण संग्राम परिषद द्वारा व्यक्त की गई कुछ कठिनाइयों पर सरकार उचित विचार करेगी।	अवैध आप्रवासी (न्यायाधिरणों द्वारा निर्धारण अधिनियम, 1983 को संशोधित करने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
	6. असम के लोगों की संस्कृति, सामाजिक भाषायी, पहचान और परंपरा के संरक्षण, इसे बनाए रखने और विकास के लिए संवैधानिक विधायी और प्रशासनिक संरक्षण, जो भी उपयुक्त हो, उपलब्ध कराए जाएंगे।	राज्य सरकार से हाल ही में प्रस्ताव प्राप्त हुआ।
	7. सरकार इस अवसर पर, असम के त्वरित सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए अपने वायदे को दुहराती है ताकि लोगों के रहन-सहन के स्तर को उठाया जाए, राष्ट्रीय संस्थानों	योजना आयोग, असम के त्वरित चौमुखी आर्थिक विकास पर उचित ध्यान दे रहा है। असम की सातवीं योजना के परिव्यय 2100 करोड़ रु० निर्धारित किया गया है, जबकि छठी योजना का परिव्यय 1115 करोड़ रुपया था। योजना को

1	2	3
	की स्थापना के माध्यम से शिक्षा और विज्ञान और तकनीकी पर विशेष बल दिया जाएगा।	लगभग पूरा धन 2065 करोड़ की केन्द्रीय सहायता द्वारा दिया जाएगा।
8.1	सरकार भविष्य में नागरिकता प्रमाण पत्रों को जारी करने की व्यवस्था केवल केन्द्र सरकार के प्राधिकारियों द्वारा करायेंगी।	नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति जिला समाहर्ताओं से वापस ले ली गयी है। इसके बाद यह शक्ति केवल केन्द्र सरकार के पास होगी।
8.2	भारतीय नागरिकता प्रमाणपत्रों के अनियमित रूप से जारी करने के बारे में अखिल असम छात्र संघ/ अखिल असम गण संग्राम परिषद द्वारा की जाने वाली विशिष्ट शिकायतों की जांच की जाएगी।	अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
9.1	वास्तविक अवरोधों जैसे दीवार, कंटीले तार लगाकर और उपयुक्त स्थानों पर अन्य रुकावटें खड़ी करके भविष्य में घुसपैठ के विरुद्ध अन्तर-राष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित बनाया जाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ भूमि और नदी तटीय मार्गों पर सुरक्षा बल द्वारा गश्त को गहन किया जाएगा। सुरक्षा प्रबन्धों को और मजबूत करने, भविष्य में घुस-पैठ को प्रभावकारी ढंग से रोकने के लिए प्रर्याप्त संख्या में सीमा चौकियां स्थापित की जाएंगी।	भारत बंगलादेश सीमा के साथ पहले जीप चलने योग्य सड़क का निर्माण करने का निर्णय किया गया है। सीमा के असम क्षेत्र में सड़क के लिए असम लोक कार्य विभाग सर्वेक्षण कार्य कर रहा है। अन्य क्षेत्रों से केन्द्रीय लोक कल्याण विभाग तथा सीमा सड़क संगठन को यह कार्य सौंपा गया है। सड़कों के निर्माण के बाद सीमा पर बाड़ लगाने के प्रश्न को उठाया जाएगा।
9.2	उपयुक्त व्यवस्थाओं के अतिरिक्त सुरक्षा के विचारों की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ एक सड़क बनाई जाएगी ताकि सुरक्षा बलों द्वारा सुविधाजनक रूप से गश्त लगाई जा सके। सड़क और	सीमा सुरक्षा बल सीमा बाह्य चौकियों के नेटवर्क को सुदृढ़ करने और निगरानी बुर्जों और उन्हें आवश्यक घुसपैठ विरोधी यन्त्रों से लैस करने और दिन-रात गहन सतर्कता और गश्त के लिए वाहनों की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है।

1	2	3
	सीमा के बीच की भूमि मानव आबादी से मुक्त रखी जाएगी, और जहां आवश्यक होगा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ नदी तटीय गहत गहन की जाएगी। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने और पार करने के प्रयासों को रोकने के लिए सभी कारगर उपाय किए जाएगे।	
10.	यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आदिवासी क्षेत्रों और खण्डों में सरकारी भूमि के अतिक्रमण को रोकने से सम्बन्धित कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए और ऐसे कानूनों के अधीन निर्धारण के अनुसार अनधिकृत अतिक्रमण कर्ताओं को बेदखल किया जाए।	राज्य सरकार के अनुसार वर्तमान कानून पर्याप्त हैं और इन्हें सख्ती से लागू किया जाएगा।
11.	यह सुनिश्चित किया जाएगा कि असम में विदेशियों द्वारा अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण को प्रतिबंधित करने वाले सम्बन्धित कानून को सख्ती से लागू किया जाए।	राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कार्रवाई शुरू कर रही है।
12.	यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जन्म तथा मृत्यु के रजिस्टरों को विधिवत रखा जाएगा।	राज्य सरकार के अनुसार असम में जन्म तथा मृत्यु के पंजीकरण की विद्यमान प्रणाली को एक संशोधित प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है ताकि जन्म तथा मृत्यु रजिस्टरों के समुचित रखरखाव को सुनिश्चित किया जा सके।
13.	अखिल असम छात्र/अखिल असम गण-संग्राम परिषद आंदोलन समाप्त करें, पूर्ण सहयोग का आश्वासन दें और स्वयं को देश के विकास की ओर समर्पित करें।	आन्दोलन समाप्त कर दिया गया है।

1	2	3
14.	केन्द्रीय और राज्य सरकार ने सहमति व्यक्त की गई है कि :	
	(क) आंदोलन के सन्दर्भ में कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों की सहानुभूतिपूर्वक समीक्षा करना और वापस लेना तथा सुनिश्चित करना की किसी को पीड़ित न किया जाए ।	राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार आंदोलन में भाग लेने के सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक मामलों की पुनरीक्षा की गई है।
14.	(ख) आंदोलन के दौरान मारे गए व्यक्तियों के निकटतम सम्बंधी को अनुग्रहपूर्वक अदायगी के लिए योजना बनाना ।	राज्य सरकार के अनुसार आंदोलन के दौरान मारे गए/खोये व्यक्तियों के लगभग सभी मामलों में उनके नजदीकी रिश्तेदारों को 5,000 रु० प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुग्रहपूर्वक अदायगी की गई है और केन्द्र सरकार प्रत्येक मामले में इस राशि को सैद्धान्तिक रूप से 20000 रु० तक बढ़ाने के लिए सहमत हो गई है तथा राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वे प्रति वर्ष के लिए आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
14.	(ग) असम में आंदोलन के संदर्भ में लोक सेवाओं में रोजगार के लिए उच्च आयु सीमा में छूट देने के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करना क्योंकि असाधारण स्थिति के कारण शैक्षणिक तथा प्रतियोगी परीक्षाएं इत्यादि संचालित नहीं की जा सकी ।	राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए 6 वर्ष की सामान्य छूट देने के आदेश जारी किए गए ।
14.	(घ) नजरबन्दी के मामलों में यदि कोई हो, के साथ-साथ अन्य अपराधों के दोषी व्यक्तियों के अलावा आंदोलन के सम्बन्ध में अपराधिक मामलों के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मामलों की पुनरीक्षा ।	आंदोलन के सम्बन्ध में रा० सु० अ० के अन्तर्गत बन्दी बनाये गये सभी बन्दियों को रिहा कर दिया गया है। राज्य सरकार ने अपराधिक मामलों की पुनरीक्षा भी की है ।

1	2	3
14.	(ङ) निषेध आदेशों, लागू अधिसूचनाओं, यदि कोई हो, को वापिस लेने पर विचार करना।	राज्य सरकार ने असम विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना महत्वपूर्ण संस्थानों तथा असम नागालैंड सीमा क्षेत्र को छोड़कर वापस ले ली है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन निषेधाज्ञा आदेश वापस ले लिए गये हैं।

संदर्भ सं०	संक्षिप्त विषय	टिप्पणी
परा—3		
	(क) चुनाव आयोग को सही मतदाता सूचियां बनाने को सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया जायेगा।	चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के मसौदे पर दावों तथा आपत्तियों को दायर करने के लिए 27 सितम्बर, 1985 तक 30 दिन का समय बढ़ाया था मतदाता सूचियों को तैयार करने के कार्य के निरीक्षण के लिए असम में 10 केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात किए गए। मतदाता सूचियां अंतिम रूप से 7 नवम्बर, 1985 को प्रकाशित की गई तथा असम में 16.12.1985 को चुनाव हुए।
	(ख) दावों तथा आपत्तियों के निपटान के लिए समय को 30 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है बशर्ते कि यह चुनाव नियमों के अंतर्गत हों।	
	(ग) चुनाव आयोग को केंद्रीय पर्यवेक्षकों को भेजने का अनुरोध किया जाएगा।	
3(2)	(क) असम में तेल शोधक कारखाना स्थापित करना।	राज्य सरकार को उपयुक्त पार्टियों का पता करने के लिए सलाह दी गई है और संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है।
	(ख) केंद्र सरकार निम्न को खोलने के लिए राज्य सरकार को पूर्ण सहायता देगी:	केंद्रीय सरकार द्वारा आवश्यक सहायता दी जाएगी।
	(i) अशोक पेपर मिल	केंद्रीय तथा संबंधित राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थानों के बीच अशोक पेपर मिल को दुबारा खोलने के बारे में विचार विमर्श चल रहा है। इस बीच केन्द्रीय सरकार ने पुराने वेतनों तथा मजदूरी की अदायगी के लिए तथा प्लांट बिल्डिंग और उपकरण की अपरिहार्य मरम्मत हेतु 2.84 करोड़ रुपये की वेज तथा मींस अग्रिम राशि दी है।

संदर्भ सं०	संक्षिप्त विषय	टिप्पणी
	(ii) जूट मिल	केंद्रीय सरकार मिल की पूरी पुनः स्थापना के लिए 240.60 लाख रुपये प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है बशर्ते कि राज्य सरकार छूट अथवा अन्य तरीके से 95.45 लाख रुपये के बिक्री कर तथा क्रय कर की अदायगी कर दें।
	(ग) असम में एक भारतीय तकनीकी संस्थान खोला जाएगा।	असम में एक भारतीय तकनीकी संस्थान खोलने के प्रस्ताव पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। गोहाटी के पास इसके लिए अस्थायी स्थान का चुनाव कर लिया गया है।

पीपुल्स एक्शन फार डेवलपमेंट (इण्डिया) को विदेशी धन

1373. **श्री बाजू बन रियान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीपुल्स एक्शन फार डेवलपमेंट (इंडिया) (पी० ए० डी० आई०) विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के अधीन स्वैच्छिक संगठनों को वितरण करने के लिए विदेशों से धन प्राप्त करता रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980, 1981 और 1982 में पी० ए० डी० आई० द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान पी० ए० डी० आई० द्वारा प्राप्त किए गए विदेशी अंशदान की राशि जो उन्होंने सूचित की है, निम्न प्रकार है—

वर्ष	प्राप्त किए गए विदेशी अंशदान की राशि (रुपयों में)
1980	2,05,14,462.63
1981	38,33,549.25
1982	6,91,685.00

कुछ संगठनों द्वारा विदेशी धन प्राप्त करना

1374. **श्री बाबू बन रियान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्नलिखित संगठन विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1981 से 1984 तक विदेशों से धनराशि प्राप्त करते रहे हैं;

(एक) मैसूर रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन (एम० आई० आर० ए० डी० ए०), कर्णाटक;

(दो) बम्बई अरबन इंडस्ट्रियल लीग फार डेवलपमेंट (बी० यू० आई० एल० डी०), बम्बई;

(तीन) प्रोफेशनल एसिस्टेंस फार डेवलपमेंट एक्शन, नई दिल्ली;

(चार) एग्रीहन्डस एन्स्टीट्यूट, बनवासी सेवा आश्रम, जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी धनराशि प्राप्त की गई है; और

(ग) दाता संगठनों और सम्बन्धित देशों के नाम क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान् क्रम सं० (चार) के सम्बन्ध में पंजीकृत नाम उसी पते पर केवल बनवासी सेवा आश्रम है।

(ख) तथा (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी है।

विवरण

ऐसे विदेशी धन की राशि जो वर्ष 1981 से 1984 तक के दौरान कुछ संगठनों द्वारा प्राप्त की गई, बताई गई है और उनके नामों का विवरण ।

सं०	संगठन का नाम	प्राप्त किए गए विदेशी अंशदान की राशि (रु०) में				दानदाता संगठन व देश का नाम
		1981	1982	1983	1984	
1	2	3	4	5	6	7
	सूर रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन (मर्यादा) कर्णाटक	एसोसिएशन द्वारा सूचित नहीं किया गया ।	46,61,173.00	87,38,230.79	25,83,647.80	फोस्टर पेरन्ट्स इन्टरनेशनल प्लान-सं० रा० अमेरिका, मैसर्स नीदरलैंड,कमेटी 1966-दा हेग मैसर्स कनाडियन, हंगर फाउन्डेशन कनाडा । कनाडियन हाई कमीशन कनाडा : मिसेज रीता पंथूरस्ट इंग्लैंड । तिब्बत रिफ्यूजी एण्ड सोसायटी, कनाडा । नार्थ रा ट्रस्ट पोर्टमेन स्क्वेयर, लंदन । स्टिचिंग बलुकटेलिंग स्टाढोडर्सलान, नीदरलैंड । मैसर्स ड्यूटसे वेयंगरहिल्फे, पश्चिम जर्मनी ।

1	2	3	4	5	6	7
						बोर्ड आफ ट्रस्टीज स्टाढ़ोडर्स-लान दा हेग। डयूट से कैसेलास चाफ्ट फरटेकनीक जुसामेनरेबट, पश्चिम जर्मनी। फूड फार हंगरी, कनाडा। साउथ एशिया पार्टनरशिप, कनाडा।
2.	बम्बई अर्बन इंडस्ट्रीयल लीग फार डेवलपमेंट II सुसाता हाउसिंग सोसायटी, एस० वी० रोड, बम्बई-50।	10,67,119.00	16,35,299.23	15,18,321.68	19,69,518,37	क्रिश्चियन एण्ड, पो० बो० बोक्स-1, लंडन। क्रिश्चियन कांफ्रेंस आफ एशिया-अर्बन रूरल मिशन, हांगकांग। डी० ए० जी० ए०, 57, पीकिंग-रोड, हांगकांग। यूनाइटेड चर्चेज कनाडा, कनाडा। ब्रेड फार दा वर्ल्ड स्टलगोट पश्चिम जर्मनी। वर्ल्ड सिनेल आफ चर्चेज स्विटजरलेंड।
3.	प्रोफैशनल एसीसटेंस फार डेवलेपमेंट एक्शन, नई दिल्ली।	एसोसिएशन द्वारा सूचित नहीं किया गया।			4,76,657.40	फोर्ड फाउन्डेशन, 320 ईस्ट 43 स्ट्रीट न्यूयार्क-10017 सं० रा० अमेरिका।

					बाई० डी० आर० सी० आफ कनाडा। 11, जोरबाग, नई दिल्ली-110003
4. एग्रीइन्डस इन्स्टीच्यूट, बनवासी सेवा आश्रम जिला-मिर्जापुर (उ०प्र०)	7,41,227.00	57,64,028.00	38,01,611.00	11,29,863.00	क्रिश्चियन, चिल्ड्रन फंड विर्जिनिया, सं० रा० अमेरिका ब्रेड फार दा वर्ल्ड-7 डी० ई०; आर० एड०-53-पश्चिम जर्मनी। सैंट्रल एजेंसी फार डी० ई० आर० एड०-53 पश्चिम जर्मनी। वार ओम वांट-467-कलेडी-मियन रोड लंदन। प्रोटेस्टेन्ट सेंट्रल एजेंसी फार डेवलप-गोडे वर्ग आक्सफाम-274 बनबारी रोड, आक्सफोर्ड, यू० के० डा० एनलीटोरिगन टिलबे, सी० के० पश्चिम जर्मनी। चर्च आफ दा नूजरीन वर्ल्ड हैड क्वार्टर्स डेपसी, सं० रा० अमेरिका।

विदेशी नागरिकों का अपनी वीसा अवधि की समाप्ति के बाद देश में रहना

1375. श्री अनन्त प्रसाद सेठी
श्री जगन्नाथ पटनायक } :क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में ऐसे कुछ विदेशी नागरिकों का पता लगाया गया है जो अपनी वीसा अवधि की समाप्ति के बाद भी देश में रह रहे थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) जब कभी यह पाया जाता है कि कोई विदेशी राष्ट्रिक, वीसा की अवधि समाप्त होने के बाद अवैध रूप से देश में रह रहा है तो, कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान की गयी हैं। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

मालवान में "मैरीन पार्क" परियोजना

1376. श्री मधु दण्डवते : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र कोंकण तट पर मालवान में "मैरीन पार्क" परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने परियोजना में तेजी लाने के लिए कार्यवाही करनी है।

दिल्ली में सम्पत्ति कर अपवंचन को रोकने के उपाय

1377. श्री महेन्द्र सिंह : : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अध्ययन की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली में सम्पत्ति कर अपवंचन को कारगर ढंग से रोकने के लिए दिल्ली नगर

निगम अधिनियम में संशोधन सहित विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अध्ययन रिपोर्ट के अन्तर्विष्ट सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) दिसम्बर, 1985 में प्राप्त हुई अध्ययन रिपोर्ट दिल्ली नगर निगम के विचाराधीन है। धारा 126 (1) के परन्तुक को हटाने के लिए दि० न० नि० अधिनियम, 1957 को संशोधित करने के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जैसा अध्ययन रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड साहिबाबाद उत्तर प्रदेश में मौतें

1378. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश में पिछले दो वर्षों में सेवा के दौरान कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) उनकी मौत के क्या कारण हैं;

(ग) इन कर्मचारियों के कितने आश्रितों/विधवाओं को भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (साहिबाबाद) में रोजगार प्रदान किया गया तथा मृत कर्मचारियों के आश्रितों/विधवाओं को रोजगार प्रदान करने में कितना समय लगता है;

(घ) क्या इस प्रकार के कोई मामले अभी भी लंबित पड़े हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा विलम्ब के क्या कारण हैं और इन विधवाओं/आश्रितों को कब तक रोजगार दिए जाएंगे ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान, भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड साहिबाबाद में कार्यरत 8 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इनमें से चार व्यक्तियों की मृत्यु की लम्बी बीमारी के कारण हुई जिसका सेवा से कोई सम्बन्ध नहीं है और चार व्यक्तियों की मृत्यु निर्माणी के बाहर व्यक्तिगत दुर्घटनाओं में हुई। इन मौतों में से किसी का भी सेवा से सम्बन्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त आठ मामलों में से दो मृतक कर्मचारियों की विधवाओं को उनके पतियों की मृत्यु के छः महीने के भीतर रोजगार दे दिया गया था। एक मृतक कर्मचारी की पत्नी उसकी मृत्यु के समय पहले से ही भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड कार्यरत थी। शेष पांच में से तीन के अभिर्तों ने भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड में कोई उपयुक्त नौकरी देने के लिए आवेदन किया है। एक आरम्भिक चयन समिति ने रोजगार के लिए उनकी क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए उनका साक्षात्कार लिया। इस समय ऐसा कोई पद नहीं पाया गया है जिस पर

उनकी नियुक्ति की जा सके। जब कभी भी कोई रिक्त स्थान होंगे उन्हें रोजगार देने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे।

विदेशी धर्म-प्रचारकों (मिशनरियों) की गतिविधियों की जांच

1379. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राय**
श्री अम्त प्रसाद सेठी
श्री जगन्नाथ पटनायक
श्री लक्ष्मण मलिक } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में देश के विभिन्न राज्यों में कार्यरत विदेशी धर्म-प्रचारकों की गतिविधियों की कोई उच्च स्तरीय जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन धर्म-प्रचारकों की गतिविधियों की जांच करने वाले नियोगी आयोग के प्रतिवेदन पर अब तक कोई कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने क्रिश्चियन मशीनरी एक्टीविटिल की गतिविधियों की केवल मध्य प्रदेश सरकार में जांच करने के लिए 1954 में डा० एम० भवानी शंकर नियोगी की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया था तथा इस आयोग की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं बल्कि राज्य सरकार द्वारा की जानी थी।

परमाणु बिजली संयंत्रों के आसपास रोगों का प्रसार

1380. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के परमाणु बिजली संयंत्रों के आसपास रोगों में वृद्धि का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई व्यापक सर्वेक्षण किया गया है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि ब्रिटिश सरकार की जांच रिपोर्ट के अनुसार परमाणु बिजली संयंत्रों के निकट रहने वाले बच्चों में ल्यूकेमिया रोग के मामले राष्ट्रीय औसत की तुलना में दस गुना अधिक हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (घ) सरकार का ध्यान इस प्रश्न में उल्लिखित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है। यद्यपि परमाणु बिजलीघरों के आसपास के क्षेत्रों में सामान्य रूप से निवास करने वाले लोगों के सम्बन्ध में कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया जा रहा है, तथापि परमाणु बिजलीघरों के कर्मिकों और हमारे देश के परमाणु बिजलीघरों के क्षेत्र में और उसके आसपास बसे उन कार्मिकों के परिवारों के लोगों में कैंसर या श्वेतरक्तता की बीमारियां बढ़ने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। कार्मिकों और उनके परिवारों के सदस्यों के स्वास्थ्य की जांच परमाणु ऊर्जा विभाग की स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत लगातार की जाती है।

बालियापाल, उड़ीसा में राष्ट्रीय चांदमारी क्षेत्र के सम्बन्ध में निर्णय की पुनरीक्षा

1381. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986 में संसद के वर्षाकालीन अधिवेशन के दौरान सरकार द्वारा संसद में की गई इस घोषणा की उड़ीसा के बालियापाल भोगरा में राष्ट्रीय चांदमारी क्षेत्र का स्थान बदला नहीं जाएगा, के पश्चात बालियापाल और भोगरा में कृषकों के मध्यआरों में भारी असन्तोष व्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो क्या बालियापाल-भोगरा में स्थान के चयन के विरुद्ध भारी जन-विरोध की दृष्टि से सरकार का विचार अपने निर्णय की पुनरीक्षा करने का है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) 6 अगस्त, 1986 को लोक सभा में पुनःस्थापन एवं पुनर्वास योजना की घोषणा के पश्चात् उड़ीसा सरकार ने एक पुस्तिका प्रकाशित की है जिसमें परियोजना तथा पुनःस्थापन/पुनर्वास योजनाओं के ब्यौरे दिए गए हैं। इसे बड़े पैमाने पर बांटा गया। इन तथ्यों का व्यापक रूप से प्रचार किया गया कि भूमि एवं परिसम्पत्तियों के लिए पर्याप्त मुआवजे के अतिरिक्त सभी विस्थापित परिवारों को "आदर्श गांवों" में बसाया जाएगा और विस्थापितों को रोजगार देने के उद्देश्य से बनाई जा रही विभिन्न योजनाओं में प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक सदस्य को रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। इससे वहां के लोगों के मन में व्याप्त भय काफी हद तक दूर हो गया है।

(ख) जी, नहीं। चूंकि राष्ट्रीय रेंज की स्थापना के लिए देश में बालियापाल/भोगरा क्षेत्र ही एक उपयुक्त स्थान है, अतः इस परियोजना को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। केन्द्र सरकार और उड़ीसा राज्य सरकार योजनाओं को कार्यान्वित करने और यह देखने के लिए कि विस्थापित परिवारों की देख-रेख ठीक प्रकार से हो रही है तथा उनका ठीक ढंग से पुनर्वास किया जा रहा है, आवश्यक कदम उठा रही हैं।

उद्यमियों को टेक्नोलोजी-सूचना सप्लाई करना

1382. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद और तकनीकी विकास महानिदेशालय का भारतीय और विदेशी उद्यमियों को कम्प्यूटरीकृत सूचना नि:शुल्क आधार पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है जैसा कि 10 अक्तूबर, 1986 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) क्या सरकार का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद/परमाणु ऊर्जा आयोग और अन्य सरकारी/उपक्रम, अर्द्ध सरकारी और सरकारी संगठनों द्वारा अनुसंधान और विकास सूचना के लिए विकसित खोजों पेटेंट आदि के लिए और विज्ञान और टेक्नोलोजी संस्थाओं के अनुसंधान और विकास प्रयास को आवश्यकता के आधार पर उपयोगी बनाने हेतु इसी प्रकार की सेवा गठित करने का विचार है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) सरकार द्वारा गठित प्रौद्योगिकी नीति कार्यान्वयन समिति (टी० पी० आई० सी०) ने व्यावसायिक आधार पर उद्यमियों को प्रौद्योगिकी सम्बन्धी सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक इंडस्ट्रियल टैक्नोलोजी डाटा बैंक (आई० टी० डी० बी०) स्थापित करने की सिफारिश की है। सरकार इस प्रकार की सूचना को एक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है।

(ख) जी नहीं।

दिल्ली में वायु प्रदूषण

1383. **श्री भरत कुमार ओडेदरा**
श्री बालासाहिब बिखे पाटिल } : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बसों, आटो-रिक्शों और ताप बिजली घरों द्वारा छोड़े जाने वाले धुएं से अत्यधिक वायु प्रदूषण हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) ताप बिजली संयत्रों सहित मोटर गाड़ियों और उद्योगों के उत्सर्जनों के कारण दिल्ली के कतिपय भागों में धुएं का स्तर ऊंचा है।

(ख) दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

—वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों को अधिसूचित कर दिया गया है;

—उद्योगों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करें;

—ताप विद्युत संयंत्रों को उच्च दक्षता वाले इलैक्ट्रोस्टेटिक अवक्षेपक लगाने के लिए कहा गया है;

—मोटर गाड़ियों के बहिस्रावों के लिए उत्सर्जन मानक विकसित किए गए हैं;

—दिल्ली प्रशासन को सलाह दी गई है कि मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत मानकों को लागू करें।

वीनस सर्कस में अग्निकांड के लिए उत्तरदायी कारण

1384. **श्री रामसिंह यादव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परेड ग्राउंड, दिल्ली में वीनस सर्कस के मुख्य तम्बू में 15 अक्तूबर, को आग लग गई थी;

(ख) क्या उक्त दुर्घटना में 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और 15 से अधिक व्यक्ति घायल हो गए थे; और

(ग) आग लगने के क्या कारण थे और मृतकों के परिवारों तथा घायल व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि दी गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) तूफान के कारण शामियाना गिर गया था, 15 व्यक्तियों को चोटें आईं और उनमें से चार व्यक्तियों की अस्पताल में मृत्यु हो गई। मृतकों के निकट के सम्बन्धियों को 10,000/- रु० और गम्भीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 2000/- रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

दिल्ली पुलिस में कांस्टेबलों की संख्या

1385. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1985 को दिल्ली पुलिस में कांस्टेबलों की संख्या क्या थी;

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान कांस्टेबलों के कितने पद रिक्त थे;

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान कितने अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया; और

(घ) वर्ष 1985-86 के दौरान कितने कांस्टेबलों की भरती की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) 19018

(ख) 636

(ग) 2560

(घ) 1538

विदेशी धर्म-प्रचारकों (मिशनरियों) को भारत से चले जाने का निदेश

1386. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने विदेशी ईसाई धर्म-प्रचारकों को भारत से चले जाने को कहा गया है;

(ख) यह आदेश दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे विदेशी धर्म-प्रचारकों को, जो लम्बी अवधि से भारत में कार्यरत हैं, यहां रहने की अनुमति दी जाएगी;

(घ) क्या सरकार को विदेशी धर्म-प्रचारकों के निष्कासन पर पुनर्विचार करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि यां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) 1985 में सात विदेशी मिशनरियों को देश छोड़ने के लिए कहा गया था । उनमें से 6 के मामलों का पुनरीक्षण किया गया और उन्हें छः महीने की समय बढ़ोत्तरी के आधार पर भारत में रहने की अनुमति दी गयी और एक भारत छोड़कर चला गया ।

(ख) उनके विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट थी ।

(ग) जी हां, जब तक उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती ।

(घ) और (ङ) जी हां, श्रीमान् । प्रश्न के भाग "क" के उत्तर में यथा उल्लिखित कार्रवाई की गयी थी ।

एन्टार्कटिका अभियान पर व्यय

1387. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन्टार्कटिका संधि के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सदस्यता के रूप में कितनी राशि अदा की जाती है; या अन्य उत्तरदायित्व और देयताएं क्या हैं; और

(ख) एन्टार्कटिका अभियान पर अब तक व्यय की गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन): (क) अंटार्कटिका संधि संयुक्त राष्ट्र से सभी सदस्यों के सम्मिलित होने के लिए खुली है। इस संधि में शामिल होने के लिए कोई सदस्यता शुल्क या अन्य वित्तीय दायित्व नहीं है।

(ख) भारत ने अभी तक अंटार्कटिका को पांच अभियान भेजे हैं। पांच अभियानों की कुल लागत लगभग 22.44 करोड़ रुपये होगी, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :

पहला अभियान	...	1.90 करोड़ रुपये
दूसरा अभियान	...	1.95 करोड़ रुपये
तीसरा अभियान	...	5.70 करोड़ रुपये
चौथा अभियान	...	6.19 करोड़ रुपये
पांचवां अभियान	...	6.70 करोड़ रुपये
	कुल	22 44 करोड़ रुपये

अनुशासनिक मामलों संबंधी लेखा आदेशों का समेकन

1388. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन कर्मचारियों, जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चल रही है या पूरी हो चुकी है, के हितों की रक्षा करने के संबंध में स्थायीकरण, दक्षता रोध और पदोन्नति के मामलों से संबंधी आदेशों को समेकित करने और इस संबंध में सुस्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने का है; जिससे कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जा सके; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री, (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) और (ख) जिन सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक/अदालती कार्रवाइयां लंबित पड़ी हैं, उनकी पदोन्नति, स्थायीकरण इत्यादि के मामलों पर विचार करने

के प्रयोजन से अपनाई जाने वाली कार्यविधि निर्धारित करने वाले स्पष्ट आदेश पहले ही मौजूद हैं। कर्मचारियों की पदोन्नति और स्थायीकरण इत्यादि सहित, उनकी सेवा की शर्तों के विभिन्न पहलुओं से सम्बद्ध विभिन्न नियमों और आदेशों की पुनरीक्षा एक निरन्तर चलती रहने वाली प्रक्रिया है और जब कभी आवश्यक होता है उन्हें संशोधित अथवा समेकित कर दिया जाता है।

कुछ संगठनों को अनुदान देना बंद करना

1389. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी शांति प्रतिष्ठान और अन्य संगठनों संबंधी कुदाल जांच आयोग ने अपनी प्रथम और दूसरी अंतरिम रिपोर्ट में ऐसे संगठनों की एक सूची दी है जिनके बारे में उसने कहा कि यदि उन्हें अब भी अनुदान दिए जा रहे हैं, तो सरकार को उन्हें अनुदान नहीं देने चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या मानव संसाधन विकास मंत्रलाय (महिला और बाल विकास विभाग) ने सम्बन्धित संगठनों को 28 मई, 1986 को अनुदान देना बन्द करने के लिखित अनुदेश दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो वे कौनसी संस्थाएं हैं, जिन्हें अनुदान देना बन्द कर दिया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) कुदाल आयोग ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है कि इस संगठन को अनुदान देना बन्द कर दिया जाना चाहिए। तथापि, यह तय किया गया कि सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों को सूचित किया जाए कि वे आयोग की पहली दो रिपोर्टों में जिन संगठनों का संकेत दिया गया है उनको अनुदान देना बन्द करने के प्रश्न पर विचार करें।

(ख) तथा (ग) अनुदेशों के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला तथा बाल विकास विभाग) ने संलग्न विवरण में उल्लिखित संगठनों को अनुदान बन्द करने के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, भारतीय बाल कल्याण परिषद्, भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ तथा कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट को अनुदेश जारी किए हैं।

विवरण

संख्या	संगठनों के नाम
1.	**अवार्ड और सम्बद्ध संगठन :**
	1. संथाल परगना अंत्योदय आश्रम, देवघर, बिहार
	2. मतरू-मंदिर, देवरुख, महाराष्ट्र
	3. गदाधर मिश्रा स्मारक निधि बिहार

4. अफोर्ड

5. ग्राम सेवा संस्थान तनासा

6. निरमाल प्रखंड स्वराज्य सभा

7. क्रियात कृषि तथा ग्रामीण प्रबंध सहायता

8. अंचल ग्राम स्वराज्य परिषद् चौसा, जिला सहरसा; बिहार

2. **गांधी स्मारक निधि तथा सम्बद्ध संगठन :**

1. गांधी स्मारक ग्राम सेवा केन्द्रम

2. गांधी मिमोरियल संग्रहालय, मदुरई

3. अखिल भारतीय मद्य निषेध परिषद्

3. **सर्व सेवा संघ तथा सम्बद्ध संगठन :**

1. कोसी सेवा सदन (ग्रामदान विकास के लिए सहायक सोसाइटी)

2. उत्कल ग्राम स्वराज्य संघ

3. ग्रामदान विकास के लिए संस्था

4. **गांधी शांति संस्थान**

5. **लोक नीति परिषद**

गांधी राष्ट्रीय संग्राहलय के न्यासियों के बारे में कुदाल आयोग के निष्कर्ष

1390. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुदाल आयोग ने कुछ दिन पूर्व सरकार को प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट में, केरल गांधी स्मारक निधि में गम्भीर अनियमितताएं किए जाने का उल्लेख करने के अलावा गांधी राष्ट्रीय संग्राहलय के न्यासियों की भर्त्सना की है;

(ख) यदि हां, कुदाल आयोग के निष्कर्षों की मुख्य बातें क्या हैं और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इस रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) चौथा और पांचवा अन्तरिम प्रतिवेदन जिनमें गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय और केरल गांधी स्मारक निधि के विरुद्ध मामले हैं, की जांच की जा रही है। ये प्रतिवेदन यथा समय सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

मंत्रालयों में शीर्षस्थ पदों पर व्यावसायिक व्यक्तियों की नियुक्ति

1391. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों में शीर्षस्थ पदों पर, जिनके लिए तकनीकी जानकारी और अनुभव की आवश्यकता है, व्यावसायिक व्यक्तियों को नियुक्त करने की सरकार की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियां सामान्यतः विभिन्न संगठित सेवाओं में से की जाती हैं। वरिष्ठ स्तर के पदों के लिए उत्कृष्ट वैज्ञानिकों, तकनीकी अधिकारियों, अर्थशास्त्रियों आदि पर भी ऐसे पदों की विशिष्ट अपेक्षाओं तथा सम्बन्धित क्षेत्र में उपलब्ध व्यक्तियों के अनुभव और अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है। ऐसे अधिकांश मंत्रालयों/विभागों में जो कि प्रमुखतः तकनीकी स्वरूप के होते हैं, वरिष्ठ स्तर के पदों पर पहले से ही तकनीकी अधिकारी विद्यमान् हैं। इसके अतिरिक्त संगठित सेवाओं के विभिन्न व्यावसायिक सवर्गों में शामिल किए गए वरिष्ठ पद सम्बन्धित व्यावसायिक/तकनीकी सेवाओं के सदस्यों द्वारा भरे जाते हैं।

एसोशियेटिड इलेक्ट्रानिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना

1392. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोशियेटिड इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च फाऊंडेशन की हाल ही में नई दिल्ली में स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस फाऊंडेशन के उद्देश्य और कार्य क्या है; और

(ग) अनुसंधान प्रयोगशालाएं आयोजित करने के लिए सरकार द्वारा इसे क्या सहायता दी गई है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी तथा अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन्) : (क) जी, हां।

(ख) एसोसिएटिड इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च फाउंडेशन (ए० ई० आर० एफ०) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, रिसर्च फाउंडेशन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

(i) व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिकी, गृह इलेक्ट्रॉनिकी तथा रक्षा इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के जरिए उत्तमता हासिल करने का प्रयास करना ताकि

हमारे उत्पादों और विकसित देशों के उत्पादों के बीच के प्रौद्योगिकी अन्तराल को कम किया जा सके।

(ii) खास कर निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उन्नत डिजाइन तैयार करने के लिए उपर्युक्त क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं चलाना।

—गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता में सुधार

—सामग्रियों की लागत में कमी करना

—शॉप फ्लोर समय को कम करना

—जैव प्रौद्योगिकीय तथा सौन्दर्य बोधात्मक पहलुओं में सुधार लाना

(iii) आत्म-निर्भरता के राष्ट्रीय लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए तथा यथासम्भव विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिए बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक तथा मेकेनिकल संघटक-पुर्जों का स्वदेशीकरण करना।

(iv) उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पादों का विकास करने के लिए और साथ ही उद्योग की समस्याओं को सुलझाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे शैक्षणिक संस्थानों, सरकार द्वारा प्रायोजित अनुसंधान प्रयोगशालाओं के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करना।

(v) सामग्रियों, संघटक-पुर्जों तथा अन्य उत्पादों की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता का सुनिश्चय करने के लिए एक अति व्यवहारकुशल सामग्री मूल्यांकन प्रयोगशाला स्थापित करना।

(ग) सरकार द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग के जरिए सामान्यतया निम्नलिखित सहायता दी जाती है :

(i) अनुसंधान तथा विकास सम्बन्धी कार्यकलापों के लिए आयात की सुविधा।

(ii) स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित इकाइयों को लाइसेंस-मुक्त करने में प्राथमिकता।

(iii) वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वित्तीय प्रोत्साहन।

पश्चिम बंगाल में समुद्र की लहरों से बिजली पैदा करने की सम्भावना का पता लगाना

1393. **श्री मतिलाल हंसदा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र की लहरों से बिजली पैदा करने की सम्भावना का पता लगाने के लिए

कोई सर्वेक्षण दल पश्चिम बंगाल भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण दल के निष्कर्ष क्या थे; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी तथा अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चेयरमैन के बिना सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1394. **श्री आर० एस० नाने** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के ऐसे कितने उपक्रम हैं और उनके नाम क्या हैं जिनमें पिछले तीन वर्षों से चेयरमैन नहीं हैं; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नीदरलैंड द्वारा टैक्नोलोजी का अन्तरण

1395. **श्री भरत कुमार ओझेरा** : : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीदरलैंड सरकार विज्ञान के आदान-प्रदान और कुछ चुनी हुई परियोजनाओं में धन लगाने के माध्यम से भारत में टैक्नोलोजी के अन्तरण के क्षेत्र को बढ़ाने की इच्छुक है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा इसके डच प्रतिपक्ष ने जुलाई, 1985 में भारत और नीदरलैंड के बीच वैज्ञानिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत-नीदरलैंड संयुक्त समिति की

बैठक 3-4 मार्च, 1986 को नई दिल्ली में हुई, जिसमें आपसी सहयोग के निम्नलिखित चार क्षेत्र अभिनिर्धारित किए गए :

—उपकरण

—प्रदूषण नियंत्रण की वात-निरपेक्षी अपजल अभिक्रिया;

—सर्वेक्षण तथा मानचित्रण प्रौद्योगिकी, और

—खगोल विज्ञान।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा सुविधाओं हेतु आय की सीमा

1396. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए उनके माता पिता की आय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(क) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) और (ख) कल्याण मंत्रालय ने अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत माता-पिता/अभिभावकों की आय सीमा पहले ही 500 रुपये से बढ़ाकर 1000/- रु० प्रतिमास (मकान भत्ता को छोड़कर) कर दी है। जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का सम्बन्ध है, मंत्रालय द्वारा एक उच्च स्तरीय पदाधिकारी समिति का गठन किया गया है जो योजना के विभिन्न पहलुओ की जांच करेगी और छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि करने और माता-पिता आदि की आय-सीमा उपरिमुखी संशोधन की सिफारिशें करेगी।

पुश-बटन टेलीफोन उपकरण बनाने का संयंत्र

1397. **श्रीमती असवराजेश्वरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुश-बटन टेलीफोन उपकरण बनाने के लिए बंगलौर के निकट एक संयंत्र लगाया गया है;

(ख) यहां किस-किस प्रकार के टेलीफोनों का निर्माण किया जाएगा;

(ग) इस संयंत्र से कितना कारोबार होने की सम्भावना है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) पुश-बटन टेलीफोनों का विनिर्माण बंगलोर तथा इसके पास-पास की इकाइयों द्वारा किया जा रहा है।

(ख) डिकेडिक तथा ड्यूअल टोन मल्टी फ्रिक्वेंसी (डी० टी० एम० एफ०) किस्म के टेलीफोनों का विनिर्माण किया जाना है।

(ग) प्रत्येक संयंत्र की लाइसेंसशुदा वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 लाख नग है।

(घ) :

इकाई	वार्षिक लाइसेंस शुदा उत्पादन क्षमता
(i) भारतीय टेलीफोन उद्योग	5 लाख नग
(ii) स्वीड (इंडिया) टेल्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	5 लाख नग

———

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा क्यों करते हैं आप लोग मेरी समझ में नहीं आता।

[अनुवाद]

आप रोज ऐसा क्यों करते हैं ?

श्री अमरराय प्रधान (कूच बिहार) : दिल्ली में कोई चिकित्सा उपलब्ध नहीं है।

(व्यवधान)

श्री वी० शोभानाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : मैंने जल संसाधन मन्त्री के विरुद्ध असत्य वक्तव्य देने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कब ? कब की बात है ?

[अनुवाद]

श्री वी० शोभानाद्रीश्वर राव : मंत्री जी ने कहा था कि आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री को उत्तर नहीं दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह देख लेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको शर्म नहीं आती है। ऐसा करते हुए आपको अच्छा लगता है।

[अनुवाद]

यह क्या शोरगुल है ? मैं किसी व्यक्ति को नहीं सुनूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाता। किसी को भी बोलने की आज्ञा नहीं दी जाती। आप ही फैसला कीजिए कि आप इस सदन को कार्य करने देना चाहते हैं या नहीं।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आप हमें एक-एक करके बुला सकते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको फैसला करना है कि आपने इस सदन को काम करने देना है या हुडदंग करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे लिए सब लोगों को एक साथ सुनना असम्भव है। मेरे विचार से यह आपके लिए भी शोभनीय नहीं है। यह नियमों के विरुद्ध है और कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर भली भांति चर्चा नहीं की जा सके।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस कुर्सी से आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। आप मुझे मिल सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है और जो कुछ भी माननीय सदस्य कहते हैं उसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। आप में इतनी शिष्टता भी नहीं है कि आप बैठ जायें जबकि मैं खड़ा हूं। आपको बैठ जाना चाहिए। आपको उसके लिए खेद होना चाहिए। मैं केवल इतना कहता हूं कि आप हर समय ऐसा क्यों करते हैं? इस सभा में अकारण यह कर्णकटु बातें रोज होती हैं। कोई भी एक ऐसा विषय नहीं है जिस पर मैं चर्चा करने की अनुमति नहीं देता। मुझे समझ नहीं आता ऐसा करने से क्या लाभ है? इनसे आपको क्या मिलता है? आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं आपके द्वारा उठाये गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। लेकिन यह नियमानुसार होना चाहिए। जिस तरह आप खड़े हो जाते हैं उसके लिए कोई नियम नहीं है। आप में शिष्टाचार होना चाहिए। आपको सभा के माननीय सदस्यों जैसा व्यवहार करना चाहिए। आपको नियमों का पालन करना चाहिए। वे आपके नियम हैं मेरे नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है?

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप एक-एक करके बुलायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाता है जो वह कहना चाहते हैं उन्हें कहने दीजिए। मैं केवल यहां बैठूंगा और देखूंगा कि सदन में कार्यवाही चलेगी या नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : हमने सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : उसकी कोई बात नहीं है। यह आपको यहां उठाने का अधिकार नहीं देता। आपको नियमों को पढ़ना चाहिए और तब मेरे पास आना चाहिए आपने नियमों को नहीं पढ़ा है। आप कोई भी प्रश्न नियमानुसार नहीं पूछते मैंने उसकी अनुमति नही दी है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप मुझे बुलाइए।

अध्यक्ष महोदय : यदि, मैं आपको बुलाता हूं तब दूसरों को भी चुप होना चाहिए। अगर मैं आपको सुनता हूं तो सदस्यों को शान्त होना चाहिए। आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? यदि आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न है तो मैं अनुमति दूंगा, अन्यथा नहीं। यह बहुत साधारण है। आपकी व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। लेकिन मैंने समाचार पत्र में प्रकाशित एक समाचार के बारे में नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। आप मेरे पास आ सकते हैं।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उसे पूरा करने दीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : श्रीमन् शून्यकाल व्यवस्था के प्रश्न का काल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कोई शून्यकाल नहीं है अगर कोई शून्यकाल है तो मुझे बता दीजिए। यदि मैं किसी भी विषय पर बोलने के आपके अधिकार से इन्कार करता हूं तब मेरी गलती है। आप आइये और मैं आपको अनुमति दूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है। खालसा दल के नेताओं ने गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट को दार्जिलिंग में सशस्त्र संघर्ष आरम्भ करने के लिए कहा है। वे उन्हें हथियार देने जा रहे हैं। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था के प्रतिकूल मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर पहले की ही चर्चा के लिए अनुमति दी थी। दूसरी बार मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री वसुदेव आचार्य : गृह मन्त्री यहां हैं। वह वक्तव्य दे सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा० मोहन, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

डा० चिन्ता मोहन (तिरुपति) : दिल्ली के सभी अस्पतालों में काम ठप्प गया है।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर चर्चा करने जा रहा हूं। मैंने पहले ही इसको ध्यान में रख लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। कई रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मैंने इसका नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं। यह व्यवस्था के प्रतिकूल है। कृपया बैठ जाइये। अनुमति नहीं दी गई।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : दिया होगा मैंने इसकी अनुमति नहीं दी।

(व्यवधान)**

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : मैंने केरल में पुलिस अत्याचारों का एक नोटिस दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। यहां व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)**

श्री सुरेश कुरुप : पिछले सप्ताह इडुक्की जिले के निर्दोष लोगों के घरों में पुलिस 12 घंटे घुसी रही···

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है। इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री कुरुप; आप माननीय सदस्य के बोलने में व्यवधान डाल रहे हैं।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैंने आपको उचित व्यवहार करने के लिए कहा है। इसकी अनुमति नहीं दी जाती है मुझे इसकी आज्ञा नहीं दी। मेरे विनिर्णयों पर यहां चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चरनजीत सिंह वालिया (पटियाला) : स्पीकर साहब पंजाब में जो चल रहा है···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगले सप्ताह हम पंजाब के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सीमाओं का उल्लंघन न कीजिए। मैं अगर इस प्रकार कहेंगे तो मैं आपको सदन से बाहर जाने के लिए कहूं गा।

[हिन्दी]

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सूखा और बाढ़ से स्थिति बहुत खराब हो गई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम सूखा और बाढ़ पर चर्चा कर रहे हैं।

मैंने आपसे कई बार कहा है, आप रोज इस प्रकार क्यों उठ खड़े होते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष जी, मैंने दो काल अटेंशन मोशन दिए हैं—एक जूनियर डाक्टर्स की स्ट्राइक के विषय में है और दूसरा टेलिकम्युनिकेशन जूनियर इन्जीनियर्स के बारे में है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इसे कर रहे हैं। हमें इस पर चर्चा करनी है। यह पहले से ही विचाराधीन है लेकिन मैं आपको तारीख नहीं दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। हड़ताल समाप्त नहीं हो रही है, दिक्कत बढ़ने जा रही है।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। मैंने आपको उत्तर दे दिया है आप मेरे पास आकर इस प्रश्न को पूछ सकते थे। मैं आपको सन्तुष्ट कर देता।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : अध्यक्ष महोदय हिन्दुस्तान में···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमन्, ठाकुर आप नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न, आप मुझे दे सकते हैं। मैं इसे देखूंगा।

[हिन्दी]

श्री सी० पी० ठाकुर : यूनाइटेड नेशंस के आफिसेज में·····

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे पूछ सकते थे। आप सदन का समय क्यों नष्ट कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सी० पी० ठाकुर : इस पर डिस्कशन होना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह असंगत है।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : पिछले 5-6 दिनों से आन्ध्र प्रदेश में 6 लाख अराजपत्रित अधिकारी हड़ताल पर हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखित रूप से दे सकते हैं। आप मुझे मिल सकते हैं। मैं भली प्रकार से नहीं सुन पाया हूं। मैं कुछ नहीं करूंगा। अनुमति नहीं दी जाती।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शान्तारामनायक (पणजी) : वहां पानी की बहुत कमी है। वहां बहुत भयानक सूखे की स्थिति है·····

अध्यक्ष महोदय : हम सूखा और बाढ़ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने आपको बता दिया है। आप सुनते क्यों नहीं है ?

डा० कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर) : परसों सुबह, आन्दोलन करने वाले डाक्टरों से स्वास्थ्य मन्त्री ने वायदा किया था, देने को·····

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया था कि अब हम इस समस्या पर चर्चा करेंगे। कृपया बैठ जाइए।

डा० कृपासिंधु भोई : लेकिन आपको यह जानना चाहिए। दोपहर में उन्होंने इसे मना किया था। उन पर 'एसमा' लागू करें। लाखों रोगी बाहर चक्कर लगा रहे हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे क्यों नहीं मिलते ?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बेकार समय खराब कर रहे हैं। सब असंगत मुद्दे हैं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कुछ बातें हैं जिन्हें आपको समझना है। कृपया बैठ जाइये।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : एक बार मैंने आपको चर्चा का अवसर दिया है। श्री अमलदत्त जी, आप एक बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। आप हर समय क्यों खड़े रहते हैं। आप एक बहुत ही माननीय सदस्य हैं।

श्री अमलदत्त (डायमंडहार्बर) : हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। मन्त्री जी को पूरा करने के लिए हैं।·····

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही चर्चा की अनुमति दी है। इससे अधिक आप क्या चाहते हैं ?

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : रेलगाड़ियों के इस प्रश्न को उठाने के लिए हम रेलगाड़ी द्वारा लोकसभा नहीं आ सकते।

अध्यक्ष महोदय : तब वे मेटाडोर द्वारा आ सकते हैं।

12.08 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 तथा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 1944 के अधीन अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सोलहवां संशोधन) नियम, 1986, जो 3 सितम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1057(अ), में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-3184/86]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा० का० नि० 1010(अ), जो 20 अगस्त, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 जून, 1986 की अधिसूचना संख्या 344/86-सी० शु० और 345/86-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि प्रत्येक अधिसूचना में एक विनिर्दिष्ट कच्चा माल सम्मिलित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 1046(अ), जो 28 अगस्त, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित खपने वाले माल को, जब उसका भारत में आयात किसी लोक निधिक अनुसंधान संस्था द्वारा किया जाए, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 1047(अ), 28 अगस्त, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 154/86-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि एक प्रविष्टि का लोप किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 1078(अ), जो 12 सितम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 18 अगस्त, 1983 की

अधिसूचना संख्या 232/83 सी० शु० और 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 67/85 सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० का० नि० 1086(अ), जो 17 सितम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 329-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि डाई विद्युत अभ्रक स्ट्रिप को मूल्यानुसार 10 प्रतिशत निर्यात शुल्क से छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) सा० का० नि० 1106(अ), जो 24 सितम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 को अधिसूचना संख्या 154/86-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि उक्त अधिसूचना में एक मद के विवरण में संशोधन किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० का० नि० 1132(अ), जो 6 अक्तूबर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 62/85-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि आरे से लम्बाई में चीरी हुई, कटी हुई अथवा छिली हुई, किन्तु आगे तैयार न की गई, लकड़ी को इसकी परिधि से निकाला जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा० का० नि० 1133(अ), जो 6 अक्तूबर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 मई, 1986 की अधिसूचना संख्या 311/86-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि आरे से लम्बाई में चीरी हुई, कटी हुई अथवा छीली हुई, किन्तु आगे तैयार न की गई, लकड़ी उपसंगी शुल्क से छूट पाने के योग्य नहीं होगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा०का०नि० 1134(अ), जो 6 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 मई, 1986 की अधिसूचना संख्या 312/86-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि अनुसंधान प्रयोजनों के लिए लोक निधिक अनुसंधान संस्थाओं द्वारा उपभोग्य वस्तुओं का आयात करने पर उन पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण उपसंगी सीमा-शुल्क से छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा०का०नि० 1146(अ), जो 9 अक्तूबर, 1986 को भारत के राजपत्र

[श्री जनार्दन पुजारी]

में प्रकाशित हुए थे तथा जो विलायक निष्कर्षण तेल उद्योग में इस्तेमाल होने वाली कतिपय विनिर्दिष्ट मशीनों के लिए मूल्यानुसार 30 प्रतिशत से अधिक मूल सीमाशुल्क और उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट देने के बारे में तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा०का०नि० 1147(अ), जो 9 अक्तूबर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 मई, 1986 की अधिसूचना संख्या 314/86-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा०का०नि० 1159(अ), जो 21 अक्तूबर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो काफी को, जब उसका भारत से निर्यात किया जाए, 1000 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक मूल सीमाशुल्क से छूट देने के बारे में तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3185/86]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा०का०नि० 1044(अ), जो 26 अगस्त, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना संख्या 274/86-के० उ०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि क्षतिग्रस्त अथवा घटिया टैक्सटाइल फैब्रिक्स के सम्बन्ध में बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए शर्तों में कतिपय परिवर्तन किये जा सकें तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा०का०नि० 1064(अ), जो 8 सितम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 175/86-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि सामान्य लघु उद्योग छूट स्कीम का लाभ मोटर साइकिलों और स्कूटरों के साइड कारों के लिए दिया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा०का०नि० 1065(अ), जो 8 सितम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन अथवा अन्तरिक्ष विभाग की नांच यानों की प्रणालियों और उपप्रणालियों तथा उपग्रह परियोजनाओं की प्रणालियों और उप-प्रणालियों को उन

पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 1069(अ), जो 9 सितम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 फरवरी, 1986 को अधिसूचना संख्या 32/86-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि खुली चाय पर उत्पाद-शुल्क की दरों का निर्धारण पुन: किया जा सके तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 1070(अ), जो 9 सितम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 नवम्बर, 1962 की अधिसूचना संख्या 197/62-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि पैकबन्द चाय और खुली चाय के निर्यात पर उत्पाद-शुल्क में रियायत की दरें निर्धारित की जा सकें तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा०का०नि० 1071(अ), जो 9 सितम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मिश्रित चाय या पैकबन्द चाय के विनिर्माण में प्रयोग होने वाली उस चाय पर 50 पैसे प्रति किलोग्राम की रियायत निर्धारित की गई हैं, जो भारत से बाहर निर्यात की जाती है तथा एक व्याख्यात्मक/ज्ञापन।

(सात) सा०का०नि० 1087(अ), जो 17 सितम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 132/86-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि 1.28 से कम विनिर्दिष्ट गुरुत्व वाली पी० वी० सी० यौगिकों को छूट दी जा सके और 1.28 अथवा इससे अधिक विनिर्दिष्ट गुरुत्व वाले पी० वी०.सी० यौगिकों पर मूल्यानुसार 30 प्रतिशत प्रभावी शुल्क निश्चित की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा०का०नि० 1088(अ), जो 17 सितम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा एक मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 175/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि लघु उद्योग सामान्य छूट योजना का लाभ पी० वी० सी० यौगिकों पर दिया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० का० नि० 1089(अ), जो 17 सितम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 198/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि उस सुविधा को समाप्त किया जा सके जो तारों और

[श्री जनार्दन पुजारी]

केबलों के विनिर्माताओं को पी० वी० सी० रेसिन पर प्रदत्त शुल्क के सम्बन्ध में खाते जमा को उपलब्ध थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा० का० नि० 1090(अ), जो 17 सितम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अगस्त, 1983 की अधिसूचना संख्या 208/83-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि उत्पाद-शुल्क की छूट ढलवां लोहे की सभी पाइप फिटिंगों को भी दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा० का० नि० 1096(अ), जो 18 सितम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 20 किलोग्राम से अधिक मात्रा के आधानों में पैक की गई चाय को, यदि यह शुल्क प्रदत्त चाय से विनिर्मित की जाती हो, उत्पादन-शुल्क की अदायगी से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा० का० नि० 1097(अ), जो 18 सितम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पापड़ को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा० का० नि० 1109(अ), जो 25 सितम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना संख्या 241/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा० का० नि० 1131(अ), जो 6 अक्तूबर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो शिपयार्डों में विनिर्मित तथा समुद्र में जाने वाले जहाजों के विनिर्माण में प्रयुक्त सभी उत्पाद-शुल्क माल को उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा० का० नि० 1137(अ), जो 6 अक्तूबर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कतिपय विनिर्दिष्ट उत्पादन शुल्क योग्य माल के विनिर्माण में प्रयोग की गई नेफ्थलीन पर प्रदत्त उत्पाद-शुल्क का मुजरा किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा० का० नि० 1138(अ), जो 6 अक्तूबर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो चीनी, ब्लीच लिक्कर तथा पेपर और पेपर बोर्ड के विनिर्माण में उसी कारखाने में ही या चूने के

विनिर्माता के किसी अन्य कारखाने में प्रयोग किए जाने वाले बचे हुए और जलयोजित चूने सहित चूने की सभी किस्मों को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा० का० नि० 1139(अ), जो 6 अक्तूबर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 40/85-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा० का० नि० 1166(अ), जो 27 अक्तूबर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 6 अक्तूबर, 1986 की अधिसूचना संख्या 432/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि संक्लिष्ट संशोधन कारकों के सम्बन्ध में भी ऐसा क्रेडिट उपलब्ध कराया जा सके। [ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 3186/86]

अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) दूसरा संशोधन नियम, 1986

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : मैं श्री पी० चिदम्बरम की ओर से अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) दूसरा संशोधन नियम, 1986, जो 1 नवम्बर, 1986, को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 932 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3187/86]

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यकरण समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को बताने वाला विवरण

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के

[श्री बीरेन सिंह एंगती]

अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (सभापति, उप-सभापति और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा-शर्तें) नियम, 1986, जो 17 सितम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1092(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1986, जो 3 अक्तूबर 1986 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1130(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 3188/86]

(2) (एक) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3189/86]

(4) (एक) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3190/86]

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रति-

वेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 3191/86]

12.10 ब० प०

राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देशों की सूचना सभा को देनी है :

मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि गोदी कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण) विधेयक, 1985, को, जो लोक सभा द्वारा 2 दिसम्बर, 1985 को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया था । राज्य सभा द्वारा 10 नवम्बर, 1986 को अपनी बैठक में निम्नलिखित संशोधनों सहित पारित किया गया है :

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "छत्तीसवें" के स्थान पर "सैंतीसवां" प्रतिस्थापित कीजिए ।
खंड-एक—संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4, "1985" के स्थान पर "1986" प्रतिस्थापित कीजिए ।

"अत: मैं राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 128 के उपबंधों के अनुसरण में इस विधेयक को इस निवेदन के साथ वापस लौटाता हूं कि उपर्युक्त संशोधनों में लोक सभा की सहमति इस सभा को सूचित की जाए ।"

गोदी कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विधेयक

राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में—सभा पटल पर रखा गया

[अनुवाद]

महासचिव : मैं गोदी कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण) विधेयक, 1985, जो राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित वापस भेजा गया है, सभा पटल पर रखता हूं ।

12.11 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

पच्चीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम० तम्बिदुरई (धर्मपुरी) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

समिति के लिए निर्वाचन

राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12(1) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में चुनाव की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक के लिए कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12(1) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में चुनाव की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक के लिए कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

12.12½ म० प०

कार्य मन्त्रणा समिति

उन्तीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) :

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 11 नवम्बर, 1986 को सभा में पेश किए गए कार्य मंत्रणा समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 11 नवम्बर, 1986 को सभा में पेश किए गए कार्य मंत्रणा समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.13 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

बम्बई हवाई अड्डे के सहार टर्मिनल में कथित आग

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, मैं नागर विमानन मन्त्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"बम्बई हवाई अड्डे के सहार टर्मिनल के मोंड्यूल-2 में आग का समाचार तथा इस बारे में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : 9 नवम्बर, 1986 की रात को लगभग 10 बजकर 20-25 मिनट पर बम्बई हवाई अड्डे के फेज-2 टर्मिनल के बिचले तल के पश्चिमी सिरे के छोर पर कुछ धुंआ दिखाई पड़ा। हवाई अड्डे के अग्नि-शमन कार्मिकों को इसकी तुरन्त सूचना दी गई और वे लगभग 3-4 मिनट के भीतर दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए। 5 एयरपोर्ट क्रैश फायर टेण्डरों और एक वाटर टेण्डर को आग बुझाने के काम पर लगाया गया। सार्वजनिक सूचना प्रणाली पर उद्घोषणा करके जनता और कर्मचारियों को सलाह दी गई कि वे भवन खाली कर दें। नगर अग्नि-शमन सेवा को भी बुलाया गया। एयरपोर्ट अग्नि-शमन सेवा और नगर अग्नि-शमन सेवा के संयुक्त प्रयासों से आग का पता लगाकर उसे लगभग एक घंटा पैंतीस मिनट के अन्दर बुझा दिया गया। धुएं को भवन से बाहर निकालने के लिए भी तुरन्त कार्रवाई की गई।

क्योंकि पहले तल का सारा का सारा प्रस्थान क्षेत्र धुंए से भर गया था, इसलिए एयर

[श्री जगदीश टाईटलर]

इंडिया के परिचालन मौड्यूल-2 की बजाए मौड्यूल-1 से किए गए। इस प्रयोजन के लिए मौड्यूल-1 में सामान की सुरक्षा जांच और यात्रियों को अपनी पहुंचने की सूचना देने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई। बिचले तल के प्रभावित भाग को छोड़कर मौड्यूल-2 के शेष सभी भाग को 10 नवम्बर, 1986 को लगभग 0400 बजे सामान्य परिचालनों के लिए दुबारा खोल दिया गया।

प्रारम्भिक तफ्तीश से यह पता चला है कि आग सिले-सिलाये कपड़े बेचने वाली दुकान नं० 1 से शुरू हुई थी जो मौड्यूल-2 के बिचले तल में बोर्डिंग गेट नं० 14 के करीब है। आग सारी दुकान में फैल गई थी और चमड़े का सामान बेचने वाली पास की दुकान नं० 2 में पहुंच गई थी। दोनों दुकानें फुक गई। प्रारम्भिक तफतीश करने के बाद भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम प्राधिकरण ने यह बताया है कि आग बिजली के टोस्टर से लगी जिसका इस्तेमाल दुकान नं० 1 में किया जा रहा था। फिर भी आग लगने का सही कारण केवल पूरी जांच हो जाने के बाद ही पता चलेगा।

करीब 10 से 15 लाख रुपये की एयरपोर्ट की सम्पत्ति का नुकसान होने का अनुमान है। दुकान नं० 1 और 2 के अलावा बनावटी छत के एक हिस्से, एस्केलेटर और दुकान नं० 1 के साथ लगे बिजली के एक स्टोर को भी नुकसान पहुंचा। मलबा हटाने के लिए मजदूरों को लगाया जा चुका है। भवन का बीमा किया हुआ है और इसके दावे पेश करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। प्रभावित क्षेत्र में मौजूद कोई भी व्यक्ति और कर्मचारी घायल नहीं हुआ।

आग बुझाने में लगे एक अग्नि-शमन अधिकारी को उंगली में मामूली चोट आयी है। भवन के जिन हिस्सों को क्षति पहुंची है, उनकी प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत की जा रही है और लगभग तीन सप्ताह के भीतर इस भवन को पूरी तरह से परिचालित लायक बनाए जाने की आशा है।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के निदेश (परिचालन) से कहा गया है कि वे इस घटना की जांच करें और अपनी रिपोर्ट एक महीने के अन्दर पेश कर दें। जांच में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की भी जांच की जाएगी कि आग किस कारण से लगी और कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ। जांच में इस बात की भी सिफारिश की जाएगी कि ऐसे कौन से निवारक उपाय किए जाएं जिससे इस प्रकार की घटनाएं दुबारा न हों।

श्री शरद बिघे : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य से निसंदेह यह स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के निदेशक (परिचालन) से कहा गया है कि वे इस घटना की जांच करें। वह अपनी रिपोर्ट एक महीने के अन्दर पेश करेंगे। उन्हें आग लगने के कारणों आदि की जांच करने के लिए कहा गया है।

फिर भी प्रारम्भिक तफतीश से जिसका जिक्र वक्तव्य में किया गया है, कुछ बातें

उभरती हैं। सबसे पहले यह कहा गया है कि प्रारम्भिक तफतीश से यह पता चला है कि आग सिले-सिलाये कपड़े बेचने वाली दुकान नं० '।' से शुरू हुई थी और चमड़े का सामान बेचने वाली दुकान तक फैल गयी। आश्चर्य है कि यह बताया गया है कि आग बिजली के टोस्टर से लगी। मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि सिले-सिलाये कपड़े बेचने वाली दुकान अथवा चमड़े के सामान वाली दुकान को बिजली के टोस्टर से क्या काम था।

अध्यक्ष महोदय : यह उन दुकानों से सम्बन्धित लोगों के काम की चीज थी।

श्री शरद बिये : यह जांच के लिए एक मसला है। शायद, वहां दुकानदारों द्वारा अनाधिकृत कैन्टीन चलायी जा रही थी और जिसके कारण टोस्टर या कुछ इसी प्रकार के बिजली के उपकरण वहां थे जिसकी वजह से ही शायद वहां आग लगी।

दूसरे, आग का 3 या 4 मिनट के अन्दर पता चला ओर अग्नि-शमन कार्मिकों को इसकी तुरन्त सूचना दी गयी। यह भी बताया गया है कि एयरपोर्ट क्रैश फायर टेण्डरों और एक वाटर टेण्डर को एकदम आग बुझाने के काम पर लगाया गया। इसके बावजूद भी आग बुझाने में लगभग डेढ़ घंटा लगा। मैं समझता हूं कि इससे एक बात उठती है। वे कर मुक्त दुकानें जो वहां स्थित हैं घनी बनायी गयी हैं और मुझे कहना चाहिए कि इनका डिजाइन या सहार हवाई अड्डे से मौड्यूल-2 में ही इतना दोष है कि यह सब इस भीड़-भाड़ के कारण हो सकता है। किस्मत से यह एक अच्छी बात हैं कि आग बुझा दी गयी तथा किसी भी कर्मचारी को नुकसान नहीं पहुंचा। परन्तु इस दोषपूर्ण डिजाइन के कारण भविष्य में कभी यदि इस तरह आग लगी तो इसके गम्भीर परिणाम भी हो सकते हैं।

मैं निवेदन करता हूं कि यद्यपि आधे से ज्यादा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गुजरता है फिर भी बम्बई की बजाए दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अधिक पैसा खर्च किया गया है। यद्यपि मौड्यूल-2 का डिजाईन अभी हाल में बनाया गया है फिर भी यह बहुत दोषपूर्ण रूप से डिजाईन किया गया है। आने वाले यात्रियों की अगवानी के लिए आए लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर, भूमि-तल पर कोई भी स्वागत लांउज नहीं है और कई अन्य दोषपूर्ण डिजाइन बनाए गए हैं। इससे न केवल यात्रियों और उनसे मिलने वाले लोगों को असुविधा होती है अपितु किसी भी समय यदि ऐसी आग लग जाए तो इससे भारी विपत्ति आ सकती है। और लोगों को आग से बचने के लिए बाहर तक जाना भी मुश्किल हो जाएगा।

इसलिए जो यह घटना हुई है और जिस पर काबू पाया जा सका है उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए और मुझे कहना चाहिए कि इस जांच के उपरांत सहार हवाई अड्डे के डिजाईन पर भी पुनः विचार किया जाना चाहिए ताकि वहां यदि सम्भव हो सके तो अधिक खुला स्थान छोड़ा जाए, जिससे भविष्य में हम न केवल हवाई अड्डे की आग से रक्षा कर सकें अपितु हम यात्रियों और उन्हें मिलने तथा विदा करने आने वाले लोगों को और अधिक सुविधा प्रदान कर सकें। सीमा शुल्क अधिकारियों को भी वहां पर सुविधा नहीं है और इस बात को भी मद्देनजर रखते हुए मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे इस मामले की जांच करें।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोम्बे एयरपोर्ट के बारे में कुछ पिंचिंग बातें कहनी है। लेकिन पहले मैं अच्छी बात कहूंगा, बाद में पिंचिंग बात कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : पहले पिंचिंग बात कह दो, बाद में मरहम लगा देना।

श्री हरीश रावत : पहले मरहम लगाने वाली बात कहूंगा, बाद में पिंचिंग बात कहूंगा।

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में एज ए होल बहुत अच्छा काम हो रहा है। विशेष तौर पर वायुदूत ने पिछड़े हुए क्षेत्रों में और दूरदराज के क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है। **(व्यवधान)**

मैं अब दो-तीन बड़े छोटे से सवाल टाईटलर साहब से पूछना चाहता हूं। एक तो यह है कि जिस समय यह बिल्डिंग बनी, क्या उस समय ऐसी बिल्डिंगों में—यह बोम्बे एयरपोर्ट का ही सवाल नहीं है, और भी जगह की बिल्डिंगों के विषय में यह हो सकता है—कोई सुरक्षात्मक उपाय किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं ताकि जब कभी ऐसी स्थिति खड़ी हो, कोई आग-वाग लगे तो उसकी जल्दी से रोकथाम की जा सके ? क्योंकि जो स्टेटमेंट आपने दिया है उससे यह जाहिर होता है कि बाहर से जब आपने फायर ब्रिगेड मंगाए तब ही आप आग पर काबू कर पाए और उसमें बहुत ज्यादा समय जाया हुआ। इतने समय में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था, यह तो इत्तिफाक है कि जितना नुकसान हो सकता था उतना नुकसान नहीं हो पाया। एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय सारे एयरपोर्ट की बिल्डिंगों में किए जाते हैं या नहीं ?

दूसरे, आग लगने की घटना पहली बार नहीं हुई है, इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हो चुकी है। कलकत्ता एयरपोर्ट पर हो चुकी है, बोम्बे एयरपोर्ट पर भी एक बार पहले हो चुकी है। ये जो फायर फाईटिंग मेजर्स हैं ये परमानेंटली वहां पर क्यों नहीं स्टेशन किए जाते हैं, क्यों नहीं वहां पर इस तरीके की व्यवस्था रहती है जहां पर कि हमारी करोड़ों रुपये की सम्पत्ति है और उसको कभी-न-कभी इस प्रकार की घटना से नुकसान पहुंच सकता है ? वहां पर स्थायी रूप से कोई व्यवस्था होनी चाहिए। ज्यों ही आग लगे या इस तरह की कोई घटना घटे तो आप जल्दी फायर ब्रिगेड को समन कर सकें। वहां पर या उसके नजदीक कोई-न-कोई इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। क्या आप इस प्रकार की व्यवस्था करने की बात सोच रहे हैं ?

यह हीटर या टोस्टर से आग लगने की घटना एक ही एयरपोर्ट पर या हीटर या टोस्टर एक ही दुकान में पाये जाने की बात नहीं है। इस प्रकार की बातें और जगह भी हो सकती है और यह काम बिना एयरपोर्ट के कर्मचारियों की इजाजत के बिना नहीं हो सकता है, बिना उनकी कन्नाईवेंस से नहीं हो सकता है। क्या आप इस पहलू की जांच करेंगे कि इस तरह की

लापरवाही और जगह तो नहीं बरती जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों, उनकी पुनरावृत्ति न हो ? क्या इसको भी देखने का कष्ट करेंगे ?

मैं आखिरी सवाल यह करना चाहता हूं कि यह घटना चाहे बहुत छोटी हो, मैं समझता हूं कि स्पीकर महोदय ने इसीलिए इस कालिंग अटेंशन मोशन को अलाऊ किया है कि घटना भले ही छोटी हो मगर इससे बड़ी घटना का कारण भी हो सकता है। इसलिए इसके लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सावधानी के तौर पर क्या-क्या कदम उठाने जा रहे हैं ? इसका ब्यौरा दीजिए।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, बम्बई के अखबारों से जो सूचना मिली है, वह कन्फ्लीक्टिंग है।

12.24 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कुछ अखबारों का कहना है कि टोस्टर से आग लगी, कुछ अखबारों का कहना है कि एक हीटर पर एक लड़की खाना बना रही थी और बगल से पर्दा हीटर पर आ गया, उससे आग लगी। कुछ का कहना है कि शार्ट सर्किटिंग हुआ और वहां पचासों लोगों ने शार्ट सर्किटिंग होते हुए देखा, चिंगारी उठते हुए देखा और उससे आग लगते हुए देखा। जब आपने आग लगने की इस सारी घटना के मामले की इंक्वायरी करने के लिए अधिकारियों को सौंपा हुआ है और उनकी इन्क्वायरी हो रही है तो आप निश्चित तरीके से यह कैसे कह सकते हैं कि यह आग टोस्टर से लगी।

एक यह भी सोचने की बात है कि जिन कांट्रैक्टर्स ने उस बिल्डिंग में बिजली के तार लगाए थे वे घटिया किस्म के तार लगाये थे जिससे कि शार्ट सर्किट हुआ।

श्रीमन्, दूसरी बात यह है कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में फायर अलार्म होता है। दिल्ली में भी है और बम्बई में भी है, आग लगे या धुंआ हो तो बड़े जोर से घंटी बजने लगती है और उसी समय फायर टेंडर आता है या आपके पास फायर टेंडर होता है, उससे आग बुझाई जाती है। एक बजकर पैंतालीस मिनट पर आपके यहां आग लगी और आप उस पर काबू नहीं पा सके, वहां पर फायर-अलार्म नहीं था, यह बहुत बड़ा लैप्स है। आपके चेयरमैन प्रो० एन० के० सिंह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कंपीटेंट हैं, मैं अंबरेसमेंट नहीं डालना चाहता हूं, उन्होंने जो प्रेस कान्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि ईश्वर की कृपा हुई कि बहुत बड़ी आग लगने से बच गई। इस तरह से ईश्वर कब-कब कृपा करेंगे, इस तरह की आग अक्सर लगती रहेगी।

दूसरी बात यह है कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम सिस्टेमेटिक नहीं था। यह ठीक है कि एक आदमी को मामूली चोट लगी, लेकिन स्टेंपीड हो जाने का पूरा खतरा था। हर बड़ी बिल्डिंग में स्प्रिंकलर्स हुआ करते हैं अगर कहीं आग लगती है तो आटोमीटिक स्प्रिंकलर्स से आग बुझ जाती है, आग पर काबू किया जाता है, लेकिन यहां पर 1 घंटा और 35-40 मिनट तक आग

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

लगी, लेकिन कोई स्प्रिंकलर काम नहीं कर सका, आपको फायर टेंडर बाहर से बुलाने पड़े, यह कितनी अजीब बात है।

दूसरी बात प्रो० सिंह ने कहा कि मैं जब रिपोर्ट दूंगा···।

श्री जगदीश टाईटलर : यह कब कहा, क्या आपको कहा ?

डा० गौरीशंकर राजहंस : अखबारों में आया है, मैं आपको न्यूज-पेपर्स दिखा सकता हूं।

श्री जगदीश टाईटलर : मैंने आपसे पूछा और आपने जवाब दे दिया, बस।

डा० गौरी शंकर राजहंस : प्रो० एन० के० सिंह ने प्रेस कान्फ्रेंस में कहा, यह पी० टी० आई० का डिस्पेच है, गलत नहीं हो सकता, मैं जब रिपोर्ट दूंगा तब मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि वो बंबई आकर एयरपोर्ट देखें अथवा न देखें। मैं कहता हूं कि एक फायर हुआ, सीरियस फायर हुआ, आज मुल्क की जो हालत है उसको देखते हुए बाहर के देशों में इसका गलत इंटरप्रिटेशन भी लिया जा सकता था कि कहीं सेबोटाज हुआ है, ऐसी हालत में क्या मंत्री जी का यह दायित्व नहीं था कि वे वहां तुरंत जाते और प्रो० एन० के० सिंह की रिपोर्ट का इंतजार न करते।

मैं एक बात और कहूंगा कि यह जनरल टेंडेंसी है कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स अंडर इंश्योर होती हैं। मुझे पक्की खबर है कि बंबई एयरपोर्ट का भी अंडर-इंश्योरेंस है। मंत्री महोदय यह बताएं कि बंबई एयरपोर्ट का कितना अंडर इंश्योरेंस है और कितने का क्लेम किया गया, कितने का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को किया है।

अंत में एक बात और पूछता चाहता हूं कि बंबई एयरपोर्ट में पहले भी आग लगी थी और उसके बाद इक्वायरी हुई थी, कुछ फाइंडिंग्स थे, मैं पूछना चाहता हूं कि वे क्या फाइंडिंग्स थे और उसके आधार पर क्या-क्या प्रिकाशंस लिए गए थे, मैं इतना ही जानना चाहता हूं।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपनी चिंता व्यक्त की है और प्रश्न भी पूछे हैं, मैं सिर्फ एक प्रश्न जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपने वक्तव्य में कहा है कि जिस वक्त आग लगी थी, उसके 3-4 मिनट के बाद ही जो फायर टेंडर थे, उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की और नगर की अग्निशमन सेवा को भी बुलाया और दोनों ने मिलकर 1 घंटा 35 मिनट में आग पर काबू पाया। इसका मतलब यह हुआ कि भीषण दुर्घटना होने जा रही थी। ईश्वर की कृपा थी कि करोड़ों की सम्पत्ति और जान-माल की रक्षा हो सकी, वरना बड़ा भीषण कांड हो सकता था। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी जो अग्निशमन सेवा थी, इसके कितनी देर बाद नगर की अग्निशमन सेवा आई ?

जिस वक्त यह घटना घटी, उसके बाद यह बताया गया कि टोस्टर से आग लगी।

आपने निदेशक महोदय को अपाइंट किया है जो इसकी जांच पड़ताल करेंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि आपने जांच से पहले ही यह स्पष्ट कर लिया कि आग लगने का कारण टोस्टर ही था और कोई कारण नहीं था। जिस वक्त यह आग लग रही थी और आग लगने के बाद आपने कहा कि धुंआ भी उठा था और आपने यह स्वीकार किया है कि हमने तुरन्त उसकी व्यवस्था की।

आपने आग पर काबू पा लिया। यात्रियों को कुछ असुविधाएं भी हुईं। प्रश्न यह है कि इस प्रकार की आग लगी या लगाई गई, दोनों चीजें हो सकती हैं। ऐसी घटनाएं हुआ करती हैं। आज जो देश का वातावरण है, उसमें हर चीज सम्भव है। आपको गम्भीरता से विचार करना होगा। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि बजाए निदेशक महोदय से जांच कराएं, अच्छा यह होगा कि इस घटना की न्यायिक जांच हो ताकि तथ्यों का पता लग सके क्योंकि इसमें जो दोषी पाए जायेंगे वे कुछ न कुछ बचाव करेंगे। इसलिए, निष्पक्ष जांच हो। आप जो प्राईवेट दुकानें अलाट करते हैं और आपके यहां जो प्रोसीजर है और जैसा कि दिघे साहब ने कहा कि प्रोसीजर है, बड़ा भीड़वाला इलाका है तो क्या आवंटन में पक्षपात किया गया। जो बिजली के उपकरण लगाए गए, उनकी क्या दशा थी, कौन ठेकेदार थे और क्यों ऐसी घटना हो जाती है, इन सब बातों की जांच होना आवश्यक है, इसलिए न्यायिक जांच अवश्य कराएं। ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि बहुत बड़ी दुर्घटना से बच गए। इस तरह की घटनाओं पर तुरन्त काबू पाया जा सके, इसकी निश्चित रूप से व्यवस्था होनी चाहिए। गम्भीरता से आप देखेंगे तो निश्चय ही ऐसी घटना नहीं होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी गम्भीर घटना है। एयरपोर्ट बहुत पुराना नहीं है, नया एयरपोर्ट बना है। वहां पर आग लगी और कब्जे में आ गई। परन्तु इसका कारण क्या है। वायरिंग का कोई कारण नहीं हो सकता क्योंकि एकदम नयी वायरिंग है और वाल के अन्दर से है तथा टैस्ट भी हुई है। उसके बाद दुकान में तो आग लगने की कोई चीज ही नहीं है। वह आग कैसे लगी। आप भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह सकते। आजकल देश में सब तरह की घटनाएं हो रही हैं। किसी की बहुत बड़ी योजना हो सकती है, बहुत बड़ा गड़बड़ करने की और उसको बेकार करने की, इसकी शंका हमारे मन में होना स्वाभाविक है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। उस समय कौन दुकान में था, कोई नया स्ट्रेंजर तो नहीं आया, उस समय क्या जल रहा था, इस जबकि न्यायिक जांच होना आवश्यक है। आपके स्टेटमेंट में इस तरह की कोई तफसील नहीं है। एक नम्बर में आग लगी। वहां कपड़े की दुकान थी। वह आग कैसे लगी जबकि रेडीमेड कपड़े की दुकान है। वहां आग लगने की कोई चीज नहीं है। उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, उसके बारे में कम से कम आपके अधिकारियों की मार्फत से हमको कान्फिडेंस में लेते। इस तरह के रिप्लाई की अपेक्षा करते थे। इस घटना के पीछे कोई बहुत बड़ा षड़यंत्र तो नहीं है या कहीं विदेशी लोग गड़बड़ तो नहीं करना चाहते थे या घुसपैठिए तो नहीं पहुंच गए या तोड़फोड़ की साजिश तो नहीं है। अखबारों से जो रिपोर्ट हमें मिली है, उसके लिए आपके विभाग को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी उस पर काबू पा लिया था और बढ़ने नहीं दिया। फायर एक्सटिंगविशर सब जगह लगे रहते हैं, उसका उपयोग करके इस आग को रोका जा सकता था। पानी की और रेत की बाल्टियों की क्या कमी रही।

[श्री बनवारी लाल पुरोहित]

यदि आग आगे बढ़ जाती तो उसका भयंकर परिणाम होता। आपके जो वहां पर आग बुझाने के इक्वीपमेंट थे उनको वहां पर लगता है कोई उपयोग करने वाला नहीं था। अगर समय पर इनका उपयोग हो जाता तो इससे हम बच सकते थे, हो सकता है कि जो लोग वहां थे उनको इसका उपयोग करना नहीं आता था, उनको इसकी सही ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। यह एयरपोर्ट से सम्बन्धित घटना है इससे हमें बहुत बड़ी हानि हो सकती थी, इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी पूरी न्यायिक जांच आप करवायें जिससे सब तथ्य जनता के सामने आ जायें। यही अपेक्षा हम आपसे करते हैं।

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, सबसे पहले, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने, सुझाव देने तथा अपनी टिप्पणियां करने के लिए भी मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं।

आग छोटी हो अथवा बड़ी, यह चिन्ताजनक है, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि यह क्या रूप धारण कर ले। आखिरकार, हम सभी मानव हैं और हम इस पर काबू कर सकें या न कर सकें दोनों ही बातें हैं। मैं 1979 की बात करूंगा जब बम्बई में आग की पहली घटना घटी थी। उस समय एक सिफारिश की गयी थी, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है। उस समय यह सिफारिश की गयी थी कि हमें बीमा करवाना चाहिए, कितनी धनराशि का यह मुझे ठीक से नहीं मालूम। मैं आपको सूचित करूंगा कि यह सिफारिश आग का पता लगाने तथा आग की सूचना देने वाले उपकरणों को लगाने तथा लकड़ी का कम प्रयोग करने से सम्बन्धित थी। चूंकि आग वहां लगी थी जहां वातानुकूलन वाल्व फटा था और उन्होंने कहा था कि इसे वातानुकूलन प्रणाली में लगाया जाना चाहिए क्योंकि आग वातानुकूलन यूनिट से शुरू हुई थी।

मैं सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि हमने ये सभी पूर्वोपाय कर लिए हैं और दिवेजी द्वारा दिए गए कुछ अन्य सुझाव दोषपूर्ण निर्माण, लोगों के आकर बैठने के लिए कोई उचित स्थान न होने के बारे में आए हैं लेकिन खैर इस समय जो है, उसमें कुछ नही किया जा सकता। लेकिन तीसरा मोड्यूल जो इसमें बनाया जाना है हम देखेंगे कि आपके सुझावों के अनुसार कुछ और परिवर्तन किया जा सकता है और हम वास्तुकार को इसके बारे में बता देंगे। सिर्फ इस तथ्य से कि आप समय पर आग पर काबू पा सकें पता चलता है कि अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण कार्यालय तथा इससे सम्बन्धित लोगों ने अच्छा कार्य किया है और हमें उन्हें बधाई देनी चाहिए। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है कि आग की सूचना देने वाली व्यवस्था कार्य कर रही थी और जिसकी वजह से हमें एक मिनट के समय में इसका पता लग गया था। शायद, अगर आग की सूचना देने वाली प्रणाली कार्य नहीं कर रही होती तो आग बहुत गम्भीर लगी होती।

इस बात पर आते हुए कि हम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि आग आप संख्या 1 से एक हीटर से शुरू हुई थी, अब यह एक आम सावधानी है, जो मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मैं इससे

सहमत हूं। मैं सुनिश्चित करूंगा कि यह समिति इस पर विचार करेगी और विमानपत्तन प्रबंधक को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए कि वह यह जांच करे कि ये सभी खतरनाक कार्य जो विमापत्तन के अन्दर किए जाते हैं, जो सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं अगर वे इसका पालन नहीं करते हैं तो उन पर जुर्माना किया जाए अथवा सजा दी जाए अथवा उनके लाइसेंस वापिस ले लिए जाए। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्य हो जाए। जहां तक आग की बात है—जैसे ही मुझे आग लगने के बारे में पता चला मैं वहां जाने का बहुत इच्छुक था लेकिन वहां के लिए कोई विमान सेवा उपलब्ध नहीं थी परन्तु एक घंटे के अन्दर हमें जानकारी मिली कि आग पर नियंत्रण पा लिया गया है और फिर पहली ही विमान सेवा से हमारे अध्यक्ष वहां गए। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का सम्बन्ध है वह वहां के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। हमें वहां की चिन्ता है। हमारे अधिकारियों को उसकी चिन्ता है। यहां तक कि मंत्रालय में मेरे अधिकारियों को वहां जो कुछ हो रहा है उसकी सभी जानकारी है। ये घटना फिर न घटे इसके लिए क्या सावधानियां ली जा रही हैं? एयर इंडिया ने भी यहां अच्छा कार्य किया है क्योंकि उनकी सार्वजनिक सूचना प्रणाली कार्य कर रही थी। यही कारण है कि एक बहुत ही नियोजित ढंग से लोगों को मौड्यूल-1 तक ले जाया गया जहां सामान को हटाया गया तथा इससे जरा भी सामान को क्षति नहीं पहुंची। किसी भी यात्री को चोट नहीं आयी क्योंकि सभी लोग इधर-उधर भागने लगे थे। हमने यह सब व्यवस्था लोगों को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर निकाल कर की। आग उन्हें नुकसान न पहुंचा सकी और वे आसानी से इधर-उधर आ-जा सके। चूंकि हमने आग पर नियंत्रण पा लिया था अतः यही कारण था कि अधिक नुकसान नहीं हुआ। हमने यह इसलिए कहा है क्योंकि हमें अभी बीमा सम्बन्धी दावे को दायर करना है। हमने कहा है कि मोटे तौर पर आग से हुई क्षति 15 लाख से 20 लाख रुपये तक हो सकती है। हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि यह क्षति इतनी हो सकती है। परन्तु यह निश्चित करना बीमा लोगों तथा हवाई अड्डा प्राधिकारियों का कार्य है। यह अभी निश्चित नहीं किया जा सकता है क्योंकि हम आग लगने के दो दिन के अन्दर संसद में आ चुके है। हम आपको ठीक-ठीक नहीं बता सकते हैं। परन्तु एस्केलेटर, छत कुछ टाइलों तथा फर्श को नुकसान पहुंचा। इस सबकी मरम्मत की जानी है परन्तु हम यह नहीं जानते हैं कि कितना नुकसान हुआ है।

मुझे अभी एक रिपोर्ट मिली है: हवाई अड्डे के भवन का 42.82 करोड़ रुपये का बीमा किया हुआ है अर्थात् टर्मिनल-1 और टर्मिनल-2। टर्मिनल-2 का 20.58 करोड़ रुपये का बीमा किया हुआ है। इतना बीमा हमने किया है। पहली बात को लेते हुए जिसमें श्री दिघे जी ने पूछा है कि हम इसका दूसरा अनुमान किस तरह से लगा सकते हैं क्योंकि जब अन्तर्राष्ट्रीय हवाईपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष वहां गए और स्थिति को देखा तो उन्हें किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैंने इसकी पूरी जांच कराई है और यदि जांच से आपके कुछ प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है और यदि यह मुझे आग लगने के कारणों या पूर्वापायों के बारे में संतुष्ट नहीं करते हैं तो निश्चत रूप से हम इसे जांच करने के लिए किसी अन्य प्राधिकारी को देंगे, जो सक्षम हो, परन्तु यह निर्णय केवल तभी किया

[श्री जगदीश टाइटलर]

जाएगा, जब मैं जांच से संतुष्ट न हूं या रिपोर्ट इस प्रकार की हो कि उसमें अस्पष्ट उत्तर दिए गए हों। लेकिन, यदि इससे कोई परिणाम नहीं निकलता है तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हम इसकी उचित जांच करें।

हमने सावधानी बरती है। मैंने उसका भी जिक्र किया है। एक माननीय सदस्य ने ईश्वर के बारे में कहा था। स्वभाविक रूप से हम सब उस ईश्वर से डरने वाले लोग हैं। हम सब यह सुनिश्चित करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना पसंद करेंगे कि न किसी राष्ट्रीय सम्पत्ति को अथवा किसी को व्यक्तिगत रूप से नुकसान हो यह एक सामान्य मुहावरा है जिसे कोई भी व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। परन्तु मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि हमने सभी पूर्वोपाय लिए हैं और यही कारण है कि हम आग पर नियंत्रण पा सके हैं। चाहे यह छोटी आग हो या बड़ी हो यह मेरे मंत्रालय, मेरे विभाग की चिन्ता का विषय है और हमें यह सुनिश्चित करना है कि यात्री सुरक्षित रहें और भवन सुरक्षित रहें। भवन के बीमे की कार्यवाही के प्रारंभ होने के उपरांत हम यथाशीघ्र भवन को परिचालन लायक बनाए जाने की कोशिश करेंगे।

12.42 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) कोटा अथवा रतलाम से दिल्ली तक एक नई रेलगाड़ी चलाने और देहरादून एक्सप्रेस को पुनः चलाने की आवश्यकता

श्री शान्ति धारीवाल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा शहर राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है जहा पर राजस्थान ऐटौमैटिक पावर प्रौजैक्ट तथा अनेकों बड़े-बड़े कारखाने हैं तथा देश के हर भाग के लोग काम करते हैं। कोटा से दिल्लीं आने की सारी ट्रेनों में इतनी भारी भींड़ रहती है और आरक्षण की कमी के कारण रोज हजारों लोगों को वापस जाना पड़ता है। फन्टियर मेल में दिल्ली तक का टिकट नहीं मिलकर मेरठ तक का टिकट मिलता है तथा बम्बई, जम्मू-तवी में अम्बाला तक का टिकट लेना पड़ता है। डीलक्स एवं सर्वोदय में आरक्षण नगण्य है। ऐसी स्थिति में सिर्फ देहरादून व जनता एक्सप्रेस ही ऐसी ट्रेन है जिसमें गरीब व मिडिल क्लास का व्यक्ति सफर कर सकता है। ऐसी स्थिति में मेरी भारत सरकार से यह मांग है कि कोटा से या रतलाम से दिल्ली के लिए एक नई ट्रेन चलायी जानी चाहिए।

बम्बई से देहरादून चलने वाली 19 डाउन व 20 अप देहरादून एक्सप्रेस आजकल बंद कर दी गई है। जबकि इस ट्रेन की इस रूट पर सबसे ज्यादा उपयोगिता थी। इस ट्रेन को पुनः अविलम्ब चालू किया जाना चाहिए। अगर कोई ट्रेन किसी आवश्यक कारण बन्द ही करनी हो

तो देहरादून एक्सप्रेस के अलावा और कोई ट्रेन इस रूट पर बन्द कर देनी चाहिए। परन्तु देहरादून एक्सप्रेस को पुनः चालू करके, उसके साथ-साथ एक और नई ट्रेन रतलाम-कोटा से दिल्ली के शुरू की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

(दो) लद्दाख के क्षेत्र के लोगों को अनुसूचित जनजाति घोषित करने की आवश्यकता

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : लद्दाख के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के सम्बन्ध में लघु जनगणना 30 सितम्बर 1986 को पूरी की जा चुकी है। और जम्मू-कश्मीर राज्य के अन्य भागों में इसी प्रकार की जनगणना अगले वर्ष अर्थात्, 1987 के शुरू में किये जाने की सम्भावना है चूंकि लद्दाख क्षेत्र का मामला एक विशिष्ट मामला है और यह राज्य के अन्य भागों से अलग है—क्योंकि लद्दाख के लोगों ने उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मूल मांग बहुत पहले की है इसलिए इस मामले को जैसाकि राज्य के अन्य दो क्षेत्रों से अलग करने की आवश्यकता है। अतः मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि वह लद्दाख क्षेत्र के लिए लघु जनगणना के सम्बन्ध में एक अलग रिपोर्ट तैयार करें और लद्दाख क्षेत्र के लोगों की बहुत पहले से चली आ रही मांगों को पूरा करने हेतु अनको अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए कदम उठाये जाएं।

(तीन) लक्षद्वीप को समुद्र के कटाव से बचाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : मैं लक्षद्वीप में समुद्र के कटाव से धीरे-धीरे पड़ने वाले विनाशकारी प्रभाव के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इस समस्या से निपटने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनाएं बनाये जाने की अति आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि इस समस्या की गम्भीरता को देखते हुए इसे तत्काल हल करने की प्राथमिकता दी जाए। शुरू में 10 द्वीपों में यह काम किया जाना चाहिए।

सबसे छोटा द्वीप अर्थात बितरा, जिससी जनसंख्या 200 निवासियों की है तथा जिसका क्षेत्रफल 27 एकड़ है, को इस गम्भीर स्थिति से बचाया जाना चाहिए।

जो नुकसान पहले ही हो चुका है उसको दुरुस्त करने के लिए इस समय और कार्यवाही योजनाओं और उनके क्रियान्वयन के बीच लम्बा अन्तराल नहीं होना चाहिए।

मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि लक्ष्यद्वीप को इस विनाशकारी क्षति से बचाने के लिए सभी उपलब्ध संसाधन जुटाये जाएं।

(चार) मध्य प्रदेश में दमोह और पन्ना जिलों में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री डाल चन्द्र जैन (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित सूचना देता हूं—

"बुन्देलखण्ड (म० प्र०) का दमोह एवं पन्ना जिला पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। दमोह में जन सहयोग से दूरदर्शन प्रसारण भवन का निर्माण हो चुका है। उसकी डिस्क भी पहुंच गई है। हरिजन आदिवासी की एवरेज जनसंख्या 40 प्रतिशत के लगभग है। अतः विशेष रूप से मैं सूचना और प्रसारण मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सन् 1986 में ही दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र शुरू किया जाए। इसी तरह पन्ना जिले की आबादी भी 40 प्रतिशत हरिजन और आदिवासी लोगों की है एवं पिछड़ा हुआ है। वहां भी दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र सन् 1986 के अन्दर ही शुरू किया जाए।"

[अनुवाद]

(पांच) पाराद्वीप पत्तन के विकास के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : पाराद्वीप पत्तन देश का एक प्रमुख पत्तन है। उड़ीसा का आर्थिक विकास इस पत्तन के विकास से जुड़ा हुआ है। परन्तु पत्तन से अधिक निर्यात करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित समस्याओं पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है—

(एक) दक्षिण कोरिया के मैसर्स ह्यून दई कारपोरेशन के पुनरीक्षित प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता है जिसके अनुसार पाराद्वीप पत्तन को गहरा किया जाना है ताकि 1,70,000 डी० डब्ल्यू० टी० तक के जहाज वहां आ सकें और वहां पर रेलवे और खनन सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी हैं ताकि लौह अयस्क का निर्यात इस पत्तन से प्रति वर्ष 60 लाख टन तक बढ़ सके।

(दो) पत्तन से डूबे हुए दो ड्रेजरों के अर्थात ड्रेजर कोणार्क और मोट नं० 'तीन' के मलबे को नौसेना की सहायता से निकलवाया जाए क्योंकि इन डूबे हुए ड्रेजरों से पत्तन के इस जलमार्ग में नौवहन परिचालन में काफी खतरा हो सकता है।

(तीन) बीच इरोजन बोर्ड की सिफारिशों को तुरन्त लागू किये जाने की आवश्यकता है ताकि पाराद्वीप पत्तन में समुद्र के कटाव को रोका जा सके।

(छः) उपभोक्ताओं को हानिकर व्यापारिक गतिविधियों से बचाने के लिए स्वैच्छिक उपभोक्ता प्रयासों को संगठित करने की आवश्यकता

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : उपभोक्ता सामान की तथाकथित बिक्री के सम्बन्ध में हाल ही में की गई जांच से पता चला है कि उपभोक्ताओं को किस प्रकार गुमराह किया जाता है ऐसे एक मामले में उपभोक्ताओं को बताया गया है कि बहुत ही कम मूल्य पर माल बेचा जा रहा है जबकि एम०आर०टी०पी० ने पता किया है कि मिल द्वारा रद्द किए गये माल को असली माल बता कर बेचा जा रहा था। एक दूसरे मामले में एम० आर० टी० पी० ने पता किया कि एक जाने माने ब्रांड के नाम पर साड़ियां बेची जा रही थी जबकि ये साड़ियां उस ब्रांड की नहीं थीं। ये उदाहरण इस समस्या का जरा सा अंश उजागर करते हैं। ज्यादातर इन मामलों के उपभोक्ता नुकसान उठाने के बाद ही समझदार हो पाते हैं। उपभोक्ताओं को इस प्रकार की बातों से बचाने के लिए स्वयं सेवी संगठनों द्वारा प्रत्यन्न किये जाने चाहिए जैसा कि कुछ अन्य देशों में होता है जहां व्यापारियों के संगठनों को सही माल की बिक्री को प्रमाणित करना पड़ता है और उपभोक्ताओं को गुमराह करने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। सरकार को उपभोक्ताओं को बचाने हेतु इसी प्रकार का कानून बनाने पर विचार करना चाहिए।

(सात) पश्चिम बंगाल स्थित विद्यासागर विश्वविद्यालय मिदनापुर को विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शीघ्र अनुदान दिए जाने की आवश्यकता

डा० सुधीर राय (बर्दवान) : विद्यासागर विश्वविद्यालय मिदनापुर, पश्चिम बंगाल गत 5 वर्षों से चल रहा है। इस विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पढ़ाई शुरू की गई है और लगभग 35 महाविद्यालय इससे सम्बद्ध है। इस विश्वविद्यालय में गैर परम्परागत विषय जैसे समुद्री जीवविज्ञान, समुद्र विज्ञान, सहकारी आन्दोलन, पंचायती राज आदि पढ़ाये जाते हैं। यद्यपि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस विश्वविद्यालय के लिए दो करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया है तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोई अनुदान नहीं दिया है। तय यह हुआ था कि यदि राज्य सरकार 2 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करती है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 6 करोड़ रुपये देगा। संकाय के सदस्यों की पहले ही नियुक्ति की जा चुकी है—परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी न किसी बहाने से अनुदान नहीं दे रहा है।

मैं मांग करता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बिना और बिलम्ब किए उक्त विश्वविद्यालय को अनुदान की राशि देना चाहिए।

(आठ) ताप विद्युत का उत्पादन बढ़ाने के लिए तमिलनाडु राज्य को सहायता देने की आवश्यकता

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : जहां तक तमिलनाडु का संबंध है वहां

[श्री पी० कुलनवेईवेलू]

बिजली की हमेशा कमी रही है। तमिलनाडु सरकार पहले ही विद्युत उत्पादन के सभी स्रोतों का दोहन कर चुकी है। अब तमिलनाडु तापीय विद्युत और परमाणु ऊर्जा पर निर्भर रह रहा है। दक्षिण अरकाट जिले के कूड्डालूर क्षेत्र में तीन यूनिटों में प्रत्येक 210 मेगावाट के एक थर्मल पावर संयन्त्र के लिए सोवियत सहायता प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। यह भी समझा जाता है कि भारत के प्रधानमन्त्री और सोवियत रूस के राष्ट्रपति श्री गोर्बाचोव में इस विषय पर बात हो चुकी है। मद्रास में सदर्न एनर्जी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को आस्ट्रेलिया से स्ट्रीमिंग कोयले के आयात की अनुमति भी दी जानी है जिससे टूटीकोरिन थर्मल पावर प्लांट, जिसमें प्रत्येक 210 मेगावाट की दो इकाइयां तमिलनाडु बिजली बोर्ड के संयुक्त उपक्रम से कार्य कर रही है, को क्रियान्वित और संचालित किया जा सके। ताप विद्युत उत्पादन की कमी के कारण तमिलनाडु के औद्योगीकरण पर काफी प्रभाव पड़ रहा है जिससे वहां पर बहुत अधिक बेरोजगारी और अर्द्ध बेरोजगारी है। तमिलनाडु की सहायता के लिए भारत सरकार को तत्काल आगे आना है।

12.54 म० प०

दिल्ली अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा विधेयक

[जारी]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 10 लेते हैं। 11 नवम्बर 1986 को श्री चिन्तामणि पाणिग्रही द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार, अर्थात्—

> "कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के कुछ भवनों और परिसरों में अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के लिए अधिक प्रभावी उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री सोमनाथ रथ।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : महोदय, यह अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा विधेयक एक स्वागत योग्य कदम है। दिल्ली में कई बड़ी-बड़ी इमारतें हैं जिनमें पांच सितारा होटल भी है और अभी पिछले कुछ महीने पहले दिल्ली के एक बड़े होटल में भयंकर आग लगी थी जिसमें कई लोग घायल हुए तथा कुछ मारे गये थे।

बहुमंजिला फ्लैटों के मालिक इमारतों में आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपायों की व्यवस्था नहीं करते हैं। केन्द्र शासित राज्य दिल्ली में आग बुझाने और अग्नि सुरक्षा उपकरण की जिम्मेदारी नगर निगम की है।

इस विधेयक के सम्बन्ध में मैं देखता हूं कि यह विधेयक सामान्य प्रक्रिया से दूर हटकर है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान खंड 4, 5 और 7 की ओर दिलाना चाहता हूं, खंड 4 अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के उपायों से सम्बन्धित है। यह कहता है कि अधिकारी मालिक या किरायेदार को नोटिस में उल्लिखित किये गये उपायों को पूरा करने का निर्देश दे सकता है। खण्ड 4 (2) कहता है 'नामनिर्दिष्ट अधिकारी धारा 3 के अधीन अपने द्वारा किसी भी निरीक्षण की रिपोर्ट मुख्य अग्नि शमन अधिकारी को देगा। खण्ड 5 भवनों या परिसरों को सीलबन्द करने के अधिकार से सम्बन्धित है। यह कहती है कि मुख्य अग्नि शमन अधिकारी भवन या परिसर को तुरन्त सीलबन्द भी करवा सकता है। खण्ड 5 (2) कहता है कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी उस क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्तियों को उस भवन या परिसर से हटाने के लिए निर्देश दे सकता है और ऐसा अधिकारी ऐसे निर्देशों का पालन करेगा। खण्ड 7 कहता है :

(1) मुख्य अग्नि शमन अधिकारी धारा 5 अथवा धारा 6 के अधीन जारी की गई किसी सूचना की अनुपालन न करने की दशा में ऐसी कार्यवाही करेगा जो सूचना के अनुपालन के लिए आवश्यक हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन मुख्य अग्नि शमन अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में हुए सभी व्यय मांगे जाने पर स्वामी या अधिभोगी द्वारा देय होंगे। और यदि ऐसी मांगों के पश्चात 10 दिन के भी उनका संदाय नहीं किया जाता है तो वह भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलनीय होगे।"

यह पहले से अनुमान लगाता है कि मुख्य शमन अधिकारी को कुछ धन खर्च करना पड़ेगा परिसर को बदलना या गिराना आवश्यक हो सकता है और यह बहुत बड़ी राशि भी हो सकती है आश्चर्य की बात है विधेयक में वित्तीय ज्ञापन नहीं है। अतः वह धन कहां से प्राप्त करेंगे। यदि उनके लिए धन की व्यवस्था नहीं होती है तो धारा 7 के अधीन वे अपने कर्त्तव्य का पालन कैसे करेंगे जैसा कि उन्हें इसके अन्तर्गत ऐसा करने का अधिकार मिला हुआ है। मन्त्री जी उत्तर दे सकते हैं कि इसका नियमों में प्रावधान कर दिया जायेगा। यह नहीं हो सकता है नियम यह बता सकता है धन का उपयोग कैसे किया जायेगा। नियम धन प्रदान नहीं करा सकते। यह अधिनियम है जो कि धन उपलब्ध करवायेगा। अधिनियम से ही नियम बनाये जाते हैं। और वे अधिनियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। विधेयक में यह एक बड़ी कमी है। मैंने भी एक संशोधन दिया है। अगर मन्त्री चाहे तो वह इसे स्वीकार कर सकते हैं। मैंने एक संशोधन नया खण्ड 7 अ जोड़ने के लिए दिया है यह कहता है कि यह खर्च भारत की समेकित निधि से किया जाना चाहिए। अन्यथा खण्ड 7 क नितिक्रम हो जायेगी। मैं आशा करती हूं। मन्त्री जी उत्तर देते समय स्थिति स्पष्ट करेंगे।

1.00 म० प०

अन्य मुद्दा जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा वह यह है कि यह विधेयक तुरन्त कार्यवाही के लिए लाया गया है। धारा 8 में यह कहा गया है कि मुख्य अग्नि अधिकारी

[श्री सोमनाथ रथ]

के आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायाधिकरण को 30 दिन के भीतर अपील करने का प्रावधान है। इसके बाद दूसरी अपील भी की जा सकती है। निसंदेह कुछ माननीय सदस्यों ने एक संशोधन दिया है कि यह अपील नहीं हो सकती है बल्कि पुनरीक्षा हो सकती है क्योंकि अपील और पुनरीक्षा में काफी फर्क होता है। यदि अपीलीय अधिकारी चाहे तो वह समय सीमा को माफ कर सकते। धारा 8 (2) में कहा गया है अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध प्रशासक को अपील की जायेगी। वह भी 30 दिन के भीतर होगी और प्रशासक भी बिलम्ब को माफ कर सकता। यह प्रक्रिया कब तक चलेगी ? जब हम सुरक्षा उपायों के विषय में सोच रहे हैं, अग्नि शमन के उपायों के विषय में सोच रहे हैं तो क्या हम अपील के फैसले का एक या दो वर्ष तक इंतजार करेंगे। क्योंकि पहली अपील कुछ समय लेगी, फिर दूसरी अपील भी कुछ समय लेगी। क्या यह उपयुक्त नहीं होगा कि दो अपीलें नहीं होनी चाहिए। इसे तत्काल ही निपटा देना चाहिए। धारा 9 में अदालतों के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाई गई है इस परिस्थितियों में यह दो मुख्य मुद्दे हैं जिस पर मन्त्री महोदय जी को ध्यान देना चाहिए और मैं अनुरोध करती हूं कि वे इन मुद्दों का उत्तर दे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है और 2 बजे म० प० पुनः समवेत होगी।

1.02 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.07 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 2.07 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

दिल्ली अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा विधेयक

[आरो]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री राजकुमार राय।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय (चोसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे दिल्ली फायर प्रिवेंशन एण्ड फायर सेफ्टी बिल पर बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, इस बिल के जरिए दिल्ली में फायर ब्रिगेड के कार्यों को इस रूप में ले जाने का प्रयास किया गया है कि बहुमंजिले इमारतों में आग लगे, तो उस पर सक्षम कार्यवाही कर

के जल्दी से उसका निराकरण किया जा सके, समाधान किया जा सके और इसीलिए हमारी सरकार बहुत ही अच्छी नीयत से इस बिल को लाई है और इसमें इस बात का प्रयास किया गया है कि अगर इसका सख्ती से पालन किया जाए, तो दुर्घटनाओं में बहुत कमी आ सकती है। इतिहास इस बात का साक्षी है और अनुभव यह बताता है कि दिल्ली में बहुत सारी बहुमंजिल इमारतें बन गई हैं और गत वर्ष सिद्धार्थ होटल में बहुत बड़ा अग्नि कांड हुआ था और इसके दो, ढाई साल पहले जब हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव जी, कांग्रेस (आई) के महा मन्त्री हुआ करते थे, तो एक बहुत बड़ा अग्नि कांड होते-होते बचा और वहां समय पर फायर ब्रिगेड के लोग नहीं पहुंच सके थे, जिसकी जांच जारी है। किसी सक्षम और काम्पीटेंट अथारिटी के अभाव में हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते और कारगर कार्यवाही नहीं कर पाते और दंड देने की प्रक्रिया इतनी कमजोर थी कि अगर कोई किसी चीज को इगनोर करता था या सख्ती से किसी चीज का पालन नहीं करता था, तो बहुत कम दण्ड दे पाते थे। इसलिए यह बहुत अच्छी बात है कि इस विधेयक को सरकार लाई है और इसको लाकर उसने इसमें कड़ी सजा का प्रावधान किया है, ज्यादा फाइन का प्रावधान किया है और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई दो बार, तीन बार या चार बार गलती करता है तो उसका पनिशमेंट बढ़ता जाएगा। दिल्ली में कानून का पालन सख्ती से हो रहा है और राज्यों की बनिस्बत लेकिन जहां इस कानून को और ज्यादा सख्ती से पालन करने की जरूरत है, वहां जनता को भी इस बात के लिए प्रशिक्षित करने की जरूरत है कि अगर वह बहुमंजिल इमारत बनाए, तो उसके लिए नक्शे पास करवाए और इस बिल के प्रावधानों का स्वयं ही ठीक से पालन करे।

जहां तक इस बिल का प्रावधान है वह अच्छा है। आग लगने पर उसके बुझाने की सही समय पर, सही व्यवस्था हो। उसमें कोई उल्लंघन न हो। यह देखा जाता है कि इस व्यवस्था का उल्लंघन बड़े-बड़े लोग ही करते हैं और इस उल्लंघन को बड़े-बड़े अधिकारी चुपचाप देखते रहते हैं। इसलिए जब आप इस कड़े कानून को सदन में लाए हैं जो कि पास भी होने जा रहा है तब आप इस बात पर भी गौर करें कि बड़े-बड़े लोग ऐसा न कर पाएं। यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि गल्तियां बड़े-बड़े लोगों से शुरू होती है।

साथ ही साथ इस बात पर बल देने के लिए यह भी आवश्यक है कि इस सेवा में जो लोग लगे हैं उनके मनोबल को भी ऊंचा करने की जरूरत है। जो लोग फायर सर्विस में लगे हैं हम लोग उनके मनोबल को ऊंचा कर सकते हैं, उनको प्रमोशनल एवन्यु देकर, उनको रहने की सुविधाएं देकर, उनको कम्युनिकेशन के साधन देकर और उनके वेतन में बढ़ोत्तरी कर सके। सबसे ज्यादा जरूरी यह देखना है कि जो वाहन आदि उन्हें दिए जाते हैं वे कभी-कभी पुराने किस्म के दिए जाते हैं जो कि सक्षम नहीं हो पाते हैं।

मान्यवर, यह मामला दिल्ली का है। लेकिन मैं थोड़ा-सा विषयान्तर होकर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सुदूर गांवों में गरीब किसान किसी भी तरह से साल भर श्रम करके अपना खाद्य-पानी इकट्ठा करके रखता है, सारी पूंजी लगाकर, खेत-खलिहानों में काम करके अपनी फसल रखता है तो कभी-कभी गांवों में भी ऐसे मामले हो जाते हैं। खास तौर से

[श्री राजकुमार राय]

उन क्षेत्रों में जहां से मैं आता हूं, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सारे नगरों में जहां इसकी सुविधा बहुत थोड़ी है, या लगभग नहीं के बराबर है। इसलिए इस बात की भी जरूरत है कि आप उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद के नगरों में इस सेवा को अधिक सक्षम बनाएं। केन्द्रीय सरकार एक वेल्फेअर स्टेट है। वह इस बात पर भी ध्यान दे कि कैसे गांवों में जब आग लग जाती है, खेतों, खलिहानों में लग जाती है तो कैसे उसे कारगर रूप से रोक सकें।

मेरा अनुभव है कि आग लगी, पुलिस स्टेशन को सूचना हुई और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के एस० एस० पी० के आदेश भी हुए, फायर सर्विस के बड़े-बड़े अधिकारियों को हुए लेकिन कुछ नहीं हुआ। कहीं से जवाब मिला गाड़ी ठीक नहीं है, कहीं से जवाब मिला स्टाफ तैयार नहीं है, कहीं से जवाब मिला कि पानी नहीं है और इसमें सारा कुछ देखते-देखते स्वाहा हो गया, राख हो गया और आदमी कुछ नहीं कर पाया। अगर कहीं पानी भी है तो उसको लाने के लिए मेन पावर लगा कर उस आग पर काबू पा सकते हैं।

कभी-कभी इस आग में सैकड़ों-सैकड़ों घर एक बार में भस्म हो जाते हैं और किसान की, पूरे के पूरे गांव की कमाई राख हो जाती है। इसलिए जाहिर तो यह है कि इस सेवा को हम गांवों की तरफ तेजी से ले जाएं, इसको तेजी से बढ़ाएं और वहां स्टाफ वगैरह: रहे। इसका भी आप प्रावधान करके देहातों को सुविधा दें।

मान्यवर, आप से छिपा नहीं है कि सरकार भी गांवों की उन्नति के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। माननीय इंदिरा जी ने कहा था कि अगर हमें हिन्दुस्तान को देखना है, उसका बचाव करना है, उसका विकास और विस्तार देखना है, उसकी बहबूदी और बेहतरी देखनी है तो सबसे पहले हमें गांवों की तरफ देखना होगा। गांवों में हिन्दुस्तान की 70 प्रतिशत जनसंख्या रहती है। अगर हमें गांवों की तरफ देखना है तो हमें किसानों और मजदूरों की तरफ देखना होगा। मैं जो कह रहा हूं उसका सीधा सम्बन्ध गांवों के किसानों और मजदूरों से है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप ऐसा पुण्य कार्य कर रहे हैं और दिल्ली को आगजनी की घटनाओं से बचाने का प्रयास कर रहे है वहीं पर इस बात पर भी विचार कर कोई सक्षम विधेयक लाएं, कोई कानून लाएं ताकि गांवों में, इस देश के छोटे-बड़े नगरों में जो इस किस्म की घटनाएं हो जाती हैं वे न हों।

मान्यवर, आप जानते हैं कि जब और कोई आपदा आती है तो कुछ छोड़ भी जाती है। लेकिन बाढ़ और आग ऐसी आपदाएं हैं वे जब कभी आती हैं तो इन्सान के पास कुछ नहीं बच पाता है। उसका सारा सम्मान, सामान, जीविका के सारे साधन, सारा अन्न, वस्त्र भस्म हो जाते हैं। इसलिए यह एक ऐसा मामला है, एक ऐसा पहलू है जिस पर बहुत ठंडे दिल से विचार करके हमें बहुत कुछ करना है।

मान्यवर, मैं आपके ध्यान में दो-तीन चीजें लाना चाहता हूं। दिल्ली में इस मामले में

कई बार लापरवाही हो चुकी है और सरकार ने इस बात की कोशिश की है कि जिनकी लापरवाही से गलती हुई है, उनको ज्यादा से ज्यादा दण्ड दिया जाए, लेकिन वह दण्ड समय सीमा के अन्दर नहीं दिया गया। जो फाइल लटकी तो लटकी रह गई, इससे फिर रिपीटीशन हो रहा है। मैं चाहूंगा कि इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि अगर कहीं आग लगी है और लापरवाही हुई है आग बुझाने में या प्रावधानों को पूरा नहीं किया गया है तो उसको निश्चित समय सीमा के अन्दर दण्ड दिया जाए, ताकि दूसरों के लिए वह एक उदाहरण हो और लोग उससे बचने का उपाय कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से मैंने जो छोटे-मोटे सुझाव दिए हैं, आशा है सरकार इस पर ध्यान देगी।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं यद्यपि यह एक विलम्बित विधेयक है और इसमें कुछ कमियां भी हैं। दिल्ली अग्नि शमन सेवा का संचालन दिल्ली नगर निगम करता है। निःसन्देह, निगम के अधिनियम में, किसी भी संस्था पर निवारक उपाय अथवा सुरक्षा उपाय लागू करने के लिए, वर्तमान प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं। मैं इस विचार का स्वागत करता हूं कि निवारक एवं सुरक्षा उपाय करने के लिए केवल एक ही एजेंसी होनी चाहिये।

वर्तमान विधेयक में एक या दो कमियों की ओर मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि मन्त्री महोदय उचित स्पष्टीकरण अवश्य ही देंगे। खंड 3 में यह कहा गया है····"नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी किसी भवन के, जिसकी ऊंचाई उतनी है जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए या परिसर के अधिभोगी को या यदि कोई अधिभोगी नहीं है तो उसके स्वामी को तीन घण्टे की सूचना देने के पश्चात्···।"

इस सम्बन्ध में, मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कानून के ये प्रावधान केवल ऊंची इमारतों के मामलों पर ही लागू होंगे अथवा सामान्य इमारतों पर भी लागू होंगे। यह एक विरोधाभाष है। विधेयक की परिभाषा में भवन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है "भवन" से अभिप्रेत है कोई गृह, उपगृह, अस्तबल, शौचालय, मूत्रालय आदि, आदि। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि परिभाषा में आपने "भवन" को उस रूप में परिभाषित किया है जैसा कि वह अब है। खंड 3 में यह कहा गया है कि नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी केवल ऊंचे भवनों का ही निरीक्षण करेगा। क्या वे इन निवारक उपायों तथा सुरक्षा उपायों को दूसरी इमारतों पर लागू नहीं कर सकते ? मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं। यदि ऐसा है तो मैं यह महसूस करता हूं कि यह एक भूल है। मैं नहीं जानता कि किस आधार पर तथा किस उद्देश्य से यह किया गया है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इस बात को स्पष्ट करें। यदि आवश्यक हो तो मेरा यह सुझाव है कि अब भी एक संशोधन

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

लाने के लिए अधिक देर नहीं हुई है। क्योंकि, भवन का अर्थ है प्रत्येक भवन। नामनिर्दिष्ट अधिकारी के पास प्रत्येक भवन का निरीक्षण करने के अधिकार होंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप समस्त विषय का अध्ययन करें।

महोदय, खंड 6 में यह उल्लेख किया गया है कि मुख्य अग्नि शमन अधिकारी किसी भी भवन में जा सकता है तथा निरीक्षण कर सकता है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि ये भवन केवल ऊंची इमारतें ही हैं। यह उनकी ऊंचाई दी गई है। निःसन्देह जिन इमारतों का निर्माण 1983 से पहले किया गया था, आपने उनका उल्लेख किया है। मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के पास किसी भी भवन का निरीक्षण करने का अधिकार है। नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य भवनों का निर्माण नहीं करेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस बात को स्पष्ट करें।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि यह सभा देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। इस सभा द्वारा पारित कोई भी अधिनियम अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श होना चाहिये। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा है कि अग्नि शमन सेवायें महानगरों में भी अपर्याप्त हैं—ग्रामीण क्षेत्रों की तो बात ही छोड़िये। यहां तक कि बड़े शहरों में भी हमारे पास पर्याप्त अग्नि निरोधक उपाय नहीं हैं। नि सन्देह, यह राज्य सरकारों का दायित्व है। परन्तु विधायी संस्था को सभी राज्यों के लिए एक आदर्श होना चाहिए; यह ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक राज्य इसका अनुकरण करें। हमें यह देखना चाहिए कि सभी राज्य हर जगह ऐसे ही निवारक उपाय करें।

दिल्ली में पूरा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली फायर ब्रिगेड के अधिकार में आता है तथा वर्तमान में दिल्ली में चार स्थानीय संस्थाएं हैं। यह अच्छा ही है कि अब जहां तक फायर ब्रिगेड का संबंध है, वे अब केवल एक संस्था के अन्तर्गत आ जायेंगी तथा उन्हें उन लोगों को दण्डित करने के अधिकार दिए गए हैं जो निवारक उपाय नहीं अपनाते हैं। दिल्ली नगर निगम के उपनियमों के अनुसार, उनके द्वारा कोई लाइसेंस जारी किए जाने से पहले मुख्य शमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा। मैं जानता हूं कि क्या होता है। मैं एक नगर निगम पार्षद था, मैं एक महापौर था और मैं शहरी विकास मन्त्री भी था। मुख्य अग्नि शमन अधिकारी का दायित्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र देते ही समाप्त नहीं हो जाना चाहिए। उसे यह अवश्य देखना चाहिए कि क्या अग्नि निरोधक उपाय किए गए हैं। उसे भवन का निरीक्षण करना चाहिए। क्या होता है कि वह अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देता है तथा नगर निगम लाइसेंस जारी कर देता है; इसके बाद मुख्य अग्नि शमन अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। उसका काम प्रमाण पत्र जारी करते ही खत्म हो जायेगा। कई नगर पालिकाओं के निगम अधिनियम में यह प्रावधान है कि भवन निर्माण में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में हुए अपराध पर समझौता किया जाएगा। यदि दिल्ली नगर निगम अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो मेरा यह सुझाव है कि हमें इस कानून में एक संशोधन करना चाहिए एक ऐसा यदि भवन निर्माण में कोई परि-

वर्तन किया जाता है अथवा मुख्य अग्नि शमन अधिकारी से परामर्श किए बिना मुख्य अग्नि शमन अधिकारी की सिफारिश के विरुद्ध कुछ किया जाता है तो नियम प्राधिकारी इस अपराध पर समझौता नहीं करेंगे। मुझे विश्वास है कि माननीय मन्त्री महोदय इस पहलू पर ध्यान देंगे।

इन प्रावधानों से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी अग्नि शमन सेवाओं को सतर्क एवं बहुत कुशल होना चाहिए। यह कानून हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में हुई कई आग दुर्घटनाओं का परिणाम है। सिद्धार्थ होटल तथा गोपाल टावर में आग लगी। पिछले सप्ताह चांदनी चौक में आग लगने की दुर्घटना हुई, तथा मैंने फायर ब्रिगेड अखबार में पढ़ा कि सूचना मिलने के एक घंटे बाद आई और तब तक दुकानें तथा दूसरी सम्पत्ति जल कर नष्ट हो चुकी थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि फायर ब्रिगेड चुस्त एवं सतर्क रहे। ज्यों ही उन्हें सूचना मिले, चाहे टेलीफोन से मिले या किसी दूसरे ढंग से, उन्हें उस स्थान पर पहुंचकर आवश्यक उपाय करने चाहियें। लगभग सभी इलाकों में फायर ब्रिगेड स्टेशन हैं तथा उन्हें तत्काल कार्यवाही करने में सक्षम होना चाहिए।

अग्नि शमन दस्ता एक विशिष्ट दस्ता है तथा इसका कार्य जोखिम भरा है। अग्नि शमन दस्ते के कर्मचारी केवल आग बुझाने का ही कार्य नहीं करते परन्तु उनकी सेवायें किसी भवन के गिर जाने या ऐसे ही किसी कार्य के लिए भी ली जाती हैं। यह विशिष्ट सेवा है तथा आपको देखना चाहिए कि उन्हें उचित प्रशिक्षण एवं सुविधाएं भी मिलें।

जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, मुझे नहीं मालूम कि उनके पास पर्याप्त उपकरण हैं या नहीं। हमें देखना चाहिए कि जहां कहीं गगन चुम्बी इमारतें हैं, बम्बई, मद्रास, दिल्ली तथा अन्य जगहों में, उनके पास उपयुक्त उपकरण हों। ऐसी आग बुझाने के लिए आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि मन्त्री महोदय इस पहलू पर भी ध्यान देंगे।

आज के समाचार पत्र में मैंने एक खबर पढ़ी है कि दिल्ली की एक अनधिकृत बस्ती में लगभग 900 झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। वे अनधिकृत रूप से बनाई गई झोपड़ियां हैं तथा आप उन्हें अग्नि निरोधक उपाय करने को नहीं कह सकते—जहां झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में अग्नि निरोधक उपाय करने की जिम्मेदारी नगर निगम की होनी चाहिए। चाहे वे अनधिकृत बस्तियों में रह रहे हैं, परन्तु वे सब भी मनुष्य हैं तथा वे हमारे मतदाता भी हैं। मुझे विश्वास है कि मन्त्री महोदय इस पर ध्यान देंगे।

एक या दो साल पहले एक विवाह समारोह में शामियाने में हो रही पार्टी के दौरान आग लग गई थी। इसे स्थानों में भी आपको देखना चाहिए कि क्या वहां आग से बचाव के पूर्व उपाय किए गए हैं। चाहे अस्थाई निर्माण हो अग्नि निरोधक उपाय अवश्य किए जाने चाहिएं।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैंने इस विधेयक में कुछ कमियों की ओर संकेत किया है तथा मुझे विश्वास है कि मन्त्री महोदय इस बात की ओर ध्यान देंगे कि उन कमियों को दूर किया जाये तथा जो स्पष्टीकरण मैंने मांगे हैं वे दिए जायें।

[हिन्दी]

श्री शान्ति धारीवाल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली फायर प्रिवेंशन एण्ड फायर सेफ्टी बिल, 1986 का स्वागत और समर्थन करता हूं। फायर ब्रिगेड्स के अभाव में और सुरक्षा के उपायों के अभाव में कई भवनों और परिसरों में आग से हजारों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं और करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति आग की बलि चढ़ जाती है। इस बिल के माध्यम से जो इन्स्ट्रक्शन पावर और किसी भी भवन या परिसर को सील करने का अधिकार और उसकी अवहेलना करने वाले को कारावास भेजने की बात कही गई है मैं समझता हूं कि आग की घटनाओं पर काबू पाया जा सकेगा। संसद देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है इसलिए हमको ऐसा कानून बनाना चाहिए कि देश के बाकी राज्य भी उसका अनुसरण करें और उसको देखकर अपने-अपने राज्य में आग न लगने के सुरक्षा उपायों के लिए कोई ऐसा कानून बना सकें। इसलिए सोच समझकर, विचार करके इस कानून को बनाना चाहिए। मेरे इसमें कुछ सुझाव हैं पहला तो यह कि आग बुझाने के जो इक्वीपमेंट हैं वह कई जगह इतने पुराने पड़ चुके हैं कि उनकी जितनी उपयोगिता होनी चाहिए थी वह 1/4 भी हासिल नहीं हो पाती इसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसी फायर ब्रिगेड देखने को मिलती हैं जिनको स्टार्ट करने में ही आधा घंटा लग जाता है, इसलिए इक्वीपमेंट पर बहुत नजर रखनी चाहिए। एक और मेरा सुझाव है कि जहां आग लगती है और फायर ब्रिगेड के बीच में कम्युनिकेशन का गैप रहता है जिससे आग बुझाने वाली गाड़ियां घटनास्थल पर समय पर नहीं पहुंच पाती और इससे काफी नुकसान पहुंचता है। जब वह पहुंचती हैं तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है। इसके बारे में भी कुछ न कुछ सोचना चाहिए।

स्टाफ के बारे में मेरा सुझाव है कि जब आग लगती है तभी वह काम में आता है वरना वह ऐसे बैठा रहता है जैसे लोहे को जंग लग गई हो। इस बिल के माध्यम से इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए कि जो स्टाफ है उसका लगातार प्रशिक्षण चलता रहे। जिससे वह चुस्त और चालाक रहे और वक्त पर चुस्ती से काम कर सके। इस बिल में भवनों की ऊंचाई पर जोर दिया गया है कि 15 मीटर की भवन की ऊंचाई होनी चाहिए। हमें भवनों की ऊंचाई पर नहीं जाना चाहिए। अगर आग छोटे भवन में लगती है तब भी नुकसान होता है, भले ही वह कम हो। इसलिए भवन छोटा हो या बड़ा हो सबमें सुरक्षा के उपायों पर सख्ती जरूरी होनी चाहिए। जो पोश कालोनिज हैं वहां पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए और छोटी बस्तियों में भी ध्यान रखना चाहिए। मकानों का नक्शा पास करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनमें जो सुरक्षा के मकानों का नक्शा पास करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए उपाय ठीक से किए गये हैं या नहीं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि नक्शे पास करने वाले मकानों के नक्शे टेबल पर बैठकर ही मंजूर कर देते हैं। यह नहीं देखते कि प्रिवेंशन इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने फायर फाइटिंग का नक्शों में इन्तजाम किया है या नहीं। वह मकानों में भी जाकर इसको नहीं देखते और उन बहु-मंजिली मकानों को भी इजाजत दे देते हैं। दिल्ली में सैकड़ों भवन ऐसे चल रहे हैं जहां फायर फाइटिंग का पूरा इन्तजाम नहीं है सुरक्षा के पूरे उपाय

और उचित प्रबन्ध नहीं हैं फिर भी वे बिल्डिंग्स चालू हैं तथा उपयोग में आ रही हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जरूर एक्शन लिया जाना चाहिए जो कि इस प्रकार की गफलत करते हैं, निजी स्वार्थ के लिए भवनों के उपयोग की इजाजत दे देते हैं जब कि आग से सुरक्षा की दृष्टि से उन भवनों में कई कमियां होती हैं। "नैसेस्सरी मैजर्स फार प्रिवेंशन ऑफ फायर" के अभाव में यदि किसी भवन को उपयोग के लिए इजाजत दे दी जाती है तो वह किसी भी समय खतरनाक सिद्ध हो सकती है और पिछले दिनों आग लगने की घटनाएं इसी कारण हुई हैं। आइन्दा, यदि अधिकारीगण बिना उचित व्यवस्था के किसी भवन को उपयोग में लाए जाने की अनुमति दें तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए, उनको दण्ड दिया जाए और उनको नौकरी तक से डिसमिस कर दिया जाए। इस बिल में ऐसे प्रावधानों का समावेश भी कर लिया जाए, यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री अताउर्रहमान (बारपेटा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, मैं विधेयक का स्वागत करता हूं और यह विधेयक सही समय पर आया है। अच्छा होता अगर यह पहले आ जाता। यह विधेयक इस सम्मानित सभा में इसलिए लाया गया है क्योंकि दिल्ली एक संघशासित क्षेत्र है अन्यथा ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर इस सभा में बहस होने की कम ही उपेक्षा होती है। गृह मन्त्रालय के अधीन आने वाले कई विभिन्न मामलों को इस सभा में उठाया गया है किन्तु अग्नि-शमन सेवाओं का न तो कभी कहीं उल्लेख हुआ है और न ही इसे कभी गम्भीरता से लिया गया।

इस विधेयक के प्रत्येक उपबंध का समर्थन करते हुए मैं कानूनी उपबन्धों की बारीकियों में नहीं जाना चाहूंगा। मेरे माननीय साथी श्री कृष्ण अय्यर ने भी कुछ अच्छी बातों को उठाया है। हमें इस विधेयक को अलग से नहीं देखना चाहिये। यह मामला सारे देश पर प्रभाव डालने वाला है और इसलिए मैं इसके अल्पकालीन पहलू की बजाय दीर्घकालीन पहलू को लूंगा।

श्रीमन्, युद्ध के दौरान मैं इस संगठन के सम्पर्क में आया था जब इसे एअररेड प्रीकाशन एंड सिविल डिफेंस, कहा जाता था। तब से इस संगठन में सुधार लाने के लिए कोई खास कार्य नहीं किया गया। निस्सन्देह यह एक राज्य का विषय है और केन्द्र इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। किन्तु, श्रीमन्, पुलिस भी राज्य का विषय है और जब भी पुलिस के बारे में कोई बहस होती है तो केन्द्र यथोचित ध्यान देता है और राज्य पुलिस में सुधार का भी प्रयास करती है। इस प्रकार, अग्नि शमन को अलग से नहीं लिया जाना चाहिए। यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी की पुलिस। पिछले 40-50 वर्षों से अग्नि शमन की समस्याओं का रूप बदल रहा है। कुछ सुधार तो किए गए हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं। अब हमारे सामने गैस के रिसाव की समस्यायें हैं। आजकल हमारे सामने अप्रत्याशित स्थानों पर बिजली के सार्ट-सर्किट होने की समस्यायें हैं।

हमारे यहां रासायनिक रिसाव तथा नाभिकीय रिसाव भी होते हैं। इसलिए देश में,

[श्री अताउर्रहमान]

अग्नि-सेवाओं के पुनर्गठन का एक प्रश्न है। मेरे विचार में हमें ऐसे तरीके पर विचार करना चाहिए जिसके तहत अग्नि सेवाओं की विशेषज्ञता और आधुनिकीकरण में सम्पूर्ण सुधार हो सके। आज स्थिति यह है कि अग्नि-सेवा बड़ी उपेक्षित है, जिसका प्रमाण यह है कि चौथे वेतन आयोग की रपट में अग्नि-सेवा के कर्मचारियों के वेतन भत्तों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इससे केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों की रुचि का पता चलता है। यह बहाना बनाया जाता है कि अग्नि-सेवाओं की स्थापना के लिए धन और भूमि नहीं हैं। विभिन्न बड़े-बड़े शहरों जैसाकि दूसरे शहरों में भी है, अग्नि-सेवाओं को टूटे-फूटे किराए के मकानों में स्थापित किया हुआ है। यहां तक कि दमकलों के लिए गैराज भी नहीं है। उनको खराब होने के लिए बाहर ही छोड़ दिया गया है।

इसके अलावा यह एक गैर-योजना विषय है। इसलिए, मैं चाहूंगा कि भविष्य में विशेषज्ञता तथा आधुनिकीकरण पहलुओं को योजना बजट में शामिल किया जाए तथा सामान्य फायर ब्रिगेड प्रशासन को गैर-योजना बजट में रखा जाये।

अग्नि शमन के अधीन विभिन्न पहलू हैं। जैसे अग्नि निवारण, अग्नि शमन प्राथमिक चिकित्सा और बड़े पैमाने पर लगी आग प्राथमिक चिकित्सा इस विचार से बहुत अधिक महत्व-पूर्ण है कि विदेशों में, इसे चिकित्सा संस्थाओं द्वारा नहीं दिया जाता बल्कि अग्नि शामक दल ही यह सुविधा जुटाते हैं। इसलिए हमें भी फायर ब्रिगेड की अवधारणा का पुनर्गठन करना चाहिए। यहां तक कि विदेशों में फायर ब्रिगेड वाले एम्बुलैंस भी चलाते हैं। मैं नहीं जानता कि इसे यहां पर भी फायर ब्रिगेड चलाता है या नहीं। हो सकता है दिल्ली में ऐसा होता हो, किन्तु दूसरे शहरों में तो नहीं होता। इसलिए, मन्त्री महोदय को विभिन्न फायर ब्रिगेडों को जो राज्यों में हैं यह निर्देश देने चाहिएं कि वे एम्बुलैंस सेवा भी शुरू करें।

जहां तक उपकरणों का सम्बन्ध है, मुझे बताया गया है कि उनके पास ऊंची-ऊंची इमारतों में अग्नि बुझाने के लिए आवश्यक सीढ़ियां नहीं हैं और विभिन्न फायर ब्रिगेडों के पास गैस-मास्क भी नहीं हैं। यहां तक कि उनके पास नलके भी नहीं हैं जिससे कि वे आग बुझाने के लिए पानी निकाल सकें। सिर्फ यही नहीं, आग लगने की सम्भावना वाले क्षेत्रों में उनके पास पानी के टैंक भी नहीं हैं। दूसरे देशों में, इनके पास गाड़ियों की पार्किंग के लिए विशेष स्थान होते हैं, किन्तु हमारे यहां ऐसे नहीं हैं। इसलिए इस पर इतना पुनर्विचार करना आवश्यक है। मैं सुझाव देता हूं कि भविष्य में सारे भारत के लिए एक ही अग्नि सेवा हो। अखिल भारतीय अग्नि सेवा संस्था द्वारा 1980 में व्यक्त इच्छा के अनुरूप एक अग्नि सेवा आयोग गठित किया जाना जरूरी है।

मुझे बताया गया है कि देश में अग्नि सेवाओं के मूल्यांकन की कोई प्रणाली नहीं है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इसे अपने ऊपर ले। मुझे पता चला है कि यहां पर एक अग्नि सेवा सलाहकार परिषद है किन्तु इसके सुझाव, मात्र सुझाव हैं, इन पर कोई अमल नहीं

करता। और गृह मन्त्रालय में भी उन पर कोई भी ध्यान नहीं देता है।

मेरा सुझाव है कि एक सक्षम निकाय स्थापित किया जाए जिसके सुझावों पर अमल करना अनिवार्य माना जाये।

इस प्रकार, इन शब्दों के साथ मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मुझे आशा है कि सरकार अग्नि सेवा की विभिन्न कमियों तथा परेशानियों पर विचार करने हेतु एक आयोग गठित करेगी।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मुझे यह मालूम नहीं हुआ कि हमारे नए गृह-राज्य मंत्री इस बिल को लेकर आए हैं। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि पहले एक फाइनेन्शियल मैमोरैंडम इस पर होना चाहिए। अगर वह नहीं लाये हैं तो यह बता दें कि इस पर खर्चा कितना होगा ?

अगर हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने इस बिल पर गौर किया होगा तो उन्हें मालूम होगा कि यह एक मैन्डेटरी प्रावीजन है कि मन्त्री महोदय अपने बिल में यह बतायें कि वह जो फायर प्रीवैंशन करने जा रहे हैं, उसके लिए सालाना कितना खर्चा होगा ? उसका उन्होंने कोई मैमोरैंडम पेश नहीं किया है। स्पीकर साहब को चाहिए था वह ऐसे बिल को वापिस लौटा देते लेकिन भगवान जाने, आप कैसे इस बिल को चला रहे हैं और यह चल रहा है ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ अपने तर्क पेश करें।

श्री मूलचन्द डागा : यह बहुत आवश्यक है। मैं उपाध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तथ्यों पर ध्यान देना, अध्यक्ष महोदय का कर्तव्य है। नियम के अनुसार दो मदें होनी चाहिएं, एक तो प्रत्यायोजन और दूसरा वित्तीय ज्ञापन। और जब यहां पर कोई भी वित्तीय ज्ञापन नहीं है तो इस विधेयक को वापस कर देना चाहिए था।

[हिन्दी]

मुझे यह मालूम नहीं हुआ कि बिल लाने के पहले कैसे दिल्ली में आग लगी ? दिल्ली एक बड़ा काम है। दिल्ली टैरेटरी के अलावा अगर चण्डीगढ़, कलकत्ता में आग लग जाती है तो उसके लिए क्या इन्तजाम है ? बड़े शहरों के लिए क्या इन्तजाम है ? मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कोई बिल बनायें तो छोटा सा बिल लेकर न आ जायें। विशाल पैमाने पर आप को सोचना होगा।

यह जो दिल्ली फायर ब्रिगेड बिल आपने बनाया है, उसमें लिखा है—

[अनुवाद]

"इस अधिनियम को दिल्ली अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम कहा जायेगा और यह समस्त संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होगा।"

[श्री मूलचन्द डागा]

यह केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित दूसरे क्षेत्रों पर लागू क्यों नहीं हो सकता ?

[हिन्दी]

इसमें इतना और लिख देते कि जब भी गवर्नमेंट आफ इंडिया नोटिफाई करेगी तो दूसरे राज्यों में भी लागू हो जाएगा। लेकिन यह सरकारी अफसरों के दिमाग में आया नहीं और उन्होंने सोचा कि हम एक छोटा सा कानून बना दें और यह बिल नए मंत्री जी को दे दें कि आप इसको पायलट कर दें। इस बिल को बनाने के पहले क्या आपने सोचा है कि दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट के नीचे यह आता है।

मैं कह रहा था कि यह बिल्डिंग बनाने का काम और उसकी देखभाल करने का काम कार्पोरेशन का होता है। आप बिल्डिंग बनाने से पहले विशेषज्ञों से इस बारे में सलाह लीजिए कि किसी बिल्डिंग में अगर आग लग जाएगी तो उस समय बिल्डिंग में क्या-क्या चीजें होनी चाहियें। इस बारे में आप इंजीनियर्स से भी सलाह ले सकते हैं कि मकान या बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए ? क्या आप मैप एप्रूव करते समय इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं ? सैक्शन 400 में लिखा हुआ है कि :

[अनुवाद]

"तथापि आयुक्त सार्वजनिक सूचना द्वारा, ऐसे मामलों मे जहां निषेध आज्ञा देना जीवन और सम्पत्ति को खतरे से निवारण के लिए आवश्यक हो, लकड़ी, सूखी घास, तिनके या अन्य ज्वलनशील सामग्री आदि के ढ़ेर जमा किए जाने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकता है..."

[हिन्दी]

जो सारी बातें इस बिल के अन्दर हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि सारी बातें इनमें रखने की बजाए आप दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन को यह काम सौंप देते तो अच्छा रहता। इस प्रकार आपने एक अलग से एक नई अथारिटी बना दी है। दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन और दिल्ली डेवलमेंट एथारिटी के होते हुए एक नई एथारिटी की आवश्यकता नहीं थी।

[अनुवाद]

यहां पर एक नया अधिकारी है, प्रशासक "प्रशासक" का अर्थ राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किया गया दिल्ली का प्रशासक।

[हिन्दी]

इस बिल को लाने के बाद आप कहेंगे कि इस बिल्डिंग को तोड़ो, ठीक करो और

एमरजेंसी के लिए 1-2 दरवाजे लगाओ। ऐसा करने से खर्चा बहुत अधिक आ जाएगा। जब बिल्डिंग बनती है तो उसके बनने से पहले ही आप वह सारी हिदायतें बता दो कि बिल्डिंग की हाइट इतनी होनी चाहिए, उसमें एमरजेंसी डोर होनी चाहिए और आग बुझाने के लिए पानी का पूरी इंतजाम होना चाहिए। इसके बाद इन सब बातों की जिम्मेदारी दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन को दे देनी चाहिए।

[अनुवाद]

उन्होंने सभी सावधानियों पर अमल करना चाहिए। किसी इमारत का निर्माण करने के लिए अनुमति लेने से पहले, सभी सावधानियों पर अमल करना चाहिए।

[हिन्दी]

हमें तो यह एक नई बात ही सुनने को मिल रही है कि जो बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें अब आप कहेंगे कि फलां-फलां चीजें अवश्य होनी चाहियें। हमारे यहां जो मैम्बर लोग हैं उन्हें तो यह भी मालूम नहीं है कि गैस को किस प्रकार रखना है? वह तो गैस को कई बार खुली छोड़ देते हैं। उनको तो वह गैस यूज करना भी नहीं आता है। यह जो सारी बेसिक चीजें हैं, उनकी तरफ आपका अवश्य ध्यान जाना चाहिए।...(व्यवधान)...तो मैं यह कह रहा था कि कई ऐसे कारण हैं जिसमें आपने ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन कोई कारण नहीं है।

फिर आपने इसमें अपील की पावर दी है, इसलिए लिख दिया कि—विदिन वन मंथ। जब आप ऐक्ट बना रहे थे तो इसको देखना चाहिए था।

[अनुवाद]

यह सूचना प्राप्त होने से, न कि सूचना जारी होने की तिथि से होना चाहिए।

[हिन्दी]

इसको आपको देखना है कि यह क्या रख रहे हैं। आगे यह जो क्लाज 8 है—

[अनुवाद]

उपखंड (2) के परन्तुक में कहा गया है :

"परन्तु प्रशासक, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर अपील फाइल न करने के लिए पर्याप्त कारण था तो वह उक्त तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगी।"

[हिन्दी]

तो जब आप नोटिस की बात कह रहे हैं।

[श्री मूलचन्द डागा]

[अनुवाद]

आपने कहा है : नोटिस की तारीख से तीस दिन के अन्दर ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील की नोटिस । ऐसा नहीं होना चाहिए, यह नोटिस प्राप्त होने की तारीख से होना चाहिए ।

[हिन्दी]

तो यह आपने कानून में कई ऐसी कमियां रख दी हैं । हर कानून में रख देते हैं । वह हाई कोर्ट जा सकता है । लेकिन उसको भी आपने नहीं रखा है ।

[अनुवाद]

खंड 13 में कहा गया है :

"महानगर मजिस्ट्रेट से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।"

इस विधेयक के अन्तर्गत यदि कोई प्रक्रिया नहीं है, तो वह इस पर दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मुकदमा चला सकता है । किन्तु आप ऐसा नहीं कहते हैं ।

[हिन्दी]

ये सारे ऐक्ट आप हेस्टिली बनाते हैं जिसके लिए डिप्टी स्पीकर साहब अकसर कह देते हैं :

[अनुवाद]

"सीमित-समय में इसे पारित कीजिए ।" हमारे संसदीय कार्य के प्रभारी मन्त्री भी विधेयकों की ओर ध्यान नहीं देते हैं वे कहते हैं, "आगे चलिए, 5 म० प० तक समाप्त कीजिए । ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि ऐसी कोई समिति नहीं है जो विधेयक पढ़े, उन पर विचार करे और यहां ले आए । ऐसा नहीं होता है ।"

[हिन्दी]

फिर आपने इसमें बिल्डिंग्स के बारे में कुछ बताया है :

[अनुवाद]

किन्तु सिनेमा हालों और कृषि भवन जैसे दफ्तर की इमारतों के सम्बन्ध में आप क्या कहते हैं ?

खंड 2 (ग) में कहा गया है :

"भवन से अभिप्रेत है कोई गृह, उपगृह, अस्तबल, शौचालय, मूत्रालय, झोंपड़ी (सीमा दीवाल से भिन्न) दीवाल या कोई अन्य संरचना भले ही वह पत्थर की हो, ईंटों की हो, लकड़ी की हो, मिट्टी की हो, धातु की हो या किसी अन्य पदार्थ से बनी हो; इसमें दफ्तरी इमारतें, सिनेमा आदि शामिल क्यों न करें ? यह सभी आवास हैं। आप इस प्रकार परिभाषा क्यों नहीं देते हैं ? अभी परिभाषा पूरी नहीं है।

[हिन्दी]

मैं कुछ अमेंडमेंट लिखकर देना चाहता था। लेकिन यह पासिबल नहीं है क्योंकि आप उसे ऐक्सेप्ट नहीं करेंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

एक नियम है कि जब कोई सदस्य बोल रहा हो तो व्यवधान नहीं डाला जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : जब और लोग बोलते हों तो श्री डागा व्यवधान डाल सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने देखा है कि यही मुद्दे हैं। मन्त्री को "भवन" की पूरी परिभाषा देनी है, क्योंकि वह विधेयक ला रही हैं। मुझे तो नहीं करना है।

[हिन्दी]

अब एक कामनसेंस की बात है। अगर कोई एक मकान से दूसरे मकान जा रहा है, तो के सारी जितनी बातें हैं उसके लिए आपने लिख दिया—रूल्स टु बी फ्रेम्ड।

अगर आप सारे बिल को पढ़कर देखें तो उसमें आप चाहते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जायं। लेकिन इसमें आपने कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं ? सारा आपने ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में छोड़ दिया है। जहां कहीं भी बात आती है, तो यही प्रश्न उठता है कि हम नहीं जानते कि इस बिल का इम्पलीमेंटेशन कैसे होगा। आज भी मालूम नहीं है कि इस बिल के अन्दर क्या रूल्स बनेंगे और जो रूल्स नहीं भी बनने चाहिए, वे मैटर्स भी ये डील कर लेंगे। समय आ रहा है कि धीरे धीरे हम सब कुछ ब्यूरोक्रेट्स पर छोड़ देंगे। धीरे-धीरे हमारी पॉलिसी भी वे ही लेड-डाउन कर लेंगे। इस बिल के अन्दर यह बात बताई है कि एक आफिसर होगा और यह सजा होगी और किस बात की सजा होगी।

[अनुवाद]

श्री बक्कम पुरुषोत्तमन (अलप्पी) आप अफसरों की ओर क्या देखते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : नहीं, मैं उनकी ओर नहीं देखता हूं; मैं क्यों देखूं ? हमारे अन्य मंच भी हैं जहां हम उनको देख सकते हैं। मुझे यहां ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। आखिर मंत्री उन पर निर्भर करते हैं। मैं अधिकारियों की ओर क्यों देखूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप सुझाव देते हैं, तो वह इनकी ओर ध्यान देंगे।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : मेरा प्रश्न यह है कि जो बेसिक रूल्स बना दिए हैं, उसमें आपको कई रूल्स इनकार्पोरेट करने चाहिए। जो आप यह कानून ला रहे हैं, यह कानून सिर्फ दिल्ली टैरेटरी के लिए है, लेकिन गांवों में जो छोटे-छोटे मकान हैं, खलिहान हैं, जहां आग लग जाती है, उनके लिए क्या इन्तजाम आपने किया है। गरीब आदमी जो अनाज पैदा करता है, आग लगने पर उसका सब कुछ चला जाता है, उसके लिए आपने घण्टी बजा दी है। मेरा सुझाव है कि उसके लिए भी इन्तजाम होना चाहिए मैं यह समझता हूं कि कुछ दिनों के बाद आप फिर अमेंडमेंट्स लायेंगे, लेकिन आप जो बिल लाए है, उसका मैं अनादर नहीं करता हूं, समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहार) : मुझे अपने पुराने मित्र चिन्तमणि पाणिग्रही जो इस समय यहां हैं, को पहली बार मंत्री के रूप में सम्बोधित करने में बहुत प्रसन्नता हो रही है।

श्री पीयूस तिरकी (अलीपुरद्वार) पहली वार वह आग से खेल रहे हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : मैं आग बुझा रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : केवल एक सप्ताह पूर्व, 6 नवम्बर को राजधान के सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों ने इस वर्ष के आरम्भ में सिद्धार्थ इन्टरकांटिनेन्टल होटल में लगी आग के कारणों की जांच के लिए सरकार द्वारा नियुक्त एक-सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के निष्कर्षों की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रकाशित की थी। मुझे आशा है कि मंत्री को वह रिपोर्ट पढ़ने के लिए समय मिला होगा। उस अग्नि कांड में 37 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिनमें से कुछ—मुझे सही संख्या मालूम नहीं है—भारतीय नागरिक नहीं थे किन्तु उस होटल में रह रहे विदेशी थे।

जिन मुख्य मुद्दों पर न्यायिक जांच रिपोर्ट में अधिक बल दिया गया उनके सम्बन्ध में कहने से पूर्व एक बात कहना चाहता हूं : कि यह लोग, या उस अग्निकांड में मारे गए लोगों के सम्बन्धी अथवा जो गम्भीर रूप से जले हैं, अथवा अपनी सारी निजी सम्पत्ति खो बैठे हैं, किन्तु मुख्यत: मृतकों के सम्बन्धी इस बात की प्रतीक्षा में हैं कि उनको किस प्रकार मुआवजा दिया जाएगा। अभी तक क्षतिपूर्ति के भुगतान का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। मेरा विश्वास है कि सामान्य प्रथा यह है कि सरकार को दावा आयोग नियुक्त करना है।

3.00 म० प०

[श्री बक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

और उस दावा आयुक्त के पास ऐसे सभी लोगों को मुआवजे के दावे करने थे जो अपने आपको इसके पात्र समझते हैं, और यह इन दावों को निपटाने का एक तत्काल तरीका है। किंतु जहां तक मैं जानता हूं अभी तक सरकार ने किसी दावा आयुक्त की नियुक्ति की घोषणा नहीं की है, अतः यह लोग न्यायालयों में निजी मुकदमे दायर कर सकते हैं और ऐसे मामले दायर कर सकते हैं जिनके निपटाने में कई वर्ष लग जाएंगे। मेरे विचार में एक बड़ी दुर्घटना के पीड़ितों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जो लोग इस दुर्घटना से पीड़ित थे वह स्पष्टतः सम्पन्न लोग थे। नहीं तो, वे लोग कैसे पंच-तारा होटलों में रहते। किन्तु मुद्दा यह नहीं है।

जब लोग किसी रेल दुर्घटना अथवा अन्य किसी दुर्घटना में हताहत होते हैं तो उन्हें इस दुर्घटना में हताहत समझा जाता है किन्तु कोई यह देखने की चिन्ता नहीं करता है कि वह कितने सम्पन्न हैं। इस अग्निकांड में विदेशी भी हताहत हुए हैं। इसमें हमारे देश की ख्याति का भी सम्बन्ध है। अतः, मैं सरकार से आग्रह करूंगा विशेषकर जब प्रतिवेदन प्रकाशित हो गया है, जिसके सम्बन्ध में मैं संक्षिप्त में चर्चा करूंगा, कि उन्हें दावा आयुक्त की नियुक्ति में और अधिक विलम्ब नहीं करना चाहिए, जिसके आगे अग्निकांड में पीड़ित व्यक्ति अपने दावे दायर कर सकें ताकि आवेदन पत्र पर शीघ्र कार्यवाही हो सके। यह आवश्यक है। अन्यथा इन लिए लोगों के बहुत ही अधिक कठिनाई होगी।

यदि हम इस जांच रिपोर्ट के कुछ मुख्य मुद्दों को देखें जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, तो निस्संदेह ऐसा लगता है कि यह विधेयक अपर्याप्त है; निस्संदेह हम विधेयक का समर्थन करते हैं; इस विधेयक के पीछे सरकार का जो निश्चय है मैं उसका समर्थन करता हूं, किन्तु उपबंध अपर्याप्त हैं। जांच रिपोर्ट में क्या कहा गया है? सबसे पहले, इसमें लिखा है,

"होटल के पास स्थायी कब्जा प्रमाणपत्र नहीं था।"

कम से कम ऐसा प्रमाण पत्र तो चाहिए और किसी अधिकारी को यह देना है। उनके पास स्थायी कब्जा प्रमाणपत्र नहीं था। न्यायाधीश ने यही देखा और उन्हें 1982 की एशियाई खेलों के दौरान तीन महीने के लिए दिल्ली अग्नि सेवा द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र दिया गया। अतः अग्नि सेवा ने उन्हें स्वयं एक अनापत्ति पत्र दिया था जो एशियाई खेलों के दौरान केवल तीन महीने तक के लिए वैध था। इसका अर्थ यह है कि यह बहुत पहले समाप्त हो चुका था और किसी ने भी नया प्रमाण पत्र प्राप्त करने अथवा जारी करने की परवाह कभी नहीं की थी; और यह स्वयं अग्नि सेवा द्वारा किया जाता है। रिपोर्ट में आगे यह कहा है :

"भवन कानून के स्पष्ट रूप से उल्लंघन करके होटल के प्रबन्धकों ने भूमि तल में

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

कार खड़ी करने के क्षेत्र को प्रीतिभोज हॉल में बदल दिया और ऊपर एक अतिरिक्त तल का निर्माण किया। भूमि तल से खाना पकाने की गैस के रिसाव से आग लग गई।

रिपोर्ट में लिखा है कि होटल के भूमि तल में यांत्रिक वायु संचार नहीं था और बन्द कर भागने के रास्ते भी अपर्याप्त थे। होटल का निर्माण कुछ इस प्रकार का था कि सभी ओर से आग बुझाने वाले नहीं आ सकते थे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आपात प्रकाश व्यवस्था तथा सहायक आपूर्ति भी काम नहीं कर सके।

रिपोर्ट में अनेक कारणों के लिए दिल्ली अग्नि सेवा, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली पुलिस, और दिल्ली प्रशासन की भी आलोचना की है।"

मैं जानता हूं कि अग्नि सेवा घटना स्थल पर पहुंच कर, अग्नि सेवा के कर्मचारियों ने अच्छा और सर्वोत्तम कार्य किया जैसा वे उन परिस्थितियों में कर सकते और उन्होंने अपने आपको संकट में डाला; फिर भी न्यायमूर्ति खन्ना कहते हैं कि यद्यपि दमकलों ने अग्नि को फैलने नहीं दिया, परन्तु इनके काम में महत्वपूर्ण उपकरणों के अभाव के कारण बाधा पड़ी जिससे बचाव कार्य अव्यवस्थित हो गया। इसमें आगे कहा गया है :

"अग्नि सेवा के पास कूदने वाले जाल, गद्दे, शीघ्र चिकित्सा सहायता और ऑक्सीजन का अभाव था।

दिल्ली विकास प्राधिकरण पर यह दोष लगाया गया है कि उन्होंने होटल की इमारत में परिवर्तन करने और उसके प्रबन्धकों को अतिरिक्त भूमि देने की अनुमति दी।"

यह कुछ मुद्दे हैं जो प्रबन्धक द्वारा पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना ढंग से काम करने के बारे में की गई आलोचना के अतिरिक्त हैं। आग का पता लगाने की प्रणाली दोषपूर्ण थी। इतना ही नहीं यह समय पर काम भी नहीं कर सकी। होटल के कर्मचारियों ने पूरी तरह आतंकित ढंग से काम किया। किसी को भी चेतावनी नहीं दी गई। लोग रात को सो रहे थे, सर्दी का मौसम था और सवेरे के डेढ़ बजे थे। किसी ने भी अतिथियों को जगाने के लिए उनके द्वार पर दस्तक देने सार्वजनिक सूचना प्रणाली अथवा आंतरिक दूरभाष प्रणाली से यह चेतावनी देने की जिम्मा नहीं ली कि वहां आग लगी है। वहां हर व्यक्ति को उनके हाल पर छोड़ दिया गया और उन लोगों को अपने कमरों में ही रहना पड़ा क्योंकि जब तक उन्होंने भागने का प्रयास किया तब तक गलियारे धुंए से भर गए थे।

हताहत 37 व्यक्तियों में से 34 व्यक्ति दम घुट जाने से मर गए, दो व्यक्तियों की कूद

कर और केवल एक की जल जाने से मृत्यु हुई। यह केवल जलने का ही प्रश्न नहीं है, यह आग लगने से होने वाली घुटन का भी प्रश्न है।

अतः मैं यह कहना चाहूंगा और इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री गहराई से इस को ओर ध्यान देंगे क्योंकि यह विधेयक आकस्मिक घटनाओं से निबटने में वास्तविक रूप से अपर्याप्त है। मेरे विचार में यह पिछली बातों का ही प्रभाव है और इस प्रकार की आग से जो अनुभव हमें प्राप्त हुआ है उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

श्री अताउर्रहमान : थोड़ा सा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आधा पका, या यूं कहूं अग्नि में आधा पका विधेयक।

गोपाल टावर्स के मामले में भी हमारा यह अनुभव था और फिर इस होटल की विध्वंसक आग से भी यही अनुभव हुआ और इससे यह पता चला है कि आपात स्थिति का मुकाबला करने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए उसका पूरी तरह से अभाव है। भवन का निर्माण स्वतः एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए कुछ मानदण्ड, विशिष्टताएं और नियम निर्धारित किए गए हैं औप प्रायः इनका भी उल्लंघन होता है और कभी स्वयं दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उल्लंघन किया जाता है। कभी ऐसे लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है जो अधिक विश्वसनीय नहीं हैं अथवा ऐसे व्यक्ति हैं जिनको घूस देनी पड़ेगी और इस प्रकार की निरीक्षण रिपोर्ट देते हैं जिससे स्थिति की गम्भीरता व्यक्त नहीं होती है और यह एक बात है जो निर्माण से सम्बद्ध है, कि क्या निर्माण निर्धारित व्यक्तियों और सिद्धांतों के अनुसार हुआ है और दूसरा यह कि यदि भवन का निर्माण उचित ढंग से हुआ है, और आपात स्थिति में अभवकनी व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है तब तो होने वाली बहुत सी दुर्घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है। आग लगने पर बच कर भागने की व्यवस्था होनी चाहिए। इतनी ऊंची इमारतों में लिफ्ट हैं और लिफ्ट का शाफ्ट भी है जिससे लिफ्ट ऊपर और नीचे जाती है। अग्नि की लपटें ऊपर जाने का यह सहज रास्ता है जब कभी नीचे आग लग जाती है। क्या इसको रोकने के लिए कोई रास्ता है? हमें नहीं मालूम कि क्या प्रबंध है। कभी मैं सोचता हूं कि यदि संसद भवन में आग लग जाए, भगवान का धन्यवाद है कि यह बहु-मंजिला इमारत नहीं है, किन्तु यदि संसद भवन में आग लग जाए, तो यहां क्या प्रबन्ध किया गया है? हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। सदस्यगण प्रतिदिन यहां आते हैं और कई घंटे व्यतीत करके बाहर चले जाते हैं। यहां पर क्या-क्या प्रबंध किए गए हैं? यदि आग लग जाती है तो उससे निपटने के लिए क्या-क्या आन्तरिक प्रबंध किए गए हैं? यहां ये छोटे हल्के आग बुझाने के यंत्र लटक रहे हैं जिनसे काम लेना भी मैं समझता हूं हममे से अधिकतर लोग नहीं जानते और यदि आवश्यकता पड़ जाए तो हम देखेंगे कि उनमें से अधिकतर सम्भवतः कार्य करने की हालत में नहीं है क्योंकि कभी उनका परीक्षण नहीं किया जाता। इस प्रकार तब हमें बाहर से फायर ब्रिगेड के आने का इंतजार करना पड़ेगा। इस प्रकार इन बातों को अब लापरवाही से नहीं लेना चाहिए और इसलिए मैं मंत्री महोदय को सुझाव दूंगा—मैं यह नहीं जानता कि क्या वे कुछ अतिरिक्त

[श्री इम्रजीत गुप्त]

प्रावधानों को समाविष्ट करके इस विधेयक में सुधार करने के लिए तैयार है शायद नहीं क्योंकि हमारी अतिप्राचीन पद्धति यह रही है कि एक विधेयक का एक बार प्रारूप बनाने के बाद और इसके सदन में प्रस्तुत होने के बाद चाहे आसमान गिर पड़े उसे पारित करना पड़ता है, इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से कुछ अन्य विधेयक लाए जा सकते हैं अथवा कुछ अन्य नियमों को बनाया जा सकता है। आखिर क्या-क्या प्रबन्ध किए गए हैं। उन्हें अत्यधिक सख्त बनाया जाना चाहिए। और यदि इस प्रकार आग लगती है तो इन इमारतों के मालिकों और होटलों व सिनेमा घरों के प्रबंधन को भी मुख्यत: उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। उन कारणों से भी आग लग सकती है जो उनके नियंत्रण से बाहर हैं। परन्तु इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि आग लगने का कारण क्या था लापरवाही या कोई अन्य। और यदि वहां उस इमारत के लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबन्ध नहीं है तो वह किसका उत्तरदायित्व होगा ? यह एक मजाक नहीं है। बहुत से लोगों ने अपनी जानें खो दी हैं। इस प्रकार की घटना के लिए वास्तव में कोई कड़ी सजा होनी चाहिए।

मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता। परन्तु यह वास्तव में एक गम्भीर मामला है। दुर्भाग्य से मुझे जाना पड़ रहा है। श्री पाणिग्रही का उत्तर सुनने के लिए मैं यहां नहीं हूंगा। परन्तु मुझे आशा है कि वे मेरे एक पुराने मित्र होने के नाते मेरी अनुपस्थिति का लाभ नहीं उठायेंगे और वे सिद्धार्थ होटल अग्निकांड से प्रभावित लोगों के मुआवजे की जांच कर रहे दावा आयुक्त की बात तक ही सीमित नहीं रहेंगे।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : मैं इस विधेयक के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। पहले दो, तीन या चार मंजिली इमारतें बनाने की प्रथा थी। अंग्रेजों ने भी निर्जन क्षेत्रों में इमारतें व बंगले बनवाए। दिल्ली, कलकत्ता व बम्बई की तरह नहीं है जहां गगनचुम्बी इमारतें हैं। परन्तु जैसे-जैसे समय गुजरता गया एक आवश्यकता अनुभव की गई, विशेष रूप से बाजार क्षेत्रों में ऊंची इमारतें बनाने की आवश्यकता अनुभव की गई। परिणामस्वरूप रहने के लिए बहुमंजिली इमारतों की अनुमति दी गई। इसके बाद एशियाई खेलों के कारण बहुत से बहुमंजिले होटलों का निर्माण किया गया है। परन्तु इसके साथ-साथ अग्निशमक सेवा को सुदृढ़ नहीं किया गया है। इन ऊंची इमारतों में चलजलीय दाब सीढ़ियों व अन्य आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता है ताकि अग्निशमक सेवा के लोग आग का मुकाबला कर सकें। यही कारण है कि हमने देखा कि गोपाल टावर व सिद्धार्थ होटल में आग पर काबू पाने से पहले बहुत सी जानें चली गई। जैसा हम जानते हैं कि उस समिति ने जिसने आग लगने की सम्भावनाओं के संबंध में लगभग 200 इमारतों का अध्ययन किया था यह सुझाव दिया है कि दुर्घटना से आग लगने के दृष्टिकोण से 26 इमारतें तुलनात्मक दृष्टि से सुरक्षित है। इन 26 इमारतों में से एक सिद्धार्थ होटल था। इस होटल में आग लगने से हमें यह पता चल गया है कि अपेक्षाकृत सुरक्षित इमारतों में भी आग लग सकती है। इसका अभिप्राय है कि जिन उपायों का सुझाव दिया गया है उनसे भी इन इमारतों में पूर्णत: अग्निसह प्रणाली में कमी रहती है। और यह बात नहीं कि केवल ऊंची इमारतों में ही आग लगती है। विपणन क्षेत्रों में भी आग लग जाती

है। एक साल पहले सदर बाजार में बहुत बड़ी आग लगी थी। इसका एक कारण अनधिकृत निर्माण था। दिल्ली नगर निगम ने आग लगने के मुख्य कारणों का पता लगाने के लिए एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन में यह पाया गया कि 59% मामलों में शार्ट सर्किट के कारण आग लगी, और 19% मामलों में लापरवाही के कारण आग लगी। इसका अर्थ है कि दोषपूर्ण विद्युत कनैक्शन के कारण आग लगती है। हो सकता है कि इन इमारतों में बिजली लगाने वाले ठेकेदार बहुत घटिया सामान का प्रयोग करते हों। समय गुजरने के बाद शार्ट सर्किट की घटना होती है और आग लग जाती है। 100 में से 59 मामलों में आग लगने का कारण शार्ट सर्किट है। इस प्रकार विधेयक में न केवल इमारत के मालिक और उस इमारत पर कब्जा रखने वाली कम्पनी के लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए अपितु उस व्यक्ति के लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए जो अप्रत्यक्ष रूप से दोषपूर्ण व्यवस्थापन कारण आग लगने के लिए उत्तरदायी हैं।

वाणिज्यिक भवनों में हमें निम्नतल और जीने के दुरुपयोग का पता चलता है। यहां बहुत भीड़ रहती है और उस भीड़ के कारण आग लगने के अवसर रहते हैं। यदि जीने या निम्नतम जल में जिनको अनाधिकृत रूप से प्रयोग किया जाता है, आग लग जाती है तो आग से सुरक्षा के लिए इमारत के अन्दर किए गए उपाय लाभकारी नहीं होते। इस प्रकार उन लोगों के लिए भी सजा की व्यवस्था होनी चाहिए जो ज्वलनशील पदार्थों को उन जगहों पर रखते हैं जहां उनकी अनुमति नहीं होती। इस प्रकार के सामान का ऐसे अनाधिकृत भण्डारण करने के लिए सजा की व्यवस्था की जानी चाहिए और इस सम्बन्ध में विधेयक में प्रावधान किया जाना चाहिए।

लोगों के मन में चेतना जमाने की भी हमें आवश्यकता है क्योंकि हमारे लोगों को असावधानी से जलती हुई सिगरेट फेंकने की आदत है। हमने कार्यालयों में भी आग लगती देखी है। आग लगने का कारण सदा शोर्ट सर्किट ही नहीं होता, एक जलती हुई सिगरेट या माचिस की तिली भी हो सकती है। इसलिए आग लगने के खतरों के सम्बद्ध में लोगों में उचित चेतना उत्पन्न करनी चाहिए। आग थोड़ी सी लगती है परन्तु इससे हानि अधिक होती है। कभी-कभी तो कीमती रिकार्ड भी जल जाता है। हमने देखा है कि पिछले दो वर्षों में योजना भवन में आग लगी थी। इसी प्रकार कुछ दिन बाद योजना भवन के साथ वाले पी० एण्ड टी० भवन में भी आग लग गई थी। इसलिए ऐसे स्थानों में जहां कार्यालय हैं, जहां लोग दिन के समय बैठकर धूम्रपान करते हैं, आग लगने के खतरों के बारे में लोगों में चेतना उत्पन्न की जानी चाहिए। इस प्रकार की लापरवाही के कारण 19% मामलों में आग लगती हैं और यदि लोगों में जागरूकता उत्पन्न की जाए तो इससे बचा जा सकता है।

केवल दिल्ली ही ऐसा शहर, शहर नहीं है जहां आग लगती है। दूसरे अन्य बहुत से शहरों में भी इस प्रकार की घटनाएं होती है। परन्तु दिल्ली में यदि आग लगती है तो लिफ्ट भी कार्य नहीं करती है क्योंकि बम्बई जैसे महानगरों की तुलना में दिल्ली में विद्युत सप्लाई बहुत अनियमित है। इस प्रकार बहुमंजिली इमारतों में काम करने वाले लोगों के लिए विकल्प

[श्री विजय एन० पाटिल]

जीने से निकल आने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए जो कि बहुत सी इमारतों में नहीं है। इन इमारतों व होटलों में इसकी व्यवस्था की जा सकती है। सिद्धार्थ होटल में आग लगने के बाद इन्होंने ऐसे जीनों की व्यवस्था करनी आरम्भ कर दी है। यह एक देर से की गई बुद्धिमानी है।

इस विधेयक के खंड विस्तृत है परन्तु उन्हें सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और सख्त सजा की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा करके न केवल मानव जीवन अपितु बहुत से कीमती रिकार्ड को भी बचाया जा सकता हैं। इसके साथ-साथ अग्निशमक केन्द्रों व अग्निशमन कर्मियों को अधिक सामर्थ्यवान बनाया जाना चाहिए व उनके उचित प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

*श्री मतिलाल हंसदा (झाड़ग्राम) : सभापति महोदय, मैं इस दिल्ली अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक को बहुत पहले ही लाया जाना चाहिए था। केन्द्र सरकार घटना के बाद जागती है। कान्टीनेंटल होटल की विनाशकारी अग्नि ने सरकार की आंखें खोल दी हैं और इसके परिणामस्वरूप इस विधेयक को लाया गया है। उस आग में कुछ विदेशियों सहित बहुत से लोगों की जानें गई। उस अग्नि-दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी और उसने जांच भी की है। उस जांच समिति के जांच कार्यों के बारे में हम पूर्णतः अन्धकार में है। उस दुर्घटना में जो लोग मारे गए या गम्भीर रूप से घायल हुए उन्हें अथवा उनके परिवारों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। मैं नहीं जानता कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है परन्तु मैं माननीय मंत्री से इस बारे में उचित कदम उठाने का अनुरोध करूंगा। उस अग्नि का कारण क्या था क्या वहां आग बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी ? यह हमारा प्रश्न है। इसी प्रकार की विनाशकारी आग अन्य शहरों में भी लगी थी। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार केवल एक विधेयक पास करने से ही ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है अथवा नियन्त्रित किया जा सकता है। जिस बात की आवश्यकता है वह यह कि जब एक शहर की योजना बनाई जाती है तो उस समय ऐसे अग्नि सुरक्षा उपायों को आवश्यक बना दिया जाना चाहिए और उन्हें सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

महोदय, विधेयक की धारा 3 में यह कहा गया है कि एक अधिकार प्राप्त प्राधिकरण तीन घंटे का नोटिस देकर किसी भी भवन की जांच कर सकेगा। हमारा प्रश्न यह है कि इस प्राधिकरण में कितने व्यक्ति होंगे, उन्हें कौन नियुक्त करेगा और उनकी न्यूनतम योग्यताएं क्या होंगी ? इन सभी बातों का विधेयक में उल्लेख नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे अपने उत्तर में इन सभी बातों को स्पष्ट करें। अब इस नियुक्त किए गए प्राधिकरण को दिल्ली के किसी भी भवन को तीन घंटे का नोटिस देने के पश्चात् जांच करने का

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अधिकार होगा। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे स्वयं भवनों की जांच करेंगे अथवा किसी बात की रिपोर्ट मिलने के बाद जांच करेंगे।

महोदय विधेयक की धारा 10 में यह व्यवस्था की गई है कि : "जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा वह धारा 7 के अधीन अपने विरुद्ध किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा और जहां अपराध चालू रहता है वहां अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराध चालू रहता है तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा।"

इस प्रकार जो व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों को उल्लंघन करेगा, उसे 6 माह की कैद अथवा 50,000 रुपया जुर्माना अथवा दोनों सजा दी जा सकेगी। मैं समझता हूं कि सजा और अधिक सख्त होनी चाहिए। यह सजा पर्याप्त नहीं लगता। परन्तु कितनी सजा दी जाएगी इसका निर्धारण कौन करेगा ? विधेयक इस बारे में मौन है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय अपने उत्तर में इस मुद्दे को स्पष्ट करेंगे।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसे भयानक अग्निकांडों को इस प्रकार एक विधेयक प्रस्तुत करने से ही नहीं रोका जा सकता। इसके लिए हमारी कुछ व्यापक योजनाएं अवश्य होनी चाहिए और अग्नि-सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए व उनका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। सब बातों से पहले हमें अग्निकांड रोकने के लिए व्यापक योजनाएं बनानी चाहिए तभी हम इस खतरे का प्रभावशाली ढंग से सामना कर सकेंगे और यह विधेयक वास्तव में लाभकारी सिद्ध हो सकेगा।

महोदय इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : धनिष्ठाता महोदय, मैं दिल्ली अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा विधेयक 1986 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। दिल्ली में पिछले दिनों हुए अग्निकांड में जितनी दिक्कतें महसूस हुई उन सबको सामने रखकर, यह बिल, दिल्ली महानगर परिषद में पास होने के बाद, पार्लियामेंट के सामने आया है। दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली के बाहर भी कई स्थानों पर भीषण अग्निकांड हुए हैं, जैसे गोपाला टावर अग्निकांड, सिद्धार्थ होटल, अग्निकांड और उसके अलावा शकूरबस्ती में इंडियन आयल डिपू के अन्दर हुआ जबर्दस्त अग्निकांड, इसके कुछ प्रमुख अग्निकांडों में से हैं। इन सब में हमारा जन और धन दोनों का अपार नुकसान हुआ, क्षति हुई। दिल्ली से बाहर के अग्निकांडों में प्रमुख भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी अग्निकांड है। कहने का तात्पर्य यह है कि अग्नि के सम्बन्ध में उचित सुरक्षा उपाय न अपनाए जाने के कारण हमेशा से नुकसान होता आया है। वर्तमान विधेयक पार्लियामेंट के सामने उपस्थित करके सरकार ने बहुत प्रशंसनीय कदम उठाया है और इसमें जान और माल

[श्री धर्मपाल सिंह मलिक]

दोनों की हिफाजत के लिए अनेकों प्रावधान किए हैं। यहां मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में कुछ बात लाना चाहता हूं।

वर्तमान विधेयक दिल्ली यूनियन टैरिटरी की परिसीमा में ही लागू होता है और दिल्ली में देहाती इलाका भी है, परन्तु जिस ढंग से इस में प्रावधान किए गए हैं उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली देहात की ओर, उनकी फसलों, भवनों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसा लगता है कि उनकी ओर हमारी सरकार का ध्यान कम गया है। यद्यपि आज आपने यह विधेयक दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए ही लागू किया है परन्तु हमारी सरकार ने नेशनल कैपिटल रीजन के अन्तर्गत कुछ एरिया निर्धारित किया हुआ है, सरकार चाहती है कि उस एरिया का धीरे-धीरे डेवलपमेंट किया जाए, इसलिए वहां बिल्डिंग भी बनेंगी, ऑफिसेज भी बनेंगे, मेरी गुजारिश है कि कैपिटल रीजन एक्ट के ज्यूरिस्डिक्शन में जो एरिया पड़ता है, यह बिल उन सभी इलाकों पर लागू होना चाहिए अन्यथा नेशनल कैपिटल रीजन बनने के बाद कुछ इलाके ऐसे रह जाएंगे, जिन पर यह विधेयक प्रभावी नहीं होगा और उन पर इसे प्रभावी बनाने के लिए आपको एक नया विधेयक संसद में लाना पड़ेगा, जिससे दोबारा समय और धन की हानि होगी।

एक निवेदन मैं यह भी करना चाहता हूं कि दिल्ली में कई गांव हैं और उनमें कई अन-औथोराइज्ड फैक्टरियां लगी हुई हैं। उन फैक्टरियों में आग से सुरक्षा के समुचित उपाय किए गए हैं या नहीं, लाइसेंस देने से पहले उनकी जांच कर ली गई है या नहीं, इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और उनमें आग से बचाव के लिए आवश्यक प्रावधान इस बिल में करने चाहिए।

इसके अलावा पहले हमारे नियमों में कुछ कमियां थीं, सजा वगैरह बहुत कम थी और अधिकारियों के हाथों में इतनी ताकत नहीं दी गई थी कि वे किसी बिल्डिंग का मौके पर जाकर निरीक्षण कर सकें और यदि उनके काम में बाधा उत्पन्न की जाती है तो उस व्यवस्था में वे क्या करें, किस ढंग से वे उसके मालिकों के विरुद्ध एक्शन ले सकते हैं, परन्तु वर्तमान विधेयक में उन तमाम प्रावधानों को समाविष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि दिल्ली के देहात का एरिया, दिल्ली के कार्पोरेशन का एरिया और जो म्युनिसिपल कमेटी का एरिया है, इन सब क्षेत्रों में कुल मिलाकर सिर्फ 17 फायर स्टेशन हैं, जो बहुत ही थोड़े हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि एक्ट के अन्दर यह प्रोवाइड होना चाहिए कि पापुलेशन के अनुसार फायर स्टेशन बनेंगे और कम से कम 50 हजार की आबादी के ऊपर एक फायर-स्टेशन अवश्य हो, क्योंकि आजकल सेफ्टी लेप्सेस की वजह से प्रॉपर अक्यूपमेंट की कमी की वजह से, बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह और जाने-अनजाने में अग्निकाण्ड होते रहते हैं। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि आबादी को बेस बनाकर फायर स्टेशन का प्रावधान किया जाए।

सभापति महोदय, फायर प्रोटेक्शन में जो कर्मचारी काम करते हैं, जो आग बुझाने के

लिए जाते हैं, उनको लेटेस्ट और सोफिस्टीकेटेड इक्विपमेंट सप्लाई किए जाएं क्योंकि वे अपनी जान पर खेलकर दूसरे लोगों की जान और माल को बचाते हैं जिसमें उनको बड़ा भारी खतरा रहता है। कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं, जो इनको खासतौर से होती हैं। जो फायर-प्रोटेक्शन में काम करते हैं, या आग बुझाने जाते हैं उनको हार्ट-ट्रेबल बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वे अग्नि के ज्यादा नजदीक होते होते हैं। इसी प्रकार से उनको हाई ब्लड प्रेशर बहुत होता है। तीसरी बीमारी ट्यूबर कुलोसिस की होती है। यदि आप यह पता करवाएं कि फायर-प्रोटेक्शन के कर्मचारी रिटायर होने के बाद कितने दिन तक जिंदा रहते हैं, तो आपको यह भी मालूम पड़ जाएगा कि ये कर्मचारियों अन्य कर्मचारियों की बनिस्वत जल्द मर जाते हैं। इन लोगों को ज्यादातर ये तीन बीमारियां कार्बन मोनो ऑक्साइड और हीट की वजह से होती हैं। इसलिए उनको बकायदा लेटेस्ट इक्विपमेंट मिलने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं यह अनुरोध भी करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति फायर-प्रोटेक्शन में काम करते हैं, उनका बहुत ज्यादा रकम का बीमा होना चाहिए। उनके ऊपर जो आश्रित हैं, सरकार को उनका ख्याल पहले करना चाहिए। क्योंकि एक आदमी अपनी जान पर खेल कर दूसरे की जान बचाने जाता है और उसमें यदि उसका प्राणान्त हो जाता है, तो उसके आश्रितों को कोई परेशानी न हो, इस बात को दृष्टि में रखकर उनका हैवी इंश्योरेंस सरकार को कराना चाहिए।

इसके साथ ही मान्यवर, मैं यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि फाइव स्टार होटलों, सिनेमा हाउसेस और विग इंडस्ट्रीज तथा गवर्नमेंट के अपने आफिसेस में भी फायर-फाइटिंग के इक्विपमेंट पूरी तादाद में नहीं हैं, उनको भी लगाया जाना चाहिए। इक्विपमेंट लगे हों, और उनका इस्तेमाल यदि नहीं आता है, तो भी उनके लगे होने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जनसाधारण को इस बात का प्रशिक्षण और ज्ञान दिया जाए कि इन फायर-फाइटिंग इक्विपमेंट का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और अग्नि को कैसे बुझा सकते हैं या कैसे अग्नि को फैलने से रोक सकते हैं।

मान्यवर, इस विधेयक के सम्बन्ध में दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं। यह तो ठीक है कि फायर सेफ्टी लैप्सेस होने पर आपने छः महीने की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना रखा है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह और भी ज्यादा होना चाहिए। इस एक्ट में जो कमियां हैं, उनके बारे में दो-तीन बातें मैं और कहना चाहता हूं। जो विधेयक यहां पेश किया गया है, उसके सैक्शन 3 सैक्शन 5, सैक्शन 7, सैक्शन 8 और सैक्शन 11 के बारे में कहना चाहता हूं।

सैक्शन 3 में दिया है कि कोई अधिकारी किसी बिल्डिंग में निरीक्षण के लिए जा सकता है और उस बिल्डिंग का मालिक या ओकूपायर, जो कि उसमें बैठा है, वह उसको इकार नहीं कर सकता है। लेकिन इस बिल में यह नहीं दिया कि अगर कोई बिल्डिंग का मालिक या जिसका उस पर कब्जा है, वह उस अधिकारी को अन्दर दाखिल न होने दे तो उसके लिए क्या सजा होगी ? इसका प्रावीजन भी होना चाहिए। इसमें लिखा है—

[श्री धर्मपाल सिंह मलिक]

[अनुवाद]

हम रक्षक प्राधिकारी को घर की जांच करने की अनुमति देंगे किन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि यदि भवन के मालिक या जो उस भवन में कब्जा किए बैठा है यदि वह जांच न करने दे तो उसके लिए क्या सजा होगी ?

[हिन्दी]

सैक्शन 5 में लिखा है कि अगर वह अधिकारी किसी बिल्डिंग को सेफ नहीं पाता है या उसमें सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रापरली इंस्टाल्ड नहीं हैं तो वह उसको सील कर सकता है। अगर बिल्डिंग का मालिक या जो उस बिल्डिंग में कब्जा किए बैठा है, उस अधिकारी को सील की इजाजत नहीं देगा तो ऐसा कोई प्रावीजन नहीं है कि उसको क्या सजा होगी ? अगर सील लग गई है तो वह उसको तोड़ेगा नहीं, अगर तोड़ेगा तो उसको क्या सजा होगी, यह भी इसमें नहीं है।

सैक्शन 8 में अपील का प्रावधान है। इसमें यह है कि एक महीने के अन्दर वह जो प्रापर अथारिटी है उसके पास अपील करेगा। लेकिन यह नहीं है कि अपील का कितने दिन में निपटारा होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे कानून बनते हैं उसमें अपील के निपटारे की स्टेज पर बहुत देर हो जाती है। इस बिल में यह भी होना चाहिए कि उस अपील पर कितने दिन में फैसला हो जाएगा।

सैक्शन 11 में पनिशमेंट की बात कही गई है कि ओफैन्स के लिए पैनल्टी। अगर ओफैन्स किसी कम्पनी से सम्बन्धित है तो उसको सजा मिलेगी। आगे एक प्रोवाइजा दिया है कि अगर कम्पनी का मालिक या डायरेक्टर यह साबित कर दे कि इसका मुझे ज्ञान नहीं कि ऐसे सेफ्टी मेजर्स नहीं हैं, तो उसको सजा नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं कि यह जिम्मेदारी मालिक पर डाली जाए नहीं तो ऐसा करके वह लोग बच जायेंगे और अपने कर्मचारियों को इसमें फंसाते रहेंगे। इसलिए कंपनी के मालिकों पर इसकी जिम्मेदारी डाली जाए।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : जनाब चेयरमैन साहब, मैं इस बिल के सिलसिले में दो-तीन मोटी-मोटी बातें कहना चाहता हूं। काफी लोगों ने इस पर बहस कर ली है, इसमें कोई शक नहीं कि यह बिल अपना एक बड़ा मोकाम रखता है, बहुत जरूरी है।

आजकल हमारे मुल्क में बड़ी-बड़ी ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं, लोगों को ऐसा हक है कि लोग ऊंचे से ऊंची इमारत बनायें, चाहे गवर्नमेंट आफिसेज हों, होटल हों या सिनेमा हों। सवाल यह आता है कि अगर वहां आग लग जाती है तो उसका क्या हश्र होगा ? उसका सोचना बहुत जरूरी है।

बिल तो हम लोग पास कर लेते हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं होता। बिल पास कर लेना, कागज पर ले आना आसान है लेकिन इस पर अमल नहीं होता है। मैं गुजारिश

करूंगा कि जो चीज पास की जाए उस पर अमल होना चाहिए।

जैसा कि अभी कुछ लोगों ने बताया और मैंने भी देखा, सुना कि गोपाल टावर में और पिछली मर्तबा होटल में आग लग गई, काफी लोगों की जानें गईं लेकिन उन्हें अभी तक कोई कम्पैंसेशन नहीं दिया गया है। यह बड़ी खराब बात है जबकि उसमें कुछ फार्नर्स थे। उनको कम्पैंसेशन तो मिलना ही चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जब किसी बिल्डिंग का किसी को ठेका दिया जाता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाती है कि फला-फलां इक्विपमेंट लगायें। उसके लिए एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। वह सर्टिफिकेट अफसर लोग देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि रिश्वत लेकर वह सर्टिफिकेट दिया जाता है। पैसा खिलाने के बाद वह सर्टिफिकेट तुरन्त मिल जाता है। आपका इस ओर ध्यान जाना चाहिए। अगर रिश्वत लेते हुए कोई पकड़ा जाए तो उसे कड़ी सजा भी दी जानी चाहिए।

इसके साथ ही एक मेरा सुझाव यह भी है कि कभी-कभी सरप्राइज चैकिंग भी होनी चाहिए। जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि अगर कहीं कोई आग लग जाए तो उस समय आग बुझाने के कौन से जरिए होते हैं? सिनेमा-घरों और सरकारी कार्यालयों में आग बुझाने की जो चीजें टंगी रहती हैं, मैं ऐसा समझती हूं कि वह इतनी असरदार नहीं हैं जिससे कि तुरन्त आग बुझ जाए। मालूम नहीं वह कई सालों से वैसी की वैसी क्यों टंगी रहती हैं? उसकी चैकिंग करने वाला कोई नहीं होता है। इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए।

आज यह बड़ी-बड़ी इमारतें और होटल आदि सभी जगह बन रहे हैं। इसलिए आप दिल्ली में ही इसका ध्यान न रखें। बाकी जगहों पर भी इन सब बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। यह मौत और जिन्दगी का सवाल है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको अच्छे और आधुनिक किस्म के इक्विपमेंट लगाने चाहिए और जो लोग उन इक्विपमेंट्स को डील करते हैं उनको गार्डन तरीके की ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। इसके साथ-साथ बाहर के इक्विपमेंट्स लगाए जाएं तो काफी अच्छा होगा।

इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मन्त्री यह विधेयक लाये हैं, यद्यपि विलम्ब से लाये हैं। वास्तव में भूमि की कमी को देखते हुए विशेषकर शहरी क्षेत्रों में—संभवतः अनेक शहरों और विशेषकर दिल्ली में—इस विधेयक को लाना आवश्यक हो गया था। कई बार यह भी देखा जाता है कि विभिन्न शहरों में ऊंचे-ऊंचे भवन बनाने वालों द्वारा वर्तमान मार्ग निर्देशों का पालन नहीं किया जाता जिसके कारण कभी-कभी अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा जान और माल की हानि होती है।

[श्री के० एस० राव]

अत: इस प्रकार का विस्तृत विधेयक लाया जाना आवश्यक था। जब मैंने इसे पढ़ा तो पाया कि इस कार्य के लिए निधि की उपलब्धता के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। यद्यपि उन्होंने कहा है कि प्रदत्त शक्तियों के सम्बन्ध में नियम प्राधिकारियों द्वारा बनाये जाएंगे। मेरी यह राय हैं कि इस विधेयक का उद्देश्य केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब विधायिका द्वारा स्वयं संबंधित अधिकारियों को पर्याप्त मार्गनिर्देश दिए जाएं कि आग पर काबू पाने के लिए नवीनतम उपकरणों की खरीद के लिए निधि किस प्रकार एकत्रित की जाये। मेरा सुझाव यह है कि मन्त्री जी विद्यमान भवनों के बारे में कुछ उपबन्ध बनाएं। दिल्ली में लगभग 300 काम्पलैक्स (भवन) है। जिनका कुल क्षेत्र लगभग 3 लाख वर्ग फुट होगा। यदि प्रति वर्ग फुट पर 1 रुपया एकत्रित करने का विधान बनाया जाये तो उन्हें प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे जो कि न तो निर्माताओं और न ही किरायेदारों पर बोझ होगा। परामर्शदात्री समिति द्वारा 1983 में पता लगाये गए तथ्यों के अनुसार यह 3 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की आवर्ती आय पर्याप्त होगी। उनका कहना है कि आने वाले वर्षों में उपकरण की खरीद के लिए न्यूनतम आवश्यकता लगभग 8.68 करोड़ रुपये की होगी और इसे अब निर्माणाधीन भवनों पर प्रति वर्ग फुट हुए निर्माण पर कुछ शुल्क लगा कर आसानी से एकत्रित किया जा सकता है।

इस उपबन्ध का पालन न करने पर दंड अत्यन्त कम है : यह कहा जाता है कि यह 50000 रुपये जुर्माना या छह माह की कैद है और यदि चेतावनी दिए जाने के बावजूद वे इस उपबन्ध का उल्लंघन का बार-बार करते रहें तो यह राशि 3000 रुपये प्रतिदिन होगी। इसमें बड़े तथा छोटे भवनों में कुछ अंतर किया जाना चाहिए। इस 3000 रुपए प्रतिदिन के जुर्माने का निर्धारण भवन के आकार के अनुसार किया जाना चाहिए। 50000 रुपए का जुर्माना बड़े भवनों के लिए अधिक नहीं होगा और इस प्रकार के लोग इन उपबन्धों का उल्लंघन करते रहेंगे क्योंकि जुर्माने की राशि 50,000 से अधिक नहीं होगी। इसलिए दंड का निर्धारण इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि ये लोग इन उपबन्धों का मजाक बना रहे हैं और विधेयक पारित होने के बाद भी ऐसा करते रह सकते हैं। यदि इन सब बातों को विधेयक में शामिल नहीं किया जा सकता तो यह सुनिश्चित किया जाए कि इन्हें उन नियमों में शामिल किया जाए जिन्हें सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा प्रत्यायोजित विधान के रूप में बनाया जाना है।

एक अन्य बात जो मैंने देखी है वह यह है। मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का सदस्य था। सम्बन्धित प्राधिकारी नियम बनाने तथा उन्हें संसद के समक्ष रखने में अत्यधिक विलम्ब कर रहे हैं। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे यह सुनिश्चत करें कि संबंधित प्राधिकारी निधि की देखभाल के लिए सही प्रकार नियम बनायें तथा भवन निर्माता और किराएदार अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन न करें। इस सम्बन्ध में भवन निर्माण के समय ही पूरा पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए न कि उसे किराये पर देते समय।

खण्ड पढ़ते समय मैंने देखा कि खण्ड में कहा गया है कि :

"कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी सूचना या आदेश की बाबत

कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा···

यह सही है किन्तु खण्ड 13 में कहा गया है कि :

"महानगर मजिस्ट्रेट से अगर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।"

संभवतः ये दोनों खण्ड परस्पर विरोधी हैं। यदि ऐसा करने की अनुमति स्थायी न्यायालय को दे दी जाती है तो इस विधेयक का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री जी खण्ड 13 के विषय में पुनः विचार करेंगे तथा विधेयक पारित करने से पहले इसमें आवश्यक संशोधन करेंगे अथवा कम से कम इस बात को नियमों में शामिल कर लेंगे।

समिति के प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि आग लगाने की स्थिति से निपटने के लिए कम से कम प्रारंभिक प्रशिक्षण अवश्य दिया जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं किया जा रहा और इसके परिणामस्वरूप थोड़ी बहुत आग लगने की भी स्थिति में भी दमकल आने तक काफी नुकसान हो चुका होता है—क्योंकि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं होता।

दूसरे आग बुझाने वाले उपकरणों की कार्य कुशलता की जांच संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय समय पर की जानी चाहिए जिसके बिना केवल ऐसा उपकरण ही मौजूद होगा जो कार्य करने की स्थिति में न हो या मरम्मत होने वाला हो; और जब आग लगे तो समय काफी महत्वपूर्ण होता है और उस समय उपकरण मरम्मत कराने की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। यह भी नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये मार्गनिर्देश संबंधित प्राधिकारियों को दिए जा सकते हैं।

जहां तक नियम बनाने का प्रश्न है, एक तकनीकी समिति बनाई जाये ताकि नियम इस तरह बनाये जायें, जो व्यवहार्य हों तथा जिनसे संबंधित प्राधिकारी भवन निर्माताओं अथवा किरायेदारों को परेशान न कर सकें। यह सुनिश्चित किया जाए कि नियम व्यवहार्य हों बिना किसी को परेशान किए उनका उद्देश्य प्राप्त किया जा सके तथा कोई उनसे अनुचित लाभ न उठा सके।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि नियमों को अविलम्ब संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : महोदय मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह बहुत अच्छा विधेयक है।

अनुच्छेद 2 (च) में लिखा है कि दिल्ली का अभिप्राय है केन्द्र-शासित प्रदेश दिल्ली। हमारे मन्त्री महोदय बहुमंजिली इमारतों के बारे में सोच रहे हैं जहां कभी भी आग लग सकती है। मन्त्रालय अधिकतर उच्च लोगों के बारे में ही विचार करता है। परन्तु दिल्ली का अर्थ है

[श्री पीयूष तिरकी]

सम्पूर्ण केन्द्र शासित दिल्ली प्रदेश। इस प्रकार मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में घनी आबादी वाली गलियां हैं जहां खुली रसोइयां चलती हैं और बहुत से लोगों को खाना मिलता है। चांदनी चौक क्षेत्र में आग लगने की हर संभावना है। इसके अतिरिक्त दिल्ली में बहुत सी झुग्गियां हैं जहां आग लग सकती है। आग इस बात को नहीं देखती कि अभी बहुमंजिली इमारत है अथवा एक झुग्गी घनी आबादी वाला क्षेत्र है अथवा कम आबादी वाला क्षेत्र। आग लगने की संभावना हर जगह रहती है। इस बात की सम्भावना गन्दी बस्तियों में और भी अधिक है जहां आग बहुत तेजी से फैल सकती है। इसलिए खुली रसोइयों, सड़क के पास वाले रसोईघरों और गली में बने रसोईघरों में, जो मूलतः घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हैं, हर सावधानी बरती जानी चाहिए।

आपके अधिकारीगण व नगर पालिका के लोगों को स्वयं वहां स्थिति देखने के लिए जाना चाहिए। ये खुली हुई रसोइयां अस्वास्थ्यकर भी हैं। वहां हर समय आग लगने का डर बना रहता है। मैं इस बात को नहीं समझता कि आप इसको रोक क्यों नहीं सकते। दिल्ली में ये अधिकतर लोग गरीब हैं। वे होटलों में नहीं जाते। वे गलियों व सड़कों पर बने होटलों में खाना खाते हैं। दिल्ली के 50 प्रतिशत लोग ऐसे होटलों में खाना खाते हैं और आपको इन सभी बातों की जांच भी करनी चाहिए। पुरे केन्द्र शासित प्रदेश को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। आपको इन होटलों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। आपको वहां जाना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कोई ऐसी घटना न हो पाए।

आप वी० आई० पी० क्षेत्र के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। वहां पूरे समय पानी की सप्लाई नहीं रहती है। आप नार्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू जाइए आपको पता चलेगा कि वहां सुबह-शाम केवल दो-दो घण्टे ही पानी उपलब्ध होता है। यदि किसी समय आग लग जाती है तो यह पानी के आने का इन्तजार नहीं करेगी। आपको यह देखना चाहिए कि वहां हर समय पानी की सप्लाई ठीक रहे। जब आग लग जाती है तो आपको सम्बन्धित कर्मियों को पर्याप्त मात्रा में पानी देना पड़ता है। उस समय आप उन्हें यमुना पर जाकर पानी लाने के लिए नहीं कह सकते। आग इन्तजार नहीं करेगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। दिल्ली प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी घटना के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहे। जहां भी आग लगने की सम्भावना हो वहां हर जगह पानी की सप्लाई होनी चाहिए। आपको इस बात की जांच करनी चाहिए कि प्रत्येक कोने को प्रर्याप्त पानी पहुंच जाए। तुरन्त ही इसका प्रबन्ध होना चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

मुझे आशा है कि नए मंत्री महोदय आग से नहीं खेलेंगे और इसे गम्भीरतापूर्वक लेंगे। मैं इस मिशन में उनकी सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद।

श्री शान्ता राम नायक (पणजी) : महोदय, माननीय गृह मन्त्री के आग बुझाने के प्रयत्नो का निश्चित रूप से स्वागत है। कोई व्यक्ति यह नहीं कहता कि आग नहीं बुझाई जानी चाहिए।

मैं यह सुझाव दूंगा कि हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए।

दिल्ली प्रदेश के लिए यह विधेयक बनाया गया है। मैं समझता हूं कि इसका कारण यह है दिल्ली में कोई विधान सभा नहीं है। इसी प्रकार अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों में भी जैसे लक्षद्वीप अण्डमान व निकोबार द्वीप-समूह, जिनकी अपनी विधान सभाएं नहीं हैं, स्वतः ही इस अधिनियम को लागू किया जाना चाहिए। जब संसद केन्द्र-शासित प्रदेशों के लिए एक कानून बना रही है तो मेरा निवेदन यह है कि अन्य केन्द्र-शासित प्रदेशों में भी इसे लागू किया जाना चाहिए।

दूसरे, इस प्रकार के विषय पर केवल दिल्ली के लिए ही एक विधान क्यों होना चाहिए? हमारे वरिष्ठ साथी श्री डागा द्वारा भी इस ओर संकेत किया गया है। एक ही विधान होना चाहिए और यदि विषय राज्यों के कार्यक्षेत्र में आता है तो केन्द्र सरकार को इस विषय पर एक आदर्श विधान बनाना चाहिए और सभी राज्यों में इसे भेजना चाहिए ताकि वे भी इसी प्रकार का विधान बना सकें।

इसके विपरीत मैं सुझाव दूंगा कि एक राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा होनी चाहिए जो आग बुझाने व इससे सम्बन्धित मामलों की व्यवस्था करें। आग चाहे घर, उद्योग फैक्ट्री आदि कहीं पर भी लगी है। तो आग बुझाने की व्यवस्था एक ही विधान के अन्तर्गत होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा अत्यन्त आवश्यक है।

दूसरे बहुत से स्थानों पर अग्निशमन सेवा पुलिस-स्टेशनों से जुड़ी हुई होती है। मैं यह अनुरोध करूंगा कि इस पहलू की जांच की जानी चाहिए और जहां भी अग्निशमन केन्द्र एक पुलिस-स्टेशन से जुड़े हैं, उन्हें अलग कर देना चाहिए और उन्हें एक स्वतन्त्र प्राधिकरण के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए। आज हमारे पास हर जगह अग्निशमन केन्द्र उपलब्ध नहीं हैं। एक ऐसा समय आना चाहिए जब हम प्रत्येक गांव में अग्निशमन केन्द्र की व्यवस्था करने योग्य हो सके।

महोदय, जहां तक इस विधान का सम्बन्ध है आप धारा 3 (1) पढ़ सकते हैं जिसमें लिखा है :

> "नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी किसी भवन के जिसकी ऊंचाई उतनी है जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए या परिसर के अधिभोगी को, या कोई अधिभोगी नहीं हैं तो उसके स्वामी को तीन घन्टे की सूचना देने के पश्चात्..."

ऐसा प्रतीत होता है कि यहां उल्लेखित ऊंचाई भवन के स्वामी की ऊंचाई है। इसे इस प्रकार होना चाहिए "इतनी ऊंचाई वाली इमारत का स्वामी"। आगे जब हम इस ऊंचाई के पहलू की बात को नियम बनाने वाले प्राधिकरण पर छोड़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हम उस भवन की ऊंचाई नहीं जानते जिस पर हम यह विधान लागू करना चाहते हैं क्योंकि हम कहते

[श्री शान्ताराम नायक]

हैं कि ऊंचाई का निर्धारण नियमों द्वारा होगा। यदि इस बात का निर्धारण इस विधेयक में हो जाता तो यह उचित बात होती। अन्य पहलुओं को नियमों के लिए छोड़ दिया गया है परन्तु ऊंचाई की बात बिना उल्लेख के नहीं छोड़ना चाहिए।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू धारा 3 (3) में है और मैं उद्धृत करता हूं :

"जब किसी भवन या मानव निवास के रूप में प्रयुक्त किसी भवन या परिसर में उपधारा (1) के अधीन प्रवेश किया जाता है तब अधिभोगी की सामाजिक और धार्मिक भावनाओं का सम्यक ध्यान रखा जायेगा···"

क्या मैं पूछ सकता हूं कि जब आग लगती है तो धार्मिक व अन्य भावनाओं का प्रश्न कैसे उठता है ? आग लगना एक आपातस्थिति है। यदि मेरे कमरे में आग लगी हुई है और उसमें गीता है और आग बुझाने वाले लोग उसे हटा देते हैं तो मैं यह नहीं कहूंगा कि इससे मेरी भावनाओं को चोट पहुंची है।

महोदय आगे यह प्रतीत होता है कि यह सम्पूर्ण विधान इस अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों पर आधारित नहीं है। साधारणतया हम अपने अधिनियम के अन्तर्गत ही नियम बनाते हैं परन्तु वर्तमान विधान उपनियमों पर आधारित है जोकि हमारे अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नहीं अपितु पहले से ही विद्यमान है। इस अधिनियम के अन्तर्गत न बने, पहले से विद्यमान उपनियमों पर हम कैसे कारण बताओ नोटिस जारी कर सकते हैं ? हम भी नहीं जानते कि ये उपनियम क्या हैं। उपनियमों के आधार पर नामांकित अधिकारी अपनी रिपोर्ट देगा और कारण बताओ नोटिस जारी करेगा व अन्य कार्यवाही करेगा। इस प्रकार अन्य उपनियमों पर आश्रित रहना ठीक नहीं है। फिर हम कह चुके हैं कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1977 पर्याप्त नहीं और इसलिए हम इस अधिनियम का निर्माण कर रहे हैं। उस अधिनियम की क्या स्थिति है ? यदि दिल्ली नगर निगम अधिनियम और वर्तमान प्रावधानों में कोई विरोधी प्रावधान है तो उस स्थिति में क्या होगा। हमने दिल्ली नगर निगम अधिनियम को भी रद्द नहीं किया है।

4.00 म० प०

आगे, कारण बताओ नोटिस जारी करने की एक व्यवस्था है। एक अधिकारी भवन के स्वामी या अधिभोगी को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है जिसमें वह उसे कुछ कार्य करने के लिए कह सकता है। जब स्वामी या अधिभोगी को वह कार्य करने के लिए कहा जाता है तो यह बताने के लिए कि एक विशेष कार्य को नहीं किया गया है, हम उसे आठ दिन का समय भी नहीं दे रहे हैं। इसके विपरीत कानून में सीधे ही अपील करने की व्यवस्था है। नोटिस जारी करते हैं उसी समय अपील भी दर्ज की जा सकती है। हम आठ दिन का समय भी नहीं दे रहे हैं। प्रत्येक कानून में ऐसा एक प्रावधान है।

अन्ततः राष्ट्रीय स्तर पर हमारी अग्निशमन सेवा को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। यदि आग बुझाने वाले कर्मचारी अच्छा कार्य करते हैं तो उन्हें इनाम दिया जाना चाहिए। हम पहले ही ऐसा कर रहे हैं परन्तु हमें इस बारे में और अधिक कार्य करना चाहिए यह एक जोखिम भरा कार्य है।

और ड्यूटी के लिए सही समय पर न आने वाले कर्मचारियों को सजा दी जानी चाहिए हो सकता है कि उन पर लागू होने वाले सेवा नियमों में ऐसा प्रावधान हो परन्तु विधेयक में ऐसा प्रावधान नहीं है। जो लोग अपने कार्य में लापरवाही करते हैं अथवा समय पर नहीं पहुंचते उन्हें उचित सजा दी जानी चाहिए।

श्री वी० सोमनाथीश्वर राव (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं दिल्ली अग्नि निवारण और अग्नि-सुरक्षा विधेयक का स्वागत करता हूं। वास्तव में इसे बहुत पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। गोपाल टावर व सिद्धार्थ होटल से सम्बन्धित दर्दनाक दुर्घटनाएं स्पष्टत वर्तमान विधान में कमी को सिद्ध कर चुकी हैं और सरकार द्वारा वर्तमान विधेयक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को सामने ला चुकी है।

जहां तक विधान का सम्बन्ध है इस विधेयक में ऐसे अनेक प्रावधान हैं जोकि इन बहु-मंजिली इमारतों के स्वामियों को आग लगने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए मजबूर करते हैं और दंड उपबन्ध ऊंची इमारतों के मालिकों व अधिभोगियों में कुछ अनुशासन ला सकते हैं।

एक समाचार-पत्र की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 1985 में राजधानी में 220 में से केवल 26 इमारतों में अग्नि सुरक्षा नियमों को लागू किया गया था। यह बात शहर में खराब हालत को इंगित करती है। अग्नि निरोधक नियमों को लागू करने में प्रशासन अधिक गम्भीर नहीं है। वास्तव में सिद्धार्थ होटल के प्रबन्धक, जहां वर्ष के आरम्भ में भीषण दुर्घटना हुई थी, यह आश्वासन देकर, कि वे ऐसी उपायों, कार्यवाही का उत्तरदायित्व लेंगे, एन०डी० एम० सी० के अधिकारियों से लाइसेन्स प्राप्त करने में सफल हो गए परन्तु बाद में उन्होंने उन्हें लागू नहीं किया।

4.02 अ० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

ऐसे बहुत से उदाहरण है। कुछ समय पहले एक जांच समिति को नियुक्त किया गया था और इसने स्पष्ट कहा है कि इन बहुत सी ऊंची इमारतों में वैकल्पिक जीने बैटराइजर, अग्नि सूचक यन्त्र आदि नहीं थे अथवा कार्य नहीं कर रहे थे। सरकार को इस विधान से सन्तुष्टि का अनुभव नहीं करना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे अपने प्रयत्नों को जारी रखें और इस बात की जांच करें कि जिन इमारतों में अग्नि निरोधकों अग्नि सुरक्षा उपायों में कमी पाई गई थी वहां उनकी पूरी व्यवस्था की जाए। वर्तमान दंड उपबन्धों

[श्री वी० शोभनाद्रीश्वर]

के बावजूद भी यदि मालिक या अधिभोगी उनका सहयोग नहीं देते तो मुख्य अग्निशमन अधिकारी को अग्नि निरोधक उपायों को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व लेना चाहिए और मालिकों से उसकी राशि वसूल करनी चाहिए।

आगे जब तक दिल्ली अग्नि शमन सेवा को सभी आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित नहीं किया जाता तब तक यह विधेयक अभागे व्यक्तियों की सहायता नहीं कर सकता।

कभी-कभी बहुमंजिली इमारतों के स्वामी व अधिवासी उन सभी निरोधक उपायों का पालन करते हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। इसके बावजूद भी यदि दिल्ली अग्नि शमक सेवा पूर्णतः सुसज्जित नहीं है तो यह वास्तव में अग्नि दुर्घटना का सामना करने वाले लोगों की सहायता नहीं कर पायेगी। दिल्ली में लगभग 60 अग्नि शमन केन्द्रों की आवश्यकता है जबकि वर्तमान समय में केवल 19 अग्निशमन केन्द्र दिल्ली में हैं। और उनके पास केवल दो स्नोर्कल्स, हाइड्रोलिक प्लेटफार्मस और 150 फुट लम्बी केवल तीन सीढ़ियां हैं। दिल्ली में बहुत सी कालोनियां है जहां बहुत सी बहुमंजिली ऊंची इमारतें हैं। इसलिए निश्चित रूप से दिल्ली अग्नि सेवा और अधिक लम्बी सीढ़ियों से सुसज्जित होनी चाहिए।

बहुत बार ये अग्नि शमक सेवा के लोग दूसरों को बचाने के प्रयास में अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम उन्हें सभी आवश्यक सांस लेने के यन्त्र, मास्क और अन्य सामानों से सुसज्जित करे, किससे उन्हें वास्तव में स्थिति का प्रभावशाली ढंग से सामना करने में सहायता मिल सके।

भवन सम्बन्धी नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि जब भी ऐसी विपत्ति आए तो अग्नि विभाग सभी तरह से आग बुझाने व लोगों को बचाने के लिए बचाव कार्यों को जारी रखने की स्थिति में हो। बहुमंजिला भवनों में कई बार ऐसा किया जाता है कि कई ओर से उसे बंद ही कर दिया जाता है और अग्नि शमन सेवा कर्मियों को आग बुझाने के कार्यों के लिए अपने आग बुझाने के उपकरणों को रखने के लिए एक या दो किनारे खुले रखे जाते हैं।

ऊंची इमारतों में रहने वालों को आधारभूत अग्निशमन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि कैसे इन भवनों में रखे गये आग बुझाने के उपकरणों का प्रयोग किया जाए। इन भवनों में आग बुझाने के उपकरणो को रखे जाने के बावजूद कई बार इस उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि उस भवन के कब्जाधारी यह नहीं जानते हैं कि आपातकालीन स्थिति में इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाये। इसलिए कब्जाधारियों को इस उपकरण का प्रयोग करने के लिए शिक्षित एवं प्रशिक्षित करने हेतु कुछ प्रयत्न किये जाने चाहिए।

अन्ततः मैं आपके जरिए माननीय मन्त्री को एक छोटा सा सुझाव देना चाहूंगा। केन्द्रीय सरकार को अन्य शहरों के सम्बन्ध में भी वर्तमान वैधानिक उपबन्धों को लागू करना चाहिए

उन्हें केवल दिल्ली से ही संतुष्ठ नहीं होना चाहिए। बम्बई, हैदराबाद आदि कई अन्य शहर भी हैं। यदि केन्द्र सरकार समझती है कि वर्तमान वैधानिक उपबन्ध इन सम्बन्धित राज्यों के लिए काफी नहीं हैं तो मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे उचित विधान बनाने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों पर दबाव डालें ताकि आग के कारण दुर्घटनाओं के शिकार बद-किस्मत लोगों की सहायता की जा सके।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : महोदय, मैं अपने सभी माननीय मित्रों का जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है बहुत आभारी हूं। उन्होंने पूरे दिल से अपना सहयोग दिया है और अग्निशमन सेवा के सुधार हेतु कई अच्छे सुझाव दिए हैं तथा जहां वे यह समझते हैं कि कुछ खामियां हैं, वहां उन्होंने उन्हें सुधारने के लिए कई उपाय भी सुझाए हैं।

कुल मिलाकर 16 माननीय सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया है और उन्होंने विधेयक में बहुत रूचि दिखाई है, यद्यपि मैं समझता था कि इस पर बोलने वाले अधिक वक्ता नहीं होंगे। मैं बहुत खुश हूं और चर्चा में भाग लेने के लिए तथा बहुत अच्छे सुझाव देने के लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। मैं इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जैसे कि हमारे पक्ष के श्री शम्भु, श्री सोमनाथ रथ, श्री राजकुमार राय, श्री कृष्णा अय्यर, श्री धारीवाल, श्री डागा, (जैसे आप जानते हैं कि श्री डागा का दृष्टिकोण मौलिक है परन्तु कभी-कभी यह इस विधेयक की सीमा में नहीं आता है) श्री रहमान, श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री हंसदा, श्री मलिक, श्री पाटिल, श्री के० एस० राव और विपक्ष के, श्री वी० एस० राव, श्री महफूज अली खान, श्री पियुष तिरकी और श्री शान्ताराम नायक।

शायद यह आचार्य जी या तिरकी जी थे जिन्होंने कहा कि पहले ही दिन मैं आग से खेल रहा हूं। परन्तु महोदय, मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यों की सद्भावनाओं तथा मनोबल द्वारा हम न केवल आग को नियंत्रित कर पायेंगे अपितु आग बुझा भी सकेंगे।

यहां माननीय सदस्यों द्वारा कुछ सवाल उठाए गए हैं। मैं उन सभी को यथा सम्भव स्पष्ट करूंगा। रथा जी एवं अन्य मित्रों ने भी यह सुझाव दिया है कि जब मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा सभी खर्चे वहन करने के लिए कोई भी अलग धनराशि नहीं रखी गयी है तो इस प्रकार स्वभाविक रूप से धन प्राप्त करने में कुछ कठिनाईयां हो सकती है। इसलिए इसके लिए भारत की समेकित निधि से धन लिया जाना ठीक है, परन्तु महोदय, जैसा कि आप जानते हैं भारत की समेकित निधि से धन निकालने के लिए कुछ नियम हैं। इसलिए, हम इस विधेयक में एक बार समेकित निधि की धारणा को शामिल करते हैं तो तब क्या होगा, हमें राष्ट्रपति के पास उनकी सम्मति के लिए फिर से जाना पड़ेगा। महोदय, मैंने पूछ-ताछ की है कि दिल्ली में नगरपालिका के सभी चार निकायों के पास पर्याप्त धनराशि है और जितनी भी धनराशि की मुख्य अग्निशमन अधिकारी को आवश्यकता होती है यह उसे उपलब्ध करायी जायेगी और वे इस धनराशि को भारत की समेकित निधि में से नहीं निकालते हैं। अतः वे इसे किसी भी समय आवश्यकतानुसार निकाल सकते हैं।

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही]

महोदय, मैं प्रसन्न हूं कि इस विधेयक के प्रति सदस्यों की इतनी सद्भावनाएं हैं और प्रत्येक सदस्य चाहता है कि इस प्रकार का विधेयक अन्य शहरों के लिए या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी होना चाहिए और इसे ग्रामीण क्षेत्रों पर भी विस्तारित किया जाना चाहिए। मुझे और प्रसन्नता होती यदि माननीय सदस्य एक बहुत व्यापक विधेयक लाते ताकि पूरे देश को इसमें शामिल किया जाता और केन्द्र सरकार को सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को मार्ग निर्देश देने की पूरी स्वतन्त्रा हो। महोदय, मुझे इससे बहुत प्रसन्नता होगी, परन्तु यदि वे इस प्रकार का विधेयक चाहते हैं तो यह माननीय सदस्यों पर निर्भर है। वे स्वयं ऐसा कर सकते हैं और फिर हम इस विधेयक पर यहां विचार कर सकते हैं। परन्तु इस समय यह केवल संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तक ही सीमित है क्योंकि इस प्रकार की दुर्घटनायें दिल्ली में होती हैं और माननीय सदस्य स्वयं यह बात एकदम चाहते हैं कि इस प्रकार का एक विधेयक आना चाहिए ताकि हम हो रही दुर्घटनाओं के मामले में सहायता कर सकें।

महोदय, दूसरी बात जिसका यहां जिक्र किया गया है, वह विलम्ब के बारे में है। यहां दोनों अपीलों की प्रक्रियाओं में विलम्ब हो सकता है। इनके लिए संक्षिप्त कार्यवाही की आवश्यकता है। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, हमें एक प्रणाली विरासत में मिली है जहां आप किसी भी बात के लिए एकदम 'हां' या 'नहीं' कह सकते हैं। एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि मालिकों को तंग न किया जाए, यह भी इसका एक पहलू है तथा यहां इसका मतलब तंग न करने से है और उन्हें अपील करने का अवसर मिलना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि यदि एक बार आप एक अपील के लिए जाते हैं तो यह पहली अपील होगी। फिर इसके बाद दूसरी अपील होगी और इस प्रक्रिया में फिर देरी भी हो सकती है। परन्तु महोदय, हमें जो प्रणाली विरासत में मिली है उसके साथ समझौता करना है। इस प्रणाली में हम उन्हें न तो अब तंग कर सकते हैं और न ही किसी अन्य समय तंग कर सकते में। हम यह शर्त नहीं रख सकते हैं कि ये अपीलें निर्धारित समय सीमा में निपटायी जायें यद्यपि हम चाहते हैं कि अपीलें शीघ्रता से निपटायी जायें। ये सभी बातें वर्षों से चली आ रही है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि अर्धस्थायी न्यायिक निकायों द्वारा भी मामलों के निपटान हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। मान लो कि, हम यह कहें कि आप इसे तीन या चार दिन में निपटायें और फिर कोई हमारे पास आए और कहे कि आप राज्य की न्यायिक मशीनरी में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे? अतः मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार के मामलों में फिर प्रशासनिक न्यायधिकरण समय-सीमा की ओर विशेष ध्यान देंगे। अतः इसका ध्यान रखा जायेगा तथा मैं आशा करता हूं कि जो इस अधिनियम के वास्तविक कार्यकरण में जो इस प्रकार का विलम्ब, समझा गया है, उसे हम अनुभव से जान जायेंगे तथा फिर यह सुनिश्चित करेंगे कि हम इसमें क्या सकते हैं। परन्तु इस वक्त मैं समझता हूं कि वह काफी है।

एक और बात है जिसे श्री कृष्ण अय्यर ने भी सुझाया था और वह भवनों की ऊंचाइयों के सम्बन्ध में है। महोदय, यह पहले ही कहा गया है कि हमने भवन की परिभाषा का विस्तार किया है। वस्तुतः, यदि आप खण्ड 2(ग) को देखें तो इसमें कहा गया है :

> "भवन से अभिप्रेत है कोई गृह, उपगृह, अस्तबल, शौचालय, मूत्रालय, झोंपड़ी, (सीमा दीवाल से भिन्न) दीवाल या कोई अन्य संरचना भले ही वह पत्थर की हो, ईंटों की हो, लकड़ी की हो, मिट्टी की हो, धातु की हो या किसी अन्य पदार्थ से बनी हो।"

ये विभिन्न ढांचे इसके अन्तर्गत आ जायेंगे। मैं आशा करता हूं कि भवनों की ऊंचाइयों का प्रश्न अब नहीं उठता है। जब कभी हम नियम बनायें उस वक्त ऊंची इमारतों की ऊंचाई और अन्य बातें उठेंगी। इस समय हमने बाग, शामियाना और अन्य ढांचों से लेकर ऊंची इमारतों पर भी विचार किया है।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : यह 'भवन' की दी गयी परिभाषा के अनुसार नहीं है। इसका विधेयक के खण्ड 3(1) में उल्लेख है :

> "नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी भवन के कब्जाधारी या यदि कोई कब्जाधारी नहीं है तो मालिक को तीन घंटे का नोटिस देने के पश्चात्···कर सकता है।"

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं आपसे सहमत हूं। अतः प्रस्तावित अधिनियम के अन्तर्गत नियमों को बनाते हुए इन बातों का ख्याल रखा जाएगा।

श्री लोबनाथ रथ (आस्का) : इसका तात्पर्य क्या यह है कि एक भवन विशेष निर्धारित ऊंचाई से अधिक नहीं होगा ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : खण्ड 3 के प्रावधान में उस बात का भी ध्यान रखा गया है जो श्री कृष्ण अय्यर ने कही है और इसमें रथ जी द्वारा उल्लेख की गयी नियम बनाने की शक्ति का भी ध्यान रखा गया है।

एक और बात है, जो माननीय सदस्यों ने उप-नियमों आदि के सम्बद्ध में कही है।

सिद्धार्थ होटल के बारे में मैंने श्री इन्द्रजीत गुप्त का भाषण सुना है। वह इस समय यहां नहीं हैं। उनके सुझावों को हमेशा गम्भीरता से लिया जाता है। लेकिन वे किसी काम के नहीं हैं। हमने इस होटल के सम्बन्ध में उनके सुझावों को नोट किया है, दिल्ली प्रशासन द्वारा न्यायाधीश खन्ना की अध्यक्षता में घटना की जांच करने के लिए आयोग का गठन किया गया है। आयोग ने उपराज्यपाल को अपना प्रतिवेदन दे दिया है और यह दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है। यह रिपोर्ट जल्दी ही सभा पटल पर रखी जाएगी और इसकी चर्चा के लिए अनुमति है। हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

[श्री चिन्तामन्नि पाणिग्रही]

जहां तक मुआवजा देने का सम्बन्ध है यह होटल की निजी देनदारी है क्योंकि यह एक गैर सरकारी होटल है।

जहां तक दावा आयोग का गठन करने की बात है, इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है। हम एक दावा आयोग गठित कर सकते हैं तथा श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जैसा सुझाव दिया है, इन बातों पर गहराई से विचार किया जा सकता है।

माननीय सदस्यों ने यह भी पूछा है कि क्या दिल्ली के सभी गांव इसके अन्तर्गत आते हैं। मैं समझता हूं कि दिल्ली के सभी गांवों पर यह विधेयक लागू होता है। आग की दुर्घटनायें होने पर सभी गांवों में अग्निशमन सेवा पहले ही उपलब्ध की जा रही है। इसलिए, जहां तक दिल्ली के ग्रामों का सम्बन्ध है, कोई कठिनाई की बात नहीं है।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा संसद भवन में आग से रक्षा के उपाय करने के बारे में है। जब मैं प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष था तो हमने संसद भवन के रख-रखाव के बारे में सोचा था, समिति के माननीय सदस्यों ने आग से रक्षा के उपायों में कुछ कमियां पायी, तब केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इन्हें दूर किया है तथा वे सतर्क हैं। जहां तक आग से रक्षा का सम्बन्ध है, नार्थ ब्लाक में नजदीक ही एक अग्निशमन केन्द्र है। संसद भवन में एक अग्निशमन नल है, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है, आग बुझाने वाले उपकरण और यन्त्र भी इस भवन में रखे गए हैं। लगभग एक माह पहले केवल यह देखने के लिए कि क्या संसद भवन में आग बुझाने की व्यवस्थायें पर्याप्त हैं, वहां अभ्यास के रूप में परीक्षण किया गया था।

माननीय सदस्यों को इसके बारे में आशंका थी। हम भी सावधानियां बरत रहे हैं।

एक अन्य प्रश्न माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया जैसे कि जब दिल्ली के लिए चार स्थानीय निकाय मौजूद हैं तो फिर यह विधेयक यहां के लिए क्यों लाया गया। जैसा कि रावजी ने अभी कहा है कि दिल्ली में कई ऊंची इमारतें हैं जिनके पास आग बुझाने के उपकरण नहीं हैं। इसलिए जनता के नुमाइन्दों ने तथा इस सभा के सदस्यों द्वारा यह आवश्यक समझा गया कि इस प्रकार की आग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कड़े उपायों को लागू करने के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण होना चाहिए।

विधेयक के उद्देश्य और कारणों के कथन में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है :

> "दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में अग्नि सुरक्षा उपायों को, विशेषतया बहुमंजिले भवनों में, प्रवर्तित कराने वाले विद्यमान उपबंध, अग्नि निवारण के लिए आवश्यक उपाय करने के बारे में भवनों के स्वामियों को विवश करने के लिए अग्नि निवारण प्रवर्तन अभिकरणों के लिए आवश्यक कानूनी प्राधिकार के अभाव में बहुत अपर्याप्त पाए गए थे।"

अतः यह आवश्यक समझा गया कि एक एकीकृत प्राधिकरण हो तथा इस एकीकृत प्राधिकरण का प्रशासक उपराज्यपाल हो ताकि नियोजित ढंग से ये सभी स्थानीय निकाय वास्तव में इस एकीकृत प्राधिकार के अन्तर्गत इन आग दुर्घटनाओं पर निगरानी रख सकें, क्योंकि दिल्ली में और अधिक ऊंची इमारतें बन गयी हैं।

जहां तक दिल्ली अग्निशमन सेवा को आधुनिकतम उपकरणों से सुसज्जित करने का सवाल है, मैं आशा करता हूं कि वे सराहनीय कार्य कर रहे हैं। अतः यदि कभी हम यह सोचें कि वे बहुत अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं तब हमारा यह कहना ठीक न होगा। परन्तु फिर भी कमियां हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों ने भी सुझाव दिया है कि हमें यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि दिल्ली अग्निशमन सेवा एक अत्यन्त कुशल अग्निशमन सेवा बन जाए क्योंकि यह भारत की राजधानी में है। जो भी कमियां हैं उन्हें हम दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी सुझाव दिए हैं वे अपने अनुभव के आधार पर दिए हैं—हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि इसे राजधानी में एक सबसे आधुनिक अग्नि शमन सेवा बनाया जाए और देश की दूसरी राजधानियों वाले शहरों में इसका अनुकरण किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि हम उन पर ध्यान देंगे। इस सबके सिवाय माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा और जो भी कमियां बतायी गयी हैं, हम उनको कानून के तहत ला सकते हैं और इसकी एक व्यापक अधिनियम बनाने का प्रयास कर सकते हैं ताकि यह इस समय दिल्ली में अग्नि शमन सेवाओं में सुधार लाने के लिए सहायता कर सके। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि—जैसा कि उन्होंने सर्वसम्मति से इस विधेयक का समर्थन किया है—वे इस विधेयक को पारित करवाने में हमारी सहायता करें। मेरे प्रति उनके द्वारा दिखाए गए सहयोग के रवैये के लिए मैं उनका आभारी हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के कुछ भवनों और परिसरों में अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के लिए अधिक प्रभावी उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सदन अब विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगा।

खण्ड 2 से 6 में कोई भी संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 6 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 7

व्यक्ति क्रम की दशा में मुख्य अग्नि शमन अधिकारी की शक्तियां।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 5, पंक्ति 16 और 17—

"ऐसी कार्यवाही करेगा जो ऐसी सूचना के अनुपालन के लिए आवश्यक हो" के स्थान पर "सूचना में विनिर्दिष्ट सुरक्षोपायों का स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित कराएगा और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ऐसे उपायों को कार्यान्वित करने पर वहन किया गया व्यय भूराजस्व की बकाया राशि के रूप में अधिभोगी वसूल किया जाएगा।" प्रतिस्थापित किया जाए।' ··(1)

अगर आप धारा 4 और 6 को देखें तो आप पायेंगे कि हम इमारत के हित लिए एक अधिभोगी को कुछ मरम्मत कराने के लिए सूचना जारी करते हैं। और अगर वह मरम्मत नहीं कराता है तो कानून के अनुसार जुर्माना किया जाता है। यहां पर धारा 7(1) इस प्रकार है :

"ऐसी कार्यवाही करेगा जो ऐसी सूचना के अनुपालन के लिए आवश्यक हो।"

मेरा कहने का अर्थ यह है। कार्यवाही विनिर्दिष्ट भी हो। मेरा संशोधन 1 इस प्रकार है :

"सूचना में विनिर्दिशा रक्षोपायों को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित कराएगा और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ऐसे उपायों को कार्यान्वित करने पर वहन किया गया व्यय भूराजस्व की बकाया राशि के रूप में अधिभोगी से वसूल किया जाएगा।"

इस वाक्य में ऐसे जिक्र किया गया है जैसे यह बहुत बड़ा कदम हो। परन्तु इसका अर्थ कुछ भी नहीं है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यह तो पहले से ही है। इसलिए, इसके देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सभापति महोदय : क्या आप अपने संशोधन को वापस लेना चाहते हैं ?

श्री शान्ताराम नायक : हां, महोदय।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना विधेयक वापस लेने के लिए सदन की अनुमति है।

कई माननीय सदस्य : हां, महोदय ।

संशोधन संख्या 1, सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नया खण्ड 7 क

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'पृष्ठ 5,—

पंक्ति 22 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाए—

"7 क मुख्य अग्नि शमन अधिकारी धारा (7) की उपधारा (2) में उल्लिखित सभी व्यय को पूरा कर सके, इसके लिए भारत की संचित निधि में से एक कोष मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के पास उसके प्रयोगार्थ रखा जाएगा जो व्यय का वहन उन नियमों के अनुसार करेगा, जो विहित किए जायेंगे ।" ।' ...(4)

धन प्रदान करने के लिए मैंने संशोधन की सूचना दी है ताकि कर्मचारियों द्वारा मकानों को गिराने और मरम्मत करते वक्त किए गए खर्चे को इस धन से पूरा किया जा सके । माननीय मंत्री कहते हैं कि दूसरी संस्थाओं के पास पर्याप्त धन है जिससे खर्च को पूरा किया जा सकता है । किन्तु यह अच्छा होता होता अगर जो धन मिला है उसका उल्लेख करते हुए वित्तीय ज्ञापन होता और कौन-सा धन आवश्यक है ? इस बारे में कोई भी वित्तीय ज्ञापन नहीं है कि कौन-सा धन आवश्यक है तथा कौन-सा धन उपलब्ध है । अगर माननीय मन्त्री संतुष्ट हैं तो इसे वापस लिया जा सकता है । मैं संशोधन वापस लेना चाहता हूं ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : खर्चों का अन्दाजा अभी से नहीं लगाया जा सकता । धन उपलब्ध है । इसे मैंने पहले स्पष्ट कर दिया है । आगे क्या-क्या खर्चे उठाए जायेंगे अभी से नहीं कहा जा सकता ।

सभापति महोदय : क्या आप अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सोमनाथ रथ : जी, हां ।

सभापति महोदय : क्या श्री सोमनाथ रथ द्वारा रखे गए संशोधन को वापस लेने की सभा की अनुमति है ?

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 4 सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

खंड 8—अपीलें

सभापति महोदय : खण्ड 8, माननीय श्री शान्ताराम नायक द्वारा दो संशोधन दिए गए हैं। क्या आप उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) मैं प्रस्ताव करता हूं :

'पृष्ठ 5,—

पंक्ति 32 और 33 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"पुनरीक्षण के लिए, अपील अधिकरण के आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर, प्रशासक से आवेदन करेगा।" ।'···(2)

'पृष्ठ 5,—

पंक्ति 33 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए—

"परन्तु अपील अधिकरण का कोई भी आदेश तब तक पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा जब तक कि विधि की कोई गम्भीर त्रुटि न हो या ऐसा करने की अन्य साधारण परिस्तियां न हों।" ।'···(3)

जब एक सूचना जारी की जाती है तो प्रथम अपील का प्रावधान होता है किन्तु उस अपील के बाद एक और अपील का प्रावधान होता है। महोदय, आजकल हम द्वितीय अपील को समाप्त कर रहे हैं और सिर्फ एक का प्रावधान कर रहे हैं। और यहां पर दो अपीलों का प्रावधान है। यह उचित नहीं है। द्वितीय अपील को पुनरीक्षण में बदला जा सकता है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैंने पहले ही अपीलों तथा दूसरी बातों को स्पष्ट कर दिया है। कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया है।

सभापति महोदय : क्या आप अपने संशोधन को वापस लेना चाहते हैं ?

श्री शान्ताराम नायक : जी, हां।

सभापति महोदय : क्या अपना संशोधन वापस लेने के लिए सदस्य महोदय को सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां ।

संशोधन संख्या 2 तथा 3 सभा की अनुमति से, वापस लिए गए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 9 से 16 तक विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

4.28 म० प०

अनुदानों अनुपूरक की मांगें (रेल) 1986-87*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम, वर्ष 1986-87 के बजट (रेल) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा तथा मतदान करेंगे ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें—मांग संख्या 1, 3 से 12, 14 और 16 ।"

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1986-87 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि
1	2	3
		रुपये
1.	रेलवे बोर्ड	70,00,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	55,85,34,000
4.	रेलपथ और निर्माणों की मरम्मत और अनुरक्षण	80,93,33,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	43,74,79,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	66,64,44,000
7.	संयंत्र और उपस्करों की मरम्मत और अनुरक्षण	43,58,43,000
8.	परिचालन व्यय—चल स्टाक और उपस्कर	62,23,18,000
9.	परिचालन व्यय—यातायात	105,01,32,000
10.	परिचालन व्यय—ईंधन	1,29,61,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	27,38,19,000
12.	विविध संचालन व्यय	32,61,37,000
14.	निधियों में विनियोग	70,00,00,000
16.	परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव अन्य व्यय	42,00,000

सभापति महोदय : श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति चर्चा आरम्भ करेंगे।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति (विशाखापत्तनम) : वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 320 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय जुटाने के विचार से सरकार का भाड़े की दरों में 15 प्रतिशत वृद्धि करने का इरादा है। एक पूरे साल में वे 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति में सक्षम रहे। यह एक बहुत बड़ी धनराशि है—एक ठोस धनराशि। और अप्रत्याशित रूप से और बगैर किसी औचित्य के सरकार ने इतनी बड़ी धनराशि को प्राप्त करने के लिए अनुपूरक बजट का सहारा लिया।

जैसा मैंने पहले कहा है और मैं दोहराता हूं यह बहुत खतरनाक और बहुत अनुपयुक्त है बात और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। वेतन आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारशों को लागू करने के परिणामस्वरूप बजट में 69 करोड़ रुपये की बचत अन्ततः 415 करोड़ रुपये के घाटे में बदल गयी है। इसलिए, 320 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय वसूल करने का प्रयास किया गया है। यहां तक कि 320 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति के पश्चात् भी यह घाटा 95 करोड़ रुपये तक होने की सम्भावना है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान मंहगाई भत्तों में और बढ़ोतरी हो सकती है जिससे घाटे में भी वृद्धि हो सकती है।

रेल विभाग की वित्तीय मामलों की वर्तमान स्थिति यह है। रेलवे का राजस्व उसकी विस्तार की आवश्यकताओं और आधुनिकीकरण के अनुरूप नहीं है। रेलवे को बजट सम्बन्धी व्यवस्था और वित्तीय प्रशासन को चुस्त बनाना चाहिए। विकास गतिविधियों तथा विस्तार कार्यों के लिए रेलवे को अपने संसाधन जटाना आज की मांग है। गाड़ियों आदि के अतिरिक्त, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 20000 कि० मी० पीटरी के नवीनीकरण तथा 3400 किलोमीटर मार्ग के विद्युतिकरण के लिए 12334 करोड़ रुपये की अवश्यकता होगी। इसलिए, यह संदेहास्पद है कि आने वाले वर्षों में क्या रेलवे योजना खर्च का 50 प्रतिशत अन्दर के संसाधनों से जुटा पाएगा या नहीं। संक्षेप में, यह रेलवे राजस्व की स्थिति है।

अब मैं बजट पर आता हूं, ऐसा कहा गया है कि अतिरिक्त कर, रेलवे कर्मचारियों के वेतन पैकट में बढ़ोतरी के कारण अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए लगाया गया है। वेतन आयोग की सिफारिशें उचित समय पर आयी है। वास्तव में, वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश करने में असाधारण देरी की है। यह कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। यह हैरान करने की बात नहीं है। इसलिए, सरकार को बजट में ही इसका प्रावधान करना चाहिए था। किन्तु ऐसा नहीं किया गया। फिर से मैं उत्पादकता के साथ जुड़े बोनस का जिक्र करता हूं। इस मद के अधीन, अनुपूरक मांगों में 33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह स्पष्टतया एक नई धारणा नहीं है। क्या आप इसका अनुमान नहीं लगा सके ? मंत्री महोदय ने दावा किया है कि उत्पादकता बढ़ी है और इसका श्रेय लेने का दावा भी किया है। अगर ऐसी बात थी तो, इस धनराशि का प्रावधान मूल बजट में ही क्यों नहीं किया गया ? क्या यह भूल नहीं है। क्या रेलवे बोर्ड से इस आकस्मिक व्यय की ओर ध्यान देने की अपेक्षा नहीं की जा सकती ? इसे पहले क्यों नहीं किया गया ?

इसके बाद, दूसरी मद पेंशन कोष में योगदान करने की है। यह लगभग 70 करोड़ रु० है। इस धनराशि का भी अनुमान लगाया जा सकता था।

अब, हम मंहगाई भत्ते पर आते हैं, प्रथम अप्रैल को स्वीकृत किए गए मंहगाई भत्ते का अर्थ है 25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ। अनुपूरक मांगों को तैयार करते समय मंहगाई भत्ते की बढ़ोतरी को ध्यान में नहीं रखा गया। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ। इस बारे में भी रेलवे बोर्ड द्वारा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ऐसा लगता है कि इस सम्बन्ध में एक अधिरल चूल करने या ऐसी आदत बन जाने जैसी बात है। वास्तव में, बजट के स्फीतिकारी

[श्री भद्दम श्रीराम मूर्ति]

स्वभाव के कारण मूल्यों में बढ़ोतरी निश्चित है तथा उसे निष्प्रभावित करने के लिए उन्हें मंहगाई भत्ता देना होगा। ऐसी परिस्थिति के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। यह कोई नई स्थिति नहीं है जिसका आप सामना कर रहे हैं। अतः मैं गम्भीरतापूर्वक अनुभव करता हूं कि बजट पेश करते समय, इसकी बारीकी से जांच की जानी चाहिए थी। बजट लापरवाही तथा अनाड़ी तरीके से जल्दी-जल्दी में तैयार किया गया है न कि वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित तरीके से। सभी कुछ अस्थायी आधार पर किया गया है।

मन्त्री महोदय ने बताया है कि शुल्क की दरों तथा भाड़े की दरों में वृद्धि करके उन्हें ऐसी परिस्थितियों में, जो उनके नियंत्रण से बाहर थी अतिरिक्त राजस्व जुटाना था। क्या परिस्थितियां उनके नियंत्रण तथा समझ से बाहर हैं ? वे कौन सी बातें हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर हैं ? क्या पेंशन, भविष्य निधि, मंहगाई भत्ता तथा संशोधित वेतन मान जैसी बातों का पहले से पता नहीं था ? बजट में नीति निर्धारण भी अन्तर्निहित है। यह केवल एक लेखा-जोखा रखने की प्रक्रिया नहीं है, यह जोड़ने घटाने की प्रक्रिया नहीं है। बजट में रुपयों, आनों तथा पैसों में सरकारी नीति बतायी जानी चाहिए। अब सरकारी नीति क्या है ? कुछ समय पूर्व सरकार ने यह दृष्टिकोण अपनाया था कि अप्रत्यक्ष करों को समाप्त किया जाए, उन्हें छोड़ दिया जाए तथा जहां तक हो सके। उन्हें न लगाया जाए क्योंकि अप्रत्यक्ष कर उस नई नीति के ढांचे के विरुद्ध है जिसकी सरकार ने सदन में तथा बाहर भी घोषणा की है। मुझे नहीं मालूम कि वित्त मंत्री द्वारा घोषित नीति तथा रेल मंत्री द्वारा अपनायी गई नीतियों में कोई सामंजस्य है। ये दोनों बातें कभी असामंजस्यपूर्ण कभी समानान्तर तथा कभी विपरीत दिशा में जाती दिखाई देती हैं। मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में एक खास विषय अर्थात् कर-ढांचा का औचित्यकरण पर ठीक ही जोर डाला है। लेकिन मुझे निवेदन करना है कि यह फिर भी नहीं किया गया। यह भी कार्यान्वित नहीं किया गया। जो भी अब किया गया है वह अस्थायी तौर पर एक अवैज्ञानिक तरीके से किया गया है। मैं वैज्ञानिक आधार पर एक विवेकपूर्ण कर-संरचना का स्वागत करूंगा। इसका अध्ययन किया जाए। विशेषज्ञ इसका अध्ययन करे और एक रिपोर्ट दें जो भविष्य में लाभप्रद हो। इसलिए विवेकपूर्ण कर-संरचना समय की आवश्यकता है। मैं पूर्णतया सहमत हूं कि यदि ऐसा कोई तरीका है, कोई गहन अध्ययन किया गया है तो वास्तव में सहायता मिलेगी। यह मन्त्री महोदय द्वारा किया जाना है। यह मेरा सुझाव है।

मन्त्री महोदय ने कहा कि 90 प्रतिशत यात्री इससे प्रभावित नहीं है। ठीक है, प्रभावित नहीं हैं। लेकिन उन्होंने और भी ज्यादती की है ठीक है उन्होंने यात्रियों को स्पर्श नहीं किया लेकिन उन्होंने आम आदमी को स्पर्श किया है क्योंकि इसका मुद्रास्फीतिकारक प्रभाव पड़ेगा, इससे सभी उपभोक्ता वस्तुएं की मूल्य वृद्धि होगी तथा इस प्रकार प्रत्येक उपभोक्ता की आय पर प्रभाव पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय वर्तमान उपाय की जटिलताओं को समझें। रेल द्वारा भाड़ों में वृद्धि का परिणाम यह होगा कि कमी वाले इलाकों में उपभोक्ताओं को तथा सीमेंट इकाइयों को कोयला अधिक मूल्य पर मिलेगा। इस्पात संयंत्रों को खानों और संयंत्रों से

कच्चे माल को आने और ले जाने में भारी खर्चा उठाना पड़ेगा। इसी तरह बाद में इसका प्रभाव तैयार माल के प्रेषण पर भी पड़ेगा। सीमेंट और उर्वरक जैसे उत्पादनों की ढुलाई और भी अधिक मंहगी हो जाएगी। अन्य प्रशासनिक खर्चे भी बढ़ेंगे। बिजली बोर्ड को भी अपनी शुल्क दरों में संशोधन करना पड़ेगा। इस्पात और कोयले के दाम बढ़ जाएंगे। अत्यधिक परिवहन लागत से निश्चित रूप से ढोए जा रहे सामान की मूल्यों पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, मेरा निवेदन है कि कराधान के इस अप्रत्यक्ष तरीके से वास्तविक यात्री ही प्रभावित नहीं होंगे बल्कि आम आदमी तथा सबको जो इस देश में रहने वाले सभी प्रभावित होंगे।

अतः अब इसे किसी भी प्रकार औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता है यहां तक कि उन मानदंडों के आधार पर भी नहीं जो उन्होंने अपने लिए निर्धारित किए हैं या इस घोषणा के आधार पर भी नहीं कि वे प्रत्यक्ष कर नहीं लगायेंगे।

मंत्री जी द्वारा यह भी घोषणा की गई थी कि यह सब वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण उत्पन्न अतिरिक्त मांग तथा कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया है। इसका मतलब क्या है ? जब भी आप कर्मचारियों का वेतन बढ़ाते हैं, आप स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि इस राशि को पूरा करने के लिए आप साधारण व्यक्ति पर कर लगाना चाहते हैं। मोटे तौर पर, वेतन का अतिरिक्त बोझ आम आदमी को वहन करना पड़ता है और उस राशि का निर्धारण आप करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप कर्मचारियों के प्रति लोगों में घृणा उत्पन्न करना चाहते हैं। मान लीजिए कि यही रवैये यदि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा अपना लिया जाये तो उसका क्या प्रभाव होगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : तीसरे वेतन आयोग का भी।

श्री भट्टम श्रीराममूर्ति : आपके पास एक उदाहरण है, इसलिए अब आप इसे जारी रख सकते हैं। एक मिनट के लिए मान लें कि जो कुछ सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है और उस उद्देश्य से जो व्यय किया जाता है, उसके लिए कुछ शुल्क लगाना होगा। यह दुर्भाग्य-पूर्ण है। आप समाज के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध खड़ा कर रहे हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : यह अतिशयोक्ति है। बढ़ा-चढ़ा कर मत कहें।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : हो सकता है आपका इरादा यह न हो, किन्तु आपके काम का परिणाम तो यही है। मैं यही कह रहा हूं। बहरहाल यह कोई अच्छी बात नहीं है।

अब सेवा शर्तों की बात करें। सेवा-शर्तें अच्छी नहीं है। रेलवे कर्मचारियों को 16 घंटे प्रतिदिन काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। दक्षिण भारत में मालगाड़ियों को गार्ड के बिना ही चलाया जा रहा है। सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में कर्मचारियों को समान कार्य के घंटे, समान बोनस तथा समान वेतन आदि देना चाहिए।

[श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति]

मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी ने ने अपनी खुली बैठकों में कुछ रियायतें देने की घोषणा की थी। रेल मंत्रालय द्वारा उन सबका विनियोजन किया जा रहा है और जो रियायतें वित्त मंत्री जी दे रहे हैं, वे सब रेल मंत्रालय द्वारा वापिस ली जा रही है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि रेलवे तथा केन्द्रीय बजट व्यवस्था में बेहतर समन्वय होना चाहिए। जहां तक परिणाम का सम्बन्ध है, जो शुल्क लगाए गए हैं वे केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा लगाए गए कर से अलग नहीं है। मांगे रखते समय अनुपूरक मांगों को दोबारा न दोहरायें। एक ही अनुपूरक मांग होनी चाहिए। सरकार द्वारा मूल्य-निर्धारण सहित करों की योजना वर्ष के प्रारम्भ में ही बना ली जानी चाहिए।

अब मैं अक्सर होने वाली रेल-दुर्घटनाओं का हवाला दूंगा। मेरे पास हर माह के आंकड़े हैं और दुर्घटना स्कोर बोर्ड उपलब्ध है। अप्रैल से दिसम्बर 1984 तक 592 रेल दुर्घटनायें हुई। 1985 में यह संख्या 596 थी। पिछले दो दशकों में आंकड़े स्वयं सरकार द्वारा दिए गए थे। यह संख्या लगभग 2131 है।

बड़ी लाइन पर 59.2 प्रतिशत दुर्घटनायें हुई। मीटर लाइन तथा छोटी लाइन पर 38.4 प्रतिशत दुर्घटनायें हुई।

महोदय, रेलवे सुरक्षा आयुक्त के 1984-85 के प्रतिवेदन में कहा गया है कि इन सभी दुर्घटनाओं का मुख्य कारण मनुष्य की असफलता है। इसके लिए उन्होंने 181 सिफारिशें की हैं। मुझे मालूम नहीं कि सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाहीं की गई है और अच्छा होगा यदि मंत्री जी इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही पर कुछ प्रकाश डालें।

महोदय, मैं एक या दो उन पहलुओं पर आता हूं जो हमारे क्षेत्र के बारे में हैं। कोटीपल्ली काकीनाडा रेलवे लाइन एक पुरानी रेल लाइन है और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसका प्रयोग बन्द कर दिया गया। अब इसे पुनः शुरू करना होगा। कृपया इस पर शीघ्र कार्यवाही करें···(व्यवधान)···

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम (मगरकुरगुल) : सभापति जी, देखिए, मंत्री जी बात कर रहे हैं, वे क्या बात कर रहे हैं। उनको सुनने दीजिए। वहां पर भी ट्रेन बना दी है। उनको सुनने दीजिए। मंत्री जी नहीं सुनते हैं और वे भी नहीं सुनते हैं। सुनिए, आप क्या बोल रहे हैं। कम से कम सुनने की ताकत नहीं रखते हैं, तो किए लिए बैठे हैं सुन लीजिए, वे क्या बोल रहे हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : हममें दोनों को सुनने की ताकत है।

श्री वी० तुलसीराम : इतनी बड़ी ताकत होती तो पता नहीं क्या हो जाता।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया शांत रहें।

श्री भद्दम धीरामूर्ति : इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता। उनके दो हाथों की तरह दो कान हैं और वे दोनों ओर की बात सुन सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे उनके बात करने पर कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आशा है कि आप मेरी बातों को नोट कर लेंगे।

महोदय, अन्त में बात यह है कि तेनाली-विजयवाड़ा गुंटूर लाइन भी अभी पूरी नहीं की गई है। बजट में भी इसके लिए कुछ राशि दी गई थी। किन्तु कार्य शीघ्रता से नहीं किया गया। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में कुछ करें।

जहां तक विशाखापत्तनम का सम्बन्ध है। विशाखापत्तनम जैसे बड़े शहर के लिए शहर के मध्य में स्थित सड़क-रेलवे पुल का काफी महत्व होता है। अतः शहर के मध्य में एक उपरिपुल का होना आवश्यक है। राज्य सरकार ने भी कुछ अनुदान देना स्वीकर किया है और उसके बावजूद लम्बे अर्से से यह मामला लम्बित है और इसलिए मैं मंत्री जी से इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री उमाकांत मिश्र (मिर्जापुर) : सभापति महोदय, इस पर बहुत लम्बी बहस करने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक अवसर मिला है और विभाग के कामों की समीक्षा हो जाती है और कुछ अपनी बातें कह दी जाती हैं।

श्रीमन्, रेल मंत्री जी ने जो अनुदान की मांगे प्रस्तुत की हैं, उसमें अपने संक्षिप्त भाषण में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जो कि बड़ी उत्साहवर्धक हैं। इन्होंने काम की समीक्षा करते हुए कहा है कि चालू वर्ष में ढुलाई का लक्ष्य 267 मिलियन टन था, लेकिन सितम्बर तक रेल ने 128.4 मिलियन टन की ढुलाई कर दी। यानी कि इस अवधि के लिए जो लक्ष्य था, उससे एक मिलियन टन अधिक। यह बहुत ही उत्साहवर्धक बात है। ढुलाई का जो लक्ष्य रखा है, इनका कहना है, मुझे आशा है कि सत्य भी होगा, कि वर्ष के अन्त तक बजट में जो ढुलाई का लक्ष्य रखा गया है, उससे तीन मिलिनयन टन ढुलाई अधिक होगी। यह बहुत ही स्वागत-योग्य कदम है और प्रशंसनीय काम है। ट्रेनों की गति में भी सुधार हुआ है। रेल विभाग देश के विकास का एक बहुत बड़ा आधारभूत ढांचा है। भारत सरकार का एक बहुत बड़ा संस्थान है। देश का विकास निर्भर करता है, जब रेलवे के कार्यकलापों में सुधार हो। जब सुधार होगा, तो विकास की गति तेज होगी।

रेलों की गति में सुधार हुआ है और जो संसाधन हैं, जो ढांचा है, उसके अन्तर्गत हमारे

[श्री उमाकांत मिश्र]

युवा राज्य मंत्री श्री माधवराव सिंधिया, ने बड़ा परिश्रम करके काम को आगे बढ़ाया है और इन्होंने एक प्रशंसनीय काम किया है। इन्होंने कुछ कर लगाए हैं और उसके सम्बन्ध में जो स्पष्टीकरण दिया है, वह बहुत ही उपयुक्त है। वेतन आयोग की सिफारिशें भी आई हैं और इनका रेल विभाग एक बहुत बड़ा संस्थान है। इसमें 17, 18 लाख कर्मचारी हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के कारण 462 करोड़ रुपये का खर्च उस पर बढ़ेगा, 33 करोड़ प्रोडक्टिविटी बोनस देना होगा और 70 करोड़ रुपये पेंशन के लिए देने पड़ेंगे। इस तरह से 520 करोड़ रुपये का खर्च बढ़ेगा। यह खर्च वर्ष के बीच में पड़ गया है और प्रारम्भिक वर्ष के बजट में जो अन्तर बढ़ गया है, उसको कम करने के लिए इन्होंने बहुत बुद्धिमानी से काम किया है। इन्होंने केवल पार्सल पर और सामान के बुकिंग पर 15 प्रतिशत का टैक्स लगा कर इस घाटे के अन्तर को कम किया है। फिर भी 95 करोड़ रुपये का अन्तर रहेगा। यह इतना बड़ा संस्थान है और इतना अन्तर तो रहेगा ही। इन्होंने बुद्धिमानी से यह काम किया है कि पैसेन्जर भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की है। इसका हम स्वागत करते हैं और इसके लिए इनको धन्यवाद देते हैं। करोड़ों, करोड़ों यात्री रेलों पर चढ़ते हैं और उनके ऊपर इन्होंने बोझ को नहीं बढ़ाया है। इसके लिए रेल मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई।

श्रीमन्, यह अवसर है जबकि हम रेलों से सम्बन्धित अपनी समस्याओं को भी कहें और कुछ अपनी मांगों को भी बताएं। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि रेलवेज विकास का बहुत बड़ा आधार है। जिस क्षेत्र में रेलवे लाइन जाती है, उसका विकास तेजी से होता है, शीघ्रता से होता है और यह बात रेल मंत्री जी के मस्तिष्क में और रेलवे विभाग के मस्तिष्क में अवश्य होगी कि देश के जो पिछड़े हुए इलाके हैं, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, उनको रेलवेज से जोड़ा जाए। पता नहीं इनकी वित्तीय स्थिति कैसी है परन्तु जैसा कहा जाता है, जैसा सुना जाता है और हम इस सदन में सुनते हैं कि इनकी वित्तीय स्थिति इतनी बलवती, इतनी शक्तिशाली और इतनी मजबूत नहीं है कि हम लोगों की आकांक्षाओं को ये जल्दी से जल्दी पूरा करें, किन्तु एक खाका इनके दिमाग में रहना चाहिए कि देश के जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जब तक वे रेलों से जुड़ें नहीं होंगे, उनका विकास नहीं होगा। इस संदर्भ में मैं सारे देश की बात नहीं कहता। सारे देश की बात तो रेल मंत्री जी के दिमाग में होगी और सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं में उनके दिमाग में उनके सम्बन्ध में प्रस्ताव होंगे। जिस क्षेत्र से मैं सम्बन्धित हूं, उस क्षेत्र के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, तीनों सीमान्त प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, इन तीनों से जो जुड़े हुए इलाके हैं, वे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बिहार और उत्तरी मध्य प्रदेश। ये बहुत ही पिछड़े हुए इलाके हैं और इनके बारे में मंत्री जी जानते होंगे। रेलवे की कमी के कारण ये और भी पिछड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए उस दिशा में मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे आगे इनके बारे में ध्यान दें। एक तो मंत्री जी के प्रदेश की बात है। रीवा और सीधी जिले हमारे जिले से सटे हुए हैं और रीवा और सीधी का जो मुख्यालय है, वह रेलवे से जुड़ा नहीं है। उनको रेलवे से जोड़ा जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। दूसरे, मैं चाहूंगा कि सतना से रीवा और रीवा से मिर्जापुर, भदोई को जोड़ा जाए और

वहां से जोनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर होते हुए, और बिहार होते हुए, आसाम में गोहाटी से इसको मिलाया जाए। इससे मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश के और बिहार के क्षेत्र असम से सीधे जुड़ जाएंगे और उनका विकास हो जाएगा। इतना लाभ उन क्षेत्रों को हो जाएगा। आप सतना से रीवा, सीधी होकर सिंगरौली को जोड़ दें और सतना से रीवा होकर मिर्जापुर, भदोही को जोड़ दिया जाए। यह लाईन भदोही से बनारस, आजमगढ़, गोरखपुर होते हुए, वहां से बिहार होते हुए असम तक चली जाएगी। इन इलाकों के विकास के लिए यह लाईन बड़ी आवश्यक है।

लखनऊ से पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक लाईन जाती है जो गोंडा, बहराईच, बस्ती होते और गोरखपुर होते हुए असम जाती है। मेरी मांग है कि इस लाईन को बड़ी लाईन किया जाए। बनारस से गाजीपुर, आजमगढ़, वहां से गोरखपुर बड़ी लाईन का काम शुरू हुआ है। उसे पूरा किया जाए। वाराणसी और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के दो महत्वपूर्ण शहर हैं। इन दोनों शहरों को मिलाने वाली जो छोटी लाईन है उसको बड़ी लाईन किया जाए। इसकी मांग हमने पहले भी की थी, फिर कर रहे हैं कि इसको बड़ी लाईन बना दें।

श्रीमन् हमारी रेलों के ट्रेक पुराने हैं। उनको नया करना है। जैसा कि अभी वक्ता महोदय ने कहा था कि रेलवे के ट्रेक को नया बनाना है। हम 21वीं शताब्दी में जा रहे हैं। हमारी जो रेलवे की प्रणाली है वह भी 21वीं शताब्दी में जाने वाली बनायी जाए। आप इस दिशा में कार्य करते होंगे, योजना बनाते होंगे।

हमारे क्षेत्र से सम्बन्धित दो मांगे हैं। श्रीमन् एक पुरानी गाड़ी कलकत्ता से दिल्ली और दिल्ली से हावड़ा 11 अप और 12 डाऊन हमारे अंचल से गुजरती है। यह बड़ी पुरानी गाड़ी है। इसकी हालत बड़ी खराब है। इसके डिब्बे खराब हैं, फाटक खराब हैं. बाथरूम और लेट्रीन बहुत खराब हो चुके हैं। इसी प्रकार से एक बहुत पुरानी गाड़ी है जो मिर्जापुर से लखनऊ जाती है और एक गाड़ी चोपन से मिर्जापुर जाती है। इन गाड़ियों की कंडीशन भी बहुत खराब है। इन गाड़ियों की कंडीशन को भी आप देखें।

ये जो पुरानी गाड़ियां है इनके सम्बन्ध में मैं आपसे मिल चुका हूं और इनकी कंडीशन मैं आपको बता चुका हूं।

उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। पिछले वर्ष वहां से होकर एक गाड़ी असम के लिए जाती थी। वह बंद हो गयी अब उसे दूसरी लाईन पर चलाया गया है। वह गाड़ी चार दिन भदोही लाईन पर और चार दिन मिर्जापुर लाईन पर चलायी जा रही है। पहले जो गाड़ी चलती थी उसमें चार सौ किलोमीटर का रेस्ट्रिक्शन नहीं था और कोई सुपर चार्ज भी नहीं लगता था। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद एक राजधानी नगर है। वहां उच्च न्यायालय, ए० जी० आफिस, पेंशन आफिस, विश्वविद्यालय, पुलिस मुख्यालय, शिक्षा मुख्यालय, है। मिर्जापुर से प्रतिदिन लगभग 15 हजार कर्मचारी काम करने के लिए इलाहाबाद और कानपुर जाते हैं क्योंकि इलाहाबाद और कानपुर में रहने की जगहें नहीं है। हमने ऐसा

[श्री उमाकान्त मिश्र]

आपसे निवेदन किया था कि इनकी सुविधा के लिए नयी नीलांचल एक्सप्रेस में और कालका मेल से चार सौ किलो मीटर की रेस्ट्रिक्शन और सुपर चार्ज हटा दें। इलाहाबाद और बनारस को जोड़ने वाली नयी रेल चला दें। इससे मिर्जापुर के यात्रियों को इलाहाबाद और कानपुर आने-जाने में सुविधा हो जाएगी।

आशा है मंत्री जी हमारी और हमारे क्षेत्र की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारी छोटी-छोटी मांगों पर ध्यान देंगे और उन्हें पूरा करेंगे।

इन शब्दों के साथ में मंत्री जी को भी धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद।

4.58 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलप्पी) : मैं हमारे ओजस्वी युवा मन्त्री श्री माधवराव सिंधिया द्वारा रेलवे खर्च के लिए प्रस्तुत अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। मुझे विश्वास है कि कोई यह कहकर इसकी आलोचना नहीं कर सकता है कि यह खर्च परिहार्य है अथवा यह केवल अपव्यय है।

मेरे तेलगू देशम के मित्र ने आलोचना की है कि अनुपूरक मांगे प्रत्याशित मांगों जैसी हैं और इसे मूल बजट में शामिल किया जा सकता था लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा है कि यह एक निरर्थक खर्च है। यह एक परिहार्य खर्च है। अतः मैं सोचता हूं कि अनुपूरक मांगों का मुख्य प्रयोग रखरखाव मरम्मत करने और कर्मचारियों के लाभ और अन्य सुख-सुविधाओं के लिए है। हम अतिरिक्त राजस्व के इस प्रस्ताव को लाने के लिए मन्त्री पर आरोप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि चौथे वेतन आयोग द्वारा क्रियान्वित सिफारिशों के परिणामस्वरूप महंगाई भत्ते की किश्तें, उत्पादकता से सम्बन्धित बोनस का भुगतान से अतिरिक्त खर्चा लगभग 520 करोड़ रुपये आता है। इसके अतिरिक्त, 70 करोड़ रुपये सेवानिवृत निधि में अंशदान के लिए आवश्यक है। तेलगू देशम के मेरे मित्र ने अतिरिक्त राजस्व के इन प्रावधानों की आलोचना की है। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा इस अतिरिक्त खर्च को किस तरह पूरा किया जायेगा जो विशेष रूप से कर्मचारियों के लाभ के लिए रखा गया है। उन्होंने कर्मचारियों की मांगों की आलोचना नहीं की है लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने यह सुझाव नहीं दिया कि रेलवे मन्त्री को इन सब खर्चों को पूरा करने के लिए राजस्व को किस तरह बढ़ाना चाहिए।

5.00 म० प०

फिर भी मैं मन्त्री जी को बधाई देता हूं वह यात्री भाड़े में वृद्धि नहीं कर रहे हैं, जबकि इसमें काफी अन्तर है जिसे पूरा नहीं किया गया है। कड़ी जांच और बिना टिकट के यात्रियों

को पकड़कर काफी राजस्व बढ़ाया जा सकता है। यह कहने पर आप मुझे क्षमा करेंगे कि दक्षिण भारत के मुकाबले उत्तर भारत में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री अधिक हैं। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे केरल राज्य में बिना टिकट यात्री बहुत कम हैं और यात्री भी बहुत अनुशासित हैं। मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति रेलगाड़ी की छत पर यात्रा नहीं करता रेलगाड़ी के अन्दर भी यात्री अभद्र व्यवहार नहीं करते हैं लेकिन ऐसी बात सब जगह नहीं है। राजमार्गों पर बड़ी-बड़ी डकैतियां और लूटपाट आदि की घटनाएं आजकल रेलगाड़ियों में सामान्य बात हो गई है। लम्बी दूरी तक जाने वाली रेलगाड़ियों में विशेषतया जो केरल और दक्षिण से आती है, यात्रियों के साथ दिल दहला देने वाली डकैतियां, महिलाओं से छेड़खानी होती है और उन्हें अनावश्यक तंग किया जाता है। वे अधिकारियों से शिकायत करती हैं लेकिन बहुत से अधिकारी यात्रियों को झिड़क देते हैं। वे हमारे पास आते हैं और हमें दुःखद घटनाओं के बारे में बताते हैं लेकिन वे क्या कर सकते हैं ? इसलिए मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इन सब बातों को रोकने के लिए वे कठोर कार्यवाही करें।

हाल ही में, मलयालम दैनिक समाचार, 'मातृभूमि' का एक कर्मचारी कई दिनों से लापता था। उसका बक्सा रेलगाड़ी में मिला था। कई दिनों बाद जब वह लौटा, तो उसने हमें कई कहानियां सुनाई कि दूसरे साथी यात्रियों के साथ उसे किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसे और उसकी चीजों को किस प्रकार बाहर फैंक दिया। टाइम्स आफ इंडिया में सशस्त्र बदमाशों द्वारा यात्रियों को लूटे जाने के बारे में एक रिपोर्ट है। मैं उद्धृत करता हूं "जबलपुर" नवम्बर "दक्षिण पूर्वी रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार घातक हथियारों से लैस लगभग पांच युवा बदमाशों ने यहां से लगभग 50 किमी० दूर शिकारा रेलवे स्टेशन के नजदीक रविवार को जबलपुर-नागपुर रेलगाड़ी के द्वितीय श्रेणी के आठ यात्रियों को लूट लिया समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार प्रतिदिन आते हैं। लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में ऐसे बदमाश घुसकर यात्रियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। कुछ यात्रियों को आरक्षित डिब्बे से निकाल दिया जाता है कुछ बदमाश बिना टिकट डिब्बों में घुस जाते हैं और लम्बी दूरी के लिए आरक्षित यात्रियों की सीटों पर बैठ जाते हैं। अतः मेरा नम्र निवेदन है कि सरकार को रेलगाड़ियों में इस तरह की दुःखद घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए।

नये रेलवे विधेयक में, जिसे संयुक्त समिति को भेजा गया है, कुछ उपबन्ध वास्तव में बहुत अच्छे हैं विशेषतया इसमें और अधिक अपराध समाविष्ट किए गए हैं और कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है। इससे बदमाशों के साथ निपटने में कुछ हद तक मदद मिल सकेगी। निसन्देह, मैं रेलगाड़ियों में दक्षिण के लोगों के अनुभव के बारे में विस्तार में नहीं जा रहा हूं। श्रीमन्, सिंधिया साहब हमारी मुख्य शिकायत यह है। केरल के लोगों की आपके मन्त्रालय के विरुद्ध शिकायत वास्तविक है। क्योंकि हम रेलवे विभाग द्वारा उपेक्षित किए जाते हैं। स्वतंत्रता के 40 वर्षों के पश्चात् हमें केवल एर्नाकुल्लम से त्रिवेन्द्रम तक की बड़ी लाइन प्राप्त हुई है और उसके बाद कन्याकुमारी तक लाइन बढ़ाई गई है जो तमिलनाडु में है। हम अतिरिक्त लाइनों के लिए बार-बार कहते रहे हैं जैसे कि मेरे मित्र ने कहा है—अतिरिक्त लाइनों का अर्थ हमारे राज्य के विकास के लिए अधिक गुंजाइश उपलब्ध होना है। लेकिन हम उपेक्षित है।

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन]

वर्ष 1979-80 में एरनाकुलम से अलप्पी तक नई रेल लाइन के निर्माण को स्वीकृति दी गई तथा कार्य आरम्भ किया गया था और 1982-83 में इस लाईन के कामांगुलम तक विस्तार को भी स्वीकृति दी गई थी। इस अतिरिक्त लाईन की सम्पूर्ण लम्बाई 100 किलो-मीटर से कम है। मैं माननीय रेल मन्त्री से अनुरोध करता हूं.....

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करने का प्रयास करें। यहां पर कुछ ऐसे माननीय सदस्य भी हैं जो आज ही बोलना चाहते हैं।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि इस लाइन को जल्दी पूरा किया जाए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वर्ष अतिरिक्त धनराशि आबंटित की जानी चाहिए। वर्तमान वर्ष के बजट से आबंटित किए गए 4 करोड़ रुपये पूर्णतया समाप्त हो चुके हैं। इसलिए कृपया वर्तमान वर्ष के लिए कुछ और धन आबंटित किया जाए।

हमारी राज्य सरकार के अनेक निवेदक लम्बित पड़े हैं। मुख्य निवेदन हमारे राज्य में रेलवे के विद्युतीकरण के बारे में है। मैं जानता हूं कि केरल सरकार ने सस्ती दर पर बिजली देने का प्रस्ताव किया है। संसद सदस्यों के सम्मेलन में मुख्य मन्त्री ने हमें रेल मन्त्री को यह जानकारी देने के लिए कहा कि केरल सरकार रियायती दर पर बिजली देने के लिए तैयार हैं, मुख्य मन्त्री ने केरल के सभी संसद सदस्यों को यह बताया है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री से इस बारे में भी तुरन्त कदम उठाने के लिए, अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन् : मेरे राज्य की अनेक मांगें हैं। क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, इसलिए उनको विस्तार से नहीं बता पाऊंगा। किन्तु मैं आपको बता देता हूं कि हमारे राज्य में इस बात के लिए रेलवे की बहुत अधिक आलोचना है कि रेलवे द्वारा हमारी अवहेलना की गई है। रेल बजट के आने के बाद, केरल में रेलवे के विकास के लिए कम धन के आबंटन के बारे में लगभग सभी समाचार पत्र हर वर्ष सम्पादकीय लिखते हैं। निस्सन्देह, वे उनके सम्पादकीय लेखों में हमारी अर्थात् संसद सदस्यों की आलोचना करते हैं। हम आपके सामने अपनी सभी मांगें रख रहे हैं। किन्तु कुछ नहीं होता। इस प्रकार, माननीय श्री सिन्धिया माफ करना कि बड़ी अनिच्छा और दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि अगर केरल में रेलवे के विकास के लिए उचित आबंटन नहीं किया गया तो हमें आपके सरकारी निवास के सामने सत्याग्रह करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : तब सभी माननीय संसद सदस्य उनके घर के सामने होंगे।

श्री माधवराव सिन्धिया : मैं उनके अपने निवास स्थान के अन्दर सत्याग्रह के लिए निमन्त्रण देना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर आपके घर में उन सभी के लिए जगह नहीं होगी क्योंकि सभी 540 संसद सदस्य आपके घर पर आयेंगे ।

मैं यह बताना चाहता हूं कि 5.30 म०प० पर हम आधे घंटे की बहस शुरू करने जा रहे हैं । जो सदस्य रेल मन्त्रालय की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बहस में भाग लेना चाहते हैं, मैं आज उनको सिर्फ पांच मिनट ही दूंगा । अगर वे कल बोलना चाहते हैं तो उनको पर्याप्त समय मिल सकता है । इस प्रकार, जिसका भी नाम लिया जाए, वह कृपया पांच मिनट ही ले ।

अब माननीय श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर बोलेंगे । अगर वह आज ही बोलना चाहते हैं तो सिर्फ पांच मिनट ही लें । समय बहुत कम है और दूसरे सदस्य भी बोलना चाहते हैं ।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन अनुपूरक मांगों का विरोध करता हूं । (**व्यवधान**) जब माननीय रेल मन्त्री ने भाषण आरम्भ किया तो मैंने सोचा था कि वह कुछ रियायतों के साथ आयेंगे और उनका स्वागत किया जायेगा, किन्तु ऐसा नहीं होना था । मैं उनको धन्यवाद देना चाहता था; किन्तु जब मैंने उनके भाषण का अन्तिम भाग बड़े ध्यान से सुना तो, दूसरे माननीय सदस्यों के साथ-साथ मुझे भी बड़ी निराशा हुई ।

युवा और गतिशील मन्त्री ने भारत के लोगों पर एकदम 1000 करोड़ रुपये के कर थोंप दिए । ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है । शायद, माननीय सदस्यों ने इसके प्रभाव को महसूस नहीं किया है । इसका पता दिसम्बर या जनवरी के महीने में चलेगा ।

मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो रेलवे ने पिछले दस वर्षों में थोंपे हैं । यह इतना अधिक कभी नहीं था जितना अधिक माननीय मन्त्री द्वारा अब करने का प्रयास किया गया है । यहां तक कि 1985-86 में भी यह 495 करोड़ रुपये था । वर्तमान वर्ष 1986-87 में यह 76 करोड़ रुपये था । अब, माननीय मन्त्री ने बड़ी सफाई पेश करते हुए जनता पर भारी बोझ डाला है । मैंने सोचा था कि वह वास्तव में कार्यक्षम हैं । यहां तक कि अब भी मैं उनकी प्रशंसा करता हूं । मैंने सोचा था कि उत्तम प्रबन्ध से वह अन्तर को पूरा कर देंगे । हमें पता था कि रेलवे कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण से, खर्चा और बढ़ जायेगा । हमने सोचा था कि मन्त्री जी अपने चतुर और उत्तम प्रबन्ध से खर्चे को पूरा कर लेंगे । किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है ।

इसका क्या असर होगा ? इससे सभी आवश्यक वस्तुओ जैसे इस्पात, कोयला, खाद्यान्न आदि के मूल्य बहुत जल्दी बढ़ जायेंगे । इसलिए, मैं इसका विरोध करता हूं । (**व्यवधान**)

वह 1000 करोड़ रुपये के कर भार को उचित नहीं ठहरा सकते क्योंकि कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण की वजह से अतिरिक्त खर्च सिर्फ 500 करोड़ रुपये है । किन्तु उन्होंने 1000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर क्यों लगाए हैं ? मैं नहीं जानता कि दीर्घकालीन वित्तीय नीति से उनका क्या तात्पर्य है । क्या यह अगले बजट के लिए एक संकेत है कि जिसमें आप कुछ और अधिक कर लगाने जा रहे हैं । इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं ।

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

मैं एक-दो बातें और कहना चाहता हूं। समय की कमी के कारण मैं सीधा अपने राज्य के बारे में चर्चा करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की भी चर्चा कर सकते हैं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : रेलवे का विकास सन्तोषजनक नहीं है। यह आशा के अनुरूप नहीं है। हमें पता है कि यह वित्तीय दबाव के कारण है। हम जानते हैं कि योजना आयोग का रुख रेल मन्त्रालय के प्रति बड़ा कठोर रहा है। इसलिए समस्त सदन ने एक साथ मांग की कि रेलवे के लिए पर्याप्त धन का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। इसका परिणाम क्या निकला ? पिछली से योजनाओं में·····

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान्, संक्षेप में कहने का प्रयास करें। इसलिए मैंने शुरू में ही बता दिया था कि आप कल बोल सकते हैं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : महोदय, इसके लिए चार घंटे आबंटित किए गए हैं। आप को पता ही है कि आमतौर पर मैं बहुत संक्षेप मे बोलता हूं। 1950 और 1960 के दशकों के दौरान योजना आयोग द्वारा 15 प्रतिशत आबंटन किया जाता था जबकि अब यह सिर्फ 7 प्रतिशत है। मेरे विचार में समस्त सदन मेरी इस बात से सहमत होगा कि योजना आयोग को यह देखने के लिए आगे आना चाहिए कि रेलवे को पर्याप्त धन आबंटित किया जाए। रेलवे का भविष्य बहुत अन्धकारमय है। रेल बजट बहस के दौरान जवाब देते समय माननीय श्री बंसीलाल ने कहा था कि चालू पटरी नवीनीकरण परियोजनाओं के लिए 1500 करोड़ रुपये की आवश्यकता है किन्तु बजट में सिर्फ 350 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसी तरह गेज परिवर्तन के लिए 800 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता है जबकि 150 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

श्रीमान्, अगर मैं अपने राज्य के बारे में कुछ नहीं कहता हूं तो मैं अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता। श्री वक्कम् पुरुषोत्तमन् केरल के प्रति किए जा रहे अन्याय के बारे में बोले किन्तु मैं कहता हूं कि कर्नाटक राज्य के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। कर्नाटक एक उपेक्षित राज्य रहा है। रेल मन्त्री ने कहा है कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। मैं एक-दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक तो बंगलौर—मैसूर बड़ी लाइन को बदलने का है। इसके लिए 25 करोड़ रुपये की आवश्यकता है किन्तु वर्तमान वर्ष में आपने सिर्फ 49 लाख रुपये का प्रावधान किया है। हाल ही में बंगलौर में कांग्रेस कार्यालय बैठक में मन्त्री जी ने घोषणा की है कि 50 लाख रुपये का प्रबन्ध और किया जाएगा। हम इसका स्वागत करते हैं किन्तु इस गति से इस योजना को पूरा होने में 25 वर्ष लग जायेंगे और इस पर 40 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इसी तरह चित्रदुर्गा—रामदुर्गा नई लाइन के लिए बहुत कम धन का प्रावधान किया गया है।

अन्त में नए कार्यों के लिए मैं एक दो सुझाव देता हूं। आजकल के हालातों के अनुसार, सातवीं तथा आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कोई भी नया कार्य आरम्भ नहीं किया जा सकता किन्तु यहां पर कुछ नई योजनाएं हैं जिनका पूरा होना बहुत आवश्यक है। एक कारवार-हुबली रेल लाइन है क्योंकि हाल ही में माननीय प्रधान मन्त्री ने कारवार नौसेना अड्डे की आधारशिला रखी है। अगर यहां रेल सेवा नहीं है तो इसका नौसैनिक अड्डे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको देखना चाहिए कि इस लाइन को जल्दी बनाया जाए। इसके बाद दो शब्द जलारपेट—बंगलौर रेल लाइन के बारे में। यह बड़े खेद की बात है कि इस योजना के लिए धन का आबंटन नहीं किया गया है जबकि उत्तर रेलवे ने विद्युतीकरण के लिए प्रदान किए गए 160 करोड़ रुपये वापस कर दिए हैं।

बंगलौर शहर के लिए द्रुतगामी परिवहन व्यवस्था के सम्बन्ध में हमारे माननीय मुख्य मन्त्री ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में हाल ही में आपसे बातचीत की थी। बंगलौर अब एक अन्तर्राष्ट्रीय नगर बन गया है और इसके लिए परिवहन व्यवस्था अनिवार्य है। आप कृपया फिर से इस बारे में मुख्य मन्त्री से बातचीत करें और सुनिश्चित करें कि इसे लागू किया जाए और इसके लिए पर्याप्त धन आबंटित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री जुझार सिंह (झालावाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय रेलवे मन्त्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि इनके कार्यकाल में पिछले दो सालों से रेलवेज के प्रति जनता की फीलिंग में परिवर्तन आया है। अब लोग यह समझने लगे हैं कि रेलवेज के कार्य-संचालन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। रेलवे का एडमिनिस्ट्रेशन सुधर रहा है। सरकार के किसी विभाग के प्रति पब्लिक में कान्फीडेंस पैदा हो जाना इस बात का परिचायक है कि रेलवे हमारे देश में उल्लेखनीय प्रगति कर रही है और उसका कार्य-संचालन अच्छी तरह चल रहा है। रेलवे में इस इम्प्रूवमेंट का श्रेय हमारे वर्तमान रेलवे मन्त्री जी को जाता है, जिनकी डायरेक्शन में रेलवे ने प्रगति की है।

इस समय रेलवेज से सम्बन्धित सप्लीमैंटरी डिमाण्डस सदन के सामने विचार और पारण के लिए लाई गई हैं। इसके पीछे मेन मकसद यही है कि चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में रेलवे को अपने कर्मचारियों को नये वेतनमान देने के लिए 462 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी और उसके लिए आवश्यक व्यवस्था करने हेतु ही इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह टैक्स लगाया जाना इनैविटेबल था और पे-कमीशन की रिकमैण्डेशन्स को मानने के कारण, रेलवे को उचित प्रावधान करने ही थे, कुछ कदम उठाने थे मगर हम आपसे, इसके साथ-साथ यह अपेक्षा भी करते हैं कि जिन कारणों से टैक्स बढ़ाया गया है या लगाया गया है, उस एजेन्सी में एफीशियेंसी आएगी। यदि रेलवेज के किसी विभाग में एफीशियेंसी की कमी रहती है तो जनता को ऐसा महसूस होगा कि ये टैक्स लगाकर उनके साथ अन्याय हुआ है क्योंकि अब हर आदमी के दिमाग में यह बात आ गई है कि 462 करोड़ या

[श्री बुझार सिंह]

590 करोड़ का जो रेलवे पर बर्डन आया है, वह मेनली कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने की वजह से ही आया है।

अब लोग उनसे अपेक्षा करते हैं कि उनकी परफारमेंस में और भी ज्यादा तरक्की होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस दिशा में माननीय मन्त्री जी पूरी कोशिश करेंगे और मेरे पूर्व सदस्यों ने अपने भाषण के अन्दर जो कमियां बताई हैं, उनको आप दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

अब, मैं अपने क्षेत्र से सम्बन्धित जो मांगें रेलवे के बारे में हैं और जो कमियां हैं, उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी व पहली बात तो यह है कि अभी पिछले दिनों में दो रेलगाड़ियां कम कर दी गई हैं – एक देहरादून एक्सप्रेस और दूसरी जनता एक्सप्रेस। हमारे इस ट्रेक पर, देहली से कोटा तक, देहरादून एक्सप्रेस एक ऐसी एक्सप्रेस ट्रेन थी, जिससे साधारण आदमी ट्रेवल करते थे। दूसरी जितनी भी ट्रेन्स हैं वे सब फास्ट और लौंग डिस्टैन्स ट्रेन्स हैं। उनमें साधारण आदमी ट्रेवल नहीं करते हैं क्योंकि उनको इनमें फैसिलिटी नहीं है। कोटा से देहली तक ट्रेफिक बढ़ जाने के कारण बहुत दिनों से मांग हो रही है कि एक एडीशनल ट्रेन चलाई जाए। क्योंकि वहां पर बहुत ट्रेफिक जनरेट हो गया है, और उसके मुताबिक ट्रेन कम हैं। वहां ट्रेन की कमी को देखते हुए एक एडीशनल ट्रेन चलाने की बात थी, वह तो नहीं चलाई बल्कि जो चल रही थी, देहरादून एक्सप्रेस वह भी बन्द कर दी। इससे लोगों के दिमाग में बड़ी परेशानी और एजीटेशन है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर वाकई कोई ट्रेन बन्द करना आपके लिए अनिवार्य हो गया है, तो उसके स्थान पर कोई दूसरी ट्रेन बन्द कर दीजिए, मगर इस देहरादून एक्सप्रेस को बन्द मत कीजिए क्योंकि यह ट्रेन वहां आम आदमी के काम आने वाली ट्रेन है। इसके बन्द होने से वहां के लोगों के दिमागों में बड़ी एजीटेशन हो रही है। व अशांति का वातावरण बन गया है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस ट्रेन को फिर से चालू कर दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय के ध्यान में एक बात यह भी लाना चाहता हूं कि रेल में सैकिंड क्लास में, जिन डिब्बों में रिजर्वेशन नहीं होती है, उनमें बैठने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत क्राउडेड ट्रेनें चलती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सैकिंड क्लास के पैसेंजर को भी कोई चेयरकार जैसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें वह थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज देकर के चल सके। अभी तो यह हालत है कि डिब्बे में घुसने के लिए कुश्ती करनी पड़ती है और मेरे जैसा बूढ़ा आदमी तो बहुत मुश्किल में ही चढ़ पाता है

[अनुवाद]

यदि आप इस प्रकार की व्यवस्था कर सकें जिसमें लोग कुछ अतिरिक्त प्रभार देकर द्वितीय दर्जे में सीट प्राप्त कर सकें।

[हिन्दी]

तो इससे लोगों को बहुत कुछ रिलीफ मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, रामगंज मण्डी एक ऐसी जगह है जहां से काफी ट्रेफिक है बहुत बड़ी मण्डी है। उस स्थान को अगर फास्ट ट्रेन से जोड़ने की व्यवस्था कर दें, तो बहुत अच्छा होगा। वहां के लोगों को इससे बड़ी सुविधा मिलेगी। इसलिए मुझे आप पर विश्वास है कि आप इस बारे में कुछ व्यवस्था करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में, मैं एक बात कहकर समाप्त करता हूं। कोटा क्षेत्र में एक बहुत पुरानी लाइन है, जो माननीय मन्त्री जी की कांस्टीट्यूएंसी में जाती है—कोटा-बीना लाइन। जब से मान्यवर, यह लाइन बनी है, तब से आज तक इसके ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ है। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। ट्रैक्स भी पुरानी हैं, गाड़ियां बड़ी स्लो चलती हैं, गाड़ियों में डिब्बों की कंडीशन बहुत खराब है। उस रूट पर कुछ स्टेशन्स बहुत लौंग डिस्टेंस पर हैं। यातायात के लिए सड़कें भी बहुत कम हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस रूट पर एक या दो स्टेशन और नए खोलें ताकि वहां के लोगों को परेशानी का कम सामना करना पड़े।

हमने एक केशोली स्टेशन के लिए निवेदन किया है। अगर आप इस पर विचार कर, इसे दे सकें, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री एम० महालिंगम (नागापट्टिनम) : उपाध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक की ओर से माननीय रेल मंत्री द्वारा इस माननीय सदन में प्रस्तुत की गई रेलवे अनुदानों की अनुपूरक मांगों का मैं समर्थन करता हूं। मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

महोदय, इस देश में लगभग 15 लाख गांव हैं। इनमें से लगभग 80 प्रतिशत गांवों में परिवहन सुविधा, विशेषकर रेल परिवहन प्रणाली उपलब्ध नहीं है। हमारे देश का तेजी से विकास हो रहा है किन्तु यह दुःख की बात है कि हमारे गांवों में समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और उनमें अधिकांश गांव रेल से नहीं जुड़े हुए हैं। इन परिस्थितियों में यह आशा कैसे की जा सकती है कि गांव के लोग प्रगति कर सकेंगे? महोदय, इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान राष्ट्रीय परिवहन समिति के प्रतिवेदन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि परिवहन सुविधाओं के मामलों में पिछड़े और उपेक्षित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसलिए इन पिछड़े इलाकों के विकास को सर्वाधिक

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण में अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एम० महालिंगम]

महत्व दिया जाना चाहिए और यह तभी सम्भव हो सकेगा जबकि इन पिछड़े इलाकों में रहने वालों की परिवहन सुविधायें उपलब्ध कराई जायें। किन्तु सरकार ने राष्ट्रीय परिवहन समिति की सिफारिशों पर सही ढंग से विचार नहीं किया है। सरकार को जनता के लिए कार्य करना चाहिए और सरकार को उनके हितों का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है। किसी विशेष क्षेत्र के लिए कोई योजना बनाते समय केवल लाभ और हानि की ओर ध्यान दिया जाता है। मुझे सरकार का ऐसा रवैया देखकर दुःख होता है।

महोदय, वर्तमान अनुपूरक बजट में सरकार ने भाड़ा दरें बढ़ाकर 315 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय जुटाने का प्रस्ताव रखा है। मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि इस प्रकार भाड़े की दरें बढ़ाने का प्रभाव केवल निर्धन और सामान्य वर्ग के लोगों पर पड़ेगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप स्टाफ को अतिरिक्त वेतन और मंहगाई भत्ते का भुगतान करने के लिए रेल विभाग को इस प्रकार के उपाय नहीं अपनाने चाहिए। मेरा सुझाव है कि रेलवे अनावश्यक खर्चे कम कर सकती है और विभिन्न स्तर पर यत्र-तत्र व्याप्त भ्रष्टाचार को रोक सकती है। रेलवे लगातार मालभाड़ा और किराया बढ़ाती जा रही है। किन्तु इसके साथ ही यात्रियों से जो किराया लिया जाता है, उसके अनुरूप उन्हें सुविधायें नहीं दी जा रही हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि रेल डिब्बों का रखरखाव समुचित ढंग से नहीं किया जाता है। सीटें या तो टूटी होती हैं अथवा उनका कुशन कटा हुआ होता है। लम्बी दूरी की गाड़ियों में पेय जल और पंखों की सुविधा निश्चित रूप से उपलब्ध नहीं होती है। शौचालय गंदे होते हैं जिसका कारण यह है कि शौचालय के नल प्रायः सूखे रहते हैं। विदेशों में रेलगाड़ियों में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और वे तेज चलती हैं। हमारे देश में आये दिन रेल दुर्घटनायें होती रहती हैं।

गत 35 वर्षों से दक्षिण रेलवे उपेक्षित रही है और इतने वर्षों के अन्तराल में तमिलनाडु के किसी भी भाग में कोई नई रेल लाईन नहीं बिछाई गई है। पुराने रेल इंजिन ही इस्तेमाल में हैं। पुराने इंजिनों के स्थान पर आधुनिक इंजिनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। महोदय, डिन्डीगल और करूर के बीच मीटर गेज लाइन को बड़ी लाईन में बदलने का काम बहुत समय पहले आरम्भ किया गया था परन्तु धनाभाव के कारण उसे पूरा करने में बहुत अधिक देरी हो रही है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करता हूं कि इस कार्य के लिए और अधिक राशि आबंटित की जाये ताकि यह कार्य यथा-शीघ्र पूरा हो जाये।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र, नागापट्टिनम में मन्नारगुडी और निडामंगलय के बीच एक रेल लाईन हैं और लगभग एक दशक पूर्व पता नहीं किस कारणवश इन दो स्टेशनों के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। गत दो वर्षों से इन दोनों स्टेशनों के बीच रेलगाड़ियां फिर से चलाने का अनुरोध मैं रेल मन्त्री से बराबर करता रहा हूं। माननीय मन्त्री महोदय द्वारा मुझे यह उत्तर दिया गया है कि इस लाईन पर रेलगाड़ी चलाना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगी। इस संबंध में मैं यह बताना चाहूंगा कि यह स्थिति 10 या 15 वर्षों से

चल रही है और इस दौरान उस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ है। मैं आपको अभी-अभी बता चुका हूं कि मन्नारगुडी एक विशाल व्यापारिक केन्द्र है और व्यापारियों, लघु उद्योगपतियों और उपभोक्ताओं का मन्नारगुडी से काम पड़ता रहता है। मन्नारगुडी में भारतीय खाद्य निगम का भी एक गोदाम है। वहां तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम का चावल मिल भी हैं। भारतीय खाद्य निगम और मन्नारगुडी के चावल मिल का खाद्यान्न निडामंगलय तक लारियों और ट्रकों से पहुंचाया जाता है जहां से रेल द्वारा वह राज्य के अन्य भागों को भेजा जाता है। वहां पामन्नी उर्वरक नामक एक उर्वरक कारखाना भी है। उर्वरकों की ढुलाई भी ट्रकों द्वारा की जाती है। इस प्रकार मन्नारगुडी के सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा परिवहन प्रभार के रूप में करोड़ों रुपया लारी और ट्रक मालिकों को अदा करना पड़ता है। यह विशाल राशि रेल विभाग को प्राप्त हो सकती है, यदि रेलवे पहले से बिछी रेल लाईन पर रेल चलाना आरम्भ कर दें। उस क्षेत्र के हाई स्कूल और कालेज के विद्यार्थियों को बसों से आना-जाना पड़ता है।

महोदय, रेलवे ने तिरूथुराईपुंडी और वेदअरण्यम के बीच चलने वाली दो सवारी गाड़ियों को बंद कर दिया है। चूंकि जनता को इससे बहुत अधिक परेशानी हो रही है, अतः माननीय मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इन गाड़ियों का फिर से चालू किया जाये। इसी प्रकार माननीय मन्त्री महोदय से मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि नागापटिनम और मद्रास के बीच चलने वाली गाड़ियों को फिर से चालू किया जाये। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह वेदारण्यम और नागापटिनम के बीच नई लाईन बिछाने के बारे में विचार करें। इस क्षेत्र में रहने वालों की यह बहुत समय से चली आ रही मांग है। इससे समुद्री तट पर रहने वाले मछुआरों और किसानों को मुख्य रूप से सहायता मिलेगी। महोदय तिरूवारूर में लगभग 10 वर्ष पूर्व ऊपरी पुल का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया था। इस छोटे से कार्य को पूरा करने में अनावश्यक देरी हुई है। माननीय मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस छोटे से कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करवाने के लिए अपेक्षित कदम उठाये जायें जिससे इस क्षेत्र के लोगों को हो रही परेशानी दूर हो सके।

अन्त में माननीय मन्त्री महोदय से मेरा यह अनुरोध है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये जिससे देश का चहुंमुखी विकास हो सके। रेलवे की अनुपूरक मांगों पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं।

5.30 म० प०

आधे घण्टे की चर्चा

हिन्दुस्तान पेपर निगम लिमिटेड को हुआ घाटा

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आधे घण्टे की चर्चा करेंगे।

श्री सुरेश कुरूप।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिन्दुस्तान पेपर निगम के कार्यकरण के विषय पर चर्चा करने का अवसर आ पहुचा है। प्रो० श्री के०वी० थामस द्वारा हिन्दुस्तान पेपर निगम के कार्यकरण के बारे में उठाये गये प्रश्न का 4 नवम्बर को उत्तर देते हुए माननीय उद्योग मन्त्री ने बताया था कि 31.3.1985 तक इस यूनिट को 136.31 करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है। उनका यह भी अनुमान है कि 3 वर्ष के दौरान 116.71 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ हैं। इस प्रकार के भारी नुकसान होने के मुख्य कारण उनके अनुसार निगम का लाभकारी स्थान पर स्थित न होना, रुग्ण एककों का अधिग्रहण किया जाना तथा बिजली की कटौती है किन्तु इसका एक मुख्य कारण नहीं बताया गया है। उन्होंने उसका उल्लेख नहीं किया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि उसका मुख्य कारण कुप्रबन्ध और भ्रष्टाचार है जो हिन्दुस्तान पेपर निगम में व्याप्त है। हिन्दुस्तान पेपर निगम का एक प्रमुख यूनिट मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोट्टायम में है। मैं नहीं जानता हिन्दुस्तान पेपर निगम के अन्य यूनिट किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। किन्तु इस यूनिट के बारे में मुझे कुछ जानकारी है क्योंकि इस यूनिट में मैं एक कर्मचारी संघ का पदाधिकारी था और उस पद की हैसियत से ही मैं हिन्दुस्तान पेपर निगम की इस यूनिट में चल रही भारी गलतियों के बारे में सम्बन्धित मन्त्री को लिखा था।

महोदय, उद्योग मन्त्री तथा सरकारी उद्यम मन्त्री, दोनों ही मन्त्रियों के प्रति मेरे मन में महान आदर और श्रद्धा का भाव है और मुझे आशा है कि वह इस पर बहुत ही गंभीरता-पूर्वक विचार करेंगे। मैं हिन्दुस्तान पेपर निगम की कोट्टायम यूनिट के बारे में दो या तीन बातें कहना चाहता हूं जिसके बारे में मन्त्री महोदय को पहले भी लिख चुका हूं। हिन्दुस्तान पेपर निगम की कोट्टायम यूनिट ने, जिसे हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है टाइपों संयंत्र में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होने वाले जले हुए पत्थर-चूना की सप्लाई के लिए मध्य प्रदेश की एक फर्म के साथ ठेका किया है। केरल के बारे में जानने वालों को यह बात भली भांति विदित है कि केरल में जला हुआ गोला चूना बहुतायत में पाया जाता है जो जले हुए पत्थर-चूने के समान ही होता है। केरल में कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। स्थानीय सप्लाईकर्ता से खरीदने के बजाय कम्पनी के प्रबन्धकों ने मध्य प्रदेश से पत्थर-चूना खरीदना पसन्द किया। इसके अतिरिक्त मेरी समझ में यह बात भी नही आई कि उन्होंने उसे

मध्य प्रदेश से क्यों खरीदा। यदि वे लोग जला हुआ पत्थर चूना ही इस्तेमाल करने को इतने इच्छुक थे तो उसे वे तमिलनाडु अथवा आन्ध्र प्रदेश जैसे पड़ोसी प्रदेशों से भी खरीद सकते थे। किन्तु ऐसा करने के बजाय उन्होंने मध्य प्रदेश जाकर वहां की एक फर्म को इस जले हुए पत्थर चूने की सप्लाई के लिए ठेका देना उपयुक्त समझा। किन्तु सभी पंजीकृत कर्मचारी संघों द्वारा शिकायत किए जाने तथा इसका विरोध किए जाने पर बहुत समय पश्चात् प्रबन्धकों ने इसको वापिस लिया। किन्तु सम्बन्धित व्यक्ति अर्थात् तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसने यह ठेका दिया था, उसे मन्ड्या पेपर कम्पनी का प्रभारी अधिकारी बनाकर स्थानान्तरित कर दिया गया है। उसके खिलाफ न तो कोई कार्यवाही की गई और न कोई जांच-पड़ताल नहीं की गई। मन्त्री महोदय को शायद यह पता न हो। इस कांड के लिए जो व्यक्ति उत्तरदायी हैं, वे आज भी निगम के उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं।

एक और बात है, मेरे विचार से श्री तिवारी को उसके बारे में पता है, मैंने उसके बारे में उनसे बात भी की थी। यह बात सेवा निवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को कम्पनी का सलाहकर्त्ता के रूप में नियुक्त करने की है। कम्पनी ने त्रिवेन्द्रम में एक सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किया हुआ है—मुझे नहीं पता कि इसका क्या प्रयोजन है और वह कम्पनी को क्या सेवा प्रदान कर रहा है। लगभग 15 वर्ष पूर्व सेवा निवृत हुए इस भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को त्रिवेन्द्रम कार्यालय में बहुत अधिक वेतन पर परामर्शदाता या सलाहकार अथवा इसी प्रकार के किसी पद पर नियुक्त किया गया था।

मैं मन्त्री महोदय से यह मांग करता हूं कि इस अधिकारी के कार्यकरण और वह कम्पनी से कितना वेतन लेता है, के बारे में पूरी छान-बीन की जाये। अन्त में, मेरा यह विचार है कि सम्भवतः मन्त्री के अनुदेश पर प्रबन्ध मण्डल उसकी सेवाएं समाप्त करने को तैयार था। किन्तु मजेदार बात यह है कि वह कम्पनी से हटने को तैयार नहीं है। वह अन्य व्यक्ति को प्रभार नहीं देगा। कम्पनी को छोड़ने का आदेश मिलने के बाद भी वह अभी तक उन सुविधाओं का उपयोग कर रहा है जो कम्पनी ने उसे प्रदान की है। यह सब कैसे हो रहा है? त्रिवेन्द्रम में उस प्रकार के सम्पर्क अधिकारी की क्या आवश्यकता है, वह वहां क्या कर रहा है? वह वहां सम्पर्क का क्या कार्य कर रहा है?

एक और बात है, दो वर्ष पहले हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट कारपोरेशन द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर की एक फर्म को पेपर पोडरिक नाम की एक वस्तु का आर्डर दिया गया था और वह फर्म उसे सप्लाई कर रही है।

किन्तु पेपर मशीन विभाग को ज्ञात हुआ कि इसमें कार्बन का अंश बहुत अधिक था और इसलिए यह कम्पनी के लिए बेकार था। उन्होंने यह निर्णय लिया कि कम्पनी को यह वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। किन्तु तभी मध्य प्रदेश की उस फर्म का मालिक अथवा सम्बद्ध व्यक्ति कम्पनी में आया और सम्बन्धित अधिकारियों से मिला तथा निर्णय बदल दिया गया और कम्पनी ने सारी की सारी सप्लाई खरीदने का निर्णय लिया जबकि कम्पनी के तकनीकी विभाग ने मध्य प्रदेश से इस सप्लाई को न खरीदने की सिफारिश स्पष्ट रूप से की थी।

[श्री सुरेश कुरुप]

अब दौरों का मामला लिया जाए। कम्पनी के अधिकारी प्राय: दौरा करते रहते हैं मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि ये दौरे कम्पनी की सेवा के हित में किये जाते हैं। कम्पनी के शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी आये दिन दौरा करते हैं—मुझे नहीं पता कि इसका क्या प्रयोजन होता है, अथवा वे क्या करते हैं या इन दौरे से वे कम्पनी की कोई सेवा कर रहे हैं—जबकि कम्पनी के कार्यालय में रह कर कम्पनी के कार्यों की देख-रेख करके वे कम्पनी को अधिक उपयोगीसेवा प्रदान कर सकते थे।

मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं जो कम्पनी में 2 या 3 सप्ताह पूर्व ही घटी थी और उसमें एक श्रमिक घातक रूप से घायल हो गया था। ऐम्बुलेंस की बात छोड़िये, इस कम्पनी के पास ऐसा कोई वाहन तक न था जो घायल श्रमिक को पास के अस्पताल तक पहुंचा देता।

जब श्रमिक प्रबन्ध निदेशक के पास पहुंचे और उन्होंने उससे घातक रूप से घायल उस श्रमिक को अस्पताल ले जाने के लिए किसी वाहन का प्रबन्ध करने के लिए कहा तो उन्होंने उसका प्रबन्ध करने से इनकार कर दिया। उस श्रमिक की अस्पताल में मृत्यु हो गई। यह घटना लगभग तीन सप्ताह पूर्व ही घटी थी।

हिन्दुस्तान पेपर निगम में सितम्बर के महीने में हड़ताल हुई थी। अपने निर्वाचन क्षेत्र से मैंने श्री तिवारी जी को टेलीफोन किया था और उनसे हड़ताल के बारे में बातचीत की थी। यह हड़ताल प्रबन्ध मण्डल के अड़ियल रवैये के कारण हुई थी। मैं इस सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि पांच युनिटों में से एक यही यूनिट ऐसी है जहां आपको श्रमिको का पूरा-पूरा सहयोग मिल सकता है। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री महोदय इस बात से इनकार नहीं करेंगे। हड़ताल इसलिए हुई थी कि प्रबन्धकों ने श्रमिकों को बोनस देने से इनकार कर दिया जिसके वे हकदार थे। इस कारखाने में उत्पादन 1982 में आरम्भ हो गया था, और चार वर्ष बीत गए थे तथा 20 दिन का बोनस देने की श्रमिकों की वैध मांग थी, जिसे स्वीकार नहीं किया गया और कारखाना बन्द हो गया। मेरे विचार से मन्त्री महोदय के हस्तक्षेप करने से हड़ताल खत्म की गई थी। मुझे नहीं पता कि वे लोग किस प्रकार का प्रबन्ध तकनीक अपना रहे हैं जिसके कारण श्रमिकों को हड़ताल करनी पड़ती है।

जहां तक मेरा सीमित ज्ञान है, पांच यूनिटों में से नागालैण्ड यूनिट में सबसे अधिक घाटा हुआ है। मुझे नहीं पता कि नागालैण्ड यूनिट के बारे में मन्त्री महोदय ने व्यक्तिगत रूप से कोई छान-बीन कराई है अथवा नहीं। वहां क्या हुआ है ? आश्चर्य की बात यह है कि जबकि पूरे देश के गैर सरकारी कागज मिलों को बहुत अधिक लाभ हो रहा है वहीं इस नामी सरकारी उपक्रम को, जो भारत सरकार के अधीन कार्यरत है, उत्तरोत्तर भारी घाटा हो रहा है मुझे मन्त्री महोदय की प्रशासनिक योग्यता और उनकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। मेरा उनसे अनुरोध है कि इन यूनिटो के दैनिक कार्यकरण की, विशेषकर केरल यूनिट के कार्यकरण की

उच्च स्तरीय जांच पड़ताल कराई जाए, जहां उच्च कार्यकारी पदाधिकारियों की धांधली चल रही है। मेरी माननीय मन्त्री महोदय से एकमात्र यही मांग है कि इन पांचों यूनिटों के कार्यकरण की जांच पड़ताल करवाई जाए तथा इस बात का पता लगाया जाए, कि जहां भारी घाटा हो रहा है, उसका क्या कारण है और उसका क्या ब्यौरा है एवं इसके लिए कौन दोषी हैं।

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : उपाध्यक्ष महोदय मेरे मित्र श्री सुरेश कुरूप ने हिन्दुस्तान पेपर निगम और विशेषकर हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट के बारे में कुछ मुद्दे उठाए हैं। यह सच है कि कतिपय कारणों से हिन्दुस्तान पेपर निगम को घाटा हुआ है। उनमें से अनेक कारणों पर उन्होंने स्वयं ही प्रकाश डाला है यथा इन एककों का गलत स्थानों पर स्थित होना, कच्चे माल की अनुपलब्धता इन क्षेत्रों में, जहां ये एकक स्थित हैं, बुनियादी सुविधाओं का अभाव होगा।

5.44 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

उदाहरण के तौर पर असम के दो यूनिटों को उद्धृत किया जा सकता है। हम इस बात का पता लगा रहे हैं कि किस क्षेत्र में सरकारी प्रयास की आवश्यकता है तथा हमारे प्रयास अधिकाधिक रूप से जारी हैं जिससे कि इन यूनिटों का घाटा कम हो सके। उन्होंने नागालैंड यूनिट का उल्लेख किया है। मुख्य मंत्री और सम्बन्धित अधिकारियों से हमारी दो-दो बैठकें हो चुकी हैं और इस सम्बन्ध में कदम उठाए जा चुके हैं तथा बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं कि नागालैंड यूनिट को राकोत वनों से कच्चा माल प्राप्त हो सके।

जहां तक कोट्टायम यूनिट का सम्बन्ध है, उसके बारे में हमें समय-समय पर श्रमिक संघों तथा संसद सदस्यों, विशेषकर श्री कुरुप और प्रो० थामस से शिकायतें मिलती रही हैं। हमने उनसे टरकाने के प्रयास नहीं किए हैं, और इस सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कदम उठाए हैं।

मेरा विचार है कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उन्हें एक-एक करके लिया जाए। उन्होंने जो पहला मुद्दा कुप्रबन्ध के बारे में उठाया था, वह सही नहीं है। हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, कोट्टायम यूनिट में प्रबन्ध को कुप्रबन्ध नहीं कहा जा सकता है। यह यूनिट 1982 में चालू हुआ था और तब से उसकी क्षमता का उपयोग सर्वाधिक रहा है। उसकी क्षमता का उपयोग आमतौर पर उ० प्र० रा० रहा है और 1985-86 में वह बढ़कर 988 हो गई थी। किन्तु कुछ आधार-भूत असुविधाओं के कारण यह यूनिट बराबर नुकसान उठाता रहा है किन्तु इसका घाटा उत्तरोत्तर कम होता रहा है। क्षमता का प्रयोग बहुत अधिक होने के बावजूद भी नुकसान क्यों रहा है और उसके क्या कारण रहे हैं, उसके क्या सम्बन्ध में मैं आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। जो कारण हैं, उनके बारे में श्री कुरुप को भी पता है।

[प्रो० के० के० तिवारी]

सर्व प्रथम, दुर्भाग्यवश उत्पादन कम होने का मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा इन यूनिटों को बिजली की सप्लाई में कटौती करना है। तदन्तर कोट्टायम यूनिट में कच्चे माल की उपलब्धता की भी समस्या बनी हुई है। इसके लिए कच्चे माल के रूप में मूल रूप से बांस और सरकंडे की आवश्यकता पड़ती है और 1974 के समझौते के अनुसार इस यूनिट को उनकी सप्लाई राज्य सरकार द्वारा की जानी थी। किन्तु सरकंडा तथा अन्य कच्चा माल यथा बांस की यथेष्ट सप्लाई नहीं की जा सकी थी। तथापि, हाल के महीनों में ही हमने राज्य सरकार के प्राधिकारियों तथा स्वयं मुख्य मन्त्री से बात-चीत की थी तब मुख्य मन्त्री ने इस मामले में गहरी दिलचस्पी दिखाई थी। सरकंडा उत्पादन करने वाले उस मूल क्षेत्र, वन क्षेत्र की परिधि को बढ़ा दिया गया है जो नरकूल सरकंडा और बांस की सप्लाई करता है, और जो इसके लिए अपेक्षित मूलतया सस्ता कच्चा माल है और हाल ही में सरकंडा और बांस की आपूर्ति बढ़ गई है क्योंकि यह कच्चा माल वहां सस्ता है। अतः इस क्षेत्र में भी हमने कदम उठाए हैं।

दूसरा अपेक्षित कच्चा माल है, वह है यूकलिप्टस। आरम्भ में, इसके लिए भी राज्य सरकार ने 7000 हेक्टेयर क्षेत्र में यूकलिप्टस के वृक्षल गाने और उसकी सप्लाई करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद इसमें 6000 हेक्टेयर क्षेत्र और बढ़ाना था। दुर्भाग्यवश केवल 2,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्ष लगाए गए और मुझे विश्वास है कि गूदे की उत्पादन अगले पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाएगी। इसलिए मेरा यह विश्वास है कि कम्पनी किसी प्रकार के कुप्रबन्ध की आशंका करना अथवा आरोप लगाना ठीक नहीं है। वास्तव में, श्री कुरुप बहुत समझदार व्यक्ति हैं और जब कभी वह ऐसे मामलों के बारे में हमें बताते हैं तब उनके चिन्तों की ओर तथा उनके द्वारा बताये तथ्यों की तरफ़ हम तत्काल पर्याप्त ध्यान देते हैं। वह भी इस बात से सहमत होंगे कि वास्तव में इन तीन वर्षों के दौरान कम्पनी के वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है। निम्नांकित तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता है। कम्पनी को 1982-83 के दौरान 4.62 करोड़ रुपये का, 1983-84 में 10.73 करोड़ रुपए का, 1984-85 में 8.66 करोड़ रुपये का और 1985-86 में 99 लाख रुपए का घाटा हुआ। इस प्रकार वित्तीय कार्य निष्पादन अच्छा होता गया है। घाटा निरन्तर कम होता गया है कि कम्पनी आर्थिक रूप से चुनौतियों का मुकाबला करने लगी है। आर्थिक नुकसान होने के कारण भी हम सबको पता है। उसका भी उससे सम्बन्ध है। इससे पता चलता है कि नुकसान होने का एक सबसे बड़ा कारण कच्चे माल की सप्लाई थी। अब निश्चित रूप से इसमें सुधार हुआ है। नुकसान में कमी आई है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं और आंकड़े प्रस्तुत करूं तो मैं ऐसा करने को तैयार हूं। कच्चे माल की सप्लाई के बारे में उन्हें कुछ गलतफहमी है। ठीक है, यदि कच्चा माल स्थानीय और पर उपलब्ध हो, तो कम्पनी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह राज्य से बाहर से कच्चा माल मंगवाये। किन्तु यह पाया गया है कि सप्लायरों में संघ बनाने की गलत प्रवृत्ति विद्यमान है। हम चाहते हैं कि कच्चे माल की सप्लाई के मामले में कम्पनी की गैर सरकारी स्रोतों पर कम से कम निर्भर रहना पड़े। इसीलिए हम इस बात के लिए सर्वाधिक प्रयत्नशील है कि केरल सरकार सरकंडा, बांस और यूकलिप्टस वृक्ष जैसे कच्चे

माल की सप्लाई करने को राजी हो जाये। उदाहरण के तौर पर, भारी मात्रा में यूकलिप्टस के वृक्षों को लगाने के लिए हिन्दुस्तान पेपर निगम और केरल सरकार ने एक संयुक्त योजना तैयार की है जिससे मूल कच्चे माल की सप्लाई हमेशा ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके और गैर सरकारी सप्लायरों पर आश्रित रहने का अवसर ही न आये। श्री कुरुप निष्पक्ष व्यक्ति हैं और वह इस तथ्य को निष्पक्ष रूप से देखेंगे कि स्थानीय ठेकेदारों में कच्चा माल सप्लाई करने के मामले में संघ बनाने की प्रवृत्ति है और वे कम्पनी की अपनी शर्तें मनवाने के लिए विवश करते हैं।

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : इसमें आपके अधिकारियों की साठ-गांठ है।

प्रो० के० के० तिवारी : यदि इसमें कहीं भी अधिकारियों की साठ-गांठ है, तो उन्हें बचाया नहीं जायेगा।

डा० दत्ता सामंत : अभी गत चार-पांच वर्षों में नये यूनिट बने हैं और जिनके पास नई मशीनरी हैं, वे सभी पर्याप्त लाभ कमा रहे हैं। किन्तु यदि इस यूनिट को नुकसान हो रहा है तो उसका कारण कुप्रबन्ध और आपके अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार है।

श्री जे० वेंगल राव (खम्मम) : कागज उद्योग में लगभग सभी इकाईयां घाटे में चल रही हैं। आजकल कागज उद्योग की हालत बहुत खराब है।

प्रो० के० के० तिवारी : मुझे यह कहते हुए खेद है कि डा० दत्ता सामंत के साथ संबंध होने के बावजूद जो इकाईयां लाभ कमा रही हैं, उसका श्रेय डा० दत्ता सामंत को न जाकर उन इकाईयों को जाता है।

डा० दत्ता सामंत : आपको सदन में उत्तर देने से पहले सारी स्थिति का अध्ययन करना चाहिए। यह तो आपके वैसे उत्तर हैं जो आप हमेशा देते आ रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने अध्ययन किया हैं, इसलिए मैं मुहंवार उत्तर दे रहा हूं।

सभापति महोदय : डा० दत्ता सामंत जी, आपका नाम आधे घंटे की चर्चा में भाग लेने वालों की सूची में नहीं है, इसलिए कृपया व्यवधान मत डालिए।

प्रो० के० के० तिवारी : श्रीमान्, इस प्रकार, उनमें उत्पादक-संघ बनाने की प्रवृत्ति थी और फिर वे कंपनी को सरकण्डों की आपूर्ति स्वीकार करने के लिए बाध्य करते थे··· (व्यवधान)। कृपया मेरी बात सुनिए। मैं आपको तथ्य तथा आंकड़े बता रहा हूं। आप अपना धैर्य क्यों खो रहे हैं? उदाहरण के तौर पर, बांस के लिए हमें असम जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि स्थानीय ठेकेदारों ने एक संघ बना लिया था और वे कम्पनी को 1200 रुपये प्रति टन के हिसाब से बांस की आपूर्ति कर रहे थे और अब असम से लाने की लागत जिसमें

[प्रो० के० के० तिवारी]

ढुलाई का खर्च भी शामिल है। कम होकर 750 रुपये प्रति टन रह गयी है। इसी प्रकार, उन्होंने दूसरी वस्तुओं का जिक्र किया है। मैं उनको मुद्देवार ले रहा हूं। सबसे पहले हम प्रबन्धक को लेते हैं। हो सकता है जहां-तहां गलतियां हुई होंगी और हम गलतियों को देखने के लिए तैयार हैं किन्तु सारा दोष प्रबन्ध-वर्ग पर नहीं लगाया जा सकता क्योंकि बिजली की आपूर्ति, इकाई में औद्योगिक अशान्ति और कच्चे माल की ऊंची कीमत आदि सभी बातें जत्तरदायी हैं, इन सबने घाटे में और वृद्धि की है। किन्तु, कुल मिलाकर, जैसे कि आप मुझसे सहमत होंगे, श्रीमान्, सरकण्डे की पिराई में वृद्धि के परिणामस्वरूप, खुले बाजार से गूदे की प्राप्ति और उसकी लागत उतनी ही कम हो गयी। वर्ष 1984-85 में हम 40000 मीट्रिक टन बांस का उपयोग कर रहे थे, हमने इसे कम करके केवल 21000 मीट्रिक टन किया है। लागत 1200 रुपये प्रति टन से कम होकर 750 रुपये प्रति टन हो गयी है। इसी प्रकार, इनहाऊस गूदा उत्पादन के सम्बन्ध में, हम कच्चे माल के उत्पादन के सम्बन्ध में कंपनी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी क्षमती का विकास कर रहे हैं। हम आयातित गूदे पर हमारी निर्भरता को कम करने का प्रयास कर रहे हैं इसी वजह से उत्तम प्रबन्ध के माध्यम से इनहाऊस गूदा उत्पादन में वृद्धि हुई है। वर्ष 1984-85 में, इनहाऊस गूदा उत्पादन 46037 टन था और अब 1985-86 में यह 69,000 टन तक चला गया है। इसी तरह आयातित गूदा पर हमारी निर्भरता कम हो गयी है। वर्ष 1983-84 में, आयातित गूदे की मात्रा 46 प्रतिशत थी, और 1984-85 में इसे 26 प्रतिशत तक नीचे लाया गया। और वर्ष 1985-86 में, हमारे कच्चे माल में हम इस आयातित गूदे की मात्रा कम करके सिर्फ 6 प्रतिशत तक ले आए हैं। प्रसंगवश यहां पर एक तुलना करना ठीक ही होगा। मैसूर पेपर मील्स लिमिटेड और तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर लिमिटेड भी राज्य के क्षेत्र में क्रियाशील हैं। उनके आयातित गूदे की मात्रा 35 से 40 प्रतिशत तक है जबकि हमने इसे 6 प्रतिशत तक कम कर दिया है। यह उत्तम प्रबंध, संसाधनों का सही उपयोग और इसमें शामिल सभी पहलुओं की सावधानीपूर्वक छानबीन को प्रकट करता है। इसलिए, सामान प्रबंध, कच्चे माल की आपूर्ति, वित्तीय उपलब्धता इत्यादि के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जैसा कि तथ्यों तथा आंकड़ों से सिद्ध होता है..... (व्यवधान)। वे उत्तरोत्तर लाभ कमायेंगे। जैसे कि मैंने कहा है, हमारी कच्चे माल की आपूर्ति पर निर्भरता कम हो गयी है और अब बिजली पर भी आते हैं। आपको याद होगा कि यहां पर बिजली की बहुत अधिक कमी थी।

6.00 अ० प०

वर्ष 1982 से बिजली की कमी बहुत अधिक रही है। केवल हाल ही में, कुछ महीनों के बाद विद्युत बोर्ड द्वारा बिजली की आपूर्ति उपलब्ध कराई गई है। किन्तु बिजली की दर बढ़ गई है। बिजली की बढ़ी हुई दर से ही सिर्फ 4 करोड़ रुपये की लागत आ जाएगी। इसका सामना करने के लिए हमने टर्बो-जनरेटर स्थापित किए हैं और हम उस पर निर्भरता कम करने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु इकाई में रक्षित विद्युत उत्पादन पूर्णकालिक बिजली आपूर्ति की जगह नहीं ले सकता।

माननीय श्री कुरूप ने कुछ और मुद्दे उठाए हैं। मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि उन्होंने इन सभी मुद्दों को उठाया है। जला हुआ चूने का पत्थर, और जली हुई चूने की शैल की आपूर्ति स्थानीय स्तर पर भी होती थी किन्तु एक खास चरण पर इसकी बहुत कम मात्रा में सप्लाई होने लगी। और अन्ततः यह रुक गई। इस प्रकार, आपातकालीन आधार पर हमने तमिलनाडू आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी आपूर्ति प्राप्त की। यह कहना कि हम पड़ोसी राज्यों से ऐसी आपूर्ति पर निर्भर नहीं रहे हैं, तथ्यों पर आधारित नहीं है।

सेवानिवृत आई० ए० एस० अधिकारी का जहां तक सम्बन्ध है मैं कह सकता हूं कि कम्पनी में उसकी नियुक्ति तब की गई थी जब वह सेवानिवृत नहीं हुआ था वह केरल सरकार की सक्रिय सेवा में थे। तत्पश्चात् उसकी कम्पनी में नियुक्त कर दी गई क्योंकि हमें स्थानीय सरकार के साथ सतत् अन्तः क्रिया की आवश्यकता थी उदाहरण के तौर पर कच्चे माल की आपूर्ति। इसके बाद स्थानीय नदी पर राज्य सरकार द्वारा रोकबांध का निर्माण किया जाना था। किन्तु अब तक ऐसा नहीं किया गया है। सैकड़ों ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए कम्पनी स्थानीय सरकार पर निर्भर है। ऐसा हर जगह होता है। एक अनुभवी अधिकारी श्री विश्वनाथ नायक के सरकार के साथ अच्छे सम्बन्ध थे। वह सेवानिवृति के बाद भी काम करते रहे। सेवा निवृति के पश्चात् उसे 1500/- रुपये के नियत वेतन पर रखा गया। पहले उसे 1000/- रुपये पर तथा बाद 1500/- रुपये पर रखा गया। क्योंकि मेरे माननीय साथी श्री कुरूप समेत उसका काफी विरोध किया गया इसलिए उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। अब वह कम्पनी में नहीं है। माननीय श्री कुरूप जी, यह जो आरोप लगाया गया है कि उसने अपने पास अभी भी कार रखी हुई है और अन्य सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, सच नहीं है। आप इसे प्रमाणित कर सकते हैं। कार वापस ले ली गई है और जो टेलीफोन बिल शेष था, वह उन्होंने दे दिया है। मेरे विचार में वे इन आरोपों पर विचार करेंगे तथा इन्हें वापस ले लेंगे।

जहां तक रसायनों का सम्बन्ध है—निस्सन्देह, कुछ अनियमितताएं ध्यान में आई हैं और मामला मंडल स्तर तक गया। यह नहीं कहा जा सकता कि इसके लिए प्रबन्धक वर्ग या सरकार जिम्मेदार थी और हमने इसे रफा-दफा करने की कोशिश की है। वर्ष 1985 के अन्त में इस मामले को मंडल के ध्यान में लाया गया था और तुरन्त ही कम्पनी के सम्बन्धित सतर्कता अधिकारी ने तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी से सभी मामलों की विस्तृत जांच करवाई जिसे अब कर्नाटक में मांडिया इकाई में स्थानान्तरित कर दिया है। इस पर मंडल ने विचार किया और अपनी सिफारिशों के साथ मामले को सरकार के पास भेज दिया गया है। मैं वादा करता हूं कि सरकार का किसी बात को छिपाने या भ्रष्टाचार और कुप्रबन्ध को क्षमा करने का कोई इरादा नहीं है। मामला हमारे पास आ गया है। इसे सरकार के ध्यान में लाया गया है। हम इसके सभी पहलुओं को देख रहे हैं और यदि अधिकारी वास्तव में दोषी पाया गया तो तुरन्त कार्यवाही की जाएगी।

तत्पश्चात् श्रीमान्, उस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बारे में, उस समय उद्योग में जो एम्बूलैंस थी वह खराब थी, किन्तु कम्पनी के अधिकारियों ने उसकी देखभाल की। वह घायल हो गया

[प्रो० के० के० तिवारी]

था इसलिए उसे तुरन्त नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया और वहां उसकी अच्छी तरह से देखभाल की गई थी और उसके उपयुक्त इलाज के लिए प्रबन्धक वर्ग द्वारा उसको धन भी दिया गया था किन्तु दुर्भाग्यवश घाव गम्भीर हो जाने से वह चल बसा। प्रबन्धक वर्ग का इसमें कोई हाथ नहीं है और दुर्घटनाएं दुर्भाग्यवश होती ही रहती हैं। किन्तु वे होती हैं.....

श्री सुरेश कुरूप : उन्होंने पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए थी। इतनी बड़ी कम्पनी में जहां पर श्रमिकों का हमेशा दुर्घटनाग्रस्त होने का अंदेशा रहता है, कम से कम एक ऐम्बुलैंस गाड़ी तो हमेशा तैयार रहनी चाहिए।

सभापति महोदय : आपने पहले ही अपनी बात कह दी है।

प्रो० के० तिवारी : महोदय, दुर्भाग्यवश, उस दिन ऐम्बुलैंस गाड़ी खराब थी किन्तु दूसरे वाहन जैसे एक जीप और एक कार उपलब्ध थे और घायल श्रमिक को तुरन्त अस्पताल पहुंचा दिया गया था।

श्री सुरेश कुरूप : कोई भी वाहन उपलब्ध नहीं था। यहां तक कि एक भी वाहन वहां पर नहीं था।

प्रो० के० के० तिवारी : वाहन वहां पर उपलब्ध था। उसे तुरन्त ही अस्पताल में पहुंचा दिया गया था। और महोदय, उसके बाद कुछ घटनाएं हुईं; हिंसा और अनुशासनहीनता की घटनाएं। अधिकारियों के साथ हिंसात्मक व्यवहार किया गया तथा गालियां दी गईं जो अत्याधिक अनुचित और अनावश्यक था। इसके लिए उन लोगों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है जो हिंसात्मक कार्य करने और कम्पनी की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उत्तरदायी थे।

अब हम बोनस के मामले पर आते हैं जो माननीय श्री कुरूप ने उठाया है। वह जानते हैं कि जब इस मामले पर बातचीत चल रही थी तो हम राज्य सरकार के प्राधिकारियों के पास गए थे। जब प्रस्तावित हड़ताल आरम्भ की जाने वाली थी तो मैं स्वयं माननीय मुख्य मन्त्री से मिला था और उनसे अनुरोध किया था कि वह प्रबन्धक वर्ग तथा कर्मचारियों में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और बगैर किसी हड़ताल के कोई समझौता किया जाए क्योंकि इस हड़ताल के कारण काफी नुकसान हुआ है। हड़ताल के इस थोड़े से समय के दौरान भी हमें 4000 टन के उत्पादन का नुकसान हुआ है। इसलिए, इस हड़ताल की जरूरत नहीं थी क्योंकि बातचीत चल रही थी। तथापि, मैं आपको बता दूं कि वास्तव में 5 वर्ष की अवधि के लिए बोनस अधिनियम के अधीन कर्मचारी बोनस के हकदार नहीं हैं। फिर भी प्रबन्धक मुख्य मन्त्री और श्रम मन्त्री और केरल सरकार के श्रम अधिकारियों की मध्यस्थता की वजह से प्रत्येक कर्मचारी को 750/- रुपये की राशि अग्रिम के रूप में देने के लिए तैयार हो गए हैं और इस अग्रिम राशि का समायोजन निर्धारित उत्पादन प्रोत्साहन में किया जायेगा, जिसके लिए कर्मचारी सहमत हो गए

हैं और सरकारी उद्यम ब्यूरो के परामर्श से उत्पादन प्रोत्साहन का एक फार्मूला तैयार किया जा रहा है। इस प्रकार, बोनस के इस मामले पर भी सहमति हो गई है। अब किसी भी शिकायत का कोई कारण नहीं है। माननीय श्री कुरूप मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके तथा उस क्षेत्र के दूसरे प्रतिनिधियों के प्रभाव का भी उपयोग किया जाए।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : माननीय श्री दत्ता सामन्त भी।

प्रो० के० के० तिवारी : श्री दत्ता सामन्त इसके प्रति इतने उत्साही नहीं हैं। (**व्यवधान**) जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने दोषी पाए जाने वालों को कभी संरक्षण नहीं दिया है। (**व्यवधान**)

डा० दत्ता सामंत : इतने अधिक उत्पादन के साथ इसको लाभ होना चाहिए।

प्रो० के० के० तिवारी : निस्सन्देह, वे संगठन भी सरकार की सूक्ष्म छानबीन के अधीन हैं और हम कदम उठा रहे हैं...

सभापति महोदय : आप माननीय श्री कुरूप के तर्कों का उत्तर दें किन्तु औरों का नहीं।

प्रो० के० के० तिवारी : मेरे माननीय साथी श्री कुरूप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जो कुछ हम करते हैं वह बहुत अच्छा करते हैं और क्षमता का उपयोग धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है।

1986-87 के लिए हमें यह आशा थी कि हम निर्धारित क्षमता अर्थात् 80,000 टन का शत प्रतिशत इस्तेमाल कर पायेंगे। लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण हड़ताल तथा लगातार बिजली की कटौती के कारण उत्पादन में काफी कमी हुई है। लेकिन हम अधिक से अधिक प्रयत्न कर रहे हैं और यह भी अच्छा है कि श्री कुरूप ने इस विषय को प्रस्तुत किया है और सम्बन्धित विषय पर प्रकाश डाला है। हम इसके सभी सम्बन्धित पहलुओं की जांच कर रहे हैं और मैं उनको विश्वास दिला सकता हूं कि यह इकाई लगातार विकास करेगी और आने वाले वर्षों में सारी हानि समाप्त हो जाएगी तथा निश्चय ही पर्याप्त विकास करके लाभ की ओर बढ़ेगी और लाभप्रदता एवं संचालन क्षमता में सुधार होगा। मैं आपका आभारी हूं। मैं समझता हूं कि इस से श्री कुरूप सन्तुष्ट हुए होंगे।

[हिन्दी]

श्री बुद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। मन्त्री जी ने जो प्रश्न का जवाब दिया है उसमें 1983-84 में 30.77 करोड़ का लॉस 1984-85 में 34.27 करोड़ का लॉस और 1985-86 में 51.67 करोड़ का लॉस बताया है, यह लॉस बराबर बढ़ता जा रहा है। आपने जो कारण बताए हैं मैं मानता हूं इसमें मिस

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

मेनेजमेंट अवश्य सम्मिलित है। आपने जो लासेज बताए हैं इस सालों में कितना प्रोडक्शन हुआ इसके भी आंकड़े प्रस्तुत करें ताकि अच्छी तरह से तुलना की जा सके। हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन के अन्तर्गत जो यूनिट्स कार्य कर रही हैं उनमें से कोई ऐसी भी यूनिट है जो लाभ में जा रही है और कितनी यूनिट्स सिक यूनिट्स हैं जो आपने इस निगम के अन्तर्गत दी हैं। कौन-सी राज्य सरकार ने इन यूनिट्स की पावर कट करके इसे लॉस पहुंचाया इस सम्बन्ध में भी जानकारी दें, क्योंकि सामान्यतः जो पब्लिक अण्डरटेकिंग होती है राज्य सरकार उसमें पावर कट नहीं करती, उसका ध्यान रखती है। इसके बारे में भी आप प्रकाश डालें। अन्त में, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है उसकी फैसिलिटीज में आपने इन यूनिट्स में क्या सुविधाएं मुहैया कराई हैं।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय का उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि खासतौर से जब निजि इकाइयां उन वर्षों के दौरान भारी लाभ कमा रही थी और ऐसे समय में जब कि हमारा देश करोड़ों रुपयों की लागत की लुगदी और रद्दी कागज विदेशों से आयात कर रहा है, उससे हिन्दुस्तान कागज निगम (हिन्दुस्तान) पेपर कारपोरेशन को नुकसान हो रहा है। मैं मन्त्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि एक चीनी मिल तमिलनाडु में हाल ही में गन्ने की खोई से कागज का उत्पादन करने जो मुख्य उत्पादन है के उद्देश्य से स्थापित की गई जब कि चीनी और अल्कोहल इसके सह-उत्पाद हैं। इन परिस्थितियों में यह हैरानी की बात है कि मांडया पेपर मिल को, जिसका हिन्दुस्तान कागज निगम (हिन्दुस्तान कारपोरेशन) द्वारा अधिग्रहण किया जा चुका है नुकसान उठाना पड़े।

(क) मैं माननीय मन्त्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहूंगा कि उन्होंने कर्नाटक तथा तमिलनाडु की चीनी मिलों से मांड्यापेपर मिल के लिए गन्ने की खोई का संग्रह करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

(ख) क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकार द्वारा इन इकाइयों को लगातार बिजली पूर्ति के लिए आश्वासन दिया गया है ?

(ग) इन इकाइयों के लिए आवश्यक बांस और सरकंडे उगाने की संभावित योजनाओं को यह ध्यान रखा गया है। उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने इन फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए गलत स्थानों का चुनाव किया और जो इन कारखानों के असंतोषजनक कार्य के लिए जिम्मेवार है जिससे अन्ततः इन महत्वपूर्ण इकाइयों में हानि हुई।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति जी, तिवारी जी के पब्लिक अण्डरटेकिंग्स के सम्बन्ध में किए गए कमिटमैंट का सम्मान करते हुए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि

आपके इतने लम्बे वाक्चातुर्य भाषण के बावजूद, आप हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन की फंक्शनिंग, पिछले 4-5 सालों में हुए लॉस तथा उसकी कमियों को किसी भी रूप से ढक नहीं पाए हैं। आपने यहां पर जो कुछ कहा, उसको हमें इस रूप में लेना चाहिए ताकि इसकी फंक्शनिंग में सुधार किया जा सके। हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन के लॉसेज के लिए जिनको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, मैं उनको दो कैटेगरीज में बांटना चाहता हूं : सर्वप्रथम तो राज्य सरकारें रॉ-मैटीरियल की कॉस्ट को लगातार बढ़ाती जा रही हैं और दूसरी तरफ पावर टैरिफ को भी लगातार बढा रही हैं। पहली जरूरत इस बात की है कि राज्य सरकारों को ऐसा करने से रोका जाए और रॉ-मैटीरियल की सप्लाई और पावर टैरिफ को कान्सटैंट रखने के विषय में केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों से बातचीत की जानी चाहिए। दूसरी जिम्मेदारी मिस-मैनेजमेंट पर आती है। क्या यह सत्य नहीं है कि आपकी नागालैंड यूनिट में कोई भी औफिशियल या सीनियर लेवल का अधिकारी जाने के लिए तैयार नहीं है। जिस किसी अधिकारी को वहां नियुक्त किया जाता है, वह अपना अधिकतर समय दिल्ली में ही बिताने का प्रयत्न करता है। क्या यह भी सत्य नहीं है कि देश में दूरदराज के इलाकों में स्थित यूनिटों की फंक्शनिंग को देखने वाले सीनियर आफिसरों की संख्या बहुत ही कम, नगण्य है और क्या यह भी सत्य नहीं है कि आपकी दुर्गम इलाकों में जितनी यूनिट्स हैं, उनमें से अधिकांश में, वहां के सीनियर आफिसर के विरुद्ध डिपार्टमैंटल इंक्वायरी, सी० बी० आई० की इंक्वायरी या कोई दूसरी जांच हो रही है। अगर यह बात सही है तो भ्रष्ट अधिकारियों को सजा देने की बजाए, उनको कवर-अप करने की प्रवृत्ति हमको कहीं का नहीं रखेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन दो बिन्दुओं पर गम्भीरता से विचार करते हुए पहले तो हमें राज्य सरकारों से बातें करनी चाहिए तथा दूसरी कमी को सुधारने के लिए टाइम-बाउण्ड स्टैप्स लिए जाने चाहिए ताकि हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन के मैनेजमैंट में सुधार लाया जा सके और लॉस को भी कम किया जा सके।

यहां मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान एक और महत्वपूर्ण बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस समय हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन में जो लॉस हो रहे हैं, उनको कवर-अप करने के लिए न केवल हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन बल्कि उसकी आड़ में जितनी हमारी प्राइवेट मिल्स हैं, वे यह कोशिश कर रही हैं कि लेवी का पेपर सप्लाई नहीं करतीं, जिसे हम राज्यों को देते हैं, कोटा आवंटित करते हैं। उसका परिणाम हमारे गरीब छात्रों को भुगतना पड़ रहा है जिनको उस लेवी के पेपर से कापियां या एक्सरसाइज बुक्स बनाकर दी जाती हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप वैसे तो काफी एफीशियेंट व्यक्ति हैं, आप हर चीज को अपनी ग्रिप में ले सकते हैं और सभी प्राइवेट मिल्स को भी सुधार सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं, आप उनसे कहिए कि राज्यों को यहां से जितना कोटा आवंटित किया जाता है, कम से कम उतना लेवी पेपर तो वे अवश्य सप्लाई करें ताकि राज्य सरकारें उस पेपर को प्राइवेट मैन्यूफैक्चरर्स को आवंटित कर सकें, समय पर रिलीज कर सकें और आपके द्वारा आवंटित कोटे का सही रूप से उपयोग हो सके, पूरा उपयोग हो सके।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : श्री जे० बेंगल राव ने मुख्य प्रश्न का उत्तर दे दिया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन में हानि का एक

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

कारण उसका गलत जगह पर स्थित होना है । जैसाकि हमारे मानीय मन्त्री ने कहा है कि कच्चे माल की अस्थाई रूप से कमी है । जहां तक मैं समझता हूं यह कमी केरल इकाई के लिए स्थाई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि परियोजना रिपोर्ट के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी था और सरकार ने केरल में एक अखबारी कागज की फैक्टरी लगाने का निर्णय कैसे लिया । क्या मुझे आपको कुछ बताना पड़ेगा ? केरल अखबारी कागज की फैक्टरी में हानि प्रबन्धक कुशलता के कारण नहीं अपितु अखबारी कागज की मनमानी कीमत लगाने के कारण, कम हो रही है जिसके लिए अखबारी कागज उद्योग पिछले इन कई वर्षों से शोर मचा रहा था । सरकार अखबारी कागज का मूल्य बढ़ा रही है और इस तरीके से आप यह दिखा रहे हैं कि हानि कम हो रही है । एक ओर तो हम अखबारी कागज के आयात पर कीमती विदेशी मुद्रा व्यय रहे हैं और दूसरी ओर हमारी अखबारी कागज की फैक्ट्रियां हानि दिखा रही हैं । यह एक विस्मयकारी स्थिति है । फिर यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि.....

सभापति महोदय : आप यह पूछिए कि क्या यह सच है ।

डा० गौरी शंकर राजहंस : कृपया एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिए । यह एक उलझन में डालने वाली स्थिति है । असम के नवगांव में हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है । आपको यह जानकर हैरानी होगी और इससे हर व्यक्ति को धक्का लगेगा कि चूना जो एक बहुत महत्वपूर्ण कच्चा माल और ऐसा रसायन है जो कागज और लुगदी के निर्माण में प्रयुक्त होता है, वहां पर उपलब्ध नहीं हैं । परियोजना रिपोर्ट को किन लोगों ने तैयार किया था और सरकार ने वहां फैक्ट्री लगाने का निर्णय कैसे लिया ? इस प्रकार मैं यह जानना चाहता हूं कि कारखानों के गलत जगह स्थित होने के कारण होने वाली इन हानियों का अब कैसे पता चला है । जब इन कारखानों को स्थापित किया गया था तब क्या उस समय इन हानियों पर विचार किया गया था ? एक बात और है । क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की सम्पूर्ण हानि को पूरा कर दिया जायेगा ? क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन को समग्र रूप से लाभकारी बनाया जायेगा ?

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय जी ।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय बहुत से प्रश्नों को उठाया गया है । मुझे संक्षिप्त और सुस्पष्ट रूप से उत्तर देने के लिए कहा गया है । मैं संक्षिप्त रूप से उत्तर दूंगा । हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन नहीं है—जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा है, मैं किसी ऐसी बात का पक्ष लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूं जिसे ठीक नहीं कहा जा सके, वास्तविकताएं सदन के समक्ष हैं । जहां तक कारखानों के गलत स्थान पर स्थित होने के कारण होने वाली हानियों का और इस प्रश्न का सम्बद्ध है कि उन क्षेत्रों में इन इकाइयों को क्यों स्थापित किया गया था आप इस बारे में मुझसे सहमति प्रकट करेंगे कि सभी कारकों/तथ्यों पर विचार करने के बाद एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई की स्थापना की जाती है । सरकार पिछले इलाकों की प्रगति के लिए व ऐसे कारखानों

को लाभकारी बनाने के लिए वचनबद्ध है ताकि बुनियादी ढांचा बनाया जा सके और इससे उन क्षेत्रों में पिछड़ी अर्थव्यवस्था की प्रगति में सहायता मिल सकती है। इससे रोजगार के पर्याप्त अवसर भी उत्पन्न होंने। ये मुख्य राष्ट्रीय उद्देश्य हैं और सार्वजनिक क्षेत्र—मुझे इस बात को भी दोहराना चाहिए—को भी परिभाषा के अनुसार व अनुमान्य लाभ के रूप में नहीं आंका जा सकता। क्योंकि इसके कुछ सामाजिक व क्षेत्रीय दायित्व भी हैं। इस प्रकार जब हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की इकाइयों की स्थापना की गई थी तो उन्हें नागालैंड जैसे दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थापित करने का विचार किया गया था—मैं इस बात से सहमत हूं कि बुनियादी ढांचे के अभाव में और कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई व अन्य अलाभकर स्थिति के कारण बहुत से लोग नागालैंड जाना नहीं चाहते। परन्तु डा० राजहंस महोदय उदाहरण के लिए आप मुझे यह बताइए कि दिल्ली के कितने अधिकारियों व डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त किया जाता है व उनमें से कितने लोग शहरी केन्द्रों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं अथवा अपना कर्त्तव्य निभाना चाहते हैं ? इससे जिन क्षेत्रों में प्रगति की आवश्यकता है उन क्षेत्रों की प्रगति में वृद्धि करने की हमारी वचनबद्धता कम नहीं होगी। सम्भवतः हमने कुछ करोड़ रुपये की हानि उठाई है। यह ठीक है। हम हानि उठा चुके हैं। परन्तु वास्तविकता यह है कि सरकार नागालैंड का विकास करने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए असम अथवा केरल के किसी पिछड़े क्षेत्र अथवा किसी अन्य राज्य के पिछड़े क्षेत्र का विकास करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। आखिरकार यदि सरकार इस कार्य को नहीं करती तो इस उत्तरदायित्व को कौन निभायेगा ? इसलिए सरकार को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता और मैं समझता हूं कि आप इस बात से सहमत होंगे कि हम सन्तुलित क्षेत्रीय विकास के लिए वचनबद्ध हैं। यह हमारी सरकार की एक महत्वपूर्ण वचनबद्धता है। इसी उपेक्षा के कारण अब बहुत सी क्षेत्रीय समस्याएं जोर पकड़ती जा रही है। इसलिए इस विषय पर माननीय सदस्य मेरी बात से सहमत होंगे कि सरकार की वचनबद्धता का पालन करने के लिए यह कार्य किया गया था।

श्री हरीश रावत श्री वृद्धि चन्द्र जैन व विपक्ष के मेरे मित्रों द्वारा दिए गए उन सभी सुझावों का हम पालन करेंगे जिन्हें हमारे ध्यान में लाया गया है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की स्थिति सुधारने का हर सम्भव कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत अधिक धन लगाया गया है। हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन में हम 800 करोड़ रुपया लगा चुके हैं। इसलिए यह हमारी कार्यसूची में एक प्राथमिकता का मुद्दा होगा और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम इसके कार्य को सुधारने की भरपूर कोशिश करेंगे। यदि यहां कोई कुप्रबन्ध व्याप्त है तो आप उसको बताने के लिए स्वतन्त्र है। मैं आपको आमन्त्रित करता हूं यदि यहां कुप्रबन्ध या भ्रष्टाचार का कोई उदाहरण है तो कृपया उसे हमारी जानकारी में, सरकार की जानकारी में लाइए और हम कड़ी से कड़ी सम्भव कार्यवाही करेंगे। हम भ्रष्टाचार या कुप्रबन्ध के किसी मामले को क्षमा नहीं करेंगे।

6.26 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र—(जारी)

सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं श्री जनार्दन पुजारी की ओर से सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 459/86-सी० शु० जो 12 नवम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 62/85-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि 25.4 मि०मी० (1 इंच) से अधिक मोटाई की लम्बाई में चीरी या छिली हुई लकड़ी, जिसके आगे तख्ते बनाए गए हों या नहीं, समतल अथवा फिंगर ज्वाइंटिड हों या नहीं, पर 10 प्रतिशत का मूल सीमा-शुल्क निर्धारित किया जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3192/86]

सभापति महोदय : सभा कल 11 बजे म० पू० पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.27 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 13 नवम्बर 1986। 22 कार्तिक 1908 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : आकाशदीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, नई दिल्ली